खण्ड-293, अंक-10
मंगलवार, 28 पौष, शक संवत् 1893
(18 जनवरी, 1972 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 293 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1972

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1283–1287
प्रश्नोत्तर	1287–1322
बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (सेवायोजन की शर्तें) नियमावली, 1969 (सदन के पटल पर रखी गयी)	1322
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1971 (सदन के पटल पर रखी गयी)	1323
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानि पूर्ति की वसूली) नियमावली, 1960 में किये गये संशोधन (सदन के पटल पर रखे गये)	1323
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्ष 1968–69 के वार्षिक प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	1323
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 की विज्ञप्तियां (सदन के पटल पर रखी गयी)	1323-1324
विधान परिषद द्वारा उत्तराखंड विश्वविद्यालय विधेयक, 1972 को संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के प्रस्ताव की सूचना	1324
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय कर की वसूली) (संशोधन) विधेयक, 1972 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	1324–1325
उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) विधेयक, 1972 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	1325
इन्टरमीडियेट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1971 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	1325
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1972 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	1325
उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1972 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	1325
उत्तर प्रदेश कर-विधि (संशोधन) विधेयक, 1972 के सम्बन्ध में आपत्ति (जारी)	1325–1329
उत्तर प्रदेश कर विधि (संशोधन) विधेयक, 1972 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	1329
उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1972 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	1329–1330
उत्तर प्रदेश आश्वासन समिति का 36वां तथा 37वां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	1330-1331
सदन के कार्य-क्रम के सम्बन्ध में सूचना	1331–1334
पिथौरागढ़ जिले में नियत नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा अभिसंधान शुल्क वसूल किये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गयी)	1334

कानपुर जनपद के परगना, अकबरपुर के अन्तर्गत दुआरी कृषि सहकारी फार्म के रजिस्ट्रेशन को निरस्त कराने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गयी) 1335

उत्तर प्रदेश कर-विधि (संशोधन) विधेयक, 1972 के सम्बन्ध में आपत्ति .. 1335

गृह उपमन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (अनुमति नहीं दी गयी) 1335–1336

प्रदेश में जीवनोपयोगी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से जनता में असन्तोष उत्पन्न होने के सम्बन्ध में वक्तव्य 1336–1342

इलाहाबाद विश्वविद्यालय कोर्ट के लिए विधान सभा के पांच सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत) 1343

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें 1343–1345

श्री नित्यानन्द स्वामी द्वारा औचित्य का प्रश्न तथा प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न 1345–1347

भूमि अर्जन (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1970 को विचारार्थ लेने के सम्बन्ध में आपत्ति 1347–1356

भूमि अर्जन (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1970 (विचारोपरान्त पारित) 1356–1376

इलाहाबाद तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय कोर्ट के लिये सदस्यों के निर्वाचनार्थ कार्यक्रम की सूचना 1376–1377

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराया तथा बेदखली का विनियमन) विधेयक, 1970 (विचारोपरान्त पारित) .. 1377–1433

नियम 51 व 52 के अन्तर्गत सूचनायें 1433–1438

प्रदेश के कर्मचारियों को द्वितीय अन्तरिम सहायता देने के सम्बन्ध में वित्त मंत्री की घोषणा पर चर्चा 1438–1462

नत्थियां 1463–1480

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, 18 जनवरी, 1972

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, उपाध्यक्ष, श्री बासुदेव की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—358

अजब सिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्त राम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, शेरवानी श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ दुबे, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आशाराम, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री,
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याणसिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (वेगम ऐजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्ण चन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशवचन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
के० एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह यादव, श्री
गणेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी,
गुलाब सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री

गोविन्द सिंह, नेगी श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, जाटव श्री
चंचल सिंह, गिल सरदार,
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्रप्रताप नारायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमोहनसिंह नेगी, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह बिष्ट, श्री
तेज नरायण त्रिवेदी, श्री
तेजपालसिंह 'कृष्ण', श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द्र, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनारायण बन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी,श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त बंध, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नलाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्त, डाक्टर
प्रताप नारायण तिवारी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदशी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)

बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिहारी, लाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती प्रसाद शुक्ला, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौतीसिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
भारतसिंह, चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मन्साराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखनलाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुंशीलाल चमार, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल क़िदवई, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री
(उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुबीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, यादव श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर, शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
रामकुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, डाक्टर
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री

राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामवचन, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय
रामवचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
राममूर्ति, 'अंचल', श्री
राम रतन पाण्डेय, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दुबे, श्री
रामलाल चतुर्वेदी, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम बिलास पाण्डेय, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
राव अब्दुर्रफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्षमण स्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालमा, श्री
लालूराम, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र, कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शंक प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरण पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पाण्डेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शवदास श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिव महेन्द्रसिंह, कुंवर (उर्फ शेर सिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिवबक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल कनौजिया, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवनलाल, श्री

सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद अंसारी, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, राम श्री
सरदारसिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखबीर, श्री
सुख लाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
हंसराज श्री (उर्फ हंसा)
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हरनारायण, श्री
हरबंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीसिंह बिष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुमसिंह परिहार, श्री (जिला आगरा, फतेहाबाद)
हुकुम सिंह श्री (जिला आगरा पश्चिम)
होती लाल अग्रवाल, श्री

नोट:—सामुदायिक विकास मन्त्री श्री बलदेव सिंह आर्य भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 18 जनवरी, 1972

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

बिजली की दरों में वृद्धि

**1—श्री कल्याण सिंह (जिला अलमोड़ा)—

क्या विद्युत मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सच है कि दिनांक 1 जनवरी, 1972 से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् ने निजी नलकूपों और पम्पिंग सेट्स में उपयोग होने वाली विद्युत की दर बढ़ा कर 20 पैसे प्रति यूनिट और घरेलू उपभोग के लिए 40 पैसे प्रति यूनिट कर दी है ? यदि हां, तो क्यों ?

वित्त राज्य मन्त्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)—

1 जनवरी, 1972 से निजी नलकूपों और पम्पिंग सेट्स में उपकी जाने वाली बिजली में तथा घरेलू उपयोग के लिए बिजली की दरों में 3 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ौत्तरी की गयी है ।

विद्युत परियोजनाओं के वित्त पोषण की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा विद्युत (पूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 59 की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत यह आवश्यक समझा गया ।

श्री कल्याण सिंह—

क्या माननीय मन्त्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रति यूनिट बढ़ोत्तरी के कारण कितनी वार्षिक आय आंकी गयी है ?

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, इस से जो आमदनी होगी वह मिनिमम गारन्टी जो समाप्त कर दी गयी है और जो ट्रांसफार्मर चोरी चले जाते थे और उसकी कीमत किसानों को देनी पड़ती थी, वह अब विद्युत बोर्ड वहन करेगा, उसे जो नुकसान होगा, उसकी किंचित पूर्ति होगी और साथ ही साथ जो वर्ल्ड बैंक और ऐग्रीकल्चर रि-फाइनेंन्स कारपोरेशन से जो ऋण मिलता था उसकी भी पूर्ति किंचित रूप से इस आय से होगी।

श्री कल्याणसिंह—

मान्यवर, मैंने पूछा था कि उससे कितनी आमदनी होगी। अगर इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी के पास कोई आंकड़े हों तो बताने की कृपा करें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जो रेट बढ़ाये गये हैं उस से लगभग 4–साढ़े 4 करोड़ की आमदनी होगी।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि जो निजी नलकूप हैं उन से जो मिनिमम गारन्टी ली जाती थी वह अब समाप्त कर दी गयी है और 9 पैसा प्रति यूनिट किसानों से आज बिजली चार्ज करेंगे। तो यह जो रेट हैं वह क्या आल-इण्डिया कामन ग्रिड में तय हुये हैं?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां, जो निमिमम गारन्टी 120 रु० प्रति हार्स पावर ली जाती थी वह समाप्त कर दी गयी है और साथ ही साथ ट्रांसफार्मर की चोरी हो जाती थी और उस की कीमत ली जाती थी, वह भी समाप्त कर दी गयी है।

श्री बंशीधर पांडेय—

यह जो आल इण्डिया कामन ग्रिड है उस में कहा गया है कि 9 पैसा प्रति यूनिट दाम लिया जायेगा तो क्या वह यू० पी० भर का है?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

इस समय मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है जिस में यह बताया जा सके कि यह कामन ग्रिड यू० पी० भर का है।

श्री बंशीधर पांडेय—

मान्यवर, यह पहले तय हो गया था कि एक कामन ग्रिड होगा और 9 पैसा प्रति यूनिट...

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप नहीं। आप बैठें।

श्री राम प्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो मिनिमम गारन्टी खतम की है तो क्या आप ने यह कोई नियम बना रखे हैं कि जो बिजली कन्ज्यूमर कन्ज्यूम करेगा उसके आधार पर ली जायेगी जिस से जो मिनिमम गारन्टी खतम की गयी है वह पूरी हो जाय?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जितनी उपयोग करेंगे उतनी ली जायेगी। इस के अतिरिक्त 3 रु० प्रति हार्स पावर सरचार्ज भी है।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

क्या मन्त्रीजी यह बतायेंगे कि इस तरह की दरों में बढ़ोत्तरी क्या बड़े उद्योगों और मीडियम इन्डस्ट्री पर भी की है?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

बडे उद्योगों पर यह वृद्धि 11.64 पैसे से 12.89 पैसा और मीडियम पर 9.05 से 10.75 पैसा की गयी है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुये कि यह जो वृद्धि है तीन पैसा प्रति यूनिट की इससे साधारण व्यक्ति प्रभावित होगा, प्रदेश के साधारण व्यक्ति जो निम्न-आय वाले है उनको छूट देने के बारे में कुछ विचार करेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मिनिमम गारेन्टी और ट्रांसफार्मर की चोरी की जो जिम्मेदारी थी उससे छोटे किसानों को लाभ होगा।

श्री कल्याण सिह—

उपाध्यक्ष महोदय, यह विद्युतपरियोजनाओं के वित्त पोषण की आवश्यकता का बहाना बना कर लगातार रेट बढ़ा रहे है और एक ओर घाटा हो रहा है। मै यह बताना चाहता हूं कि दो वर्षों में 36 करोड़ 17 लाख रुपये डैमरेज के चले गये और 7 करोड़ 39 हजार 350 रुपये के ट्रांसफार्मर चोरी चले गये, क्या माननीय मंत्री इससे होने वाली क्षति की जांच कराने की कोशिश करेगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो बड़ा व्यापक प्रश्न है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

माननीय मंत्री जी यह जानते हुये कि प्रदेश में प्रति यूनिट दर दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में पहले से ही ज्यादा थी और यह प्रदेश दूसरे प्रदेशों से सबसे ज्यादा निर्धन है तो किन अवस्थाओं में और किन कारणों से इस गरीब प्रदेश के गरीब किसानों पर और अतिरिक्त यूनिट लगाने की व्यवस्था की है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो जनरल सवाल है। आप कोई और जानकारी देना चाहते हैं ?

श्री गोस्वामी राधा कृष्ण—

इन सब परिस्थितयों को देखते हुये मिनिमम चार्ज खत्म कर दिया गया और इससे किसानों को सुविधा दी गयी साथ ही साथ ट्रांसफार्मर की चोरी की अभी तक जो कंन्ज्यूमर की जिम्मेदारी होती थी उससे उसको छुटकारा दे दिया है और अब इसकी जिम्मेदारी विद्युत् बोर्ड की होगी। यह सब सुविधायें देने का प्रयास किया जा रहा है।

प्राविन्शियल मार्केटिंग आफिसर, श्री कामताप्रसाद गर्ग के विरुद्ध जांच रिपोर्ट पर विचार

**2—श्री रामकरन सिह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्राविन्शियल मार्केटिंग आफिसर श्री कामता प्रसाद, गर्ग के भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच कराई गयी है ? यदि हां,तो जांच रिपोर्ट क्या है तथा क्या कार्यवाही की गई ? क्या रिपोर्ट को मंत्री महोदय सदन के पटल पर रखेंगे ?

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री बेनी सिह)—

जी हां।

जांच रिपोर्ट शासन के विचाराधीन है जिस पर अभी कुछ कहना जनहित में न होगा।

श्री राम करन सिंह—

प्रश्न में आप से यह पूछा गया है कि क्या मार्केटिंग आफिसर के खिलाफ जांच करायी गई ? आप ने उत्तर में कहा जी हां, तो उसमें कौन सी बात है जिसको जनहित में बताने से नुकसान होगा ?

श्री बेनी सिंह—

मान्यवर, अभी तो डिटेल्ड रिपोर्ट नहीं आई, कुछ आना बाकी है। इसलिये जब डिटेल्ड रिपोर्ट आ जाय तो उस पर गवर्नमेंट विचार करेगी और कुछ निर्णय लेगी और उस वक्त तक यह कन्ल अज़ वक्त है। यह मुनासिब नहीं है।

श्री राममूर्ति अंचल (जिला शाहजहांपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके सेवा काल में उनको जितनी एंट्रीज मिली हैं उनमें कोई वैड एंट्रीज भी हैं यह वह सब श्रेष्ठ एंट्रीज ही हैं ? दूसरे उनका कोई जवाब तलब किया गया या वार्निंग भी दी गयी या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो बड़ा व्यापक प्रश्न है।

श्री बेनी सिंह—

यह तो बड़ा व्यापक प्रश्न है। कुछ एंट्रीज खराब हैं और कुछ अच्छी हैं। उनका एक्सपंकशन हुआ है या नहीं। यह नहीं बता सकता।

श्री रामकरन सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इनके खिलाफ जांच के आदेश किसने दिये थे ? और अब तक रिपोर्ट क्यों नहीं आयी ?

श्री बेनी सिंह—

मान्यवर, सन् 1968 में जांच के आदेश हुये थे और सन् 70 में रिपोर्ट आयी।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी इनके विरुद्ध मुख्य आरोप बताने की कृपा करेंगे ?

श्री बेनी सिंह—

मैंने अर्ज किया कि हम अभी नहीं बता पायेंगे और न तो यह मुनासिब ही होगा जब कि पूरी रिपोर्ट नहीं आयी है।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

क्या-क्या मोटे-मोटे आरोप हैं यह तो आप बता ही सकते हैं। जो जांच हो रही है उसको न बतायें। आरोपों के बारे में यह कह दिया जाय कि ये भी गुप्त हैं यह तो ठीक नहीं है। आरोपों को न बताना यह तो कोई जनहित की बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी पूरी जांच नहीं हुई है, इसलिये उन्होंने कहा कि नहीं बता सकते हैं।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

कौन-कौन से आरोप हैं यह तो बता ही सकते हैं जिनके खिलाफ जांच हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने कहा कि उसको बताना जनहित में नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आरोप क्या-क्या हैं यह बताने में क्या है ? मान्यवर, आप इस पर व्यवस्था दें।

श्री बेनी सिंह—

यह तो ठीक है कि अभी पूरी रिपोर्ट नहीं आयी है और इसको नहीं बताना चाहिये लेकिन [illegible] एक तो यह आरोप है कि जनवरी 9, 10 को उन्होंने

एक रेड किया था जिसमें 50 हजार रुपयों की उन्होंने घूस ली। दूसरा यह आरोप उनके खिलाफ था कि उनके घर पर कोई 5,000 रु0 के नोट छोड़ गया था। उसकी रिपोर्ट उन्होंने पुलिस को की परन्तु उसका नाम उन्होंने नहीं बताया। तीसरा आरोप यह था कि 1959 और 62 के बीच में स्टोरेज में बहुत ज्यादा इरेगुलेरीटीज की गई हैं। ये तीन आरोप हैं।

श्री चन्द्र भान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या मंत्री जी को मालूम है कि इन्हीं सप्लाई आफिसर साहब ने 1959 में कानपुर में, गल्ला सड़ गया था, उसको पकड़ा था और जब केस चला तो जो भ्रष्टाचारी अधिकारी पकड़ा गया वह उनका रिश्तेदार था?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो दूसरा सवाल है।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

जो प्राइमाफेसी रिपोर्ट आयी है तो जो भ्रष्ट आफिसर हैं वे अभी तक निलम्बित हुये या नहीं?

श्री बेनी सिंह—

इस पर अभी विचार किया जा रहा है।

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

क्या मंत्री जी इसको काबिले वख्त समझते हैं कि इतना समय हो गया है और इतनी महत्वपूर्ण शिकायत थी उसकी जांच करने में इतनी देर की जा रही है तथा वह जांच किसके जरिये की जा रही है और वह जांच करनेवाला कौन सा अधिकारी है, उसको बतायेंगे?

श्री बेनी सिंह—

चूंकि अभी पूरी रिपोर्ट नहीं आयी है और जब पूरी रिपोर्ट आ जायेगी उस पर तुरन्त कार्यवाही की जायेगी। विजीलेंस कमीशन इसकी जांच कर रहा है।

श्री रामकरन सिंह—

उत्तर में मंत्री जी ने यह बताया कि जांच रिपोर्ट विचाराधीन है, उस पर अभी कुछ कहना जनहित में न होगा। और फिर अभी यह कहा कि कुछ रिपोर्ट बाकी है, यानी वह आयी नहीं है। तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा उत्तर सही है?

(उत्तर देने के लिए मंत्री जी को नहीं पुकारा गया)

श्री उपाध्यक्ष—

अब आगे चलते हैं।

श्री रामधारी शास्त्री—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिनके विरुद्ध पचास हजार की घूस का आरोप है, वह मुअत्तल किये गये या नहीं?

श्री उपाध्यक्ष—

इसका जवाब तो वह दे चुके हैं।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इंक्वायरी में देर इस वजह से की जा रही है कि मामले को बिल्कुल साफ कर दिया जाय तब रिपोर्ट आए?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री राजित राम पांडेय (जिला इलाहाबाद)---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो पांच हजार रुपया उसके घर पर था वह कहां है और उसके बारे में क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्रीबेनी सिंह---

इन्हीं सब चीजों की तो जांच हो रही है।

खुले बाजार में चीनी के बढ़ते दाम की रोक थाम

**3---श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा)---

क्या खाद्य मंत्री को ज्ञात है कि दिसम्बर, 1971 में सरकार की ओर से यह घोषणा की गयी थी कि 1 जनवरी, 1972 से ग्राहकों को शक्कर खुले बाजार में सस्ते रेट पर मिलेगी, लेकिन इसके विपरीत जनवरी, 1972 से शक्कर की कीमतें 2 रु० प्रति किलो से बढ़ कर 3.50 प्रति किलो हो गयी हैं ? यदि हां, तो इसकी रोक-थाम के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री बेनी सिंह---

खुले बाजार के भाव के सम्बन्ध में ऐसी कोई घोषणा नहीं की गयी थी। अलबत्ता 1 जनवरी, 1972 से सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों द्वारा निर्धारित दर पर चीनी उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने की घोषणा की गयी थी जो कि जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार कार्यान्वित हो गयी है।

जहां तक चीनी के खुले बाजार में कीमतें बढ़ने का प्रश्न तथा इनकी रोक थाम के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का प्रश्न है चीनी के मूल्य, वितरण तथा संचरण पर राज्य सरकार का किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार भारत सरकार के आदेशानुसार ही कार्यवाही करती है। चीनी के बढ़ते हुये मूल्यों को रोकने के लिये भारत सरकार ने उपभोक्ताओं को निर्धारित दर पर सस्ते गल्ले की दुकानों द्वारा 1 जनवरी, 1972 से चीनी उपलब्ध कराने की एक योजना बनायी है जिसके अनुसार चीनी मिलें स्वेच्छा से अपने पक्ष में प्रतिमास रिलीज्ड कोटे का 60 प्रतिशत रु० 150 प्रति क्विंटल, मिल द्वार मूल्य पर, भारत सरकार को उपलब्ध कर रही है। भारत सरकार इस चीनी को समस्त प्रदेशों को बांट देती है और इस प्रकार प्राप्त कोटे को राज्य सरकार सस्ते गल्ले की दूकानों के माध्यम से वितरित करा रही है। प्राप्त सूचना के अनुसार इस योजना के कार्यान्वित होने के फल-स्वरूप खुले बाजार की चीनी के मूल्यों में गिरावट की प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही है।

श्री हुकुम सिंह परिहार---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अन्य प्रदेशों के मुकाबिले में उत्तर प्रदेश में चीनी की कमी है और भाव भी ऊंचे हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो दूसरा सवाल हो गया।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---

श्रीमन्, मंत्री जी ने जो उत्तर पढ़ा वह इतना लम्बा है कि याद रखना बड़ा मुश्किल है। इस पर तो आधे घंटे के विवाद का मौका दे दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

मुझे शक है कि अब और समय मिल पाएगा। आप प्रश्न कर लें।

श्री महीलाल—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शहर के लिए और देहात के लिए चीनी का कोटा समान रहेगा या अन्तर रहेगा ? दूसरी बात, देहात में बहुत से अदालतों पंचायतों के क्षेत्र में जहां कोई दुकान नहीं दी गयी है, वहां के लिए क्या व्यवस्था करेंगे ?

श्री बेनी सिंह—

मान्यवर, खुदरा पेजीहते, दीगरा नसीहत। हमसे लम्बे जवाब के लिए तो शिकायत करते हैं और खुद दो-तीन सवाल एक साथ करते हैं। एक-एक सवाल पूछें तो जवाब दूं।

श्री महीलाल—

मेरा प्रश्न तो बड़ा साफ है और हिन्दी में है। मैंने यह कहा कि नागरिक क्षेत्र और देहाती क्षेत्र में कोटा समान होगा या कम-ज्यादा होगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

और अदालती पंचायतों के क्षेत्र में जहां दुकानें नहीं है वहां क्या व्यवस्था होगी ?

श्री बेनी सिंह—

मान्यवर, जहां तक शक्कर का ताल्लुक है जो पिछली वितरण प्रणाली थी उसी को लागू कर दिया गया है। शहरों में 1 किलोग्राम प्रति यूनिट और देहात में 1 किलोग्राम प्रति पर्ची के हिसाब से चीनी बंटेगी। हमने भारत सरकार को लिखा है कि चीनी की इस मात्रा से काम नहीं चलेगा, इसकी मात्रा को बढ़ाइये। इस पर हम विचार कर रहे हैं कि शहरों और देहातों में चीनी के वितरण में जो फर्क है वह कम से कम हो सके।

इस प्रश्न के दूसरे हिस्से के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि पहले जहां-जहां दुकानें थीं वहां-वहां शक्कर पहुंचाने की चेष्टा की गई है। हमने यह भी कहा है कि अगर जरूरत पड़े तो और दूकानें खोल दी जायं ताकि देहात में आसानी से शक्कर उपलब्ध हो सके। इस इन्तजाम के करने में कुछ देर लगेगी।

श्री रामगोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)—

मैं इलाहाबाद की चीनी का नमूना लाया हूं। मैं कल वहां डी० एस० ओ० से मिला भी था। वहां पर सारी चीनी गीली मिल रही है। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि इलाहाबाद के डी० एस० ओ० के खिलाफ और वहां की कंट्रोल की दुकानों के तमाम दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही करें। वहां पर पिछली 10 तारीख से उपभोक्ताओं को गीली चीनी मिल रही है। क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

श्री बेनी सिंह—

जैसा कि मैंने निवेदन किया कि चीनी के वितरण को तुरन्त चालू करना था इसलिए चीनी पुरानी दुकानों पर दे दी ताकि चीनी लोगों को मिले और भाव नीचे आ जाएं। जितनी भी दुकानें हैं हम उनकी फिर से जांच करायेंगे।

श्री राम गोपाल सण्ड—

एक बोरे चीनी में कम से कम 20 सेर पानी मिलाते हैं। आप इलाहाबाद चलें, मैं अभी आप को दिखाऊंगा। मैं आपको पच्चीसों दुकानदारों के नाम बता सकता हूं। मैंने वहां के डी० एस० ओ०, टंडन जी से भी कहा कि गीली चीनी मिल रही है।

श्री उपाध्यक्ष—

पानी मिलाने की शिकायत कहां-कहां है, आप लिखित दे दें। पानी मिलाने के बारे में आप क्या कहते हैं, मंत्री जी ?

श्री बेनी सिंह---

मैं उसी पर आ रहा हूं, बेसबरी का कोई इलाज नहीं। हमने यह कहा कि सब दुकानों की जांच करेंगे और अगर कोई शिकायत सही हुई तो दुकानदार तो जायेगा ही इंस्पेक्टर भी जायेगा। हमने तो यह भी कहा है कि अगर आप चीनी लेने जाते हैं और मिल मालिक से आपको ठीक चीनी नहीं मिलती है तो आप वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को इत्तला करें कि हमको ठीक चीनी नहीं मिल रही है। एक तार आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को भेजें और एक तार हमारे पास यहां शासन में भेजें। हम उसका इन्तजाम करेंगे। आप वहां से चीनी न लें, बल्कि सर्टिफिकेट ले लें कि क्योंकि खराब चीनी मिल रही थी इसलिए हमने चीनी नहीं ली। जहां कहीं खामी होगी हम उसकी जांच कराएंगे, मगर एक निवेदन के साथ कि शिकायत करने के बाद फिर यह न कहें कि इसको छोड़ ही दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष---

यही है वह चीनी।

श्री राम गोपाल सण्ड---

यह 4 दिन पहले हमारे यहां आयी थी।

श्री उपाध्यक्ष---

यह जो गीली चीनी का नमूना है इसको हम आपके पास भेज देंगे।

श्री बेनी सिंह---

मान्यवर, इसको हमारे पास भेज दीजिए।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

मान्यवर, प्रदेशीय सरकार का भी यह निश्चय था और भारत सरकार का भी यह निश्चय था कि 2 रु० प्रति किलो के हिसाब से 1-1-72 से चीनी उपभोक्ताओं को दी जायेगी। जब दोनों ही सरकारों का यह निश्चय था तो 1-1-72 से यह प्रबन्ध क्यों नहीं हो सका? इसमें क्यों विलम्ब हुआ? किस तारीख से उपभोक्ताओं को कंट्रोल रेट से चीनी 2 रु० प्रति किलोग्राम मिलने लगेगी?

श्री बेनी सिंह---

यह पहला पहला मामला था, इसलिये इसके आर्गेनाइजेशन आदि में देरी हुई। आज 60 परसेंट चीनी वे स्वेच्छा से दे रहे है, और यह पहली जनवरी को मिल से रिलीज हुई और उसी तारीख से बांटने के भी आर्डर हुये, इसके कारण इसमें विलम्ब हो गया। लेकिन एक हफ्ते के अन्दर ही करीब-करीब सारे जिलों में चीनी पहुंच गयी है।

श्री बांकेलाल---

चीनी की कीमत इस समय करीब 3.50 रुपये प्रतिकिलो हो गयी है। इसको देखते हुये क्या सरकार गन्ने की कीमत भी बढ़ाने की कृपा करेगी?

श्री उपाध्यक्ष---

यह नया सवाल है।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)---

जब सरकार को 150 रुपये प्रति क्विंटल चीनी मिल से मिलती है तो वह २ रुपये प्रति किलो के हिसाब से क्यों बेची जा रही है, क्या सरकार उसका भाव कम करने के प्रश्न पर विचार करेगें?

श्री बेनी सिंह---

आपकी सूचना अधूरी है। 150 रुपये में मिल गेट पर शक्कर हमको मिलती है। उसके बाद एक्साइज ड्यूटी, ट्रान्सपोर्टेशन खर्च, तथा अन्य खर्च तथा मुनाफा आदि लगा कर वह करीब दो रुपये के आसपास ही पड़ती है।

श्री रामकुमार शास्त्री---

क्या मंत्री जी को इसकी जानकारी है कि लखनऊ में शकर की वितरण व्यवस्था ठीक ढंग से चल रही है?

श्री बेनी सिंह---

अगर आप की सूचना में कोई गड़बड़ी हो तो बतायें, उसकी सही जानकारी करा लूंगा।

श्री शिवराज सिंह---

क्या मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि प्रदेश की सभी अदालत पंचायतों के अन्दर नियत समय के अन्दर यह दूकानें खुल जायंगी? और वह समय कितना होगा?

श्री बेनी सिंह---

प्रयास यही है कि सब जगह खुल जायें।

फैजाबाद मण्डल के कतिपय जिलों में यूरिया खाद का वितरण

**4---श्री पारसनाथ सिंह (जिला बहराइच), श्री कल्याण सिंह श्री हिम्मत सिंह, (जिला बुलन्दशहर), श्री नेतराम सिंह (जिला एटा), श्री रामसागर (जिला जौनपुर), श्री उमाशंकर शुक्ल (जिला शाहजहांपुर) तथा श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)---

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू० पी० एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड की शाखा फैजाबाद ने यूरिया खाद के लिये 510 टन की मांग दिनांक 10 दिसम्बर, 1971 को फर्टीलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया गोरखपुर को भेजा और उक्त खाद फैजाबाद मण्डल के गोंडा, कर्नलगंज, फैजाबाद, पचपेड़वा, बहराइच, बाराबंकी आदि स्थानों को अभी तक नहीं भेजी जा सकी? यदि हां, तो क्यों?

कृषि राज्य मंत्री (श्री श्यामसूरत उपाध्याय)---

यू० पी० एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड की फैजाबाद शाखा ने 510 टन यूरिया खाद की मांग दिनांक 10-12-71 को फर्टीलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया, गोरखपुर को नहीं भेजी है। अन्य प्रश्न नहीं उठते।

श्री पारसनाथ सिंह---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद, गोंडा, बहराइच आदि जिलों में प्राइवेट एजेन्सी द्वारा कितनी खाद बांटी गयी तथा एग्रो द्वारा कितनी बांटी गयी?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय---

मान्यवर, फैजाबाद में 120 टन पहली किस्त में, दूसरी किस्त में 120 टन खाद दी गयी है। यह शायद जनवरी तक पहुंच गयी है। अन्य एजेंसियों के बारे में तो प्रश्न था नहीं।

श्री पारसनाथ सिंह---

क्या मंत्री जी वहां के लिए 120-120 टन खाद काफी समझते हैं?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री हरिनाथ तिवारी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वहां पर कितनी खाद मांगी गयी थी ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

कुल सात हजार टन यूरिया खाद फैजाबाद आदि तीन मण्डलों के लिए थी, जिसमें से फैजाबाद के लिए 1,755 टन एलाट हुई थी।

श्री सूबेदार सिंह (जिला मैनपुरी)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो विभिन्न मण्डलों में खाद भेजने का कोटा निर्धारित हुआ था, उसके बारे में क्या सरकार ने कोई पालिसी तय की थी कि इस तरह से खाद फलां-फलां मण्डलों में भेजी जाएगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन द्वारा हर मण्डल से यह मांगी गयी थी, उसके अनुसार कोटा निर्धारित किया गया था।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

गोरखपुर मण्डल के कतिपय जिलों से निकाले गए अमीनों और चपरासियों का विवरण

*1—श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर मण्डल के अन्तर्गत बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, देवरिया के प्रत्येक जिलों में कितने-कितने अमीन और चपरासी 31-3-71 से 15-10-71 तक जिला अधिकारी के आदेश पर निकाले गये हैं ? उनमें से कितने अनुसूचित जाति के हैं और कितने पिछड़े हुए वर्ग के हैं ? पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

दिनांक 31-3-71 से 15-10-71 तक गोरखपुर मण्डल के अन्तर्गत बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, देवरिया जिलों से निकाले गए अमीनों एवं चपरासियों का जिलेवार विवरण संलग्न तालिका में दिया है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 1463 पर)

श्री रामधारी शास्त्री—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब यह सरकार की नीति है कि 18 प्रतिशत अनुसूचित जाति के रहेंगे तो छंटनी करते समय क्या इस बात का कोई ध्यान रखा गया कि यह अनुपात बिगड़ने न पाए ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

जो प्रदेश में छंटनी की गयी अमीन और चपरासियों की वह एक नियम के आधार पर की गयी। वह नियम यह था कि जिनकी वसूली 5 हजार रुपये से कम है उनको हटा दिया जाए। तो इसलिए इसमें जाति या कोटा का कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं थी और न यह रखा गया।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

सारे प्रदेश में इस प्रकार जो हजारों लोगों की छटनी की गयी क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि छटनी का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि जो सबसे पहले आता है सब से बाद में जाता है, क्या इस सिद्धान्त का हनन करके सरकार ने छटनी कर दी है ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय---

इसमें सिद्धान्त यह था कि जो इनकाम्पीटेंट हैं, जो सक्षम नहीं हैं काम करने में, उसको हटाया जाय। इसमें यह नहीं था कि हमारे पास काम नहीं है इसलिए हटाया जाय।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। छटनी का जो सिद्धान्त है वह मैंने कहा है। कार्य के ऊपर हटाएंगे तो चार्जशीट देकर हटाएंगे। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूरे प्रदेश की नीति से सम्बन्धित है, क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताएंगे कि छटनी किसी मामले में तब तक नहीं हो सकती जब तक इस सिद्धान्त का पालन न हो जो पहले आया है उसे बाद में जाना होगा ?

श्री उपाध्यक्ष---

चाहे कार्य करे या न करे ?

श्री नित्यानन्द स्वामी---

जो कार्य नहीं करेगा उस पर चार्जशीट लगायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष---

आप प्रश्न करेंगे या सिद्धान्त की बात करेंगे ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय---

यह छटनी नहीं है। सर्विस से निकाले गये हैं। जिन्होंने पांच हजार से कम वसूली की है उनको हटा दिया गया है सर्विस से।

श्री सुखपाल पांडेय---

क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि बाढ़ और अतिवृष्टि के कारण जो वसूली स्थगित हो गयी थी, उस बीच में वसूली कम होने के कारण कर्मचारी हटाये गये हैं, यदि हां, तो पुनः उनको सेवा पर नियुक्त करने के लिए विचार कर रहे हैं ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय---

बाढ़ और अतिवृष्टि के कारण नहीं, 1970-71 के आंकड़ों के अनुसार हटाया गया।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---

माननीय मंत्री ने बताया कि देवरिया में 88 अमीन निकाले गये। देवरिया में इस साल भी बाढ़ थी और गत वर्ष भी बाढ़ थी और बाढ़ के समय में वसूली नहीं हो सकती, यह आधार जो उन्होंने...

श्री उपाध्यक्ष---

उसका उत्तर दिया है कि इस बाढ़ का नहीं है। पहले का है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी---

पारसाल भी बाढ़ थी और इस साल भी थी।

श्री उपाध्यक्ष—

जिन्होंने ऊंची वसूली की है उनके लिए क्या बाढ़ नहीं थी ?

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—

बाढ़ इस साल भी आयी और पारसाल भी आयी थी, जो कम वसूली हुई है यह जो आधार माना है...

श्री उपाध्यक्ष—

आधार सही नहीं है तो कैसे किया ? आप पूछिए, प्रश्न।

(श्री उपाध्यक्ष ने श्री वीरेन्द्र वर्मा का नाम पुकारा।)

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

माननीय मंत्री ने कहा कि जिन अमीनों की पांच हजार से कम वसूली रही उनको निकाला गया, चपरासियों की कोई वसूली नहीं होती, चपरासियों के लिए क्या मापदंड रखा गया जिनको निकाला गया ? क्या उनके सेवा काल को ध्यान में रखा गया या नहीं ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

माननीय सदस्य को ज्ञात होगा कि अमीनों के साथ चपरासी लगाये जाते हैं। उन्हीं अमीनों के साथ जो चपरासी हैं, जो उन्हीं के साथ काम करते हैं, उनको उन्हीं के साथ हटाया गया है।

श्री मुंशीलाल चमार (जिला मैनपुरी)—

क्या माननीय मंत्री बताएंगे कि जिन अधिकारियों ने 18 फीसदी कोटा कम होते हुए भी अधिक वसूली करने वाले शेडयूल कास्ट के अमीनों और चपरासियों को निकाला गया है ऐसे अधिकारियों की समस्त उत्तर प्रदेश में सूची बना कर कार्यवाही करने पर विचार करेंगे।

(उत्तर के लिए मंत्री जी को नहीं बुलाया गया।)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

गोरखपुर जिले के सैनीटरी इन्सपेक्टर की सेवा पुस्तिका की वापसी

*1—श्री छांगुर राम (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि अगस्त, 1965 ई० में गोरखपुर जिले से कितने सैनीटरी इन्सपेक्टरों की सेवा पुस्तिका वेतन-क्रम में दक्षता पार करने के लिए निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के पास भेजी गयी और अब तक वापस नहीं की गयीं तथा क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

अगस्त, 1965 में गोरखपुर जिले के केवल एक सैनीटरी इन्सपेक्टर की सेवा पुस्तिका वेतन-क्रम में दक्षता रोक पार करने निमित्त स्वास्थ्य सेवा निदेशक को प्राप्त हुई थी जो दक्षता रोक पार करने की अनुमति के साथ वापस की जा चुकी है।

किठोर मेरठ स्थिति जिला परिषद् की डिस्पेन्सरी में डाक्टर की नियुक्ति

*2—श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि कस्बा किठौर (मेरठ) में अन्तरिम जिला परिषद् की डिस्पेन्सरी चल रही है और इस डिस्पेन्सरी में लगभग 1 वर्ष से कोई डाक्टर नहीं है? क्या यह भी सही है कि जनता की मांग पर जिलाधिकारी, मेरठ इस डिस्पेन्सरी को सरकारी प्रबन्ध में लेने की संस्तुति कर चुके हैं? यदि हां, तो इसमें क्यों देर की जा रही है?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

कस्बा किठौर (मेरठ) में जिला परिषद् मेरठ की डिस्पेंन्सरी है और उसमें दिसम्बर, 1970 से डाक्टर नहीं है। डिस्पेन्सरी को सरकारी प्रबन्ध में लेने का कोई प्रस्ताव व विचार नहीं है। डाक्टर की नियुक्ति के लिये प्रयास किये जा रहे हैं।

श्री मंजूर अहमद—

दिसम्बर, 70 से मंत्री जी कह रहे हैं कि वहां डाक्टर नहीं है तो क्या कारण है कि उस डिस्पेंन्सरी को चलाने के लिये अब तक वहां कोई डाक्टर नहीं भेजा गया है?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

शासन ने जिला परिषद् के अध्यक्ष को लिखा है कि वह शीघ्र किसी डाक्टर की नियुक्ति करें। उन्होंने टाइम्स आफ इंडिया में विज्ञापन दिया लेकिन किसी डाक्टर की दरखास्त प्राप्त नहीं हुई। दुबारा जो डायरेक्टर आफ एम्प्लायमेंट एण्ड ट्रेनिंग हैं, उनसे कहा गया। उन्होंने 15 डाक्टरों की सूची भेजी है। अब उनका साक्षात्कार होगा और उनमें से किसी को ले लिया जायगा।

श्री मंजूर अहमद—

14 हजार की जनसंख्या के लिये यह डिस्पेंन्सरी है तो जिला परिषद् से इसे सरकार को दे दिये जाने में क्या दिक्कत है?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जिला परिषद् के अध्यक्ष की ओर से कोई ऐसा प्रस्ताव शासन के पास नहीं आया है।

जनपद गोरखपुर के राजकीय चिकित्सालयों में डाक्टरों का प्रबन्ध

*3—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री जांच कर बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में कुल कितने राजकीय चिकित्सालय हैं? इनमें कितने में एम० बी० बी० एस० डाक्टर सेवा हेतु भेजे जाते हैं? क्या इसी श्रेणी में गवर्नमेंट हास्पीटल, बरही भी है, यदि हां, तो वहां एम० बी० बी० एस० डाक्टर क्यों नहीं भेजे गये?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री प्रेम चन्द्र शर्मा)—

गोरखपुर जिले में 41 एलोपैथिक राजकीय चिकित्सालय हैं। इनमें से 30 चिकित्सालय ऐसे हैं जिनमें एम० बी० बी० एस० डाक्टर भेजे जाते हैं। शेष 11 चिकित्सालय ऐसे हैं जिन्हें इन्टीग्रेटेड चिकित्सालयों में परिवर्तित कर दिया गया है तथा वहां मिश्रित कोर्स पास किए हुए आयुर्वेदिक अथवा यूनानी चिकित्साधिकारी तैनात किए जाते हैं। बरही में इन्टीग्रेटेड चिकित्सालय है। इसीलिए बरही चिकित्सालय में एम० बी० बी० एस० डाक्टर नहीं भेजा जाता।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

इसके पूर्व बरही में एम० बी० बी० एस० डाक्टर भेजे जाते थे लेकिन अब उसको इंटीग्रेटेड ग्रेड में कर दिया गया है तो इसका क्या कारण है और इसको हटाने के लिये प्रार्थना-पत्र भी सरकार को प्राप्त हुए हैं ?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—

हमारे पास कुछ डाक्टरों की कमी थी तब कुछ चिकित्सालयों को इंटीग्रेटेड चिकित्सालयों में परिवर्तित कर दिया गया था। उनमें यूनानी और आयुर्वेदिक के स्नातक तैनात कर दिये गये थे। जब तक ये इंटीग्रेटेड रहेंगे तब तक ये लोग जायंगे और जब शासन का आदेश होगा कि इनको इंटीग्रेटेड से हटा कर एलोपैथिक कर दिया जाय तो एम० बी० बी० एस० डाक्टर जाने लगेंगे।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

गोरखपुर में जिन अस्पतालों को इंटीग्रेटेड चलाने का निश्चय सरकार ने किया है उनमें ऐसे अस्पताल भी हैं जिनमें काफी बड़ी जनसंख्या उनसे फायदा उठाती है और वहां एम० बी० बी० एस० डाक्टर रखना हर दृष्टि से उपयुक्त होगा तो इसको दृष्टि में रख कर क्या सरकार इसकी पुनः जांच करा कर जिले के अन्य अस्पतालों को इंटीग्रेटेड से हटा कर एम०बी० बी० एस० डाक्टर वहां रखने की कृपा करेगी ?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—

जो इंटीग्रेटेड डाक्टर्स होते हैं वे भी बड़े कुशल डाक्टर होते हैं और आयुर्वेद तथा एलोपैथी के मिश्रित कोर्स को जानते हैं और वे पूरी तरह से चिकित्सा करने में सक्षम हैं और उनको वहां रखने से चिकित्सा की व्यवस्था में कोई व्यवधान नहीं होता है।

*4—श्री राम किशोर शुक्ल—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

राजकीय पुरुष अस्पताल, सिरसा, इलाहाबाद के भवन की मरम्मत तथा अलग से महिला अस्पताल खोलने का आदेश

*5—श्रीराम किशोर शुक्ल (जिला इलाहाबाद)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि राजकीय चिकित्सालय सिरसा (इलाहाबाद) में भवन की दशा अच्छी हालत में नहीं है ? तो क्या सरकार भवन निर्माण करने तथा चिकित्सालय को उच्च श्रेणी में बदलने तथा महिला विभाग खोलने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—

राजकीय पुरुष अस्पताल, सिरसा भवन की दशा अच्छी नहीं है। विशेष मरम्मत की आवश्यकता है और जितनी जल्दी संभव हो सका मरम्मत करवा दी जायेगी। अस्पताल को उच्च श्रेणी में बदलने का कोई विचार नहीं है। अलग से एक महिला अस्पताल की स्थापना के आदेश दे दिए गए हैं।

श्री राम किशोर शुक्ल—

उपाध्यक्ष महोदय, जब इस चिकित्सालय की दशा अच्छी नहीं है और जब महिला अस्पताल अलग से खोलने का प्राविधान है तो इसमें महिला चिकित्सालय कैसे चल सकता है ! तो क्या सरकार भवन निर्माण के लिये अलग से अनुदान देकर इस प्रश्न पर विचार कर रही है ? क्योंकि महिला चिकित्सालय तो इस भवन में नहीं है। वह कैसे चलेगा ?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—

महिला चिकित्सालय अलग से खोला जायेगा उसी में नहीं खोला जायेगा।

श्री राम चरण त्रिपाठी (ज़िला इलाहाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी को विदित है कि इलाहाबाद में और भी जो महिला चिकित्सालय हैं जहां पर कि लेडी डाक्टर्स नहीं हैं वहां पर भी जल्दी से लेडी डाक्टर्स भिजवाने का प्रबन्ध सरकार करेगी?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—

मान्यवर, इलाहाबाद जिले में कहां-कहां पर लेडी डाक्टर्स नहीं हैं, इस संबंध में यदि माननीय सदस्य मुझे बता दें तो उस पर अवश्य विचार कर लिया जायेगा ।

श्री राम किशोर शुक्ल—

मान्यवर, जब माननीय मंत्री जी स्वयं कह रहे हैं कि इस अस्पताल की दशा अच्छी नहीं है तो वे मेरी सूचना को सही मानकर कि जब से यानी सन् 40 से अब तक इस चिकित्सालय की न सफाई हुई है और न पुताई, इसको अच्छा बनाने का प्रबन्ध करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसका तो उन्होंने जवाब दे दिया ।

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—

इस भवन की मरम्मत के लिये डाइरेक्टर से प्रोपोजल्स मांगे गये हैं और शीघ्र ही उसकी मरम्मत करा ली जायेगी ।

गोरखपुर के कतिपय खण्ड विकास अधिकारियों का स्थानान्तरण का प्रश्न

*6—श्रीमती मसाली देवी (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में कितने खण्ड विकास अधिकारी ऐसे हैं जिनको एक ही स्थान पर 3 वर्ष से अधिक समय तक रखा गया? उनके नाम क्या हैं और उनका स्थानान्तरण न करने का कारण क्या है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

गोरखपुर जिले में निम्नलिखित 7 ऐसे खण्ड विकास अधिकारी हैं जिनको एक ही स्थान पर 3 वर्ष से अधिक समय हो गया है :—

सर्वश्री—

1—बेनी माधव सिंह, ब्लाक सरदार नगर

2—जितेन्द्र बहादुर पाल, ब्लाक सिसवा,

3—बलरामजी श्रीवास्तव, ब्लाक खोराबार,

4—हसन जमील, ब्लाक चरगांवां,

5—पौहारी पांडेय, ब्लाक गोला,

6—राम नरेश सिंह, ब्लाक फरेन्दा,

7—राम भरोसे पांडेय, ब्लाक बेलघाट ।

वर्तमान नीति के अनुसार खण्ड विकास अधिकारी एक ब्लाक में, जनहित में, पांच वर्ष तक रह सकता है । उपरोक्त खण्ड विकास अधिकारियों ने एक ही ब्लाक में अभी पांच वर्ष की अवधि पूर्ण नहीं की है ।

जिला परिषद्, प्रतापगढ़ द्वारा टेन्डर से खरीदे गये सामान का विवरण

*7—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री रामकरन सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रतापगढ़ जिला परिषद् में 1969–70 तथा 1970–71 में कितने-कितने रुपये का कौन-कौन सामान कहां-कहां से टेन्डर मंगा कर स्वीकार किया ? कब-कब सामान क्या-क्या परिषद् के स्टाक रजिस्टर में दर्ज किया गया ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जिला परिषद्, प्रतापगढ़ ने वर्ष 69–70 में 1,51,709 रु० 36 पै० का और वर्ष 70–71 में 85,033 रु० 87 पै० का समान टेन्डर माग कर क्रय किया। सामान, फर्म का नाम, स्टाक रजिस्टर में सामान दर्ज करने की तिथि, आदि का व्योरा संलग्न सूची में दिया गया है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 1464 पर)

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मसाली देवी यहां पर उपस्थित हैं और वे खड़ी हुई थी...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

खड़ी नहीं थी बैठी थीं.....

श्री मैनेजर सिंह—

आप तो उधर देख रहे थे।

श्री उपाध्यक्ष—

वे खुद कहें न। अब हम आगे चले गये हैं।

श्री सुखपाल पांडेय—

क्या माननीय सामुदायिक विकास मंत्री यह बतलायने की कृपा करेंगे कि जो महिला प्रकाशन इलाहाबाद से सामान खरीदा गया है, उसकी प्रतापगढ़ नगरपालिका में कब इन्ट्री हुई? और उस पर कितने पैसे चुंगी के रूप में दिये गये ?

श्री उपाध्यक्ष—

उसकी तो सूची लगी हुई है...

श्री सुखपाल पांडेय—

मान्यवर, इसकी सूची नहीं है....

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, जो 720 रु० का सामान खरीदा गया वह कोटेशन के द्वारा खरीदा गया है, ऐसी मेरी सूचना है।

जिला स्वास्थ्य अधिकारी, आजमगढ़ के अधीनस्थ कर्मचारियों का यात्रा भत्ता सम्बन्धित भुगतान

*8—श्री लालसा (जिला आजमगढ़)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला स्वास्थ्य अधिकारी आजमगढ़ के अधीनस्थ कर्मचारियों का गत कई वर्षों से अवशेष यात्रा भत्ता का भुगतान अभी तक नहीं किया

गया, जबकि इसके बाद वाले यात्रा भत्ता का भुगतान कर दिया गया और क्या यह भी सही है कि उक्त यात्रा भत्ता भुगतान का कार्यालय के एकाउन्टेन्ट के बजाय किसी अन्य कर्मचारी को सौंपा गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा--

जी हां। वर्ष 1968-69 से 1970-71 की अवधि में यात्रा भत्ता व्यय की स्वीकृति समय से न प्राप्त होने के कारण कुछ यात्रा भत्ता बिलों का भुगतान नहीं हो पाया। यात्रा भत्ता के भुगातन का कार्य अब महालेखाकार के निदेशानुसार जिला स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में होकर संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के कार्यालयों में वहां के ज्येष्ठ लिपिक (एकाउन्टेन्ट) द्वारा किया जाता है।

श्री लालसा--

यह यात्रा भत्ता जो सन् 68-69 का अब तक पड़ा है, भुगतान नहीं हुआ है वह कुल कितने कर्मचारियों का है और इसकी जिम्मेदारी किस पर है जो अब तक भुगतान नहीं किया गया है ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा--

इसके कई कारण हैं। कुछ तो जो बिल आडिट नहीं हो पाते हैं उनका भुगतान रुक जाता है, कुछ के संबंध में भत्ता फिक्स नहीं हो पाता है, कभी धन उपलब्ध नहीं होता इसलिये देर हो गयी है। अब बहुत शीघ्र ही इन बिलों के भुगतान की व्यवस्था की जा रही है।

गजाधरपुर न्याय पंचायत (वाराणसी) के पंचायत मंत्री श्री आदित्य प्रसाद का सेवा पर बहाली का प्रश्न

*9--श्री उदयनाथ (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार को ज्ञात है कि वाराणसी जिले के गजाधरपुर न्याय पंचायत में कार्यरत पंचायत मंत्री को सन् 1961 में निलम्बित किया गया था किन्तु दिनांक 25 अक्तूबर, 1964 को जिला जज वाराणसी ने उन्हें निर्दोष घोषित करते हुए रिहा कर दिया? और उक्त पंचायत मंत्री ने निर्दोष घोषित हो जाने के पश्चात् विभाग को दिनांक 25 फरवरी, 1965 से आज तक कई बार अपनी बहाली के लिये आवेदन-पत्र प्रेषित किया है किन्तु उक्त पंचायत मंत्री को न्यायालय के निर्णय के बावजूद अब तक बहाल नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों और उक्त पंचायत मंत्री की बहाली अपने पद पर कब तक हो जायेगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

वाराणसी जनपद के गजाधरपुर न्याय पंचायत में कार्यरत तत्कालीन पंचायत मंत्री, श्री आदित्य प्रसाद को कतिपय विभागीय अनियमितताओं का दोषी पाये जाने के कारण दिनांक 10 मई, 1961 से निलम्बित किया गया था तथा दिनांक 25 जुलाई, 1961 से उन्हें सेवा से पदच्युत किया गया था।

श्री आदित्य प्रसाद पर भारतीय दण्ड विधान की धारा 120-बी तथा 464 के अन्तर्गत, एक मुकदमा दिनांक 4 अक्तूबर, 1963 को दर्ज किया गया था जिसमें जिला सेशन कोर्ट वाराणसी ने दिनांक 25 जनवरी, 1965 को निर्णय दिया और उसमें श्री आदित्य प्रसाद को दोष मुक्त कर दिया गया। इस मुकदमे से श्री प्रसाद की सेवाओं का कोई संबंध नहीं था और न इस संबंध में न्यायालय का कोई निर्णय ही है।

श्री आदित्य प्रसाद ने अपनी बहाली के बारे में प्रार्थना-पत्र दिये थे, जो अस्वीकार किये जा चके हैं और 28 अप्रैल, 1971 को उन्हें सूचित भी किया जा चुका है।

चिकित्सा विभाग के रजिस्टर्ड तथा अप्रशिक्षित कम्पाउन्डरों को रिफ्रेशर कोर्स देने पर विचार

*10—श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में चिकित्सा विभाग के कितने कम्पाउन्डर नौकरी पर हैं ? इनमें से कितने स्थायी हो गये हैं और कितने अभी तक अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

चिकित्सा विभाग में 2,232 कम्पाउन्डर नौकरी पर हैं। स्थायी तथा अस्थायी कम्पाउन्डरों की संख्या अभी तक जिलों से प्राप्त नहीं हुई है।

*11—श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त अस्थायी कम्पाउन्डरों को एक भी रिफ्रेशर कोर्स नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? क्या सरकार के समक्ष उक्त कोर्स कराये जाने की कोई योजना विचाराधीन है ?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—

अस्थायी कम्पाउन्डरों को कोई विशेष रिफ्रेशर कोर्स नहीं दिया जाता है, क्योंकि इस प्रकार का कोई प्राविधान नहीं है। उक्त कोर्स कराये जाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है किन्तु रजिस्टर्ड तथा अप्रशिक्षित कम्पाउन्डरों को रिफरेशर कोर्स देने की योजना विचाराधीन है।

श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई—

यह अस्थायी और स्थायी कम्पाउन्डरों की संख्या जो जिलों से नहीं आई है उसको मालूम करने के लिये—उसकी अहमियत को देखते हुए—कोई तारीख तय करेंगे कि कब तक मालूम हो सकेगी ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

यह सूचना निदेशालय स्तर पर प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि कम्पाउन्डरों की अप्वाइंटिंग आथारिटी जिलों के सिविल सर्जन, डी0 एम0 ओ0 एस0, सुपरिंटेन्डेन्ट होते हैं और फिर सभी जिलों से मंगाना होता है। उसके लिये हमने बराबर प्रयास किया, बल्कि तार वगैरह भी दिये गये हैं। अब आशा है कि शीघ्र ही उसकी सूचना उपलब्ध हो जायेगी।

श्री राम गोपाल सण्ड—

यह देखते हुए कि 2,200 कम्पाउन्डर प्रदेश में हैं और जिले के स्तर पर अप्वाइन्टमेन्ट होने के कारण मंत्री जी उनकी संख्या की सूचना मंगाने में असमर्थ हैं तो क्या जो कम्पाउन्डर 3 वर्ष से अधिक सेवा-काल वाले हैं और अस्थायी हैं उनके लिये मंत्री जी आश्वासन देंगे कि उनको स्थायी कर दिया जायगा ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

ऐसी कोई बात नहीं है कि 3 वर्ष से अधिक सेवा वाले को स्थायी कर दिया जाय। उसकी दक्षता और योग्यता देखी जाती है, उसका चरित्र आदि देखा जाता है, तब जाकर किसी को स्थायी बनाया जाता है, समय की कोई सीमा नहीं है।

श्री भगवगती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार को जानकारी है कि जिस प्रकार सरकारी अस्पतालों में अप्रशिक्षित काम कर रहे हैं उसी तरह से प्राइवेट जगहों में भी काम कर रहे हैं तो जो रिफ्रेशर कोर्स चलाया

जायगा तो क्या उनको भी सुविधा प्राप्त की जायेगी कि वह भी प्रशिक्षित हो सकें रिफ्रेशर कोर्स में ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा--

जो कम्पाउन्डर प्रशिक्षित हैं उनके लिये रिफ्रेशर कोर्स चलाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)--

जबकि शिक्षा विभाग में तथा अन्य विभागों में एक साल के प्रशिक्षण काल के बाद ही तुरन्त स्थायी कर दिया जाता है तो क्यों नहीं आपके विभाग में एक साल के कार्य पर दक्षता, योग्यता और क्षमता देखी जाय, और उसके बाद ही स्थायी कर दिया जाय, इस नियम को बनायेंगे ?

(उत्तर देने की आज्ञा नहीं दी गयी ।)

श्री सूबेदार सिंह--

श्रीमन्, मंत्री जी के उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि कम्पाउन्डरों की सेवा के बारे में कोई नियम नहीं बनाये गये हैं ? यदि बनाये गये हैं तो उनको बताने की कृपा करेंगे और यदि नहीं बनाये गये हैं तो क्या वे आश्वासन देंगे कि उनकी सेवा शर्तों और नियमों को शीघ्र बना दें ताकि उनके साथ निष्पक्ष व्यवहार हो सके ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा--

श्रीमन्, यह नया प्रश्न है । इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई--

यह रिफ्रेशर कोर्स कब तक विचाराधीन रहेगा और कब से इसको शुरू कर देंगे ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा--

6 मास का रिफ्रेशर कोर्स का प्रस्ताव निदेशालय से प्राप्त हो गया है और सरकार उसु पर विचार कर रही है । उस पर शीघ्र ही निर्णय लिया जायगा ।

सूचना विभाग के छटनी शुदा कर्मचारियों की परिवार नियोजन विभाग में खपत

*12--श्री राम लाल भाई (जिला गोरखपुर)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कितने सूचना विभाग के छटनी शुदा कर्मचारी जन-स्वास्थ्य विभाग में खपाये गये ? क्या उन सभी कर्मचारियों का वेतन निर्गत राज्यादेश संख्या 88(1) ओ0 एम0, दिनांक 2 मार्च 1967 एवं संख्या 2-3060/दस-6-67, दिनांक 30 जनवरी, 1968 के अनुसार निर्धारित कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार सारा व्यौरा सदन की पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा--

परिवार नियोजन विभाग में अब तक 38 जिलों से ही सूचना प्राप्त हो सकी है । इसके अनुसार उनमें सूचना विभाग के 151 छटनी शुदा कर्मचारी परिवार नियोजन में खपाये गये हैं । इनमें से 102 कर्मचारियों का वेतन संबंधित राज्यादेशों के अनुसार निर्धारित कर दिया गया है । शेष का वेतन सेवा संबंधी अभिलेख अपूर्ण होने के कारण निर्धारित नहीं हो पाया है । इन अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराने का प्रयास किया जा रहा है और उनके पूर्ण होने पर वेतन भी निर्धारित कर दिया जायगा ।

जन स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में पांच तृतीय श्रेणी तथा एक चतुर्थ श्रेणी सूचना विभाग के छटनी शुदा कर्मचारी खपाये गये थे। उनमें से तीन तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का वेतन निर्गत राज्यादेशानुसार निर्धारित किया जा चुका है शेष दो तृतीत श्रेणी एवं एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं में गलत तथा अपूर्ण प्रविष्टियां होने के कारण उनके मूल विभाग (सूचना निदेशालय) को सही एवं पूर्ण कराने हेतु वापस किया गया था। कार्यवाही हो रही है और पूर्ण होने पर अवशेष तीनों कर्मचारियों का वेतन निर्धारित कर दिया जावेगा।

श्री रामलाल भाई---

क्या मंत्री जी आश्वासन देंगे कि जिन तीन कर्मचारियों के बारे में नहीं हुआ है उसको शीघ्र करके वेतन निर्धारित करेंगे ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा---

जो उनकी सेवा पुतिस्कायें हैं वे अपूर्ण हैं उनके लिये निदेशालय से बराबर हिदायतें जिलों को जा रही हैं। माननीय सदस्य के प्रश्न करने पर इस काम में तेजी कर दी गयी है और बहुत शीघ्र ही यह काम सम्पन्न हो जायगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि जो सूचना विभाग के कर्मचारी थे जिनको परिवार नियोजन विभाग में रखा गया था उनका वेतन मान पहले जो था वही रखा गया है या घटा दिया गया है ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा---

परिवार नियोजन की नई बात है। इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

नगरपालिका बरेली के अन्तर्गत नजूल भूमि का लीज

*13---श्री शफीक अहमद खां (जिला बरेली)---

क्या सरकार कृपा करके यह भी बतायेगी कि दिनांक 1 जनवरी, 1965 से 1 नवम्बर, 1971 तक नगरपालिका बरेली के हदूद में कितनी नजूल लैंड लोगों को लीज पर दी गई है और सरकार ने उन पर मंजूरी दे दी है ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री धर्मदत्त वैद्य)---

1 जनवरी, 1965 से 1 नवम्बर, 1971 तक 1016-8/9 वर्ग गज नजूल भूमि लोगों को लीज पर दी गई है।

जी नहीं, क्योंकि नजूल नियम 48(1) के अन्तर्गत कलेक्टर स्वयं ही पट्टा देने के लिये सक्षम थे।

श्री शफीक अहमद खां---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह नजूल लैंड किस-किस को दिया गया है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

श्रीमन्, यह दो व्यक्ति श्री रामगोपाल और श्री बाकर अली को दी गयी है।

श्री शफीक अहमद खां---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि अरबी मदरसे के लिये, जिसके लिये बोर्ड ने मंजूरी दे दी थी और सरकार के पास मंजूरी के लिये आया था, उसको सरकार की तरफ से मंजूरी क्यों नहीं दी गयी ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

उस समय शासन से इस पर प्रतिबन्ध लगा हुआ था, इस लिये स्वीकृति नहीं दी गयी ।

आवासिक सेक्टर 7, दिल्ली यू० पी० बार्डर में प्लाटों का आवंटन

*14--श्री मंजूर अहमद--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि गाजियाबाद सुधार मण्डल ने सरकारी आदेश के विपरीत लैंड पालिसी के अन्तर्गत आवासिक प्लाटों के साथ कामर्शियल प्लाट भी दिये ? यदि हां, तो उन कामर्शियल प्लाटों का कितना-कितना क्षेत्र फल किस-किस व्यक्ति को दिया गया है तथा क्यों ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

जी नहीं । लैंड पालिसी के अन्तर्गत आवासिक सेक्टर 7, दिल्ली-यू० पी० बार्डर में ही कुछ दूकानों का क्षेत्र जिसका क्षेत्रफल लगभग 9 095 वर्ग गज है, श्रीमती अमृत कान्ता सूरी को आवंटित किया गया था किन्तु इकरारनामें की कुछ शर्तों के अनुसार आवंटी द्वारा इस क्षेत्र को भी केवल आवासिक उपयोग में ही लाया जा सकता है ।

[18 जनवरी, 1972 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

कृषि रक्षा अधिकारी, बुलन्दशहर के स्थानान्तरण पर विचार

*1--श्री कल्याण सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बुलन्दशहर के वर्तमान कृषि रक्षा अधिकारी इसी जिले में कब से कार्य कर रहे हैं तथा उन्हें अभी तक स्थानान्तरित न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या यह सच है कि उपरोक्त कृषि रक्षा अधिकारी को उक्त अवधि में बुलन्दशहर से किसी अन्य जिले को स्थानान्तरित किये जाने के आदेश निर्गत किये गये थे किन्तु बाद में निरस्त कर दिये गये ? यदि हां, तो किन कारणों से?

कृषि, विकास मंत्री (डाक्टर सीताराम)--

कृषि रक्षा अधिकारी, बुलन्दशहर अपने वर्तमान पद पर 25 फरवरी, 1967 से कार्य कर रहे है । पहली बार जून 1970 में तथा दूसरी बार जून, 1971 में इनके स्थानान्तरण के आदेश प्रसारित किये गये थे, परन्तु दोनों अवसरों पर बाद में स्थानान्तरण के आदेश जनहित में निरस्त कर दिये गये थे ।

*2--श्री कल्याण सिंह--

क्या उपरोक्त कृषि रक्षा अधिकारी के स्थानान्तरण का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो स्थानान्तरण कब तक कर दिया जायेगा, और यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम--

जी नहीं । शिक्षा सत्र 1971-72 का मध्य होने के कारण इस समय स्थानान्तरण के प्रश्न पर विचार नहीं हो रहा है । आगामी ग्रीष्मकालीन वार्षिक स्थानान्तरण के प्रस्तावों पर विचार करते समय कृषि रक्षा अधिकारीं, बुलन्दशहर के स्थानान्तरण पर भी विचार किया जायगा ।

नोट:--तारांकित प्रश्न संख्या 13 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

*3—श्री भानु प्रताप सिंह—

[1ले गुरुवार में तारांकित प्र0 सं0 28 के अन्तर्गत उत्तरित]

*4—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*5—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ से सम्बन्धित सूचना

*6—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश हाउसिंग फेडरेशन लिमिटेड के कौन-कौन संस्थाएं सदस्य बन गई हैं और 70–71 और 71–72 में इनमें से किन-किन को ऋण या अनुदान आवास बनाने के लिये दिया है और इस समय फेडरेशन के पास एसेट्स और लाइबिलिटीज क्या है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ से संबंधित सूचना इस प्रकार है:—

84 सहकारी गृह निर्माण समितियां आवास संघ की सदस्य बन चुकी है जिनकी सूची सलग्न है। इसके अलावा राज्य सरकार तथा मेरठ जिला सहकारी बैंक ने भी संघ की सदस्यता ग्रहण कर ली है। वर्ष 1970–71 व 1971–72 में अभी तक कोई ऋण या अनुदान संघ द्वारा वितरित नहीं किया गया है।

सहकारी वर्ष 1970–71 के समाप्त होने के दिनांक 30 जून, 1971 को संघ की निम्न-लिखित पूंजी व जिम्मेदारी थी:—

पूंजी	रु0	जिम्मेदारी	रु0
1–यू0पी0 कोआपरेटिव बैंक में।	11,01,771.42	1—अंशपूंजी	10,90,100.00
2—अन्य विनियोजित धन	2,625.00	2—रक्षित व अन्य कोष	3,080.94
3—डेड स्टाक आदि	17,677.59	3—राजकीय अनुदान	17,933.28
4—बैंक से ब्याज पाना	8,957.25	4—अन्य देनदारी	1,938.00
5—अन्य मदों में	31.20	5—वेतन अदि	5,978.19
		6—कर्मचारियों की प्रतिभूति।	75.00
योग	11,31,062.46		11,19,105.41

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 1467 पर)

*7—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम के अन्तर्गत कार्य-क्षेत्र

*8—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 अप्रैल सन् 1971 से लेकर 28 अक्तूबर, 1971 तक किन-किन नगरों को हाउसिंग बोर्ड ने हाउसिंग स्कीम में शामिल कर लिया है और इसमें बदायूं नगर को जहां मकानों की बहुत कमी है, शामिल किया गया है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

1 अप्रैल, 1971 से लेकर 28 अक्तूबर, 1971 तक की अवधि में शासन ने निम्नलिखित नगरों/क्षेत्रों में आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम लागू किया:—

(1) फिरोजाबाद, सीतापुर, बस्ती, ऋषीकेश, मथुरा, जौनपुर, बांदा, मुजफ्फरनगर, रामपुर, फर्रुखाबाद-कम-फतेहगढ़, आजमगढ़, बहराइच, राय बरेली, हापुड़, हरिद्वार, रुड़की, मंसूरी, नैनीताल, वृन्दावन, मऊनाथ भंजन, पीलीभीत, मिर्जापुर, शिकोहाबाद, कासगंज, उन्नाव, वन्दोसी, शाहाबाद, एटा, अगरोहा, इटावा, लखीमपुर, मैनपुरी, देवरिया, हल्द्वानी—कम-काठगोदाम, बुलन्दशहर, रुद्रपुर, पौड़ी, नगरपालिकाओं के सीमान्तर्गत क्षेत्रों में।

(2) किच्छा तथा बाजपुर विनियमित क्षेत्रों के सीमान्तर्गत क्षेत्रों में जैसा कि उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34, 1958) की धारा 3(1) के अधीन घोषित है।

बदायूं नगर में आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम अभी लागू नहीं किया गया है क्योंकि आवास योजनाओं के लिये उपलब्ध सीमित साधनों को देखते हुए सभी नगरों में परिषद् का कार्यक्षेत्र एकसाथ बढ़ाना संभव नहीं है।

लघु कृषक विकास अभिकरण व सीमान्त कृषक विकास के अन्तर्गत प्रगति विवरण

*9—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया) तथा श्री सच्चिदानन्द गुप्त (जिला लखनऊ)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य के चार जिले रायबरेली, प्रतापगढ़, बदायूं तथा फतेहपुर में लघु कृषक विकास अभिकरण योजना और मथुरा तथा बलिया जिला में सीमान्त कृषक योजना चलाई जा रही है ? यदि हां, तो नवम्बर सन् 1971 तक इन योजनाओं के प्रगति का विवरण क्या-क्या है ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां।

लघु कृषक विकास अभिकरण व सीमान्त कृषक विकास योजना के विभिन्न कार्यक्रमों का नवम्बर, 1971 तक का प्रगति विवरण संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 1470 पर)

नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ का उच्चीकरण

*10—श्री रामगोपाल सण्ड—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृया बतायेंगे कि नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ को एक उच्चस्तरीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज का रूप देने के लिये सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसे कितने समय के अन्दर सरकार कार्यान्वित करेगी और क्या सरकार प्रदेश के सभी होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों को किसी उप स्वास्थ्य एवं चिकित्सा निदेशक के अन्दर रखने की योजना बना रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां ।

वर्तमान व्यवस्थानुसार, चतुर्थ पंचवर्षीय आयोजनाकाल में इसे क्रमिक रूप से कार्यान्वित किया जाना प्रस्तावित है । उप निदेशक (होम्योपैथी) का एक पद, जो कि स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, उत्तर प्रदेश से संबद्ध होगा, शासन द्वारा सृजित किया जा चुका है । इस पद के धारक होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों के अनुदान तथा आय-व्ययक संबंधी मामले भी देखा करेंगे ।

*11—श्री राम गोपाल सण्ड—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

फसलों की कटाई, मड़ाई तथा भन्डारण सम्बन्धित नवीन तकनीक अपनाये जाने का प्रश्न

*12—श्री शम्भूनाथ चौधरी तथा श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर])—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फसलों की कटाई पश्चात्, उनकी मड़ाई तथा भन्डारण के विषय में नवीन तकनीक को प्रोत्साहन देने की कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

डाक्टर सीता राम—

जी नहीं । सरकार कोई ऐसी योजना नहीं बना रही है ।

गोरखपुर की सरैया शुगर मिल से संबंधित गन्ना उत्पादकों से पुल निर्माण हेतु कटौती

*13—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या कृषि मंत्री जांच कर बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की सरैया शुगर मिल से संबंधित ग्राम गहिरा अमहि गौरी, मंगलपुर, झगंहा, लक्ष्मीपुर, राजी जगदीशपुर, विश्वनाथ-पुर, एवं राजधानी के गन्ना उत्पादकों से वर्ष 1969–70 व 1970–71 में देवी तरकुलहा के स्थान के पास एक पुल निर्माण हेतु 15 पैसे प्रति क्विन्टल की दर से पैसे काटे गये हैं ? यदि हां, तो यह रकम कितनी है तथा निर्माण कार्य कब प्रारंभ होगा ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां । सरैया शुगर मिल से संबंधित ग्राम मंगलपुर तथा झगहा को छोड़कर शेष कथित ग्रामों से तथा ग्राम सघना, सिलहटा–मुन्डेरा और रामपुर से सरदारनगर सहकारी गन्ना विकास समिति के प्रस्ताव के अनुसार केवल वर्ष 1969–70 में प्रश्न में कही गई दर से पुल निर्माण हेतु कुल रु० 9860.84 पै० की कटौती हुई थी । इस पुल के निर्माण में लगभग डेढ़ लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है । अतएव निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिये सहकारी गन्ना विकास समिति द्वारा अभी काई तिथि निश्चित नहीं की गई है ।

कृषि विभाग द्वारा गन्ना सुपरवाईजरों की नियुक्ति का प्रश्न

*14—श्री भानु प्रताप सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 1970–71 में कितने गन्ना सुपरवाइजरों की, कृषि विभाग द्वारा नियुक्तियां की गईं और क्या इसके लिये कोई परीक्षा भी ली गई थी ? यदि हां, तो कब ?

डाक्टर सीताराम--

जी नहीं। परीक्षा लेने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

पशुचिकित्सकों तथा अनुसंधान सहायकों का वेतन-क्रम

*15--श्री इन्द्रजीत (जिला फतेहपुर)--

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित 1 जुलाई, 65 से 31 दिसम्बर, 1965 की मध्य अवधि में पशुपालन विभाग की सेवाओं में आये एवं कार्यरत समस्त पशुचिकित्सकों तथा अनुसंधान सहायकों को 1 अप्रैल, 65 से संशोधित वेतनक्रम 225-15-380-25-500 रु० के अन्तर्गत पारिश्रमिक दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम--

जी नहीं। वेतन अभिनवीकरण समिति की सिफारिशों के अनुसार पशुचिकित्सकों को 225-500 रु० का वेतन-मान और अनुसंधान सहायकों को 200-450 रु० का वेतनक्रम देय स्वीकृत किया गया। अनुसंधान सहायकों को भी 225-500 रु० का वेतन-क्रम देने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

फतेहपुर जिले के पशुचिकित्सक के वेतन-क्रम पर विचार

*16--श्रीं इन्द्रजीत--

क्या कृषि यह भी बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिले के उन पशुचिकित्सकों के नाम (पते सहित) क्या हैं, जिनकी सेवाएं उक्त अवधि के अन्तर्गत की हैं, जिन्हें पूरा पारिश्रमिक तथा वार्षिक बढ़ोत्तरी (इंक्रीमेन्ट) अब तक नहीं उपलब्ध हो रहा है, और क्यों तथा प्रत्येक का इस समय कितना-कितना धन अवशेष है और कब तक शासन द्वारा दिये जाने की सम्भावना है ?

डाक्टर सीताराम--

संबंधित सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 1474 पर)

स्वास्थ्य निदेशालय के लिपिकों के स्थानान्तरण का प्रश्न

*17--श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री रामकरन सिंह--

श्री स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य निदेशालय, लखनऊ के अन्तर्गत मुख्यालय पर कितने लिपिक किस-किस सेक्शन में कार्य कर रहे हैं ? क्या यह सही है कि सरकार का आदेश है कि कोई कर्मचारी एक स्थान पर तीन वर्ष से अधिक कार्य न करे तो किस परिस्थिति में स्वास्थ्य निदेशालय के एक-एक सेक्शनों में पांच-पांच या दस-दस साल से कर्मचारी एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गयी है। निदेशालय के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों का सामान्यता स्थानान्तरण नहीं किया जाता है लेकिन ऐसे आदेश अवश्य दिये गये हैं कि जिन लिपिकों के संबंध में शिकायतें हैं उन्हें अधिक काल तक एक ही स्थान पर न रहने दिया जाय।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 1475 पर)

स्वास्थ्य अधिकारी व सिविल सर्जन कार्यालयों (गोरखपुर व फैजाबाद मण्डलों) के लिपिकों के स्थानान्तरण का प्रश्न

*18—श्री सुखपाल पांडे तथा श्री रामकरन सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर तथा फैजाबाद मण्डलों के किस-किस जिले में जिला स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय तथा सिविल सर्जन कार्यालय में कितने-कितने लिपिक तीन साल से अधिक और दस साल से कम के, कार्य कर रहे हैं और उनके स्थानान्तरण न होने के क्या कारण हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गयी है। वर्तमान नीति के अनुसार लिपिक वर्गीय कर्मचारियों का सामान्यतया स्थानान्तरण नहीं किया जाता है। लेकिन जिनकी शिकायतें हैं उन्हें अधिक काल तक एक ही स्थान पर नहीं रक्खा जाता है।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 1476 पर)

भूतपूर्व सिविल सर्जन, गोंडा के विरुद्ध शिकायतों का विवरण

*19—श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार को पता है कि भूतपूर्व सिविल सर्जन, गोंडा के विरुद्ध अनेक शिकायतें भ्रष्टाचार और दवाइयां नाजायज तरीके से बेचने की नर्सों, कर्मचारियों एवं जनता द्वारा शासन से व निदेशक महोदय से लिखित की गई जिनकी जांच जिलाधिकारी, गोंडा ने जनवरी, 71 में बाकायदा की और शिकायतें सही पाई ? यदि हां, तो शिकायतें क्या-क्या थीं और शासन ने उस जांच रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

भूतपूर्व सिविल सर्जन, गोंडा के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनका विवरण संलग्न सूची में है। इन शिकायतों की जांच जिला अधिकारी, गोंडा ने जनवरी, 1971 में की। उनकी संस्तुति थी कि इस मामले में किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा विस्तृत जांच कराई जाय। तदुपरान्त मामले में स्वास्थ्य सेवा निदेशक द्वारा जांच कराई गई। निदेशक ने उक्त आरोपों को सिद्ध नहीं पाया। चूंकि डफरिन अस्पताल, गोंडा की स्टाफ नर्स, श्रीमती भट्टाचार्य की शिकायत गंभीर थी इस पर आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ द्वारा भी जांच कराई गई। उन्होंने भी इस शिकायत को असत्य पाया।

(देखिए नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 1477 पर)

*20—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि उक्त भूतपूर्व सिविल सर्जन, गोंडा के अनुचित व्यवहार की शिकायतें 30 नर्सों ने आयुक्त, लखनऊ से लखनऊ आकर तथा आयुक्त, फैजाबाद से की और आयुक्तों ने विधिवत बयान लेकर शासन को रिपोर्ट फरवरी, 71 में प्रेषित की ? यदि हां, तो रिपोर्ट क्या है क्या उसे सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी नहीं, इस प्रकार की कोई शिकायत लखनऊ तथा फैजाबाद मण्डलों के आयुक्तों से नहीं की गई।

राज्य कृषि परिषद् की बैठकें

*21—श्री राम सिंह खन्ना (जिला बरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य कृषि परिषद् की कितनी बैठकें अप्रैल सन् 1971 से अब तक हुई हैं और उन बैठकों में लिये गये निर्णयों को कार्यान्वित करने की दशा में क्या प्रगति हुई है ?

डाक्टर सीताराम—

राज्य कृषि परिषद् की कोई भी बैठक अप्रैल सन् 1971 से अब तक नहीं हुई है । अतः उन बैठकों में लिये गये निर्णयों को कार्यान्वित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

फसल सुरक्षा गोष्ठी के आयोजन पर व्यय

*22—श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ में नवम्बर 8, 1971 से नवम्बर 11, 1971 तक फसल सुरक्षा विचार गोष्ठी के आयोजन पर सरकार ने कितना धन व्यय किया और उसकी उपलब्धियां क्या रहीं ?

डाक्टर सीताराम—

फसल सुरक्षा विचार गोष्ठी के आयोजन के संबंध में कुल 12,168.00 रु० की धनराशि व्यय हुई ।

यह एक उच्च स्तरीय वैज्ञानिक गोष्ठी थी जिसमें समस्त भारत एवं कुछ विदेशों के, ख्याति प्राप्त कृषि फसलों की रक्षा संबंधी विषयों के विशेषज्ञ सम्मिलित हुए, और उन्होंने अपनी-अपनी नवीनतम खोजों के प्रकाश में कृषि फसलों की सुरक्षा संबंधी समस्याओं पर अपने विचार एवं अनुभव प्रस्तुत किये ।

इस गोष्ठी के माध्यम से, आधुनिक कृषि सुरक्षा की समस्याओं के निवारणार्थ, अनेकों संस्तुतियां पारित की गयी, जो इस प्रदेश और देश के कृषि उत्पादन का स्तर ऊंचा करने में अत्यन्त मूल्यवान एवं लाभप्रद सिद्ध होंगी ।

प्रदेश के विकास क्षेत्रों में कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना का विवरण

*23—श्री अनन्त राम जायसवाल—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि "कृषि सेवा केन्द्र" किन जिलों में और कहां-कहां स्थापित किये गये और इन केन्द्रों में कौन-कौन से यंत्र उपलब्ध हैं ?

डाक्टर सीताराम—

संलग्न तालिका में दिए हुए जिलों में उनके सम्मुख उल्लिखित विकास क्षेत्रों में कृषि सेवा केन्द्रों के स्थापित करने का आयोजन है। अभी तक केवल गाजीपुर, जौनपुर, अलीगढ़, आजमगढ़ तथा देवरिया में ट्रैक्टर भेजे गये हैं । अन्य विकास खण्डों का चयन अभी तक अंतिम रूप से नहीं हो पाया है।

(देखिए नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 1479 पर)

गाजियाबाद सुधार मण्डल द्वारा गड्ढों के भराव तथा लीज प्लाटों की दरें

*24—श्री मंजूर अहमद—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि गाजियाबाद सुधार मण्डल द्वारा विकसित नेहरू नगर में मास्टर प्लान रोड प्लान, के समतल तथा सात आठ फीट गहरे

वाली ग्राम जटवाड़ा की एक्वायर की हुई भूमि का मुआवजा एक ही भाव से विशेष भूमि अधिपति अधिकारी के माध्यम से गाजियाबाद ने अदा किया है ? यदि हां, तो अब तक जितनी गड्ढों वाली भूमि का भराव सुधार मण्डल ने किया है, उस भूमि का क्षेत्रफल क्या है और उसे समतल करने पर कितना धन और खर्च हुआ है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी हां । जिस सात-आठ फुट गहरे गड्ढों वाली भूमि के भराव सुधार मण्डल ने किया है उसका क्षेत्रफल 1·58 एकड़ है और उसे भराव कर समतल करने पर 79,280 रु० खर्च हुए हैं ।

*25—श्री मंजूर अहमद—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि गाजियाबाद सुधार मंडल ने अपने द्वारा विकसित आवासिक सेक्टरों में प्लाटों पर जाने वाली लीज रेन्ट की दरें समान स्तर पर नहीं लगाई गई है ! यदि यां, तो ऐसा क्यों किया गया है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी हां । लीज रेन्ट की दरें सेक्टरों के वर्गीकरण तथा उनकी स्थिति के अनुसार रखी गई हैं ।

खुदायगंज–बदायूं रोड का निर्माण

*26—श्री महराम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले के गंगा तथा रामगंगा के बीच राजेपुर से रिगीराम पुर कडहर जो "खुदाय गंज टू बदायूं" रोड जिला परिषद् की हैं क्या सरकार उसको पक्का बनाने के संबंध में विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी नहीं । किन्तु सार्वजनकि निर्माण विभाग द्वारा इस सड़क के निर्माण के संबंध में मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण से आख्या मांगी गई है ।

मदार दरवाजा-याकूतगंज रोड की स्थिति

*27—श्री महराम सिंह—

क्या पंचायती राज मंत्री को पता है कि फर्रुखाबाद जिले में मदार दरवाजा-याकूतगंज रोड बहुत खराब हालत में है । जिसको बनाने में से फर्रुखाबाद फतेहगढ़ के बीच वाले मार्ग का दबाव कम हो जायगा और जिले के मुख्यालय में "बाई पास" का काम करेगा ? यदि हां, तो क्या सरकार इसको पक्का बनाने के लिये तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मदार दरवाजा--याकूतगंज रोड कंकड़ मार्ग है । इसकी स्थिति वास्तव में अच्छी नहीं है परन्तु जिला परिषद् आर्थिक कठिनाइयों के कारण इस मार्ग को सुधारने में असमर्थ है ।

असामयिक वर्षा तथा बाढ़ से प्रभावित प्रदेश के कृषकों को सहायता

*28—श्री राम कुमार दीक्षित (जिला कानपुर)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अतिवृष्टि से हुई क्षति को ध्यान में रख कर प्रदेश के कृषकों को मुफ्त बीज एवं खाद देने का निर्णय हुआ था ? यदि हां, तो उस निर्णयानुसार प्रदेश में किना गल्ला मुफ्त वितरित किया है ?

डाक्टर सीताराम—

इस वर्ष असामयिक वर्षा तथा बाढ़ से प्रभावित उन क्षेत्रों में जहां पिछली 1378 फसली खरीफ तथा 1378 फसली रबी की उपज को 50 प्रतिशत या उससे अधिक हानि हुई थी, छोटे काश्तकारों को मुफ्त गेहूं का बीज दिये जाने के बारे में निम्नलिखित निर्णय लिये गये—

(1) आधे एकड़ तक की जोत वाले काश्तकारों को 20 किलोग्राम तक बीज मुफ्त दिया जाय ।

(2) आधे एकड़ से अधिक और एक एकड़ तक के काश्तकारों को 20 किलोग्राम बीज मुफ्त तथा 20 किलोग्राम तक तकावी पर दिया जाय ।

इनके अनुसार प्रदेश में 1,84,712.57 कुन्तल गेहूं का बीज अब तक मुफ्त बांटा जा चुका है ।

उर्वरकों के मुफ्त दिये जाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया था ।

सामुदायिक विकास विभाग के ग्राम सेवकों का स्थायीकरण

*29—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास विभाग में कुल कितने ग्राम सेवकों के पद हैं ? इनमें से कितने स्थायी घोषित हो चुके हैं ? और क्या स्थायी पदों पर नियुक्ति हेतु आदेश हो चुके हैं तथा क्या इस संबंध में कोई शिकायतें मिली हैं और क्यों यह सच है कि ज्येष्ठता सूची को ध्यान में न रखते हुए स्थायी पदों पर नियुक्तियां कर दी गई हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

सामुदायिक विकास विभाग में ग्राम सेवकों के 8935 पद है । इनमें से 15 अक्तूबर, 1971 तक 6,482 पद स्थायी घोषित किये जा चुके हैं । उनके विरुद्ध 15 अक्तूबर, 1971 तक 4,307 ग्राम सेवकों के स्थायीकरण के आदेश हो चुके हैं ।

इस आशय की कोई शिकायत मुख्यालय पर नहीं मिली है कि ज्येष्ठता सूची को ध्यान में न रखते हुए स्थयी पदों पर नियुक्ति कर दी गई है ।

*30—श्री अनन्तराम जायसवाल—

[6ठें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या 23 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*31—श्री हुकुमसिंह परिहार—

[5वें मंगलवार के लिये स्थगित]

*32—श्री त्रिवेणी सहाय—

[5वें मंगलवार के लिये स्थगित]

*33-34—श्री हुकुमसिंह परिहार—

[5वें मंगलवार के लिये स्थगित]

श्री ए० पी० गुप्ता, कृषि रक्षा पर्यवेक्षक का निलम्बन तथा पदोन्नति

*35—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि उप-निदेशक, कृषि लखनऊ ने जिन आरोपों के आधार पर और किस तिथि में श्री ए0 पी0 गुप्ता, पौध रक्षा पर्यवेक्षक, खतौली, जिला मुजफ्फरनगर को निलम्बित किया और यहां से निलम्बन आदेश किस तिथि में मुजफ्फरनगर भेजे गये ? क्या यह सही है कि जिला प्रोजेक्ट अधिकारी, मुजफ्फरनगर ने उक्त श्री गुप्ता को दिनांक 2 जुलाई, 1971 से सहायक विकास अधिकारी (कृषि) के पद पर पदोन्नत कर दिया है ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां । वर्ष 1965-66 में कृषि रक्षा केन्द्र मुजफ्फरनगर के आडिट में भण्डार सामाग्री में कमी पाये जाने के आधार पर श्री ए0 पी0 गुप्ता, कृषि रक्षा पर्यवेक्षक के निलम्बन के आदेश उप-निदेशक, कृषि रक्षा, लखनऊ ने दिनांक 30 जुलाई, 1971 को दिये थे और उसी तिथि

को यह आदेश मुजफ्फरनगर डाक द्वारा भेजे गये थे। श्री गुप्ता एक दिन भी निलम्बित नहीं रहे, क्योंकि उनकी पदोन्नति पहले ही कृषि निदेशक के आदेश दिनांक 27 जुलाई, 1971 द्वारा हो गई थी। उन्होंने 2 अगस्त 1971 को सहायक विकास अधिकारी (कृषि) के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। लेखा अधिकारी (कृषि रक्षा) तथा कृषि रक्षा अधिकारी मुजफ्फरनगर की जांच के आधार पर थी गुप्ता का निम्लबन आदेश बाद में 22 सितम्बर, 1971 को निरस्त कर दिया गया।

*36-37—श्री सूरजलाल गुप्त—

[5वें मंगलवार के लिये स्थगित]

*38—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

[5वें मंगलवार के लिये स्थगित]

टिहरी-गढ़वाल के राजकीय औषधालयों में डाक्टरों की कमी

*39—श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि टिहरी-गढ़वाल के कितने राजकीय औषधालयों में अभी तक कोई डाक्टर नहीं है और इनकी पूर्ति के लिये शासन क्या प्रयास कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

इस समय टिहरी-गढ़वाल के 12 राजकीय औषधालयों में कोई डाक्टर नहीं। इन औषधालयों में डाक्टरों की तैनाती के लिये शासन निरन्तर प्रयत्नशील है।

*40—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

[5 वें मंगलवार के लिये स्थगित]

सफाई निरीक्षकों के स्थानान्तरण सम्बन्धित शासन के तथा कथित आदेश

*41—श्री दलसिंगार यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की ओर से इस आशय का जी० ओ० हर नगर पालिकाओं में भेजा गया है कि कोई सफाई निरीक्षक एक जगह पर 5 वर्ष से से ज्यादा नहीं रह सकता है ? यदि हां, तो क्या आजमगढ़ में उसका पालन नहीं किया गया ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के चतुर्थ वर्ष के कर्मचारियों की पदोन्नति

*42—श्री मैनेजर सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नियुक्ति विभाग के ज्ञापन संख्या 37 (1)/69-नियुक्ति (ख), दिनांक 1 जनवरी, 1970 के प्रकाशन के पश्चात् स्वास्थ्य सेवा निदेशालय तथा उसके अधीन कार्यालयों में लिपिकों के रिक्त पद पर वर्ग 4 के कितने व्यक्तियों की पन्नोन्नति हुई और क्या यह पदोन्नति निर्धारित दस प्रतिशत से कम है ? यदि हां, ,तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

नियक्ति विभाग के प्रश्नगत ज्ञापन के प्रकाशन के पश्चात् स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में एक तथा अधीनस्थ कार्यालयों में सात लिपकों के रिक्त पदों पर वर्ग चार के कर्मचारियों की पदोन्नति की गयी।

यह पदोन्नति निर्धारित प्रतिशत से कम है, क्यों कि शासनादेशानुसार वही चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी पदोन्नति के लिये आवेदन कर सकते हैं जो स्थायी एवं हाई स्कूल पास हों। उन सबके आवेदन-पत्र मांगे गये थे और उन्हें निर्धारित परीक्षा में सम्मिलित किया गया। जिन्होंने सफलता प्राप्त की उन्हीं को लिपिकों के रिक्त पदों पर पदोन्नति दी गयी।

निदेशालय में तृतीय श्रेणी के पदों पर कुल सत्रह नियुक्तियां की गयीं। यह वैसे तो 10 प्रतिशत से कम है परन्तु चूंकि नौ नियुक्तियों के बाद तक नियुक्त चतुर्थ वर्ग में से करनी है अत: 18 निर्युक्तियां होने पर ही दूसरे चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों की नियुक्ति की जा सकेगी।

*43—श्री मैनजर सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि स्वास्थ्य सेवा निदेशालय तथा उनके अधीन कार्यालयों में वर्ग 4 के कुछ पद कई वर्षों से रिक्त हैं? यदि हां, तो क्या सरकार तुरन्त ऐसी व्यवस्था करेगी जिससे कि दिनांक 1 जनवरी, 1970 के बाद रिक्त हुए लिपिकों के दस प्रतिशत स्थान वर्ग 4 कर्मचारियों द्वारा भरे जा सकें?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में वर्ग चार के कोई पद रिक्त नहीं हैं। निदेशालय के अधीनस्थ कार्यालयों में वर्ग चार के स्थायी पदों के संबंध में सूचना जिलास्तर के विभिन्न अधिकारियों से एकत्रित की जा रही है, क्योंकि वे ही स्वयं उन पदों के नियुक्ति अधिकारी है।

*44—45—श्री मोतीलाल देहलवी—

[5 वें मंगलवार के लिये स्थगित]

गोंडा जिले में बाढ़ तथा वर्षा पीड़ित क्षेत्रों में बीज का वितरण

*46—श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोंडा जिले में बाढ़ पीड़ित तथा वर्षा पीड़ित क्षेत्रों में बांटने के लिये कितना बीज 1971 में दिया गया और यह बीज कब मंगाया गया? क्या यह सही है कि जो बीज किसानों को दिया गया वह बोने के बाद जमा नहीं?

डाक्टर सीताराम—

वर्ष 1971 में गोंडा जिले में निम्नलिखित खरीफ तथा रबी के बीज बाढ़ पीड़ित तथा वर्षा पीड़ित क्षेत्रों में बांटने के लिये कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया—

	कुन्तल
खरीफ	748
रबी	16,683

खरीफ का बीज मई से जुलाई तक तथा रबी का बीज अक्तूबर के प्रथम सप्ताह से दिसम्बर के तृतीय सप्ताह तक उपलब्ध हुआ। बीज के न जमने की कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं प्राप्त हुई है।

रबी फसल में बोने हेतु गेंहू के बीज के खरीदने तथा वितरण दरें

*47—श्री शिवराज सिंह, श्री हुकुम सिंह परिहार, तथा श्री हुकुम सिंह (जिला आगरा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्तमान रबी फसल में गेहूं बोने हेतु सरकार द्वारा कितने बीज एफ० सी० आई० से क्रय किये गये हैं और वे किस दर से खरीदे गये हैं तथा किस दर पर किसानों को बांटे गये हैं?

डाक्टर सीताराम---

वर्तमान रबी फसल में बोने हेतु सरकार द्वारा लगभग 3 लाख कुन्तल गेहूं का बीज भारतीय खाद्य निगम से क्रय किया गया। निगम ने गेहूं की दर पहले रु० 93.70 पै० प्रति कुन्तल निर्धारित की थी और इस पर भाड़ा आदि जोड़ कर, कृषकों को 100 रु० से 110 रु० प्रति कुन्तल पर वितरित किया गया। परन्तु बाद में निगम ने उक्त दर को घटा कर 78 रु० प्रति कुन्तल कर दी। तब इसके अनुसार कृषकों को 90 रु० से 95 रु० प्रति कुन्तल की दर से वितरित किया गया।

*48-49---श्री लालसा---

[5वें मंगलवार के लिये स्थगित]

जिला परिषद् (कानपुर) की सड़कों की मरम्मत तथा रख रखाव पर व्यय

*50---चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)---

क्या पंचायत राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले के अन्तर्गत जिला परिषद् की कौन-कौन सड़कें कहां-कहां से कहां तक हैं और उनके रख-रखाव तथा मरम्मत में प्रत्येक पर 1जनवरी, 1970 से 15 दिसम्बर, 1971 तक कितना धन व्यय किया गया है ? क्या इन सड़कों को पी० डब्ल्यू० डी० को दे दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

प्रश्न में बहुत अधिक ब्योरा है और उसका उत्तर लाभ की दृष्टि से इकट्ठा करना ठीक न होगा।

*51---श्री उपेन्द्र नाथ दीक्षित---

[5वें मंगलवार के लिये स्थगित]

जिला खीरी व पीलीभीत में उपनिवेशन योजनान्तर्गत विस्थापितों के सीरदारी का मामला

*52---श्री हरनारायण (जिला पीलीभीत)---

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला खीरी एवं पीलीभीत में उपनिवेशन योजना के अन्तर्गत बसाये गये तीन हजार व्यक्तियों को सीरदारी का हक दिलाने का मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक निर्णय ले रहे हैं ?

डाक्टर सीताराम---

जी नहीं।

पहली तीन योजनाओं में विभिन्न आवास योजनाओं हेतु उपलब्ध धन का उपयोग

*53---श्री मोहन लाल कपूर---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि भवन निर्माण के लिये पहली तीन योजनाओं में उत्तर प्रदेश के लिये 6 करोड़ 19 लाख रुपये केन्द्र सरकार ने स्वीकृत किये थे और उसमें से केवल 2 करोड़ 40 लाख रुपये का ही उपयोग किया गया ? यदि हां, तो केन्द्र द्वारा स्वीकृत धनराशि का कुल उपयोग क्यों नहीं किया जा सका ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

पहली तीन योजनाओं में विभिन्न आवास योजनाओं के लिये 34 करोड़ 5 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध थी जिसमें से कुल 27 करोड़ 91 लाख रुपये की धनराशि का उपयोग किया गया ।

चौथी पंचवर्षीय योजनान्तर्गत आवास हेतु आय तथा व्यय

*54--श्री मोहन लाल कपूर--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि चौथी योजना काल में भवन निर्माण के लिये केन्द्र ने तथा जीवन बीमा निगम ने कितनी धनराशि का प्राविधान किया है ? इस धनराशि में से कितना रुपया अभी तक (30 नवम्बर, 1971) खर्चा किया जा चुका है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

चौथी पंचवर्षीय योजना में विभिन्न आवास योजनाओं के लिये 12 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है जिसमें से 5 करोंड़ रुपये जीवन बीमा निगम से प्राप्त होगा। उपरोक्त धनराशि में से 30 नवम्बर, 1971 तक कुल 529.33 लाख रुपये खर्च किया जा चुका है।

भूमि संरक्षण अधिकारी कुण्डा, जिला प्रतापगढ़ के विरुद्ध शिकायत पर जांच

*55--कुंवर तेजभान सिंह (जिला प्रतापगढ़)--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 8 दिसम्बर, 1971 को भ्रष्टाचार संबंधी भूमि संरक्षण अधिकारी कुन्डा, प्रतापगढ़ के संबंध में श्री गया प्रसाद एम0 एल० ए० प्रतापगढ़ द्वारा कोई आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना-पत्र पर या कायवाही की गई तथा उक्त अधिकारी के विरुद्ध किस अधिकारी द्वारा जांच कराई गई और क्या दोष पाये गये ?

डाक्टर सीताराम--

श्री गया प्रसाद, विधायक द्वारा भूमि संरक्षण अधिकारी कुन्डा , जिला प्रतापगढ़ के विरुद्ध कृषि मंत्री जी को संबन्धित दिनांक 7 दिसम्बर, 1971 का शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था । उक्त शिकायती-पत्र तथा भूमि संरक्षण अधिकारी कुन्डा के विरुद्ध प्राप्त अन्य किशायती-पत्रों को जांच के हेतु सतर्कता विभाग को भेज दिया गया है । जांच की रिपोर्ट प्रतीक्षित है ।

*56--श्री गया प्रसाद--

[5वें मंगलवार में प्रश्न संख्या 30 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*57--श्री कल्याण सिंह--

[22वें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या 1 के अन्तर्गत स्थगित]

*58--श्री कल्याण सिंह तथा श्री सियाराम--

[22वें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या 2 के अन्तर्गत एक स्थगित]

अतारांकित प्रश्न

मुरादनगर नाले (मेरठ) पर पुल निर्माण हेतु विचार

1--श्री ईश्वर दयाल त्यागी (जिला मेरठ)--

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम महमूदाबाद ब्लाक मुरादनगर (मेरठ) में मुरादनगर नाले पर एक पुल जो जिला परिषद् मेरठ द्वारा बनाया जाना मंजूर हो चुका है, वह अभी तक नहीं बन पाया है इसका क्या कारण है और कब तक बन जायेगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

मुरादाबद नाला एक प्राकृतिक नाला है तो एक देहाती रास्ते पर है। जिला परिषद् मेरठ की कार्य समिति ने अपनी 29 अप्रैल 1969 की बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया कि नहर विभाग की स्वीकृत से नाले पर पुल बनाया जाय। नहर विभाग ने परिषद् को सूचित किया कि चूंकि यह प्राकृतिक नाला है परिषद् चाहे तो बिना सिंचाई विभाग की स्वीकृति लिये यह पुल परिषद् द्वारा बनाया जा सकता है।

जिला परिषद् ने शासन से इस पुल के निर्माण के लिये 20,000 रु० की मांग की है। अतः सड़क निधि से इस संबंध में 20,000 रु० का अनुदान जिला परिषद् मेरठ को दिये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

किठोर (मेरठ) में बरसाती पानी निकास हेतु नाले का तथाकथित निर्माण

2---श्री मंजूर अहमद---

क्या पंचायतीराज मंत्री कृपया बतलायेंगे किठौर (मेरठ) में जो बरसाती पानी के निकास के लिये जिला परिषद् मेरठ द्वारा जो नाला बनाया जाना मंजूर हो चुका है उसके अब तक न बनने का क्या कारण है और उसके बनने की संभावना कब तक है?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

जिला परिषद् मेरठ द्वारा किठोर में बरसाती पानी के निकास के लिये नाले के बनाने के संबंध में कभी भी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं था।

3---श्री त्रिवेणी सहाय---

[4 थें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

इलाहाबाद के विकास खण्डों में नसबन्दी और लूप के मामले

4---श्रीराम गोपाल सण्ड---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 1 अप्रैल, 1971 से 30 नवम्बर, 1971 तक इलाहाबाद जिले के प्रत्येक विकास खण्ड में कितने केस नसबन्दी एवं लूप लगाने के किये गये हैं और इनमें कितने 18 वर्ष के नीचे की आयु तथा कितने 60 वर्ष के ऊपर के आयु के हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

सूचना संलग्न है। एक भी मामला ऐसा नहीं है जिसमें 18 वर्ष के नीचे तथा 60 वर्ष के ऊपर के किसी व्यक्ति की नसबन्दी की गयी हो या लूप लगाया गया हो।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 1480 पर)

5---श्री सूरज लाल गुप्त---

[5वें मंगलवार के लिये स्थगित]

6---श्री गोविन्द सिंह नेगी---

[5 वें मंगलवार के लिये स्थगित]

7---श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री रामकरन सिंह---

[5वें मंगलवार के लिये स्थगित]

कानपुर जिले में क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत सड़कों तथा नालों का निर्माण

8—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले में क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत कौन-कौन सड़कें कहां से कहां तक कितने किलो मीटर और कौन-कौन नाले कहां से कहां तक बनाये जाने का लक्ष्य निश्चित किया गया है और उनमें से कितनी सड़कों व नालों में कार्य शुरू हो गया है और उनमें से कितने में नहीं शुरू हुआ है उसका क्या कारण है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

इस जनपद में क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत जिन सड़कों व नालों का लक्ष्य निश्चित किया गया है तथा जिन पर कार्य चालू है उन सबका विवरण निम्नलिखित है ।

सड़कें

क्रमांक	नाम सड़क	लम्बाई	कार्य की स्थिति	कार्य शुरू न होने के कारण
1	नरवल–कर बिगवां	6 कि०मी० (नरबल से)	कार्य शुरू है	
2	साढ–कुढनी	10 कि०मी० (साढ)	,,	
3	शिवली–कल्यानपुर	6 कि०मी० (शिवली से) और 6 कि०मी० (कल्यानपुर से)		
4	रूरा–झोंझक	18 कि०मी०	कार्य शुरू है	
5	पूरा–राधन	3 कि०मी०	,,	

नाले

क्रम-संख्या	नाम नाला	लम्बाई (कि०मी०में)	कार्य की स्थिति	कार्य शुरू न होने के कारण
1	तिलसहोरी	10	कार्य शुरू है।	
2	बामीभितरी	5	,,	
3	रेहनस	2	सर्वेक्षण प्रगति पर है।	
4	धरमंगदपुर	7	,,	
5	कमालपुर मोली नवादा	3	,,	
6	औरों ताहिरपुर	12	सर्वेक्षण चालू है। कार्य प्रगति पर है।	
7	तिस्ती	5	,,	
8	बहेरा	5	विभागीय नीति के अन्तर्गत व्यवहारिक नहीं है।	
9	परोख	3		
10	जहांगीरपुर	4		
11	अमौर	5		
12	इटौली	7	सर्वेक्षण किया जा रहा है	

क्रम संख्या 8, 9, 10 तथा 11 की जगह दूसरी योजनाएं मांगी जा रही हैं ।

प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के अस्थायी कर्मचारियों का स्थायीकरण

9—श्री कल्याण सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उनका स्थायीकरण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जैसे-जैसे रिक्त स्थायी पद उपलब्ध होते जाते हैं वैसे ही नियुक्ति अधिकारी अस्थायी कर्मचारियों को उन पर स्थायी करने की आवश्यक कार्यवाही करते हैं ।

जिला अलीगढ़ के विकास खंडों में लघु सिंचाई हेतु तकावी

10—श्री कल्याण सिंह—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला अलीगढ़ के किस-किस विकास खण्ड को सिंचाई कार्यों की तकावी के लिये वर्ष 1970–71 में कितनी-कितनी धनराशि एलाट की गई थी और उसमें कितनी-कितनी धनराशि वितरित की गई ? शेष के वितरण न होने के क्या कारण है ?

डाक्टर सीताराम—

वर्ष 1970–71 में जिला अलीगढ़ के किसी भी विकास खण्ड को लघु सिंचाई कार्यों के लिये शासन द्वारा तकावी वितरण हेतु कोई भी धन एलाट नहीं हुआ अतः उसके बांटने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जिला आगरा के विकास खंड अधिकारियों का स्थायीकरण

11—श्री कल्याण सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आगरा मण्डल, आगरा में किस-किस विकास खण्ड के खण्ड विकास अधिकारी ऐसे हैं जो वर्ष 1959 अथवा इससे पूर्व से उपरोक्त पद पर निरन्तर कार्य कर रहे हैं किन्तु अभी (अक्तूबर 1971) तक उन्हें खण्ड विकास अधिकारी के पद पर स्थायी नहीं किया गया है ? उनके स्थायीकरण के आदेश पारित न करने के क्या कारण है और उन्हें कब तक स्थायी कर दिया जायगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (सेवायोजन की शर्तें) नियमावली, 1969†

श्रम राज्य मंत्री (श्री गणेशदत्त वाजपेयी)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से श्रम विभाग की विज्ञप्ति संख्या, 5686(एस-टी)/36-ए-279 (एस-टी)–65, दिनांक 26 सितम्बर, 1969 द्वारा प्रख्यापित बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (सेवायोजन की शर्तें) निमावली, 1969 को बीड़ी एन्ड सिगार वर्कर्स (कन्डीशन्स आफ इम्प्लायमेन्ट) ऐक्ट, 1966 की धारा 44 की उपधारा (4) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

†छापी नहीं गयीं ।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1971†

चिकित्सा राज्य मंत्री (श्री प्रेम चन्द्र शर्मा)—

उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या 2884-टी/गी तीस-ख-5-पी-65, दिनांक 28 जुलाई, 1971 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (द्वितीय सशोधन) नियमावली, 1971 को उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 की धारा 30 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानि की पूर्ति की वसूली) नियमावली, 1960 में किये गये संशोधन††

राजस्व उपमंत्री (श्री जगन्नाथ प्रसाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या 1521(1)/1-ग-574—सी-59, दिनांक 18 मई, 1971 द्वारा उत्तर प्रदेश सार्वजनकि भूमि (बेदखली और लगान तथा हानि पूर्ति की वसूली) नियमावली, 1960 में किये गये सशोधनों को, उसके शुद्धि-पत्र संसख्या 4208/1-सी-57 4-सी-59-607-65, दिनांक 8 अक्तूबर 1971 सहित, उत्तर प्रदेश सार्वजनकि भूमि (बेदखली और लगान तथा हानि पूर्ति की वसूली) अधिनियम, 1959 की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्ष 1968-69 के वार्षिक प्रतिवेदन††

नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओमप्रकाश सिंह)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्ष 1968-69 के वार्षिक प्रतिवेदन को तत्संबंधी ज्ञापन सहित, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 323 के खण्ड (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 की विज्ञप्तियां†

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948, की—

(क) धारा 3-क की—

(1) उपधारा (2) के अधीन प्रख्यापित वित्त (लेखा परीक्षा एवं बिक्री-कर) अनुभाग की अधिसूचना संख्या एस-टी-9377/दस-906 (ए-बी 4)/1971, दिनांक 6 अक्तूबर, 1971 ;

(2) उपधारा (1) खण्ड (क) के अधीन प्रख्यापित वित्त (बिक्री-कर-2) अनुभाग की विज्ञप्ति संख्या एस-टी-2-332/दस—1012-71, दिनांक 15 नवम्बर, 1971 ; और

---

†छापी नहीं गयी।

††छापे नहीं गये।

(3) उपधारा (2) के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन प्रख्यापित वित्त (बिक्री-कर-2) अनुभाग की अधिसूचना संख्या एस-टी-2-333/दस—1012-71, दिनांक 15 नवम्बर, 1971 ; तथा

(ख) धारा 3-घ की—

(1) उपधारा (1) के अधीन प्रख्यापित वित्त (बिक्री-कर-2) अनुभाग की अधिसूचना संख्या एस-टी-2-336/दस—1012-71, दिनांक 15 नवम्बर, 1971; और

(2) उपधारा (3) के अधीन प्रख्यापित वित्त (बिक्री-कर-2) अनुभाग की अधिसूचना संख्या एस-टी-2—337/दस—1012-71, दिनांक 15 नवम्बर, 1971 ;

को, वित्त (बिक्री-कर-2) अनुभाग द्वारा जारी किये गये शुद्धि-पत्र संख्या एस-टी-2-858/दस—1012-1971, दिनांक 13 दिसम्बर, 1971 के साथ यथास्थिति उक्त धारा 3-क की उपधारा (3) तथा धारा 3-घ की उपधारा (8) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

विधान परिषद् द्वारा उत्तराखंड विश्वविद्यालय विधेयक, 1972 को संयक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के प्रस्ताव की सूचना

सचिव विधान सभा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा, की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 135(1) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देता हूं—

इस सचिवालय की पृष्ठांकन विज्ञप्ति संख्या 421/वि०प०, दिनांक 17 जनवरी, 1972 के क्रम में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम, 169(1) के अन्तर्गत मुझे आपको यह संदेश भेजने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 27 जनवरी, 1972 की बैठक में विचार करने के उपरान्त निम्नलिखित प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया है—

"सन् 1972 ई० के उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय विधेयक को उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय जिसमें विधान परिषद् के 8 व विधान सभा के 16 सदस्य हों और जो अपना प्रतिवेदन विधान परिषद् के आगामी अधिवेशन के प्रथम उपवेशन में प्रस्तुत करें ।"†

अतः उपर्युक्त, प्रस्ताव विधान सभा की सहमति हेतु भेजा जा रहा है । यदि विधान सभा इस प्रस्ताव से सहमत हो, तो वह उक्त नियम के अन्तर्गत संयुक्त प्रवर समिति के कार्य करने के लिये अपने द्वारा नाम-निर्देशित सदस्यों के नाम (डाक के पते सहित) सूचित कर दे ।

सम्बन्धित विधेयक की एक प्रतिलिपि सूचनार्थ संलग्न है ।†

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय-कर की वसूली) (संशोधन) विधेयक, 1972

सचिव, विधान सभा—

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमित से मैं सदन को सूचना देता हू कि उत्तर प्रदेश गन्ना

---

†छापी नहीं गई

(पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय-कर की वसूली) (संशोधन) विधेयक, 1972, जो विधान सभा द्वारा 4 जनवरी, 1972 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के 11 जनवरी, 1972 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) विधेयक, 1972

सचिव, विधान सभा—

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं सदन को सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) विधेयक, 1972, जो विधान सभा द्वारा 6 जनवरी, 1972 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के 12 जनवरी, 1972 को वापस प्राप्त हो गया है।

इन्टरमीडियेट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1971

सचिव, विधान सभा—

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं सदन को सूचना देता हूं कि इन्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1971, जो विधान सभा द्वारा 5 जनवरी, 1972 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के 14 जनवरी, 1972 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1972

सचिव, विधान सभा—

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं सदन को सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1972 जो विधान सभा द्वारा 7 जनवरी, 1972 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के 14 जनवरी, 1972 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1972

सचिव, विधान सभा—

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं सदन को सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1972, जो विधान सभा द्वारा 3 जनवरी, 1972 को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक, प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के 11 जनवरी, 1972 को वापस प्राप्त हो गया है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

उत्तर प्रदेश कर-विधि (संशोधन) विधेयक, 1972 के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है...

श्री उपाध्यक्ष—

वह सचिव पढ़ रहे हैं वह पहले पढ़ दें तब आप कहें।

श्री कल्पनाथ सिंह—

यह जो आगे वह अब पढ़ना चाहते हैं उसी के विषय में तो मुझे कहना है, वह इस तरह से इन्हें न पढ़ने दिया जाय बल्कि वह संशोधित करके पढ़ा जाय। मद संख्या 9 के (2) पर मेरा निवेदन यह है कि 4 जनवरी को जिस दिन यह विधेयक इस सदन में पेश किया गया था उसी दिन आपके सम्मुख मैंने एक निवेदन किया था कि यह विधेयक धन विधेयक है और उस दिन का जो यह कार्यवृत्त मेरे पास है उसमें यह लिखा है कि मैंने यह कहा था कि धन विधेयक कारण इसके साथ चूंकि वित्तीय ज्ञापन नहीं लगाया गया है इसलिये इसको पुरःस्थापित करने की अनुमति न दी जाय। और आगे लिखा है कि वित्त मंत्री को सुनने के बाद श्री उपाध्यक्ष ने श्री कल्पनाथ सिंह द्वारा उठायी गयी आपत्ति को स्वीकार नहीं किया। मेरा कहना यही था की धन विधेयक होने के कारण इस पर इस समय विचार नहीं होना चाहिये। उस समय आपकी व्यवस्था हुई कि यह धन विधेयक नहीं है। अभी इससे पहले जो सूचना अन्य विधेयकों की दी गई है वह नियम 149 के अन्तर्गत दी गई है लेकिन यह सूचना वह नियम 153 के अन्तर्गत देने जा रहे हैं। नियम 153 के अन्तर्गत धन विधेयकों के बारे में ही प्राविधान है। लेकिन श्रीमन्, आपकी ही यह व्यवस्था हो चुकी है कि यह धन विधेयक नहीं है। इसलिये यह जो प्रमाणित करके भेजा गया है परिषद् को वह गलत हुआ है और इसको किसी भी हालत में धन विधेयक नहीं माना जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

अध्यक्ष को तो अधिकार है ही...

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैं तो आपकी ही व्यवस्था का हवाला दे रहा हूं आप कार्यवृत्ति मंगा कर देख लें और उस दिन की कार्यवाही भी देख लें। उसमें यह है कि कल्पनाथ सिंह ने आपत्ति की कि यह धन विधेयक है ....

श्री उपाध्यक्ष—

यह सूचना अभी तो सचिव दे रहे हैं...

श्री कल्पनाथ सिंह —

इस तरह की सूचना इस सदन में नहीं देना चाहिये, ऐसी सूचना देना अनियमित है,

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

श्रीमन्, इस को आप अभी स्थगित कर दें और बाद में यह सब देखकर आप अपना निर्णय दें।

श्री कल्पनाथ सिंह—

इस पर आप अपनी व्यवस्था अभी न दें.....

श्री उपाध्यक्ष—

आप आपत्ति कर रहे हैं, आपको स्वयं ही उसका कोई जज तो नहीं होना चाहिये।

श्री कल्पनाथ सिंह—

आपत्ति करने वाले को जज होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

मेरी असमर्थता यह है। माननीय अध्यक्ष ने 14 जनवरी को इस विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित कर दिया था।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, आपने स्वयं यह व्यवस्था दी थी। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने तर्क आपके सामने रखे थे और मैंने अपने तर्क रखे थे और उसके उपरान्त आपने यह कहा था कि यह धन विधेयक नहीं है। मैंने कहा था कि चूंकि इसके साथ कोई वित्तीय ज्ञापन नहीं था इसलिये यह धन विधेयक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह सही है या नहीं, इसके लिये तो कार्यवाही देखनी पड़ेगी।

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

जो विषय माननीय सदस्य ने उठाया था कि कोई धन विधेयक हो या नहीं नियम 118 में स्पष्ट दिया हुआ है कि जिस विधेयक में व्यय अन्तर्ग्रस्त हो उसके साथ एक वित्तीय ज्ञापन होगा। माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया था कि इसमें सेल्स टैक्स की चौकियां वगैरह का काम किया जा रहा है, इसलिये वह लागू होता है। धन विधेयक के बारे में मूल प्रश्न हीं उठाया था।

श्री कल्पनाथ सिंह—

फिर माननीय वित्त मंत्री सदन को गुमराह कर रहे हैं। मैंने यह कहा था कि यह धन विधेयक था मगर इसके साथ कोई वित्तीय ज्ञापन नहीं था। इसलिये इसको पुरःस्थापित करने की आज्ञा न दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय अध्यक्ष ने 14 तारीख को इसे धन विधेयक प्रमाणित कर दिया था और वह निर्णय अंतिम है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

धन विधेयक पर आमतौर पर विधान सभा में चर्चा होती है। यह पहले भी विधान परिषद् में नहीं आया। विधान सभा में आया तो इसे धन विधेयक प्रमाणित कर दिया गया।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

इसे माननीय अध्यक्ष ने धन विधेयक प्रमाणित किया था। यह...

श्री उपाध्यक्ष—

इसे 14 जनवरी को माननीय अध्यक्ष ने प्रमाणित किया कि यह धन विधेयक है। उसके पहले की कार्यवाही जो कुछ भी रही हो।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, आपकी जो व्यवस्था थी वह भिन्न थी...

श्री उपाध्यक्ष—

मेरी क्या व्यवस्था थी, इसके लिये तो कार्यवाही देखनी पड़ेगी।

श्री कल्पनाथ सिंह—

आप इसके बारे में प्रोसिडिंग्स को देख लें।

श्री उपाध्यक्ष—

7 जनवरी, 1972 को यह माननीय अध्यक्ष के पास गया। विधान सभा में 5 जनवरी को पास हो गया। 14 तारीख को राज्यपाल की अनुमति के लिये प्रस्तुत हुआ।

फिर माननीय अध्यक्ष ने इसको धारा 199 के अन्तर्गत धन विधेयक कहा। इसलिये अब इसमें क्या रुकावट आ गयी है ?

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

श्रीमन्, आपने स्वयं यह व्यवस्था दे दी थी कि यह धन विधेयक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---

यह मैंने नहीं कहा था।

श्री मैनेजर सिंह---

आपने व्यवस्था दी कि 5 तारीख को यह पारित हो गया और ग्यारह तारीख को विधान परिषद् से स्वीकृत हो गया और 14 तारीख को अध्यक्ष जी ने धन विधेयक प्रमाणित कर दिया। 14 तारीख को तो वह विधेयक रहा ही नहीं। आप और अध्यक्ष जी जब चाहें, जो व्यवस्था दे दें वह मान्य हो जाय और आज भी जो दें व्यवस्था वह भी मान्य हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

अध्यक्ष को धन विधेयक को प्रमाणित करने की जो शक्ति है धन विधेयक होने तक ही वह शक्ति है। धन विधेयक के बारे में आपको अधिकार है कि प्रमाणित करें।

श्री मैनेजर सिंह---

आप ही करेंगे। उसके लिये भी कोई समय है। विधेयक करने के बाद ही करेंगे। ऐसा कोई अधिकार आपको नहीं है। नियम में कोई विधेयक पारित होने के बाद आप उस पर व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रमाणित कब किया जायगा।

श्री मैनेजर सिंह---

इसको आप उपाध्यक्ष जी विचाराधीन रख लें। आप कल परसों तक इसकी व्यवस्था कर दें।

श्री उपाध्यक्ष---

यह शक्ति नहीं है इसलिये कि अध्यक्ष ने आदेश दे दिया है। वह अंतिम निर्णय है धन विधेयक का प्रमाणित करना मान्य परंपरा है। यह और कार्य-स्थगन के प्रस्ताव को स्वीकार करना ये दोनों काम अध्यक्ष के एक्सक्लूसिव अधिकार होते हैं।

श्री मैनेजर सिंह---

आप अध्यक्ष जी के अधिकार का भी तो सदुपयोग करते हैं। अध्यक्ष जी तो लेटे हुए हैं चारपाई पर। आप सत्रह आने मालिक हैं।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)---

यह जो आप फरमा रहे हैं वह सही हैं। अध्यक्ष को ही राईट है कि उसे भी प्रमाणित करें। हम लोगों का कहना यह है कि सदन के सामने संशोधन आये और यह आपत्ति हुई कि खण्ड विधेयक है, वित्तीय ज्ञापन नहीं है। यह कायदे से पास नहीं किया जाना चाहिये। तब तो इस आधार से स्वीकार नहीं किया। हमारा अधिकार था कि हम अपने अधिकारों का उपयोग करें। जब कहा गया कि यह धन विधेयक नहीं है और जब पास होकर विधेयक चला

गया तब कह दिया जाय कि यह धन विधेयक है । इसलिये हम लोगों के कहने का मतलब यह है कि श्रीमन् की विभिन्न प्रकार की रूलिंग हमारे अधिकारों पर कुठाराघात है तो उसको कौन देखेगा?

श्री उपाध्यक्ष—

आप दोनों को ही थोड़ा भ्रम है । वह प्रमाणित कर दिया है मैं कर नहीं सकता क्योंकि धन विधेयक के प्रमाणित करने का कार्य···

श्री रामधारी शास्त्री—

श्रीमन्, मेरी बात सुन लीजिए । हमको यह भ्रम नहीं है । श्रीमन् ने इसको प्रमाणित किया है । हमारा कहना यह है कि जब यह आपत्ति उठाई गई तो कहा गया कि उस आसन से कोई भी रूलिंग होगी वह कान्ट्राडिक्टरी नहीं होगी ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप समझ लें ।

श्री मैनेजर सिंह—

आपने कहा उपाध्यक्ष जी कि हम दोनों को भ्रम है । भ्रम आपमें और अध्यक्ष जी में है । आप भ्रम दूर करके बता दीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष—

क्या वित्तीय ज्ञापन लगाया जाना जरूरी है। उस समय वित्तीय ज्ञापन के अर्थ में जो निर्णय हुआ वह कोई धन विधेयक को प्रमाणित करने संबंधी व्यवस्था नहीं थी ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

धन विधेयक संबंधी थी । वहीं थी कि यह धन विधेयक है । इसीलिये मेरा निवेदन है कि मेहरबानी करके कोई आसमान नहीं टूट रहा है । इसकी व्यवस्था कर दीजिए । यह तो सूचना देने का सवाल है । यह सूचना कल मिल जायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने जो आपत्ति की मैंने तो उसको निर्मूल किया है ।

उत्तर प्रदेश कर विधि (संशोधन) विधेयक, 1972

सचिव, विधान सभा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश कर विधि (संशोधन) विधेयक, 1972 जो विधान सभा द्वारा 5 जनवरी, 1972 को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के 11 जनवरी, 1972 को वापस प्राप्त हो गया है ।

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1972

सचिव, विधान सभा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1972 जो विधान सभा द्वारा 7 जनवरी, 1972 को पारित किया गया था तथा

श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के 14 जनवरी, 1972 को वापस प्राप्त हो गया है ।

उत्तर प्रदेश आश्वासन समिति का 36 वां तथा 37 वां प्रतिवेदन†

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आश्वासन समिति के सभापति की हैसियत से समिति के 36 तथा 37वें प्रतिवेदनों को सदन में प्रस्तुत करता हूं ।

2—ये प्रतिवेदन क्रमशः वर्ष 1963 से 1969 तथा वर्ष 1970 के उन आश्वासनों के संबंध में हैं, जो समिति के 32 तथा 35 वें प्रतिवेदनों को सदन में प्रस्तुत करते समय अपूर्ण थे ।

3—उपरोक्त आश्वासनों पर विचार करते समय समिति के समक्ष निम्नलिखित तथ्य आये हैं, जिनकी ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना आवश्यक है :

(1) इन आश्वासनों को सदन में दिये गये 1 वर्ष तक का समय व्यतीत हो चुका है, परन्तु 12 आश्वासन अभी भी ऐसे हैं, जिनकी पूर्ति के संबंध में संबंधित विभागों से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, यद्यपि इसके लिये उन्हें बराबर स्मरण कराया जाता रहा है।

(2) उन आश्वासनों की पूर्ति में अनावश्यक तथा अत्यधिक विलम्ब होता है, जिनसे शासन के दो अथवा दो से अधिक विभाग संबद्ध हो जाते हैं। उदाहरणार्थ 8 मई, 1970 को गोरखपुर फारेस्ट डिवीजन के ट्रामवे के कर्मचारियों के पदों को अस्थायी अधिष्ठान में लाने का आश्वासन दिया गया था । इस संबंध में वन विभाग ने समिति को सूचित किया कि यह प्रस्ताव वर्ष 1967–68 की नयी मांगों की अनुसूची में सम्मिलित किया गया था तथा विधान मण्डल के आय-व्ययक को पारित भी कर दिया था, परन्तु आदेश जारी करने के लिये जब आलेख्य वित्त विभाग की सहमति के लिये भेजा गया, तो वह एक के बाद एक सूचना मांगते रहे । परिणामस्वरूप अंतिम आदेश साढ़े तीन वर्ष बीत जाने पर भी जारी नहीं हो सके हैं ।

(3) उन आश्वासनों की पूर्ति में भी अत्यधिक समय लगता है, जिनके संबंध में वांछित सूचना सीधे ही जिलाधिकारी से न मंगा कर विभागाध्यक्ष के माध्यम से एकत्रित की जाती है । उदाहरणार्थ सहकारिता विभाग अपने विभाग से संबंधित लगभग सभी आश्वासनों के बारे में वांछित सूचना निबन्धक, सहकारी समितियां से मांगा करते हैं । निबन्धक उप निबन्धक से,उप निबन्धक सहायक निबन्धक से उस सूचना को भेजने को कहते हैं । यही क्रम उस सूचना को भेजे जाने में अपनाया जाता है । इसका परिणाम यह होता है कि शासन को सूचना प्राप्त होने में अत्यधिक समय लग जाता है । इसी प्रकार की प्रक्रिया शासन के कई अन्य विभागों में भी देखने को मिली है। समिति यह समझने में असमर्थ है कि जिले में जिलाधिकारी जो शासन के सभी विभागों के प्रति उत्तरदायी है, से सीधे ही आश्वासन संबंधी सूचना क्यों नहीं प्राप्त की जाती। इससे समय के साथ-साथ धन की भी बचत हो सकती है ।

(4) समिति के ज्ञान में ऐसे मामले भी आए हैं जिनमें आश्वासन की पूर्ति तो कर दी गयी, परन्तु समिति को सूचना न देकर उसकी अवहेलना की गई ।

(5) उपरोक्त के अतिरिक्त समिति को यह देखकर अत्यधिक दुख हुआ है कि उसे गलत सूचनाएं भी दी गयी हैं । यह नीचे दिये गये उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है ।

(1) रसड़ा तथा बिल्थरा रोड बस स्टेशनों के नीचे धरातल पर निर्माण किये जाने की जांच कराने का आश्वासन 19 फरवरी, 1963 को दिया गया था ।

---

† छापा नहीं गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आश्वासन की पूर्ति के संबंध में परिवहन विभाग ने सूचित किया कि दोनों स्थानों पर जो बसस्टेशनों का निर्माण हुआ है वह जमीन के ऊंचे भाग पर किया गया हैं न कि निचले भाग पर । भवनों के निर्माण के पश्चात् भूमि का जो भाग नीचा था, उसे भी ऊंचा कर दिया गया है । यह सूचना तथ्यों से परे है । वास्तविकता यह है कि दोनों ही बस स्टेशनों की इमारतें नीचे धरातल पर बनी हैं । इसकी पुष्टि उनके फर्श, दीवारों तथा छत पर पड़ी दरारों से होती है । स्टेशन इंचार्ज, बिल्थरा रोड ने समिति के समक्ष यह स्वीकार किया है कि रसड़ा में एक से लेकर दो बालिश्त तक पानी भर जाता है । जहां तक बिल्थरा रोड बस स्टेशन का प्रश्न है इसमें भी जहां तहां पानी भर जाता है ।

(2) ऋषिकेश–बद्रीनाथ यात्रा मार्ग का राष्ट्रीयकरण करने के प्रस्ताव पर विचार करने का आश्वासन 11 अगस्त, 1964 को दिया गया था । इस संबंध में समिति को सदैव परस्पर विरोधी सूचनाएं दी गयी हैं। 26 अक्तूबर, 1966 को सचिव, परिवहन विभाग ने बतलाया कि ऋषिकेश–जोशीमठ तक के मार्ग का नोटीफिकेशन मई, 1966 में हो गया है । 27 अप्रैल, 1970 को परिवहन विभाग ने सूचित किया कि रोडवेज के ऋषिकेश क्षेत्र का निर्माण किया गया और परिमिट लेकर रोडवेज की गाड़ियां लायी गयीं । 28 मई, 1970 को सचिव, परिवहन विभाग ने कहा कि इस मार्ग को नेशनलाइज करने का कभी निश्चय ही नहीं किया गया । वास्तविकता यह है कि संपूर्ण मार्ग के जोशीमठ से बद्रीनाथ तक के लगभग 28 मील के अंतिम भाग को ही नोटीफाइड किया गया था ।

(3) सरयू नहर योजना पर कार्य प्रारंभ करने का आश्वासन 8 अस्तूबर, 1965 को दिया गया था । इस संबंध में सिंचाई विभाग ने बतलाया कि योजना स्वीकृत हो चुकी है, और कार्य प्रारभ हो चुका है । इसका प्रतिवाद करने पर सचिव, सिंचाई विभाग ने बतलाया कि वह योजना, जिसके संबंध में आश्वासन दिया गया था समाप्त कर दी गयी और उसके स्थान पर एक अन्य योजना स्वीकार हुई है ।

उपरोक्त से यह स्पष्ट होगा कि समिति को गलत तथा अवास्तविक सूचनाएं ही नहीं दी गयीं वरन् उसे पथभ्रष्ट करने का भी प्रयास किया गया है । समिति इस समय दोषी विभागों को चेतावनी ही देना चाहती हैं, परन्तु यह स्पष्ट कर देना भी आवश्यक समझती है कि यदि भविष्य में इस इस बात की पुनरावृत्ति की गयी तो समिति उनके विरुद्ध विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य सचालन नियमावली, 1958 के नियम 63 के अन्तर्गत कार्यवाही करने की संस्तुति करेगी ।

अन्त में मैं इस प्रतिवेदन को समाप्त करने से पूर्व इस समिति से संबंधित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके सहायता, सहयोग तथा कठिन परिश्रम के लिये धन्यवाद देता हूं ।

सदन के कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)––

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 22 के अनुसार मुझे दिनांक 12 जनवरी, 1972 को सदन को आगामी सप्ताह के कार्यक्रम की सूचना देनी थी परन्तु उस दिन सदन की बैठक प्रश्नोत्तर काल के बाद ही स्थगित हो जाने के कारण ऐसा नहीं किया जा सका जिसका मुझे खेद है । अतः मैं आपकी अनुज्ञा से सदन को यह सूचना देता हूं कि इस सप्ताह में दिनांक 18, 19 व 20 जनवरी, 1972 को होने वाले सदन के उपवेशनों में निम्नलिखित कार्य किये जायेंगे:––

(1) भूमि अर्जन (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1970, जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ पर विचार एवं उसका पारण ।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]--

(2) उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) विधेयक, 1970 जैसा कि संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ, पर विचार ।

(3) संविधान (पच्चीसवां संशोधन) विधेयक, 1971 के अनुसमर्थन के संकल्प पर विचार एवं उसका पारण ।

(4) उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय विधेयक, 1972 को संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने के लिये विधान परिषद् द्वारा पारित प्रस्ताव से सहमति के प्रस्ताव पर विचार एवं उसका पारण ।

(5) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1971 पर विचार समाप्त करके उसका पारण ।

(6) उत्तर प्रदेश विधान सभा की नियम समिति (1971-72) के प्रथम प्रतिवेदन में पृष्ठ 1 पर प्रस्तावित नियम 14 और पृष्ठ 7 पर नियम 216 के प्रस्तावित उप नियम (4) पर श्री लक्ष्मीरमण आचार्य, सदस्य, विधान सभा की आपत्ति और उनके द्वारा उसमें प्रस्तावित संशोधनों पर विचार ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

इसी विषय में एक बात कहनी है । 12 तारीख का कार्यक्रम भी आज रख दिया गया है और 18 तारीख का भी आज रख दिया गया है । तो क्या तीन दिन के अन्दर सभी विधेयक इसी तरह से पास कर देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी आपका निर्देशन कर देंगे।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मैं भी इस संबंध में कुछ कहने वाला था । उस दिन आपके समक्ष एक बात तय हुई थी कि हमारे सामने कार्य बहुत हैं और समय निश्चित हमारे माननीय मंत्री जी नहीं करेंगे बल्कि आप करेंगे और जो हमारे कार्य अभी बाकी हैं उनके लिये भी समय आप निर्धारित करेंगे जैसे लोक लेखा समिति की रिपोर्ट पर, पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट पर, आश्वासन समिति की रिपोर्ट पर और एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट पर और सेक्रेटेरियट संगठन समिति की रिपोर्ट पर विचार करना अत्यन्त आवश्यक है । उसके लिये भी हमें समय देंगे ऐसा आपने कहा था और इन विधेयकों के लिये भी पर्याप्त समय दिया जायगा । ऐसा नहीं कि ये विधेयक रश थ्रू कर दिये जायेंगे । इतने कम समय में कोई विचार ही नहीं व्यक्त कर सकता है । माना कि संयोग से छुट्टी हो गई, तो क्या किया जाय ? समय आप बढ़ा कर पूरा करें । यह न करें कि इतने महत्व के जो बिल हैं, जैसे रेंट कंट्रोल एन्ड इविक्शन ऐक्ट से संबंधित जो बिल है यह सन् 47 से टलता आ रहा है और आज समय आया है कि उसको ओवरहाल किया जाय, फिर से एक कम्प्रिहेन्सिव बिल लाया जाय । यह भी माना कि उसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया गया और वहां पर जो भिन्न-भिन्न पार्टियों के मेम्बर थे उनको वहां बोलने के लिये भेजा गया था न कि 'बार' करने के लिये । इतने महत्व के बिल लाये गये हैं और इन पर विचार करने का अवसर मिलना चाहिये । ऐसा न हो मान्यवर घुड़दौड़ में यह भी न मालूम पड़े कि कौन सा सेक्शन कब पास हो गया । इसलिये मान्यवर, इस पर विचार करने का अवसर मिलना चाहिये ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष--

इसके बारे में मंत्री जी स्पष्ट कर दें। लेकिन जब हम लोग उठे थे तो कुछ ऐसी बातें हुई थी कि 3 बजे बैठक फिर होगी। ऐसी शायद बात चली थी।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, इस पर कार्य-मंत्रणा समिति में सर्वसंम्पत्ति से बात तय हो चुकी है फिर भी हमारे सम्मानित सदस्य जनसंघ को क्यों आपत्ति है ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, मैंने आपत्ति की कोई बात नहीं कही है। मैंने तो यह कहा है कि जो भी कार्यक्रम तय हो, टाइम टेबिल तय हो, उसको आप तय करें, सरकार तय न करे। मंत्री जी कहते हैं कि जो हम तय करेंगे वह होगा और सीमित समय के अन्दर होगा। मैंने उनसे कहा कि यह उपाध्यक्ष महोदय देखेंगे, यह उनका अधिकार है और मैं समझता हूं कि उन्हें आपके इस अधिकार का आदर करना चाहिये।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, जो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आपकी अध्यक्षता में हुई थी, उसमें सर्वसम्मिति से 12 तारीख के लिये टाइम टेबिल तय हो गया था। उस दिन हमारे सदन के सम्मानित सदस्य श्री गुप्तार सिंह का देहावसान हो गया। उस दिन सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव रखा गया था कि शोक प्रस्ताव पास करके 3 बजे सदन की बैठक फिर से हो जाय। लेकिन उस दिन उस प्रस्ताव में संशोधन पेश किया गया कि सदन स्थगित कर दिया जाय और 3 दिन के अन्दर सारे काम कर दिये जायेंगे। उस पर नेता सदन और नेता विरोधीदल ने भी अपनी सहमति प्रकट की थी कि 3 दिन के अन्दर हम पूरा कर लेंगे। मान्यवर, मैंने उसी के आधार पर यह सूचना दी है। इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो तय न हो गई हो।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)--

मान्यवर, यह तो ठीक है। लेकिन जो कार्यक्रम बनाया जाय वह मंत्री जी तय करके घोषणा करें तो ऐसे कैसे काम चल सकता है। नियम 22 में जो सूचना दी है उसमें उसी सप्ताह के अन्त में प्रश्नों के बाद सूचित करने को था, तो वह ऐसा नहीं हुआ जो कि होना चाहिये था। जिस तरह से माननीय मंत्री जी ने इसे लाकर यहां रख दिया है, वैसे कैसे काम चलेगा। चाहिये तो यह कि कार्य-मंत्रणा समिति फिर से बुलाई जाय। यह तो आपत्ति जनक है। इसको तो आपको 'एडजस्ट' करना चाहिये। यह आपका काम है, सरकार का काम तो नहीं है। लेकिन परम्परा ऐसी हो गई है कि सरकार जो कह दे वह कार्यक्रम मान लिया जाता है। श्रीमन्, यह तो आपका अधिकार है जो आपको सुरक्षित रखना चाहिये। लेकिन यहां तो सरकार डिक्टेट करती है, जो कि मान लिया जाता है। यह तो उचित प्रतीत नहीं होता। दूसरे यह कि इससे नियमों की भी अवहेलना हो रही है।

*मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--

मान्यवर, सरकार विरोधी दल से कुछ न्याय की भी अपेक्षा करती है और हमने हमेशा न्याय किया और सदा करते आये हैं। लेकिन हमारे साथ अन्याय होता है यह हमारी दुदर्शा है। न्याय की अपेक्षा इस कारण से कि कार्य-मंत्रणा समिति में कार्यक्रम 12 तरीख के लिये बनाया गया। वह कार्यक्रम बनाकर यहां प्रस्तुत हुआ। लेकिन दुर्भाग्य की बात थी कि उस दिन हमारे एक साथी चले गये। फिर यह हुआ कि आज का काम 3 दिन के बाद लाया जाय। हमारे विरोधी दल के सभी साथियों से राय-मशविरा हुआ कि उसी दिन 3 बजे से काम किया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

माधव जी ने भी यह बात मंजूर की थी और चौधरी साहब ने भी मंजूर की थी। लेकिन बाद में एकाएक फिर एक प्रस्ताव आया मैनेजर सिंह जी का खेद यह है कि वह अपने अलग से चलाते है। उनसे किसी ने पूछा नहीं था नहीं तो उनकी सहमति हो गई होती और वह नहीं कहते। उन्होंने प्रस्ताव कर दिया कि आज के लिये हम उठ जाएं क्योंकि कि एक माननीय साथी का देहावसान हो गया था। वह एक ऐसा प्रस्ताव था जिसका विरोध करना मुश्किल था। एक साथी का देहावसान हो गया हो और कोई कह रहा हो कि तीन बजे से फिर बैठ जायेंगे तो उसका विरोध सरकार करे यह कुछ अच्छा नहीं था। नेता विरोधी दल ने भी कहा कि आज हम उठ जाएं और इस काम को तीन दिन में कर लेंगे। यह बात माधव जी ने भी कही थी और यह सबने स्वीकर कर लिया। तो फिर इसमें कार्य मंत्रणा समिति का प्रश्न कहां उठता है। इसका सदन ने निर्णय किया था और यह आपके हाथ में भी नहीं है। सदन ने निर्णय लिया कि जो काम है वह तीन दिन में दो दो घन्टे बैठ कर समाप्त कर देंगे। सदन ने ही आश्वासन दिया और सदन ने ही उसे स्वीकार किया और वहीं पर और लोगों ने भी यह बात कहीं जिसे हम सब लोगों ने स्वीकार कर लिया तो मान्यवर फिर कोई कायदे और कानून की बात कहां रहती है। आखिर किसी जगह कोई बचन, कोई सहमति है। उसका कोई स्थान है या हर दूसरे दिन या एक दिन के बाद शास्त्री जी या कोई अन्य सदस्य कार्य मंत्रणा समिति की बात कहें। सबसे बढ़ कर तो सदन है, उसी ने कोई निर्णय लिया तो फिर कार्य मंत्रणा समिति का स्थान कहां रहता है। स्वयं अध्यक्ष के लिये भी इस में कोई बात नहीं रहती है क्यों कि सदन ने निश्चय किया है और मैं समझता हूं कि तीन दिन में जितना काम है वह पूरा करें क्यों कि फिर पता नहीं कब बैठें शायद फरवरी के आखिर में या मार्च में बैठेंगे। इसलिये जो बचा हुआ काम है वह छोड़ना नहीं चाहिये, इस कार्य को पूरा कर लीजिये यह मेरी प्रार्थना है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने ठीक ही कहा है कि जो कार्य है उसे समाप्त कर लीजिये। हम तो इसके पक्ष में है विरोध में नहीं। हम लोग इसलिये नहीं कह रहे कि आगे और बैठक हो। जो बचा हुआ कार्य है जिसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित किया गया है कार्य मंत्रणा समिति द्वारा उसको ले लिया जाय दो एक घन्टा और ज्यादा बैठना पड़े तो कोई हर्ज नहीं है। मान्यवर जो मुख्य मंत्री जी ने कहा हम उसके विपरीत नहीं है। हमने कहा था कि मैनेजर सिंह ने जो कहा है उसे स्वीकार कर लें। हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है हम उसके विरोध में नहीं है। अगर कुछ एडजस्टमेंट हो जाय कुछ समय बढ़ाकर तो हमारे दल के नेता भी और अन्य विरोधी दलों के नेता भी इसके पक्ष में है कि समय बढ़ा दिया जाय 5, 6 या 7 बजे तक। इसलिये मैं जो कह रहा हूं वह दिन बढ़ाने के लिये नहीं। जो काम है वह पूरा हो जाय और इस के लिये थोड़ा सा समय बढ़ाया जाय और हम छः बजे तक या सात बजे तक बैठ जायें।

पिथौरागढ़ जिले में नियत नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा अभिसंधान शुल्क वसूल किये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री गोपाल दत्त ओझा (जिला पिथौरागढ़)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 में अभिसन्धान शुल्क लिये जाने का प्राविधान न होने पर भी पिथौरागढ़ जिले में नियत/नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा उसे वसूल किये जाने के सम्बन्ध में श्री एस०एस०एस० कमलापति, पिथौरागढ़, द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

कानपुर जनपद के परगना अकबरपुर के अन्तर्गत दुआरी कृषि सहकारी फार्म के रजिस्ट्रेशन को निरस्त कराने के सम्बन्ध में याचिका

श्री उपेन्द्र नाथ दीक्षित (जिला कानपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष जी मैं आपकी आज्ञा से कानपुर जनपद के परगना अकबरपुर के अन्तर्गत दुआरी कृषि सहकारी फार्म के रजिस्ट्रेशन को निरस्त कराने के सम्बन्ध मे श्री शिव दत्त बाजपेयी, जिला कानपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश कर–विधि (संशोधन) विधेयक, 1972 के सम्बन्ध में आपत्ति (क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष—

धन विधेयक के बारे में उस दिन एक प्रश्न उठाया गया था । तो यह कार्यवाही मैंने मंगाई है । इसमें श्री कल्पनाथ सिंह जी ने कहा कि मेरी बात उसमें नहीं दी गई है । मेरा यह कहना है कि यह धन विधेयक है और यह उपस्थित नहीं किया जा सकता है । मैंने यह कहा था किन्तु वह उसमें सम्मिलित न हो । मैंने यह कहा था कि इसका प्राविधान पहले से है इसलिये कि यह व्यय अन्तर्गस्त है । तो जो माननीय सदस्य ने कहा उसमें कोई विरोधाभास नहीं है क्योंकि यह धन विधेयक है । यह बिलकुल साफ हो गया है ।

श्री बंशीधर पाण्डेय (जिला वाराणसी)—

क्या साफ हो गया ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने यह नहीं कहा था । उस पर मैंने रूलिंग नहीं दी है ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

वह तो मैंने बता दिया । रूलिंग नहीं दी कि यह धन विधेयक है या नहीं ।

एक सदस्य—

मान्यवर, रूलिंग देने के पूर्व हम लोगों को सुनेंगे या नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोगों को तो हम पहले ही सुन लेते हैं ।

गृह उपमंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

सुरेन्द्र विक्रम जी ने एक प्रश्न उठाया है 56 में नियम 63 के अन्तर्गत विशेषाधिकार की अवहेलना के बारे में जो माननीय गृह उप मंत्री जी के जवाब से सम्बन्धित है । कार्य के लिये इसको मैंने लिख दिया है । उत्तर गलत देने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी गई है । इसको मैंने पढ़ कर देख लिया है जो नहीं बनता है । नम्बर 207 में यह है कि इसके अन्तर्गत मंत्रीजी से स्पष्टीकरण मांग लिया जाय । 207 है कि सदन में शासन की ओर से दिये जाने की सूचना का दायित्व शासन पर ही होगा । किसी सरकारी अधिकारी से प्राप्त सूचना के आधार पर जो सूचना सदन में दी जाय और वह गलत सिद्ध हो तो सम्बन्धित मंत्री यथोचित कार्यवाही करेंगे और उसकी सूचना सदन को भी देंगे । उप गृह मंत्री जी को यह दिया जा रहा है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

मान्यवर, इस किस्म का प्रश्न आये दिन सदन में उठता ही रहता है। यहां पर जवाब गलत दिया जाता है जिससे हम सदस्यों का अवमान होता है। माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी ने भी इस बारे में पूंछा था। तीनों तहसील के कर्मचारी हैं या नहीं? इस पर उन्होंने कहा था कि दो हैं और एक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने कहा था कि बालकराम सरकारी कर्मचारी नहीं है। इसका मैंने अध्ययन कर लिया है और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि माननीय गृह उप मंत्री को सदन को अवगतकरवाने के लिये कहा जाय।

प्रदेश में जीवनोपयोगी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से जनता में असन्तोष उत्पन्न होने के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मैंने नियम 56 में दिया है। यह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर सदन में चर्चा होनी आवश्यक है। मान्यवर, जो वक्तव्य मिला है वह इतना लम्बा चौड़ा है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मैंने भी इस बारे में प्रश्न किया था। मुझको जो वक्तव्य मिला है वह करीब 11, 12 पन्ने का है और यहीं मिला है और उसको मैं देख भी नहीं सका हूं। इतने महत्व का प्रश्न है। महंगाई इतने वेग से बढ़ती चली जा रही है तो जैसा कि कल्पनाथ सिंह जी ने कहा इस पर चर्चा हो जाय। मैं भी सुन लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

इसको अभी नहीं लिया जाय। जितने प्रश्नों की आपने सूचना पहले से दी है उसको देखते हुए मुझे शक है कि समय मिल सकेगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, आपने मुझको निराश कर दिया। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि फरवरी के अन्त या मार्च के आरम्भ में पुनः बैठना हो सकेगा। इसका मतलब वोट आन एकाउन्ट लेंगे, बजट नहीं होगा। इससे मुझे बड़ी निराशा हुई। दूसरे आपने कहा कि इसी में खत्म हो जाएगा। हमने कहा कि और बढ़ा दिया जाय, उधर भी आपका ध्यान नहीं गया, ऐसा लगता है तीन दिन में ही सब थोड़े ही हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर आप इसको सुनेंगे नहीं तो कैसे होगा?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

लेकिन हम सवाल कैसे करेंगे जब इसको हमने देखा ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

या तो इसको सुन लीजिये या फिर पढ़ा मान लीजिये।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

इसे दफा 52 में ले लें। दो घंटे की बहस हो जाएगी।

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री बेनी सिंह)—

उपाध्यक्ष महोदय, भाव बढ़ रहे हैं कई चीजों के, सबके सम्बन्ध में इत्तला देनी है। एक दो पैराग्राफ में तो आ नहीं सकती। मुझे यकीन है कि इसको पढ़ने के बाद कोई सवाल नहीं रह जाएगा। इसमें पूरी सूचना है। फिर भी इसके बाद कोई सूचना चाहें तो मैं तैयार हूं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, भाव तो केवल दलबदलुओं का ही घटा है और किसी भी चीज का नहीं घटा है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

इसे पढ़ा मान लिया जाय और चर्चा के लिये रख दिया जाय।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आपने कहा था कि 52 में ले लें।

श्री उपाध्यक्ष—

समय को देखते हुए।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

हम आठ बजे तक बैठने को तैयार हैं।

श्री बेनी सिंह—

श्रीमन्, चीनी के सम्बन्ध में प्रश्न हो ही गया। तो चर्चा तो हो ही रही है। इसको पढ़ने के बाद कोई चीज रह जाती है तो मैं जवाब देने को तैयार हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

इसको पढ़ने के बाद अगर आपको लगे कि कुछ और जानकारी चाहिए तो बताइएगा, तब देखा जाएगा।

श्री कल्पनाथ सिंह—

हम लोग चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो। हमने तो इसको कामरोको प्रस्ताव की शक्ल में चाहा था। आपने कहा कि पहले बयान आ जाय तब फिर प्रश्न हो। तो यह पढ़ा हुआ मान लिया जाय और फिर इस पर चर्चा हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, तो इसको पढ़ा हुआ समझा जाय।

श्री बेनीं सिंह—

माननीय सदस्यों ने शासन का ध्यान जीवनोपयोगी वस्तुओं के बढ़ते हुये मूल्यों की ओर आकृष्ट किया है उसके लिये मैं उनका आभारी हूं किन्तु यहां हर मैं यह स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि शासन इस विषय में पहिले से ही जागरूक है और स्थिति का समय-समय पर विवेचन करके परिस्थिति के अनुसार बराबर आवश्यक कार्यवाही करता रहा है और इसके बारे में माननीय सदस्यों को भी शासन समय-समय पर अलग से सूचन देता रहा है।

2—जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है साधारण जतना के प्रयोग में आने वाली आवश्यक वस्तुओं में मूल्य वृद्धि की संभावना पाकिस्तान द्वारा हमारे देश पर 3 दिसम्बर 1971 को आक्रमण किये जाने से उत्पन्न आपात्कालीन स्थिति के कारण हुई इस स्थिति का सामना करने के लिये सरकार ने कई प्रभावकारी कदम तुरन्त उठाये। शासकीय वितरण प्रणाली

[पढ़ा हुआ माना गया]

[श्री बेनी सिंह—]

को तुरन्त ही मजबूत बनाया गया और यह निश्चित किया गया कि अच्छे क्वालिटी के गेहूं तथा चावल सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर सस्ते गल्ले की दुकानों द्वारा जनता की मांग के अनुसार वितरित किया जाय। साथ ही इन दुकानों के लिये पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्नों का स्टाक प्रदेश भर में उपलब्ध कराया गया। जब शासन के सामने संचरण की कठिनाई आई तो यह प्रबन्ध किया गया कि जहां पर रेल द्वारा संचरण में कठिनाई है वहां पर ट्रकों द्वारा सामान भेजा जाय और इस कठिनाई के कारण खाद्यान्नों के मूल्य में वृद्धि न होने दी जाय।

3—यह बात सही है कि दिनांक 1 सितम्बर, 1971 के मुकाबिले में खुले बाजार में गेहूं, चना, मक्का तथा ज्वार के मूल्यों में कुछ वृद्धि हुई है और चावल, जौ तथा बाजरा में भी हल्की सी वृद्धि दृष्टिगोचर हुई है किन्तु यह वृद्धि वर्ष के इस समय के लिये अस्वाभाविक नहीं है, विशेषतया जब कि संपूर्ण प्रदेश में ही पहिले असामायिक वृष्टि और बाद में अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण रवी तथा खरीफ दोनों फसलों को गंभीर क्षति पहुंची है। यह माननीय सदस्य भी जो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं स्वीकार करेंगे। किन्तु जो मूल्य वृद्धि हुई है उसके प्रभाव से जन साधारण को संरक्षण प्रदान करने के लिये सरकारी वितरण प्रणाली मौजूद है जिसके अन्तर्गत 5,581 सस्ते गल्ले की दुकाने कार्यरत हैं, जिनका उद्देश्य ही केवल यह है कि उपभोक्ताओं को गेहूं, चावल, आटा, मैदा तथा सूजी सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध करायें। ये दुकानें प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में शहरी, नोटिफाइड, टाउन एरिया में तथा पर्वतीय क्षेत्रों में शहरी तथा देहाती दोनों क्षेत्रों में अनोपचारिक राशनिंग योजना के अंतर्गत काम कर रही हैं और इनके साथ लगभग 1.65 करोड़ यूनिट सम्बद्ध है। बाढ़ ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्रों में अभी हाल ही में 890 दुकाने खोली गई है। इस संबंध में जिलाधिकारियों को शासन के यह स्पष्ट आदेश हैं कि जहां कहीं भी शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्न आदि के भावों में वृद्धि की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती हो वहां वे अतिरिक्त दुकानें खोल दें। इन दुकानों द्वारा अब तक वितरित राशन की मात्रा के जो आंकड़े शासन को उपलब्ध है उनके विवेचन से यह पता चलता है कि जन साधारण ने अब सस्ते गल्ले की दुकानों का प्रयोग भी करना प्रारम्भ कर दिया है।

4—इन दुकानों द्वारा वितरित होने वाले राशन की मात्रा 6 किलो प्रति यूनिट प्रति मास है जिसमें 4 किलो गेहूं, आटा और 2 किलो चावल है। यदि कहीं उपभोक्ता चाहे तो वह अपना कुल राशन गेहूं आटे के रूप में ले सकता है। यदि कहीं पर आवश्यकता हो या मांग हो तो राशन की मात्रा बढ़ाई भी जा सकती है, जैसा कि शासन द्वारा चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तर-काशी जिलों में कर दिया गया है। साथ ही, खुले बाजार में मूल्यों की वृद्धि को नियंत्रित करने के लिये सरकार एक ओर तो रोलर फ्लोर मिलों को, उनकी मांग के अनुसार पूरी मात्रा में गेहूं का आंबटन केन्द्र सरकार के सहयोग से कर रही है जिससे आटा, मैदा तथा सूजी की उपलबद्धि पर्याप्त मात्रा में बनी रहे और दूसरी ओर मूल्य वृद्धि की प्रवृत्ति को देखते हुए यदि भविष्य में आवश्यकता पड़ी है तो खुले बाजार में भी सरकारी भंडार से गेहूं की पर्याप्त मात्रा को उड़ेलने से हिचकिचायगी नहीं।

5—खाद्यान्नों के बाद मैं चीनी, गुड़ तथा खाण्डसारी की स्थिति स्पष्ट करूंगा क्योंकि माननीय सदस्यगण उनके बारे में जानने के लिये अधिक उत्सुक हैं। यहां पर मैं सर्वप्रथम यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि चीनी के मूल्य वितरण अथवा संचरण पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। इस संबंध में राज्य सरकार केन्द्र के निर्देशानुसार ही कार्यवाही करती है। इतना जरूर है कि राज्य सरकार समय समय पर स्थिति का विवेचन करके केन्द्र से बराबर विचार विमर्श करती है और इस विषय में अपनी नीति गन्ना उत्पादकों, श्रमिकों तथा उपभोक्तांओं, सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करके तदनुसार अपनी संस्तुति केन्द्र सरकार को समय-समय पर देती है।

6—देश भर में चीनी की अच्छी स्थिति देखते हुए केन्द्रीय सरकार ने दिनांक 25-5-71 से चीनी पर नियंत्रण समाप्त कर दिया था। इसके साथ ही सस्ते गल्ले की दुकानों द्वारा शहरी

तथा ग्रामीण क्षेत्रों में चीनी का वितरण भी समाप्त हो गया था फिर भी खुले बाजार में चीनी की उपलब्धता समान्य रूप से बनाये रखने के लिये और जमाखोरी की प्रवृत्ति को रोकने के लिये भारत सरकार ने एक तो मिलों को यह निर्देश प्रसारित किये कि वे थोक व्यापारियों को प्रत्येक नाम के रिलीज्ड कोटे का क से कम 20 प्रतिशत स्टाक प्रति सप्ताह बेचेंगे तथा दूसरी ओर यह भी प्रतिबन्ध लगाया गया कि वे किसी भी अधिकृत विक्रेता को 2,200 क्विन्टल से अधिक चीनी किसी सप्ताह में नहीं भेजेंगे। इसके अतिरिक्त थोक विक्रेताओं द्वारा एक समय मे स्टाक रखने की सीमा भी निर्धारित कर दी गयी जो कि 5 लाख या उससे अधिक आबादी वाले शहरों के लिये एक हजार, एक लाख या उससे अधिक आबादी वाले शहरों के लिये 500 तथा अन्य नगरों के लिये 250 क्विटल है।

7—पाकिस्तान द्वारा हमारे देश पर आक्रमण किए जाने के कारण युद्ध छिड़जाने पर चीनी के मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई। राज्य सरकार ने तुरन्त इस दिशा में कार्य-वाही की और चीनो को उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु (मूल्य प्रदर्शन और संभरण तथा वितरण पर नियंत्रण) आदेश, 1971 के अनुसूचित वस्तुओं की सूची में सम्मिलित कर दिया गया। इसके अनुसार थोक एवं फुटकर विक्रेताओं के लिये यह अनिवार्य कर दिया गया कि एक तो थोक तथा फुटकर मूल्य तथा स्टाक स्थिति अपनी दुकान पर किसी प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करें और दूसरे यह कि चीनी के निर्माता, उत्पादक अथवा वितरक द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही उसे बेंचें। यह भी अनिवार्य कर दिया गया कि चीनी के स्टाक में होने पर उसे बेचने से उपभोक्ता को इन्कार न करें।

8—इस बीच चीनी के मूल्यों पर भारत सरकार भी बराबर नजर रखे रही और चीनी मिलों से परामर्श करके उसने एक योजना बनाई जिसके अनुसार चीनी मिलें स्वेच्छा से चीनी के मासिक रिलीज कोटे का 60 प्रतिशत सस्ते गल्ले की दुकानों के माध्यम से सरकार को वितरण के लिये देने को तैयार हो गई। इस योजना के अन्तर्गत चीनी मिलें 150 रु0 प्रति क्विटल की दर से डी–30 ग्रेड चोनी एक्स फैक्टरी रेट पर देने को तैयार हुई और इसका आंवटन भारत सरकार उसी प्रकार करेगी जिस प्रकार वह रहने लेवी की चीनी का करती थी। यह व्यवस्था 1–1 -72 से प्रारम्भ हो गई है और इस महीने में भारत सरकार ने 21,384 टन चीनी का कोटा राज्य सरकार को आवंटित किया है। यह कोटा प्रदेश के समस्त जिलों को आवंटित कर दिया गया है और जिला अधिकारियों को आदेश दे दियेजगये है कि वह इस चीनी को तुरन्त वर्तमान सस्ते गल्ले की दुकानों द्वारा शहरी तथा ग्रामीण उपभोंक्ताओं को वितरण की व्यवस्था करें और इसके फुटकर, इक्साइज, ढ़ुलाई भाड़ा, चुंगी आदि को दृष्टि में रखते हुए निर्धारित करें। इस चीनी का अनुमान है कि फुटकर भाव में प्रति किलो 2 रु0 के आस पास होगा। चीनी के बढ़ते हुयें मूल्यों की प्रवृत्ति को देखते हुए यह भी आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं कि यातायात की कठिनाई को दूर करने के लिये ट्रकों द्वारा चीनी दुकानों पर पहुंचाई जाय। राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों के लिये एक किलों ग्राम प्रति यूनिट प्रति मास राशन कार्ड पर चीनी वितरण के आदेश दिये ।देहाती क्षेत्रों के लिये शासन ने आदेश दिये है कि जो ग्रामीण उपभक्ता प्रधान द्वारा जारी की गई पर्ची पेश करे उसे एक बार में एक किलों चीनी निर्धारित मूल्य पर दी जाय। यह सीमा न्यूनतम है और जिला अधिकारियों को हेधिकार दिया गया है कि वे अपने जिलों के स्टाक को उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए अपने विवेकानुसार इस मात्रा को बढ़ा सकते है।

9—यद्यपि राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से आवंटन प्राप्त होते ही प्रदेश के समस्त जिलों को चीनी 22 दिसम्बर, 1971 को आवंटित कर दी गई और जिससे अधिकारियों ने मिलों से चीनी के उठाये जाने का प्रबन्ध भी कर लिया था लेकिन चूंकि केन्द्रीय सरकार द्वारा मिलों को यह आदेश था कि जनवरी मास के चीनी का रिलीज 1 जनवरी, 1972 से ही करें अत: यह स्वाभा-

[श्री बेनी सिंह—]

विक था कि चीनी सस्ते गल्ले की दुकानों तक पहुंचने में थोड़ा समय लेंगे। फिर भी सरकार को जिला अधिकारियों से जो सूचनायें अब तक प्राप्त हुई है उसके अनुसार प्रदेश 41 जिलों में चीनी का वितरण सस्ते गल्ले की दुकानों द्वारा प्रारम्भ हो गया है। शेष जिलों से रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है किन्तु फिर भी आशा है कि वहां भी यह वितरण प्रारम्भ हो गया होगा।

10—इस वितरण का खुले बाजार पर निश्चित तौर से क्या प्रभाव पड़ेगा यह अभी देखना है। किन्तु इतना अवश्य है कि चीनी के सस्ते गल्ले की दुकानों द्वारा वितरण प्रारम्भ होते ही खुले बाजार में चीनी के भावों में गिरावट आने लगी। साथ ही गुड़ तथा खांडसारी जिनके मूल्यों में चीनी के मूल्य में वृद्धि के साथ-साथ वृद्धि हुई थी में भी गिरावट आयी है। केन्द्र सरकार ने भी चीनी, गुड़ व खांडसारी के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिये कुछ कदम उठाये हैं। अभी हाल ही में रिजर्व बैंक के व्यापारियों द्वारा चीनी के बोरे खरीदने के लिये बैंकों द्वारा दिये जाने वाले अग्रिम धन के मार्जिन में भी बढ़ोत्तरी कर दी है। केन्द्र सरकार ने गुड़ को रेल द्वारा भेजने पर भी कुछ प्रतिबन्ध लगाया है। किन्तु चूंकि बाजार में चीनी, गुड़ तथा खांडसारी के भावों में काफी उतार-चढ़ाव बराबर हो रहा है अतः इन प्रयत्तों का निश्चित फल क्या होगा उसके स्पष्ट होने में कुछ समय लगेगा। इतना जरूर है कि स्थिति पर केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों की बराबर नजर है क्योंकि पूरे देश में तथा प्रदेश में गन्ने का उत्पादन में पिछले वर्ष की अपेक्षा कमी हुई है। यह कमी देश में सब मिलाकर 10 प्रतिशत और प्रदेश में 25 प्रतिशत तक होने का अनुमान है।

11—अपने स्तर पर प्रदेश सरकार ने केन्द्र से यह अनुरोध किया है कि इस प्रदेश को चीनी का आवंटन जनसख्या आदि का ध्यान रखते हुए बढ़ा दिया जायें। किन्तु मैं माननीय सदस्यों से तथाउनके माध्यम से सर्वसाधारण से यह अनुरोध करूंगा कि इस वर्ष गन्ने के उत्पादन में कमी के फलस्वरूप चीनी के उत्पादन में चूंकि कमी सम्भव है अतः उसे ध्यान में रखते हुए वे चीनी की खपत को इतनी मात्रा तक ही सीमित करें जहां तक अत्यन्त आवश्यक हो और जहां तक सरकारी वितरण प्रणाली द्वारा भी सुलभ कराया जा सके। ऐसा करना राष्ट्र हित में होगा क्योंकि एक ओर तो यह जमाखोरी और चोर बाजारी की प्रवृत्ति को रोकने में सहायक होगा और दूसरी ओर इससे चीनी,गुड़ तथा खांड़सारी के भावो के स्तर को नीचे लाने में सहायता मिलेगी। इस स्थिति में पैनिकी (panicky) से काम नहीं चलेगा बल्कि इसका दृढ़ता से मुकाबला करना होगा। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अपने जिलों में खाद्य सलाहकार समिति के माध्यम से सरकारी नीति में आवश्यक संशोधन हेतु सुझाव दे तथा निर्धारित नीति को सफल बनाने में सहयोग दें।

12—जहां तक नमक का प्रश्न है नमक पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है सिवाय इसके कि प्रदेश के पहाड़ी जिलों (अल्मोड़ा, नैनीताल, टेहरी गढ़वाल, पौढ़ीगढ़वाल, चमोली उत्तर काशी, पिथौरागढ़, देहरादून और बिजनौर) जहांस्वास्थ्य एवं जलवायुके कारणों से आयोडिकृत नमक का प्रयोग अनिवार्य है, आयोडीकृत नमक का आयात तथा वितरण लाइसेन्स प्राप्त व्यापारियों के माध्यम से किया जाता है।युद्व छिड़ जाने के परिणाम स्वरूप परिवहन की कठिनाइयों के कारण प्रदेश के कुछ जिलों में नमक के अभाव की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी और नमक के भाव चढ़ गये थे। शासन ने स्थिति पर काबू पाने हेतु दो तरफा कदम उठाये, परिवहन की समस्या को लेकर नमक आयुक्त भारत सरकार के उद्योग विकास मंत्रालय, आन्तरिक व्यापार विभाग तथा रेलवे बोर्ड से, लिखा पढ़ी की गई और परिणाम स्वरूप परिवहनकी स्थिति में सुधार हो गया।

13—जहां तक वितरण की समस्या और मूल्य वृद्धि को रोकने का प्रश्न है, जिलाधीशों को आदेश दिये गये कि उनके जिलों में रेलवे स्टेशनों पर खड़े ऐसे नमक के वैगन जिनकी डिलिवरी किसी ने न ली हो ले ली जाय और उसे सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों के माध्यम से राशन कार्डो पर वितरित कराया जाये, उन्हें यह भी आदेश दिये गये कि वे अपने जिले के मनोनीत नमक आयात कर्त्ताओं को आदेश दे कि वे जिले के नमक की पूरी आवश्यकता के लिये इन्डेन्ट

भेजे और जहां आवश्यक हो परिवहन के मामले मे प्राथमिकता प्राप्त करने हेतु प्राप्त कर्त्ता (कनसाइनी) बन जायें ।

14—इन सब उपायों का प्रभाव बाजार पर स्पष्ट रूप से दिखाई पढ़ रहा है क्योंकि प्राप्त सूचना के अनुसार नमक के भाव लगभग युद्ध के पूर्व के स्तर पर आ गये हैं ।

15—वनस्पति तथा खाद्य तेल के संबंध में स्थिति यह है कि प्रदेश के किसी भी भाग से इसके अभाव की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है और न ही इसके मूल्यों में वृद्धि की कोई विशेष प्रवृत्ति ही दृष्टिगोचर हुई है । फिर भी जिलाधीशों को शासन द्वारा यह आदेश दिए गये हैं कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर वनस्पिति विकवाने का प्रबन्ध करें और यदि आवश्यक हों तो उसके वितरण को भी नियमित करें । इसके लिए उत्तर प्रदेश वनस्पति व्यापारियों को लाइसेंस देने का आदेश 1969 के अन्तर्गत उन्हें पूर्ण अधिकार प्राप्त है । इसके अतिरिक्त वनस्पति तथा अन्य खाने योग्य तेल की बाजार में उपलब्धता बनाये रखने के उद्देश्य से राज्य सर कार ने इन्हें भी उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तुओं मूल्य प्रदर्शन और (संभरण तथा वितरण पर नियंत्रण आदेश), 1971 के अन्तर्गत अनुसूचित कर दिया है ।

16—प्रदेश में मिट्टी के तेल के मूल्य एवं वितरण पर उत्तर प्रदेश मिट्टी का तेल नियंत्रण आज्ञा, 1962 के अधीन नियंत्रण है । प्रचलित सरकारी आदेशों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में जिन घरों में बिजली है उसको आधा लीटर, प्रतिमाह प्रति परिवार की दर से तथा जहां बिजली नहीं है वहां उनको दो लीटर प्रति माह प्रति परिवार की दर से तेल दिया जाता है । ग्रामीण क्षेत्रों में दो लीटर प्रतिमाह प्रति परिवार प्रधान की पर्ची पर तेल दिया जाता है । तेल की स्थिति संतोषजनक होने के कारण तेल के वितरण में उदारता बरती गई किन्तु दिसम्बर, 1971 में आपतकालीन स्थिति घोषित हो जाने के कारण भार सरकार के अनुरोध पर जिलाधीशों को आदेश जारी किये गये कि मिटटी के तेल का वितरणउपरोक्त सीमा के आधार पर ही किया जाये । अब मिट्टी का तेल अधिक सुगमता से पुनः उपलब्ध हो रहा है । अतः शासन ने जिलाधीशों को अधिकार दिया है कि स्टाक की स्थिति देखते हुए तेल का वितरण उदारता से करें तथा यह भी ध्यान रखें कि तेल का अनुचित संग्रह न किया जाये और उसका दुरुपयोग भी न हो ।

17—इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की चोर बाजारी, जखिरेबाजी, मुनाफाखोरी को रोकने तथा संचरण की कठिनाइयों से उत्पन्न सामायिक अभाव का सामना करने के उद्देश्य से डिफेन्स आफ इडिया रुल्स 1971 के अन्तर्गत एक आदेश जारी किया है जिसका नाम उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु (मूल्य प्रदर्शन और संभरण तथा वितरण पर नियत्रण आदेश) 1971 है ।

(1) निम्नलिखित वस्तुयें इस आदेश की सूची में सम्मिलित की गई हैं :—

1—नमक
2—मिट्टी का तेल
3—शक्कर
4—वनस्पति तथा अन्य खाने योग्य तेल
5—मिल्क पाउडर जिसमें बेबीफूड भी सम्मिलित है
6—रेजर ब्लेड्स
7—टार्च व ट्रांजिस्टर के ड्राईसेल
8—पेपर जिसमें अभ्यास पुस्तिका भी सम्मिलित है
9—दियासलाईयां
10—मोमबत्ती
11—साबुन

[श्री बेनी सिंह—]

12—बिजली के बल्ब
13—फ्लोरसेन्ट ट्यूब
14—हरीकेन लालटेन
15—मोटर कार, बस, जीप, ट्रक तथा अन्य गाड़ियों के टायर-ट्यूब
16—सोडा ऐश
17—साइकिल व रिक्शा के टायर-ट्यूब

(2) प्रत्येक थोक व फुटकर व्यापारियों को अपने दुकान के प्रमुख स्थान पर थोक व फुटकर मूल्य की सूची तथा स्टाक प्रदर्शित करना आवश्यक है।

(3) थोक व फुटकर व्यापारियों को आवरण व डिब्बों अथवा वस्तु के प्रत्येक इकाई पर वस्तु के थोक व फुटकर मूल्य मुद्रांकित करना भी आवश्यक है।

(4) उक्त व्यापारियों को आवश्यक वस्तुओं की बिक्री मूल्य सूची में प्रदर्शित मूल्य पर बेचना जरुरी है तथा वे वस्तुओं को बिक्री करने से रोक नहीं सकते।

18—उपरोक्त आदेश के प्राविधानों का कड़ाई से पालन करने हेतु तथा वस्तुओं के मूल्य एवं उपलब्धता पर कड़ी निगाह रखने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में जिलाधीश के अन्तर्गत 'प्राइस सेल' की स्थापना की गई है। इसी प्रकार राज्य सरकार मुख्यालय पर भी एक 'प्राइज सेल' की स्थापना की गई है। जिलों में प्राइस सेल के साथ-साथ फ्लांइंग स्क्वाड" भी बनाया गया है जो उपभोक्ता द्वारा की गयी शिकायतों की तुरन्त जांच करता है तथा अपराधी को पकड़ने में मदद करता है।

19—उपरोक्त उठाये गये कदमों में आवश्यक वस्तुओं की मूल्यों में वृद्धि को रोकने में काफी सहायता मिली है।

20—जिलाधीशों से प्राप्त 49 जिलों की रिपोर्ट के अनुसार 3 दिसम्बर, 1971 के बाद नियंत्रण आदेशों के उल्लघन स्वरुप 210 मामले दर्ज किये गये, 14 डी०आई०आर० में और 202 आवश्यक वस्तु अधिनियम में तथा कुल 386 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये।

21—कोयले को प्रदेश में लाने पर कोई प्रतिबध नहीं है। राज्य सरकार घरों में प्रयोग में आने वाले और भट्ठों में प्रयोग में आने वाले कोयले के आयात के सम्बन्ध में व्यापारियों को रेल विभाग से वैगन दिलाने की सुविधा प्रदान करती है। यह सुविधा केवल उन्हीं व्यापारियों को दी जाती है जो जिलाधीश द्वारा मनोतीत होते हैं और एक अनुबंध द्वारा जिलाधीशों को कोयले के मूल्य तथा वितरण के नियत्रण का अधिकार देते है। रेल विभाग से प्रर्याप्त मात्रा में वैगन न मिलने के कारण प्रदेश में जनवरी 1971 से कोयले की आयात में भारी कमी हुई है। इस संबंध में रेल मंत्रालय प्रधान मंत्री तथा अन्य उच्च अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित किया गया। फलस्वरूप वैगनों की उपलब्धता में सुधार तो अवश्य हुआ पर संतोषजनक नहीं। नवम्बर, 1971 तक जो रेलें मीलीं उनको संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। दिसम्बर, 1971में आपत्ति-कालीन स्थिति की घोषणा हो जाने के कारण रेलों का मिलना भी कम हो गया। फिर भी प्रयत्न जारी है और आशा है कि कोयले के आयात में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने यह सूचना दी है कि नई नीति के अनुसार जनवरी, 1972 से प्रत्येक महीने का कार्य-क्रम केवल उसी महीने में लागू होगा और जो रेलें उस महीने में नहीं चल पायेंगी वह निर त समझी जायेंगी और आगे के महीने के लिये वह बैध न होंगी।

22—इस प्रकार शासन ने खाद्यान्न एवं जीवन उपयोगी आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता तथा मूल्य प्रवृत्ति पर बराबर नजर रखी और समय-समय पर स्थिति का अध्ययन और विवेचना करके आवश्यक और प्रभाव कारी ढंग से कार्यवाही की है। अलग-अलग वस्तुओं में अपनी-अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुसार थोड़े समय के लिये मूल्य वृद्धि अथवा अभाव की स्थिति उत्पन्न हुई किन्तु जब उनका प्रभावकारी ढंग से सामना किया गया तो स्थिति नियंत्रण में आ गई।]

इलाहाबाद विश्वविद्यालय कोर्ट के लिये विधान सभा के पांच सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री नगीना सिंह)—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, इलाहाबाद विश्वविद्यालय कोर्ट में, विधान सभा द्वारा निर्वाचित पांच सदस्यों से कार्य काल के, दिनांक 24 जनवरी, 1972 को समाप्त होने के कारण रिक्त होने वाले स्थानों पर, कार्य करने के लिये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट, 1921 की धारा 17 की उपधारा (1) के वर्ग 3 की मद (16) के अनुसार, विधान सभा के पांस सदस्यों का निर्वाचन करें।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस स्थिति को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, इलाहाबाद विश्वविद्यालय कोर्ट में, विधान सभा द्वारा निर्वाचित पांच सदस्यों से कार्यकाल के दिनांक 24 जनवरी, 1972 को समाप्त होने के कारण रिक्त होने वाले स्थानों पर, कार्य करने के लिये इलाहाबाद यूनीवर्सिटी ऐक्ट, 1921 की धारा 17 की उपधारा (1) के वर्ग 3 की मद (16) के अनुसार, विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

आज 5 सूचनाऐं मिली हैं। पहली सूचना सर्व श्री शम्भू नाथ चौधरी, सच्चिदानन्द गुप्त, मोहम्मद असरार अहमद तथा महावीर सिंह की है जिसका विवरण है सरकार की त्रुटिपूर्ण-नीतियोंके फलस्वरूप प्रशासन में भ्रष्टाचार। यह सूचना अविलम्बनीय लोक महत्व की नहीं है, बल्कि नीति से संबंधित है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

जो घटना है वह दे दी गई है। श्री मल, डी० आई० जी० को सरकार ने निलम्बित किया और सतर्कता आयोग जांच कर रहा है। सरकार ने जांच को रोक दिया है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना नहीं है बल्कि व्यक्तिगत जो श्री जे० एन० तिवारी और श्री डी० एन० शर्मा के विरुद्ध दी गई है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

डी० एन० शर्मा नही बल्कि श्री मल के खिलाफ है। जांच को क्यों रोक रहे हैं। सरकार ने जांच को रुकवा दिया और डी० आई० जी० को बहाल कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो पहले की घटना है, अभी की कोई घटना नहीं है। अविलम्बनीय लोक महत्व की घटना वह होती है जो पिछले 24 या 48 घन्टों में घटी हो। यह नीति से संबंधित है, चर्चा से नहीं। आप सरकार के विरूद्ध बड़े से बड़ा कोई प्रस्ताव ला सकते हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

बड़े से बड़ा प्रस्ताव यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता में घोर असन्तोष व्याप्त है।

श्री उपाध्यक्ष---

नहीं, यह नीति से संबंधित है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

मल साहब ने हत्याकांड में मदद की थी और उस केस को उन्होंने दबाया था ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह घटना अविलम्बनीय लोक महत्व की नहीं है । जो दृष्टान्त आप दे रहे हैं सही है या नहीं, मैं नहीं जानता । किसी ऐसे प्रस्ताव के अन्तर्गत अपने को सुस्पष्ट और संपुष्ट करने के लिये आप जरूर कह सकते हैं, लेकिन यह नियम 56 में स्वीकार करने लायक नहीं है ।

दूसरी सूचना माननीय नित्यानन्द स्वामी द्वारा रोडवेज उत्तर प्रदेश द्वारा 15 प्रतिशत किराये में की गई वृद्धि के संबंध में दी गई है । इस संबंध में तो अधिनियम बना है और वह किराये में वृद्धि के बारे में है । इसलिये स्वीकार्य नहीं है ।

तीसरी सूचना सर्व श्री उमानाथ सिंह, मोहनलाल कपूर व सूबेदार प्रसाद द्वारा प्रदेश के कर्मचारियों को दिये गये न्यून अन्तरिम सहायता से उन लोगों में असन्तोष के विषय में दी गई है । प्रदेश के कर्मचारियों को जो अन्तरिम सहायता दी गई है उसके संबंध में आज 2 घन्टे का विवाद होना है । क्योंकि आज ही विवाद होना है इसलिये यह सूचना स्वीकार नहीं की गई है ।

चौथी सूचना श्री भगेलू सिंह द्वारा बुढ़वल बाराबंकी चीनी मिल को किसानों द्वारा गन्ना न दिये जाने से उत्पन्न कठिनाइयों के विषय में है । क्योंकि यह अविलम्बनीय लोक महत्व की नहीं है इसलिये स्वीकार्य नहीं है ।

श्री भगेलू सिंह (जिला गोण्डा)---

बुढ़वल (वाराबंकी) चीनी मिल के बारे में आप सुन तो लें ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप पहले सुन लें । पांचवी सूचना श्री हुकुमसिंह परिहार द्वारा आगरा जिले में सरसों की फसल में चैपा नामक कीड़े के लगने से हानि के संबंध में है । यह प्रश्न स्वीकार तो नहीं किया गया है मगर सरकार के पास आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज दिया गया है ताकि फसल में जो चैपा नामक कीड़ा लगा है उसकी रुकावट हो जाए ।

श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)---

एक हफ्ता हुआ इसी तरह का एक प्रश्न रूल 52 के अन्तर्गत चर्चा के लिए मैंने आपके पास भेजा था । लखनऊ जिले के एक गांव में हरिजनों के साथ जो अन्याय हुआ है वह किसी भी सभ्य गवर्नमेंन्ट में होना मुमकिन नहीं है । अख्बारों में सब निकल चुका है और मैं समझता हूं उनको कोई रिलीफ नहीं मिला है ।

श्री उपाध्यक्ष---

अभी तो मैंने सूचनाएं 56 के अन्तर्गत सुनाई है, नियम 52 की बाद में सुनाई जाएंगी ।

श्री भगेलू सिंह---

बुढ़वल चीनी मिल (बाराबंकी) में रिसीवर....

श्री उपाध्यक्ष---

आप पढ़िये नहीं, बता दीजिये कि क्या कहना है ।

श्री भगेलू सिंह---

इनके समय में मिल में लगभग 200 कर्मचारी बढ़ाये गये हैं जिसकी वजह से मिल के

खर्चे में बढ़ोत्तरी हुई, कर्मचारियों की बढ़ोत्तरी अनावश्यक है। मिल व मिल अधिकारियों के निवास व कार्यालयों की साज सज्जा पर अनावश्यक खर्चे पहले की अपेक्षा काफी बढ़ें हुए हैं। . .

श्री उपाध्यक्ष—

यह जो आप पढ़ रहे हैं यह सब उसमें नहीं है जो आपने लिख कर मुझे दिया है। जो आपने दिया है मैं उसे पढ़े देता हूं आपकी आसानी के लिये। बुढ़वल चीनी मिल, जिला बाराबंकी, के किसानों ने 12 जनवरी सन् 1972 से मिल को गन्ना देना बन्द कर दिया है। परिणाम-स्वरूप चीनी मिल बंद पड़ी है। किसानों की मुख्यतया 4 मांगें हैं, जिनकी विधिवत सूचना किसान संगठनों ने चीनी मिल को दे दी थी परन्तु मिल द्वारा उनकी मांगों की पूर्ति न किये जाने पर गन्ना किसानों ने गन्ना देना बंद कर दिया है। किसानों ने मांग की है कि उनका पुराना गन्ने का बकाया दाम तुरन्त दिया जाय। तो इस पर आप अल्प सूचित प्रश्न कर लें। नियम 56 में यह स्वीकार नहीं हो सकता है, अल्पसूचित प्रश्न आप कर लें, वह स्वीकार हो जायेगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी द्वारा औचित्य का प्रश्न तथा प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

एक मैंने औचित्य का प्रश्न उठाया था. . .

श्री उपाध्यक्ष—

आपका वह औचित्य का प्रश्न नहीं था क्योंकि उसमें कोई नीति संबंधी बात नहीं कही गयी है। उन्होंने कहा है कि हम सोंच रहे है। मैंने उसको पढ़ लिया है। अंग्रेजी अखबार को भी पढ़ने के बाद मैं इसी राय का हूं। उन्होंने यही कहा है कि उद्योगों में एक यूनियन संबंधी विधेयक लाने का विचार है। तो यह तो कोई मंत्री कह सकता है। यह औचित्य का भी प्रश्न नहीं बनता है। अगर वे यह एलान करते कि हमने यह निश्चय किया है और हम यह कर चुके हैं या करेंगे तो आप कह सकते थे कि नीति संबंधी है। अब जब वह आपके सामने विचार के लिये आयेगा तब आप अपने विचार रख सकते हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, मैं तो उसका स्वागत करता हूं, लेकिन उसको उन्हें विधान सभा में ही कहना चाहिये था।

श्री उपाध्यक्ष—

वे यह कह सकते है कि हम ऐसा सोच रहे हैं। यह नीति की घोषणा नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मेरा एक और व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 36 आप देंखे—प्रश्नों के घंटे में अध्यक्ष उन सदस्यों को जिसके नाम में प्रश्न सूची बद्ध किये गये हों क्रमानुसार तथा प्रश्नों की प्राथमिकता का यथोचित ध्यान रखते हुए अथवा ऐसी अन्य रीति से पुकारेंगे जिसको अध्यक्ष स्वाविवेक से विनिश्चित करें और ऐसे सदस्य पुकारे जाने पर अपनी उपस्थिति दर्शाने के लिये अपने स्थान पर खड़े होंगे। यह श्रीमन्, श्रीमती मसाली देवी के सम्बन्ध में कह रहा हूं, उसमें आगे यह है। "यदि वह सदस्य जो पुकारे गये हों, अनुपस्थित हों तो अध्यक्ष आगामी प्रश्न को ले लेंगे। यहां पर यह नहीं कहा गया कि वह न खड़े हो तो आप अगले प्रश्न हर चले जांए। यहा उपस्थिति की बात कहीं गई है। वह प्रश्न तो सदन की सम्पत्ति बन गया। किसी सदस्य के प्रश्नों को स्थगित करने का अधिकार नहीं होगा यदि उपस्थिति वह न हों खड़े होने की व्यवस्था केवल इस लिए

[श्री नित्यानन्द स्वामी]

है कि आपकी निगाह उन पर पड़ जाए। आपने यह देख लिया कि वह बैठे हैं, किन्तु खड़े नहीं हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं देख तो सबको रहा हूं। यदि कोई सदस्य खड़ा नहीं होता है तो इसका मतलब यह होता है कि वह उसका जवाब नहीं चाहता है। वह उसके मूल उत्तर से सन्तुष्ट हो गया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

एक तो चीज यह है कि सदस्य उपस्थित हों, खड़े न हों, आप उनको अवसर नहीं देंगे, लेकिन दूसरी बात यह है कि.....

श्री उपाध्यक्ष—

देखिए मैं इस प्रश्न को किसी दूसरे सदस्य की वकालत में सुसंगत नहीं बनाना चाहता हूं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

किसी अन्य सदस्य का नहीं, यह हमारा अधिकार है। जब प्रश्न सदन में आ गया तो वह हाउस की प्रापर्टी हो गया।

श्री उपाध्यक्ष—

जब मैंने दो तीन बार उनका नाम पुकारा और वह खड़े नहीं हुए तो उसका यही अर्थ है कि वह उत्तर से सन्तुष्ट हैं और आगे कोई प्रश्न नहीं करना चाहते। किसी सदस्य के रास्ते में मैं दूसरे सदस्य को आने नहीं देना चाहता।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

वह प्रश्न सदन का है, उनका अब नहीं रह गया है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप हमारी बात को समझ नहीं रहे हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

"यदि सदस्य उपस्थित हो", इसको देखते हुए आप रूलिंग दें। इस पर आप चाहे अपनी रुलिंग रिजर्व कर लें लेकिन विचार कर अवश्य दें। सदस्य उपस्थित हो, लेकिन खड़ा न हो तो क्या वह सदन की सम्पत्ति बनेगा या नहीं दूसरे उस पर हमें प्रश्न करने का अधिकार है या नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—

किसी ने प्रश्न किया और उसके उत्तर से वह संतुष्ट हो गया तो वह खड़ा न हो तो यह ठीक ही है। इसलिये यह अनिवार्य नहीं है कि वह खड़ा ही हो।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

लेकिन इस प्रकार से हमारा अधिकार कैसे खत्म हो जाता है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपके सवाल को मैं काल्पनिक समझता हूं। प्रत्येक माननीय सदस्य स्वयं अपना प्रश्न करने के लिये सक्षम हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मुझे सवाल करने का अधिकार नहीं है। वह तो सदन की सम्पत्ति है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपा करके आसन ग्रहण करें, आपकी बात मैंने समझ ली है। "प्रश्नों के घंटे में अध्यक्ष उन सदस्यों को जिनके नाम में प्रश्न सूची-वद्ध किये गये हों क्रमानुसार तथा प्रश्नों की प्राथमिकता का यथोचित ध्यान रखते हुए अथवा ऐसी अन्य रीति से पुकारेंगे जिसको अध्यक्ष स्वविवेक से विनिश्चित करे और ऐसे सदस्य पुकारे जाने पर अपनी उपस्थिति दर्शाने के लिये अपने स्थान पर खड़े होंगे।" जब खड़े नहीं होते हैं तो उनकी उपस्थिति दर्शायी नहीं गई।

भूमि अर्जन (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1970 को विचारार्थ लेने के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष जी, जो आपकी कार्यसूची है, उसमें 19वें नम्बर पर जो भूमि अर्जन (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1970 आया है, यह विधान परिषद् में पेश हुआ है। इस विधेयक को आप देखें, फिर मेरी आपत्ति है कि यह विधेयक भी धन विधेयक है। और श्रीमन् इसमें जो वित्तीय ज्ञापन लगा हुआ है इसमें भी 15 लाख रुपये प्रति वर्ष खर्च की आवर्तक वृद्धि होगी। इसके बाद अपने अध्यक्ष पद से दिये गये निर्णयों का संकलन देख लें। उसमें यह कहा गया है—"धन विधेयक प्रवर समिति में भेजा जा सकता है, संयुक्त प्रवर समति में नहीं।"

11 फरवरी, 1958 को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1958 को संयुक्त प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव को संशोधित करते हुए भी उपाध्यक्ष ने निम्नलिखि व्यवस्था दी—

"संयुक्त प्रवर समिति के बारे में माननीय भगवतीसिंह विशारद ने एक संशोधन रखा और यह मनी बिल है, इसलिये यह उचित नहीं मालम होता कि अपर हाउस के जब सीमित अधिकार हैं तो संयुक्त प्रवर समिति का संशोधन एलाऊ किया जाय।" उपाध्यक्ष जी, यह आपकी व्यवस्था में दिया गया है और यह भी कहा गया है कि अपर हाउस के अधिकार सीमित हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि धन विधेयक के लिये अपर हाउस के सदस्यों के साथ संयुक्त प्रवर समिति न बनान का सिद्धान्त है वहीं यह विधेयक इस सदन में न उपस्थित करके उस सदन में उपस्थित किया गया इस सदन में फिर हमारे सामने लाया जा रहा है ऐसा करना हमारी नियमावली के नियम 153 के अन्तर्गत नहीं आता। संविधान के अनुच्छेद 198 के अन्तर्गत जो प्राविजन है उसके अनुसार भी यह गलत काम हो रहा है। मेरा निवेदन है कि इस विधेयक को आप इस सदन में इस रूप में उपस्थित होने से रोकें।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं माननीय सदस्य का ध्यान 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 199 की ओर आकृष्ट करूंगा।

"199 (1) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए कोई विधेयक धन-विधेयक समझा जायेगा यदि उसमें निम्नलिखित विषयों में से सब अथवा किसी से संबंध रखने वाले उपबन्ध ही अन्तर्विष्ट हैं, अर्थात्—

(क) किसी कर का आरोपण, उत्सादन, परिहार, बदलना या विनियम ;

(ख) राज्य द्वारा धन उधार लेने का, अथवा कोई प्रत्याभूति देने का; अथवा राज्य द्वारा लिये गये अथवा लिये जाने वाले किन्हीं वित्तीय आभारों से संबद्ध विधि के संशोधन करने का विनियमन ;

श्री कल्पनाथ सिंह—

हमारा मतलब इसी से है।

श्री उपाध्यक्ष—

पहले सुन लें।

[श्री उपाध्यक्ष]

"(ग) राज्य की संचित निधि अथवा आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा ऐसी किसी निधि में धन डालना अथवा उसमें से धन निकालना ;

(घ) राज्य की संचित निधि में से धन का विनियोग ;

(ङ) किसी व्यय को राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना अथवा ऐसे किसी व्यय की राशित को बढ़ाना ;

(च) राज्य की संचित निधि के या राज्य के लोक लेखे मध्ये धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या निकासी करना ; अथवा

(छ) उपखंड (क) से (च) तक में उल्लिखित विषयों में से किसी का आनुषंगिक कोई विषय ।"

आपका कहना है, (ख) के अन्तर्गत । अंग्रेजी और हिन्दी का जो रूपान्तर है उसमें थोड़ा भेद है---

"For the purposes of this Chapter, a Bill shall be deemed to be a Money Bill if it contains only provisions dealing with all or any of the following matters, namely,—"

हिन्दी में "ओनली" नहीं है "ही" है । (ख) है--"राज्य द्वारा धन उधार लेने का, अथवा कोई प्रत्याभूति देने का, अथवा राज्य द्वारा लिये गये अथवा लिये जाने वाले किन्हीं वित्तीय आभारों से संबद्ध विधि के संशोधन करने का विनियमन" ;

श्री कल्पनाथ सिंह--

आप देखें कि संविधान में लिख दिया गया है कि किसी प्रकार का वित्तीय मामला जहां आयेगा वह विधेयक धन विधेयक ही हो जायगा और इस विधेयक में वित्तीय ज्ञापन लगा हुआ है उसमें यह कहा गया है कि अब इस संशोधन के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा किये जाने वाले व्यय में लगभग 15 लाख रुपये प्रति वर्ष की आवतक वृद्धि होगी । इस प्रकार इस बात से किसी प्रकार इंकार नहीं किया जा सकता कि यह धन विधेयक नहीं है और कोई धन विधेयक बिना राज्यपाल की स्वीकृति के इस सदन में उपस्थित नहीं हो सकता और उनकी स्वीकृति के बाद ही धन विधेयक इस सदन में उपस्थित होगा । आपके पास राज्यपाल की स्वीकृति आ गयी हो तो बतला दीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष---

कौंसिल से पास हो कर यह आया है ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

यह मौलिक प्रश्न है । इस विधेयक के साथ राज्यपाल की स्वीकृति आपके पास नहीं है । अगर आपके पास अथवा आपके सचिवालय के पास हो तो उसे मंगवा कर आप देख लें । मेरा यह ख्याल है कि आपके पास नहीं है । जब तक राज्यपाल की स्वीकृति किसी धन विधेयक पर न हो तब तक वह इस विधान सभा में उपस्थित नहीं किया जा सकता । ऐसी स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 199 के अन्तर्गत इस सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं करना चाहिये । लिहाजा आप इसे कार्यसूची में मद 19 से हटा दें ।

*वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)---

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि जो तर्क सम्मानित सदस्य ने प्रस्तुत किया है उससे मैं सहमत नहीं हूं । उनका यह कहना कि यह धन विधेयक है उचित नहीं है । अगर यह धन विधेयक होता तो पहले विधान परिषद् में ही न भेजा जाता ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कल्पनाथ सिंह--

यही तो आब्जेक्शन है कि यह विधान परिषद् में क्यों भेजा गया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

माननीय सदस्य को कुछ पार्लियामेन्टरी भ्रम है कि जिस विधेयक में वित्तीय ज्ञापन लगा हो वह अपने आप धन विधेयक हो जाता है। इसमें 15 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय होगा इसलिये उन्होंने कह दिया कि यह धन विधेयक है। इसमें यह लिखा हुआ है कि अनुमान है कि राज्य सरकार द्वारा अपने प्रयोजनों के लिये अर्जित भूमि का प्रतिकर 1 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष दिया जाता है, अतः इस संशोधन के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा किये जाने वाले व्यय में लगभग 15 लाख रुपये प्रति वर्ष की आवर्तक वृद्धि होगी। 1 करोड़ रुपया यह सदन पहले ही स्वीकार कर चुका है जिसे कंसालिडेटेड फण्ड से ड्रा किया जायगा। इसमें केवल अब वृद्धि हो रही है। कोई नया व्यय नहीं है। नया व्यय होता तो उसे धन विधेयक माना जा सकता था। इसमें केवल जो व्यय पहले से यह सदन स्वीकार कर चुका है उसी धन की वृद्धि की जा रही है 15 प्रतिशत। यह भी उसमें पहले से लिखा हुआ है। यह कोई नई बात नहीं थी। इसी बिल में राजस्व मंत्री जी के स्पष्टीकरण में लिखा हुआ है कि सन् 1954 में, उत्तर प्रदेश में किये गये संशोधन द्वारा संघ के प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिय भूमि अर्जित करने के संबंध में वैवश्यिक अर्जन के बदले में बाजार मूल्य पर 15 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रतिफल देने का उपबन्ध निकाल दिया गया है। चूंकि यह भेदभाव उचित प्रतीत नहीं होता है, इसलिये अतिरिक्त प्रतिफल से संबंधित मूल उपबन्ध को पुनःस्थापित करने का प्रस्ताव है।" तो श्रीमन्, इसमें कोई नये खर्च की मद नहीं है और केवल आवर्तक व्यय को बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही श्रीमन्, इसमें यह भी देखना है कि यह संशोधन विधेयक है। प्रश्न यह उठता है कि जो भूमि अर्जन विधेयक पहले से बना हुआ था वह धन विधेयक था या नहीं। यदि वह धनविधेयक नहीं था तो यह धन विधेयक कैसे हो सकता है। इसमें नियम 118 के अन्तर्गत वित्तीय ज्ञापन भी दिया हुआ है। इस संशोधन के जरिये से कोई नया टैक्स या कोई नया खर्चा नहीं हो रहा है। इसलिये मैं अपने विद्वान सम्मानित सदस्य का और कम से कम उनकी इस बात का आदर करता हूं कि उन्हें इस प्रकार के बुनियादी सवालों का ध्यान है किन्तु जिस तथ्य की ओर उन्होंने इस वक्त ध्यान आकृष्ट किया है वह मैं समझता हूं कि असंगत है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, इस वक्त प्रश्न यह है कि यह बिल जो है वह धन विधेयक है या नहीं और यदि है तो वह विधान परिषद् में उपस्थित नहीं किया जा सकता था और पहली बार यही विधान सभा में उपस्थित किया जाना चाहिये था। मान्यवर, मनी बिल के संबंध में आप भारत का संविधान के आर्टिकिल 199 को देखें। मान्यवर, मेरे पास हिन्दी का रूपान्तर नहीं है इसलिये इजाजत दें, तो मैं अंग्रेजी में ही पढ़ दूं...। मान्यवर, मैं इसके खण्ड "बी" को पढ़ता हूं.....

श्री उपाध्यक्ष--

हिन्दी का मेरे पास है। मैं इसका खण्ड "ब" पढ़ देता हूं...

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

नहीं, मान्यवर, मुझे आप अंग्रेजी में ही पढ़ने दें।

श्री उपाध्यक्ष--

आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि ये कहते हैं कि यह मनी बिल है या नहीं तो पहले मैं विधेयक के खण्ड 3 के उपखण्ड 2 को पढ़ता हूं। इसमें लिखा है—"भूमि के बाजार मूल्य के अतिरिक्त, जैसा कि ऊपर उपबन्धित किया गया है, न्यायालय हर मामले में ऐसे बाजार मूल्य के पन्द्रह प्रतिशत के बराबर राशि अर्जन के वैवश्यिक प्रकृति होन के फल-स्वरूप अधिनिर्णीत करेगा"। तो मान्यवर, यहां पर फाइनेन्शियल आब्लीगेशन आ गया। इसके बाद मैं आर्टिकिल 199 मनी बिल की डेफीनिशन पढ़ता हूं—

199. *Definition of "Money Bill"*—(1) For the purposes of this Chapter, a Bill shall be deemed to be a Money Bill if it contains only provisions dealing with all or any of the following matters, namely--

(*a*) The imposition, abolition, remission, alterations or regulation of any tax; ;

(*b*) The regulation of the borrowing of money or the giving of any guarantee by the State, or the amendment of the law with respect to any financial obligations undertaken or to be undertaken by the State: . . .

तो मान्यवर, इसका मतलब दूसरे उपखण्ड से निलकता है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि सरकार रुपया नहीं देती है तो हम देंगे। तो यहां पर फाइनेन्शियल आब्लीगेशन सरकार का है और इससे सरकार पर रुपया देने का भार पड़ता है। अगर निश्चित रूप से इस विधेयक से सरकार के ऊपर रुपया देने का किसी न किसी मात्रा में भार पड़ता है। आपने जो कहा कि वह तो चल सकता था तो इससे क्या लेकिन अगर कोई अन्डरटेकिंग चल रही है, 55 लाख हमन खर्च किया, 10 लाख की और जरूरत है तो जब सदन के सामन लायेंगे तो वह मनी बिल हो जायगा। इसको दृष्टि में रखते हुए मैं कहूंगा कि प्राविधान इसलिये किया गया है जिस समय रुपये कीआवश्यकता हो और रुपये को खर्च करना जरूरी हो तो यह रहे। इसलिये आप रशथ्रू न करें, बल्कि जो तरीका दिया गया है वह रास्ता अख्तियार करें और मंत्री जी ने वह रास्ता अख्तियार नहीं किया। यह मनी बिल है और माननीय सदस्य न जो तर्क रखा है वह सुनिश्चित है।

श्री उपाध्यक्ष—

धन विधेयक (मनी बिल) और फाइनेन्शियल (वित्तीय) विधेयक में अन्तर है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

नियमावली आपके सामने है। "फाइनेन्शियल विधेयक" और "धन विधेयक" जो शब्द आपने इस्तेमाल किया है, मुझको जरा यह बता दीजिए कि इस नियमावली के किस नियम के अन्तर्गत फाइनेन्शियल विधेयक और किसमें धन विधेयक है?

श्री उपाध्यक्ष—

संविधान का 207 पढ़ लीजिये।

श्री कल्पनाथ सिंह—

नियमावली में कहां है?

श्री उपाध्यक्ष---

वह संविधान संभावित है। 207 पढ़ लें---

"207 (1) अनुच्छेद 199 के खण्ड (1) के (क) से (च) तक उपखन्डों में उल्लिखित विषयों में से किसी के लिय उपबन्ध करने वाला विधेयक या संशोधन राज्यपाल की सिफारिश के बिना पुर:स्थापित या प्रस्तावित न किया जायगा तथा ऐसे उपबन्ध करने वाला विधेयक विधान परिषद् में पुर:स्थापित न किया जायगा :

परन्तु किसी कर के घटाने अथवा उत्सादन के लिये उपबन्ध बनाने वाले किसी संशोधन के प्रस्ताव के लिये इस खण्ड के अधीन किसी सिफारिश की अपेक्षा न होगी।"

श्री कल्पनाथ सिंह---

किस कार्य का उत्सादन हो रहा है इससे ?

श्री उपाध्यक्ष---

आगे सुनिये---

"(2) कोई विधेयक या संशोधन उक्त विषयों में से किसी के लिये उपबन्ध करने वाला केवल इस कारण से न समझा जायगा कि वह जुर्माने या अन्य अर्थ-दण्ड के आरोपण का, अथवा अनुज्ञप्तियों के लिये फीस की, या की हुई सेवाओं के लिये फीस की, अभियाचना का या देने का, उपबन्ध करता है, अथवा इस कारण से कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिये किसी कर के आरोपण, उत्सादन, परिहार, बदलने या विनियमन का उपबन्ध करता है।

(3) जिस विधेयक के अधिनियमित किये जाने और प्रवर्तन में लाये जाने पर राज्य की संचित निधि से व्यय करना पड़ेगा वह विधेयक राज्य के विधान मण्डल के किसी सदन द्वारा तब तक पारित न किया जायगा जब तक कि ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिये उस सदन से राज्यपाल ने सिफारिश न की हो।"

यह 207 है। अब इसके "परन्तुक" पर विचार कीजियेगा।

श्री कल्पनाथ सिंह---

हम नहीं समझ पा रहे हैं परन्तुक को। किस धारा के अन्तर्गत, किस शब्द का मतलब यह लगाते हैं कि यह उस 199 के अन्तर्गत नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष---

"ओनली" से मतलब लगाता हूं। आप चाहते हैं कि मैं जल्दी में फैसला दे दूं अपना?

श्री कल्पनाथ सिंह---

नहीं नहीं, आप और सुनिये।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)---

मेरा ख्याल है कि नारायण दत्त जी ने इस चीज का जिक्र किया था। हम अपने मित्रों के ऋणी हैं कि अच्छा प्रश्न पैदा किया है, ठीक किया है और इसमें कुछ ऐसे विचार की आवश्यकता हो गयी जैसा कि हमारे मित्र माननीय माधव प्रसाद जी ने जिक्र किया कि सदन जिस पर विचार कर सकता है और श्रीमान ने उसको कुछ इंगित भी किया।

मान्यवर, जहां तक इसका प्रश्न है इसमें "ओनली" शब्द का प्रयोग किया गया है केवल अनुच्छेद 199 के अन्तर्गत आता है। वह फाइनेन्शियल आब्लीगेशन और अन्डरटेकिंग वाला बिल है और जो इसके अन्तर्गत नहीं आता है वह फाइनेंन्शियल आब्लीगेशन और अन्डर-

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

टेकिंग वाला बिल नहीं है। मान्यवर जो अंग्रेजी शब्द का प्रयोग माननीय माधव प्रसाद जी ने किया फाइनेंशियल आब्लीगेशन एन्ड अन्डरटेकिंग, इनका सीधा अर्थ है वित्तीय उत्तरदायित्व। इसमें और आर्थिक उत्तरदायित्व में अन्तर होगा। जैसे कोई कम्पेंसेशन दिया जाता है यदि उसमें वृद्धि होती है तो वह वित्तीय उत्तरदायित्व नहीं है बल्कि वह एक व्यय है जिसकी वृद्धि हो सकती है और इन दोनों में अन्तर है। वित्तीय उत्तरदायित्व और खर्चे के भार के बढ़ने में अन्तर है। जैसे मैं अपने घर में बिजली लगवाता हूं और उसमें बिजली का खर्चा बढ़ जाय तो वह वित्तीय उत्तरदायित्व नहीं है बल्कि खर्चे का भार बढ़ना है। इस लिये यह स्पष्ट हो जाना चाहिये कि वित्तीय उत्तरदायित्व और खर्चे के बढ़ने में अंतर है। मैं चाहूंगा कि सूक्ष्म अन्तर को समझ लिया जाय। मैं निवेदन करूंगा कि यह किसी दशा में फइनेंशियल आब्लीगेशन्स और अन्डरटेकिंग वाला बिल नहीं बल्कि विपरीत व्यय भार बढ़ाने वाला जरूर बिल है। इसमें वित्तीय उत्तरदायित्व नहीं हुआ करता है। जब वित्तीय उत्तरदायित्व नहीं आता है तो यह फाइनेंशियल आब्लीगेशन्स और अन्डर-टेकिंग वाला बिल नहीं है।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, हमारा तर्क भिन्न है। जब कर विधि (संशोधन) विधेयक आया था तो आपने निर्देश दिया था कि यह धन विधेयक नहीं है लेकिन आज पता चला कि अध्यक्ष महोदय ने उसको धन विधेयक कह दिया है। आज वही तर्क चल रहा है और अभी आप कहेंगे कि यह धन विधेयक नहीं है लेकिन अध्यक्ष कह देंगे कि धन विधेयक है। वह भी विधान परिषद् से पारित हो कर आया था और नियम यह है कि कोई धन विधेयक विधान सभा में आकर विधान परिषद् में भेजा जा सकता है। इसी प्रकार से यह धन विधेयक है। वह शब्दों की जगलरी में अपने तर्क किसी तरह से क्यों न पेश कर लें लेकिन यह धन विधेयक है। इसलिये आप इस पर विचार करने की आज्ञा न दें।

*श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, यह प्रश्न इसलिये उठ खड़ा हुआ कि छुट्टी के पहले इस की चर्चा थी। जल्दी से विधेयक आना चाहिये क्योंकि परिषद् में नहीं जाना था ऐसी योजना थी किन्तु एक सदस्य के निधन के कारण यह सदन उठ गया जिससे चर्चा नहीं हुई तो यह समझकर व्यवस्था की गई थी कि जिस विधेयक पर बहस चल रही है उस दिन वह उपस्थित किया जाय।

श्रीमन्, उस दिन अगर हम बैठते तो यह बात ही न उठती लेकिन सरकार जल्दी में थी इसलिये इसको बिना यह समझे हुए कि यह धन विधेयक है, यह संविधान की धारा 158 के अनुसार पहले कौंसिल में नहीं जाना चाहिये, सरकार ने इसको पहले कौंसिल में भेज दिया। ऐसी जल्दी की वजह से हुआ। पिछले विधेयक के बारे में भी तिवारी जी ने यही बात कही थी और माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने उस पर ऐतराज किया था लेकिन उस समय उनकी बात को नहीं माना गया। बाद में अध्यक्ष महोदय ने उसको धन विधेयक करार दिया। उस विधेयक को भी पहले परिषद् में भेज दिया गया था, इसी प्रकार से इसको भी भेज दिया गया। इस विधेयक के प्रारम्भ में ही यह कह दिया गया है :—

"भूमि के बाजार मूल्य के अतिरिक्त जैसा कि ऊपर उपबन्धित किया गया है न्यायालय हर मामले में ऐसे मूल्य में 15 प्रतिशत के बराबर राशि अर्जन करन के वैधयिक प्रकृति होने के फलस्वरूप अधिनिर्णीत करना।"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसके उद्देश्य और कारणों में भी यह लिख दिया गया है:—

"1954 में उत्तर प्रदेश में किये गये संशोधन द्वारा, संघ के प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिये भूमि अर्जन करने के सम्बन्ध में वैवश्यिक अर्जन के बदले में बाजार मूल्य से 15 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रतिफल देने का उपबन्ध निकाल दिया गया था। चूंकि ये भेदभाव उचित प्रतीत नहीं होता इसलिये उपरोक्त प्रतिफल से सम्बन्धित मूल उपबन्ध को पुनः स्थापति करने का प्रस्ताव है।"

इससे यह स्पष्ट है कि मल अधिनियम में जो प्राविधान था उसमें इसके द्वारा 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की जा रही है तथा वित्तीय ज्ञापन में भी यह कहा गया है कि इससे 15 लाख प्रतिवर्ष की आवर्तक वृद्धि होगी। इससे यह स्पष्ट है कि इसका असर आमदनी और खर्चे दोनों पर पड़ेगा। यह विवाद इसलिये खड़ा हो गया कि इस विधेयक को इस सदन में न रख कर पहले कौंसिल में रख दिया गया और यह सब सरकार ने जल्दी की वजह से कर दिया। यह उसने गलत किया। मेरा यह कहना है कि सेक्शन 199 में दिये अनुसार इसके द्वारा सरकार पर वित्तीय उत्तरदायित्व आते हैं। सरकार ने यह गलती की है, इस विधेयक को इस सदन में पहले आना चाहिये था। ऐसा न करके सरकार ने इस सदन के अधिकारों पर कुठाराघात किया है। मैं चाहूंगा कि आप उस आसन से हमारे अधिकारों की रक्षा करें और सरकार ने जो यह गलती की है, उसका निराकरण करें। उसका एक मात्र उपाय यही है।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष पीठ से ही एक निर्णय इसके बारे में हुआ है उसमें को आपके सामने पढ़ देना चाहता हूं। पृष्ठ 413 के निर्णय संख्या 71 को आप देखें। उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है:—

"धन विधेयकों के साथ वित्तीय ज्ञापन होना आवश्यक है किन्तु पूर्ण ज्ञापन की प्राप्ति तक ऐसे विधेयक पर विचार स्थगित रहना आवश्यक नहीं है।"

श्री उपाध्यक्ष—

इससे आपके पक्ष में क्या बात जाती है?

श्री त्रिवेणी सहाय—

धन विधेयक के साथ वित्तीय ज्ञापन होना आवश्यक है।

श्री उपाध्यक्ष—

यहां यह प्रश्न ही नहीं है। आप तो उसकी विशेष तकनीक में जा रहे हैं। आप कृपा कर के सुनें। आप जो बहस कर रहे हैं वह इससे संगत नहीं हैं।...

श्री त्रिवेणी सहाय—

वह संगत है क्योंकि वित्तीय ज्ञापन धन विधेयक पर ही होगा बगैर उसके नहीं होगा..

श्री उपाध्यक्ष—

यह विचार इस पर नहीं है कि यह धन विधेयक है या नहीं है.....

श्री त्रिवेणी सहाय—

जहां वित्तीय ज्ञापन होगा वह धन विधेयक होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसी बात नहीं है, इसके आगे क्या है आपने उन विचारों को समझा नहीं, वह दूसरी बात कह रहे हैं, मान लीजिये कि वित्तीय ज्ञापन न होता तो आप इसको धन विधेयक नहीं कहते क्या ? आप इसकी गहराई में नहीं गये । जो नियम 118 का प्राविधान है उसको मैंने उस दिन भी आपके समक्ष रखा था और उसमें यह है कि जिस विधेयक में व्यय अन्तर्ग्रस्त हो, उसके साथ एक वित्तीय ज्ञापन होगा जिसमें व्यय अन्तर्ग्रस्त होने वाले खन्डों की ओर विशेषतया ध्यान दिलाया जायगा और उसमें उस आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय का भी प्राक्कलन दिया जायगा जो विधेयक के विधि रूप में पारित होने की अवस्था में अन्तर्ग्रस्त हो ।

(2) विधेयक के जिन खण्डों या उपबन्धों में लोक निधियों में से व्यय अन्तर्ग्रस्त हो वे अपेक्षाकृत मोटे अक्षरों या बक्राक्षरों में छापे जायेंगे,

परन्तु जहां किसी विधेयक में कोई खण्ड जिसमें व्यय अन्तर्ग्रस्त हो मोटे टाइप या वक्राक्षरों में न छापा जाए तो अध्यक्ष विधेयक के भार-साधक सदस्य को ऐसे खण्डों को सभा की जानकारी में लाने की अनुज्ञा दे सकेंगे । यह तो हमारा प्रक्रिया नियमावली का नियम है लेकिन जो संविधान के जो संबंधित अनुच्छेद हैं वे हैं 199 और 207..

श्री कल्पनाथ सिंह—

199 के अन्तर्गत तो अभी मैंने कहा था कि यह आता है...

श्री उपाध्यक्ष—

जितना उचित समय था वह मैंने आपको दे दिया और आप अपनी बात रख चुके अब आप मेरी बात सुन लें...

श्री कल्पनाथ सिंह—

आप स्वतः सहमत हो जायं, आपसे मेरा निवेदन है कि इस मामले में अभी आप अपनी कोई निश्चित व्यवस्था न दें क्योंकि बाद को फिर दिक्कत पैदा होगी जैसी कि अभी इससे पहले दिक्कत पैदा हुई थी । मेरा निवेदन है कि आप चाहें तो अभी इसको स्थगित कर दें और पक्ष और विपक्ष के सब लोगों को अपने कमरे में बुलाकर उनकी बात सुन लें और तब अपनी व्यवस्था दें क्योंकि आप जो संविधान के धारा 207 का जिक्र कर रहे हैं, मुझे आप क्षमा करें कि आप न व्यवस्था मालूम कैसे इस बात के लिये सहमत होते हैं । ....

श्री उपाध्यक्ष—

मैं कह रहा हूं कि पहले आप ने अपना दृष्टिकोण जितने चुटीले ढंग से रख सकते थे वह रख दिया लेकिन उसके बाद यहां से जो निर्णय होगा वह नियम और संविधान के अन्तर्गत ही होगा । यह विधेयक चले और इस पर आप अकेडेमिक या शास्त्रीय बहस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं; लेकिन अब इसमें हमें कोई भ्रम नहीं है और हमने संबंधित नियम देख लियें हैं तो व्यवस्था देने में आप रुकावट क्यों डालते हैं ? ....

श्री कल्पनाथ सिंह—

आप व्यवस्था दे सकते हैं लेकिन बात केवल इतनी है कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये, उस शासन से जो व्यवस्था इससे पहले हुई उसमें आप को स्वयं दिक्कत हुई । . . .

श्री उपाध्यक्ष—

मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई ।

मैंने कहीं भी उस दिन यह व्यवस्था नहीं दी थी कि यह धन विधेयक है या नहीं है. . . .

श्री कल्पनाथ सिंह—

लेकिन इसके बावजूद आपने कहा कि इस पर विचार जारी रखा जाय, अगर वह सही है तो नियम 118 के अन्तर्गत उस पर विचार नहीं होना चाहिये था। मैं इस बहस को छोड़कर कह रहा हूं कि कृपाकर के जिस मामले में 2 मतों का सवाल आ जाय उस पर गंभीरता से और लोगों को सोचने सुनने का अवसर देना चाहिये। यह एक ऐसा प्रश्न है कि जिस पर तुरन्त का निर्णय, हो सकता है कि आप अपनी ही से ठीक समझते हों, मैं अपने विचार से नहीं कह रहा हूं लेकिन इतना निवेदन जरूर करना चाहता हूं कि आप जो संविधान की धाराओं संख्या 199 व 207 की बात कह रहे हैं, उनके अन्तर्गत ही हमारे नियम बने हुए हैं। उनके अन्तर्गत अब तक जो अध्यक्ष पद से निर्णय दिये गये हैं, कहीं इस बात की बंदिश नहीं है कि यह विधेयक इस सदन में पास नहीं होगा, दूसरे सदन में पास होगा। अब यह बात आती है कि यह धन विधेयक है अथवा नहीं। आप कृपया धारा 207 को फिर से सुना दें और समझा दें ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप क्या चाहते हैं ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

संविधान की धारा 199 के अन्तर्गत जो प्रोविजन्स हैं, उनके अनुसार यह किसी भी प्रकार से धन विधेयक के बाहर नहीं है और जो बात धारा 207 के अन्तर्गत कही गयी है, और उसमें जितने भी परन्तुक लगे हुए हैं उनके अनुसार निश्चयपूर्वक यह धन विधेयक है (श्री नारायण दत्त तिवारी के खड़े होने पर) इनके तर्क तो मैंने कल भी सुने और आज भी सुनूंगा...

श्री उपाध्यक्ष—

कै बार आप अपनी बात कहेंगे ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, मैं यह जानता हूं कि यह हथियार आपको मिला हुआ है। बहस पर जैसे कोई उत्तर देना चाहे बात होती है, वह बात है। अगर आप उनको 2 बार बोलने की आज्ञा देंगे तो हमको भी 2 बार बोलने की आप इजाजत दें, वैसे जैसा आप चाहें, वैसा रखें। मेरा निवेदन केवल यह है कि आप इस मामले को स्थगित कर दें और फिर सोचने के उपरान्त निर्णय दें ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी रूलिंग देने के पहले संविधान का संक्षेप में संकेत किया था। संविधान में फाइनेंन्स बिल और मनीबिल दोनों का जिक्र धारा 207 में है। अगर कोई मनी बिल होता तो संविधान में धारा 207 में फाइनेंस बिल और मनी बिल शब्द ही को दुहराया गया होता ऐसा नहीं किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें फाइनेंस बिल, मनी बिल और आर्डर बिल तीन हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

धारा 207 की उपधारा (3) में दिया हुआ है कि :—

"A Bill which, if enacted and brought into operation, would involve expenditure from the Consolidated Fund of a State shall not be passed by a House of the Legislature of the State unless the Governor has recommended to that House the consideration of the Bill."

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

तो यह फर्क फाइनेन्श बिल और मनी बिल का है। तो इसके संबंध में राज्यपाल की सिफारिश मौजूद है, पत्रावली आपके पास मौजूद है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, आप राज्यपाल की सिफारिश पढ़ कर सुना दें ?

श्री उपाध्यक्ष—

इस समय तो मेरे पास नहीं है लेकिन (व्यवधान) कौंसिल से बिल आया। इसके अलावा आप कोई नोटिस दें तो मैं फाइल मंगवा लूं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

आप मंगवा लें और सदन में पढ़ कर सुना दें ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इसलिये मेरा आपसे आग्रह है कि चूंकि यह एक ऐसा बिल है जो धारा 207(3) की परिधि में आता है जिसके लिये राज्यपाल की सिफारिश मौजूद है। इसके अन्तर्गत आपको पूरा अधिकार है। संविधान की धारा 199 (3) के अन्तर्गत स्पष्ट है कि अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। संविधान मे अंतिम निर्णय करने का अधिकार दे रखा है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

उनके पक्ष में हो जाय तो अंतिम होगा। श्रीमन्, ऐसे भ्रामक इन्टरप्रीटेशन से आप भी ठहरते हैं कि आप क्या निर्णय दें वहां अपना डिसीजन हमेशा अपोजीशन के माफिक देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय कल्पनाथ सिंह जी अपनी संसदीय चतुराई का प्रयोग इसमें न करें।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैं यह धृष्टता कदापि नहीं करूंगा। आप क्षमा करें।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने अभी मंगाया है। मैं पढ़ रहा हूं।

"भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 के खण्ड 3 के अनुसार मैं बी0 गोपाला रेड्डी, राज्यपाल उत्तर प्रदेश, यह सिफारिश करता हूं कि भूमि अर्जन (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1970 पर उत्तर प्रदेश विधान सभा में विचार किया जाय।"

बी0 गोपाला, रेड्डी,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

भूमि अर्जन (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७०†

राजस्व राज्य मंत्री (श्री काजी जलील अब्बासी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, प्रस्ताव करता हूं कि भूमि अर्जन (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1970, जैसा किवह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, विचार किया जाय।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, जो शहरी बिल आने वाला है ऐसा न हो कि उसका समय कट जाय। उसके लिये जितना पर्याप्त समय हो उतना अवश्य दिया जाय ताकि लोग अपनी बात पूरी कर सकें।

---

†17 जून, 1970 की कार्यवाही में छपा है।

श्री काजी जलील अब्बासी—

श्रीमन्, यह एक ऐसा बहुत छोटा सा अमेन्डमेन्ट है और जिसके लिये हमारी इतनी बड़ी बहस हो गई। लेकिन मेरे ख्याल में हमारे माननीय सदस्य इस पर कोई लम्बी बहस नहीं करेंगे कि संशोधन जो वह बहुत ही इन्नोसेन्ट है। मूल धारा 31 के खण्ड 4 (1) में जब हम भूमि एक्वायर करते हैं, सेक्शन 5(1) में वे आपत्ति करते हैं, सेक्शन 6(1) में डिक्लेरेशन होता है, और इस बीच में मुकदमात अदालतों में चले जाते हैं और काफी समय उनमें लग जाता है। पहले कोई चीज निर्धारित नहीं थी। शायद इतना समय लगे तो इसको तय करने के लिये इसके अन्दर अमेन्डमेन्ट हुआ। 67 में अमेन्डमेन्ट करके यह कर दिया गया कि तीन साल की अवधि के बीच ही होनी चाहिये। सेक्शन 4(1) और सेक्शन 6(1) के बीच में तीन साल से अधिक समय नहीं लगना चाहिये। अब इसमें यह दिक्कत पैदा हो गई कि जो मुकदमात अदालतों में हैं, कुछ को तो स्टे कर दिया गया है, तीन साल तक स्टे ही रह गया मुकदमा। हम इसमें इतना अमेंडमेन्ट लाये हैं कि जो मुकदमा हो और उसमें अदालतो में जितना समय लगे उसको निकाल कर अवधि जोड़ा जायगा। यह तो बहुत ही इन्नोसेन्ट बात है। उसके बाद यह है कि पहले जो यह केन्द्रीय सरकार का जो हमारा मूल अधिनियम है यह सेन्ट्रल ऐक्ट है इसमें हम अपना अमेन्डमेन्ट ला सकते हैं अपने प्रान्त की सुविधा के लिये उस वक्त जो हम लाये थे उसमें 54 में इसमें यह कर दिया कि 15 परसेन्ट का जो सलोशियम था उसकी उपधारा निकाल दी। इसलिये कि हमारा ख्याल था कि हम पन्द्रह परसेन्ट अधिक न दें। वह कुछ ऐसी चीज थी जिसको अगर निकाल दिया जाय तो उससे दिक्कत यह होती है कि रेल के वास्ते कोई पटरी बैठाई जा रही है केन्द्रीय सरकार की ओर से तो वह देती है। हम लेते हैं नहर के लिये तो नहीं देते हैं इस तरह दोनों में काफी अन्तर पड़ता था और लोगों को नुकसान होता था। इसलिये अब यह कर दिया है कि वह पन्द्रह परसेन्ट सलोशियम दिया जाय उसके बाद 20 जनवरी, 1967 को जब कि पुराना ऐक्ट पास किया था तो इसकी अवधि रख दी गई थी कि जितने मुकदमात इस वक्त डिक्लेरेशन के लिये बाकी हैं वे दो साल के अन्दर हो जाएं तो उसके अन्दर भी यह दिक्कत हुई कि जो मुकदमात कहीं स्टे थे जिसकी वजह से हम नहीं कर पाये, अब उसका समय बीत रहा है।

(इस समय 1 बजकर 49 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामसिंह पीठासीन हुए।)

यह कर दिया गया कि दो वर्ष के अन्दर सबका डिक्लेरेशन कर दें। फिर डिक्लेरेशन के बाद जबसे लागू करेंगे तबसे तीन महीने का समय रखा गया है। फिर आखिर में सेक्शन 5 जोड़कर यह कर दिया है कि जो पुराने हैं या जो कार्यवाही इसके पहले अवैधानिक हो गयी है वह वैधानिक हो जाय। इस तरह से दो तीन चीजें इसके अन्दर रखी गयी हैं और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है।

एक सदस्य—

फांसी की दो लाइन होती हैं।

श्री काजी जलील अब्बासी—

यह फांसी की लाइन नहीं है। जो भूमि पब्लिक परपज के लिये एक्वायर करनी है उसमें जल्दी हो सके, इस वास्ते चेन्जेज किये गये हैं। लोग मुकदमात में चले जाते हैं और स्टे आर्डर ले आते हैं जिसकी वजह से देर होती है। उससे बचने के लिये यह मामूली एमेन्डमेन्ट किये हैं और हम उम्मीद करते हैं। माननीय सदस्य इसको बहुत ही जरूरी समझते हुए जनहित में पास कर देंगे।

(श्री शम्भूनाथ चौधरी के खड़े होने पर)

श्री कल्पनाथ सिंह—

खूब बोलिये और सरकार का छक्का छुड़ा दीजिये।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

माननीय अधिष्ठाता महोदय...

श्री अधिष्ठाता ---

पहले आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर दें।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)---

मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि भूमि अर्जन (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1970 सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो। समिति अपना प्रतिवेदन एक महीने के भीतर प्रस्तुत करे (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे) यह बात सही है कि यह विधेयक बहुत छोटा है लेकिन यह भी बात उतनी ही सही है कि इस विधेयक से किसानों के ऊपर वज्रपात किया जा रहा है। जो मूल अधिनियम था उसकी धारा 4 में पब्लिक परपज का उल्लेख था। वह धारा मैं पढ़े देता हू :

Whenever it appears to the appropriate government that land in any locality (is needed or) is likely to be needed for any public purpose a notification to that effect shall be published in the official gazette and the collector shall cause public notice of the substance of such notification to be given at convenient places in the said locality.

श्री अधिष्ठाता---

इसका शब्दार्थ आप हिन्दी में भी बतला दें। ट्रांसलेशन न करें लेकिन भावार्थ बतला दें।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

इसका भावार्थ यह है कि अगर सरकार को लैंड की जरूरत है तो जो जमीन ली जायेगी वह सामूहिक उपयोग के लिये ली जायेगी। अब जो विधेयक ला रहे हैं उसमें आप संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रवृत्ति में देखेंगे कि लिखा है "यह संघ के प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिये सभी भूमि अर्जन के संबंध में लागू होगा।" यह जो शब्द "संघ" आया है, इसकी भी दिलचस्प कहानी है। कानपुर में रामरतन गुप्ता हैं। बड़े धनी आदमी हैं। उनके लिये सरकार ने भूमि अर्जित की लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स के लिये। एक किसान उसमें हाई कोर्ट चला गया और हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि यह पब्लिक परपज नहीं है और उसकी डिक्री हो गयी। लेकिन सरकार चूंकि पूंजीपति-परस्त थी इसलिये उसके बाद "कम्पनी" एक शब्द और जोड़ दिया गया और आज केवल सार्वजनिक उपयोग के लिये और कम्पनी के उपयोग के लिये ही नहीं बल्कि अन्य प्रयोजनों के लिये भी जिसको आप चाहें जमीन अर्जित कर दें। अंग्रेजों के सौ वर्षों के शासन काल में केवल बिड़ला, टाटा, डालमिया---व्यापारिक सेठ बने थे, लेकिन आजादी के बाद उधर के बैठने वाले कांग्रेसी भी सेठ बन गये जिन सबकी मालिक इंदिरा गांधी हैं।

श्री त्रिवेणी राय (जिला आजमगढ़)---

व्यवस्था का प्रश्न। माननीय सदस्य ने ऐसे व्यक्ति का नाम लिया है जो इस हाउस के सदस्य नहीं हैं। इस हाउस की परम्परा यह रही है कि उन्हीं का नाम लिया जाता है जो इस हाउस के मेम्बर हों।

श्री अधिष्ठाता---

आक्षेप से संबंधित न हो।

(व्यवधान)

श्री त्रिवेणी राय---

यह हाउस की परम्परा रही है कि प्रधान मंत्री पर टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

श्रीमन्, आक्षेप के रूप में नहीं, वह तो यह कह रहे थे कि 340 एकड़ जमीन इंदिरा गांधी के लड़के को दी गयी, उसके एवज में बंसीलाल के खिलाफ करप्शन का मुकदमा उठा लिया गया। तो इसकी तो सफाई होनी चाहिये।

श्री अधिष्ठाता---

किसी प्रकार का आक्षेप न हो तो आप बोलें।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---(जिला बलिया)

आज केवल बिड़ला ऐसे व्यापारिक सेठों को ही जमीन की जरूरत नहीं, इंदिरा गांधी ऐसे सरकारी सेठों को भी जरूरत है और जो यह विधेयक आया है यह इसी मक्सद से आया है और यह जब होगा तो क्या नतीजा होगा ? अभी आपने एक सर्कुलर निकाल दिया, अब केवल उद्योग-धन्धे लगाने वालों को जमीन देंगे। अगर आपका दृष्टिकोण यह है तो क्या कृषकों को आप समाप्त कर देंगे और केवल उद्योग-धन्धे ही लगायेंगे ? सारे कृषकों की जमीन आप अन्य प्रयोजनों के लिये दे देंगे ? आपका नजरिया यही है मिसाल के लिये अगर माननीय मंत्री जी खुद कोई उद्योग-धन्धा चलाना चाहें केवल अपने फायदे के लिये तो मुख्य मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि हमको जमीन एक्वायर कर दीजिये। यानी निजी व्यक्तियों, को भी अगर उद्योग-धन्धे लगाने के लिये जमीन की जरूरत होगी तो सरकार को एक प्रार्थना-पत्र देने पर सरकार उनको जमीन अर्जित करके दे देगी। सीलिंग आप लगाने जा रहे हैं। उसके बाद जो जमीन बचेगी वह निकाल कर सब उद्योगपतियों को दी जायेगी। आप इस विधेयक के माध्यम से निजी उद्योगों के लिये छोटे-छोटे किसानों की जमीन देने जा रहे हैं। इससे और बड़ा बज्रपात क्या होगा ? एक तरफ तो आप राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं। यानी सारे उद्योग-धन्धे सरकार के हाथ में। सरकार को उद्योग-धन्धे लगाने के लिये जमीन की जरूरत हो और उसके लिये जमीन को अर्जित करना हो तो की जा सकती है। लेकिन, मान्यवर, इस विधेयक के जरिये सरकार निजी उद्योगों को खुद के लाभ के लिये सरकार एक हथियार ले रही है, किसानों का गला काटने के लिये। इससे जब जरूरत होगी किसी भी आदमी के लिये जमीन का अर्जन किया जा सकता है और किसान बेचारा रोता-सिसकता उसी चिथड़े में लपटा रह जायेगा।

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि आपका दृष्टिकोंण तो समाजवादी है, आप राष्ट्रीय-करण करना चाहते हैं, यह आपकी नीति है, फिर क्यों आप निजी उद्योगों के लोगों को, उद्योग-पतियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं---मेरी समझ में नहीं आती आपकी सरकारीकरण और समाजीकरण की यह बात कि आप सारी सुविधा निजी क्षेत्र को देते चले जा रहे हैं और दूसरी तरफ आप राष्ट्रीयकरण की हवा बांधते चले जा रहे हैं। इसलिये मैंने कहा कि मूल अधिनियम के विपरीत आपने जो अन्य प्रयोजन की बात कही है उससे आपने इस विधेयक को व्यापक कर दिया है जिससे किसानों की जमीन हड़पी जा सके निजी क्षेत्र को फायदा पहुंचाने के लिये। मूल अधिनियम में ही 15 प्रतिशत अधिक मूल्य देने की ऐसी व्यवस्था मान्यवर, पहले थी, लेकिन आपने 1954 में संशोधन करके हटा दिया, आप उसे फिर ला रहे हैं, कि आप भेदभाव मिटाने के लिये आप ऐसा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे सरकार का कोई दृष्टिकोण नहीं है। मूल अधिनियम में जो रखा नहीं था उसको फिर से आप ला रहे हैं। इसका मतलब यह था कि पहले आपका भेदभाव का दृष्टिकोंण था और अब नहीं है। यह समाजवाद की नीति आपकी ढपोरसंख की नीति है। मैं इस संबंध में एक बात यह कह देना चाहता हूं कि पहले केन्द्र में जो सरकार नेहरू जी के नेतृत्व में बनी थी उसमें प्रीवी पर्स रखा गया था राजा

[श्री शम्भूनाथ चौधरी---]

महाराजाओं के लिये-लेकिन इस सरकार ने उसे समाप्त कर दिया और समाजवादी और प्रगतिशील वह बन गयी । सरकार ने उसे रखा जो अपने को भी समाजवादी कहती थी और इस सरकार ने उसे हटा दिया जो अपने को भी समाजवादी कहती है । ऐसा लगता है कि हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार का भी कोई दृष्टिकोण नहीं है---एक बार तो रखती है, दूसरी बार हटा देती है । उदाहरण के लिये मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि मूल अधिनयम में धारा 23(3) में पहले कोई स्पष्टीकरण नहीं था । उसके बाद आप देखेंगे कि सन् 54 में और 67 में पता नहीं कब, किस संशोधन के द्वारा यह स्पष्टीकरण आ गया, और अब आप हटा रहे हैं । मैं पढ़े देता हूं, वह यह था . . .

"In determining the amount of compensation to be awarded for land acquired under this Act. The Court shall take into consideration 3, 4, 5, 6 . . . . .

मान्यवर, एक-दो नहीं 6-6 स्पष्टीकरण हैं और पता नहीं कि कौन सा स्पष्टीकरण आप हटा रहे हैं । मान्यवर, संभवतः जो स्पष्टीकरण आप हटा रहे हैं वह छहों नहीं हटा रहे हैं । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कौन-सा स्पष्टीकरण वह हटा रहे हैं . . .

श्री अधिष्ठाता---

मंत्री जी सुन रहे हैं, आप कहते जाएं ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

मान्यवर, मैं यही जानना चाहता हूं कि छः हटा रहे हैं या केवल एक हटा रहे हैं इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है ।

श्री काजी जलील अब्बासी---

पहला हटा रहे हैं ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

मार्केट वैल्यू हटा रहे हैं । इसके कथनानुसार श्रीमन्, यह पहला हटा रहे हैं । पहला क्या था---

"First, the market value of the land at the date of the publication of the [notification under section 4, sub-section (i)];"

श्री काजी जलील अब्बासी---

यह नहीं था ।

श्री अधिष्ठाता---

आप बोल लीजिए उसके बाद माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे । आप अपनी बात कहें ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी

हम यह समझते हैं कि जो छः प्वाइन्ट्स हैं वह तो सरकार नहीं हटा रही है । प्रथम, धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख पर उस भूमि का बाजार मूल्य, द्वितीय वह नुकसान, जो हितबद्ध व्यक्ति ने किसी ऐसी खड़ी फसलों या वृक्षों के लिये जाने के कारण उठाया हो जो जब कलेक्टर ने उस भूमि पर कब्जा किया, उस समय उस भूमि पर हो, तृतीय वह नुकसान (यदि कोई हो), जो हितबद्ध व्यक्ति ने ऐसी भूमि अपनी दूसरी भूमि से अलग किये जाने के कारण उस समय उठाया हो जब कलेक्टर ने उस भूमि पर कब्जा किया, चतुर्थ वह नुक्सान (यदि कोई हो), जो हितबद्ध व्यक्ति ने उस समय जब कलेक्टर ने उस भूमि

पर कब्जा किया, इस कारण उठाया हो कि उस अर्जन से उसकी अन्य स्थावर या जंगम सम्पत्ति पर किसी अन्य रीति में या उसके उपार्जनों पर क्षतिक प्रभाव पड़ा है, पंचम, उस दशा में जिसमें कि हितबद्ध कलेक्टर द्वारा उस भूमि के अर्जन परिणामस्वरूप अपना निवास या कारबार का स्थान बदलने के लिये विवश हो जाता है, ऐसी तब्दीली से आनुषंगिक युक्तयुक्त व्यय (यदि कोई हो), तथा षष्ठम, वह नुकसान (यदि कोई हो), जो धारा 6 के अधीन घोषणा के प्रकाशन के समय और कलेक्टर द्वारा उस भूमि पर कब्जा किये जाने के समय के बीच भूमि से लाभों में घटती होने के परिणामस्वरूप सद्भाव विचार में लेगा ।

श्रीमन्, यह छः था । स्पष्टीकरण हमने जो समझा है वह यह कि मूल अधिनियम में यह छः प्वाइंट थे । यह मूल अधिनियम पहले 56 में आया और उसके बाद सन् 67 में आया है । उसमें यह स्पष्टीकरण था—उन मामलों में उपर्युक्त मूल्य निर्णीत करने में, जिनमें भूमि का अर्जन किसी सेनीटेरी इम्प्रूवमेन्ट अथवा उसके सिलसिले में अथ वा नियोजित विकास के निमित्त किया जाय, उनमें इनसेनीटरी एवं इनहाइजेनिक दशाओं का विशेष ध्यान रखा जावेगा जो भूमि पर उक्त दिनांक को विद्यमान थे । मैंने स्पष्टीकरण का मतलब यह समझा था कि छः तो रहेगा ही ; माननीय मंत्री जी के विभाग में कुछ है इसलिये पूछना पड़ा । यही हटाया जा रहा है । आप ख्याल करें श्रीमन्, मूल अधिनियम में यह स्पष्टीकरण नहीं है 54 वाले में और 67 वाले में । फिर आप इसे हटा रहे हैं । क्या नुकसान हो जायगा मंत्री जी ने यह नहीं बताया इस स्पष्टीकरण के रहने के कारण बाजार मूल्य तय करना पड़ेगा । तो क्या कारण था कि आफ स्पष्टीकरण को हटा रहे हैं ? आपने कुछ नहीं कहा । मैं यह साफ कहना चाहता हूं कि उस स्पष्टीकरण में जो बाजार मूल्य पहले था भाव तय करने के लिये और बाजार मूल्य तय करने के लिये, यह स्पष्टीकरण बाद में 54 में आया है या शायद सरकार सन् 67 में लायी है । यदि यह स्पष्टीकरण न होता तो आपका जो बाजार मूल्य है वह तय न हो पाता । श्रीमन् यह स्पष्टीकरण मांगा गया है । कोई भी आदमी यह कहने के हक में नहीं है या जो यह चाहेगा कि सीलिंग के बाद जो जमींन बची है उसका किसान को बाजार मूल्य न मिले । उसे बाजार मूल्य मिलना चाहिये । सीलिंग आप कर दें, जितनी भी करें, कम से कम करें लेकिन सीलिंग के बाद जितनी भी जमींन किसान के पास है उसको सरकार अगर अर्जित करती है तो उसका बाजार मूल्य मिलना चाहिये, यह न्याय संगत बात है । मंशा ऐसा लग रहा है कि यह जो सरकार है स्पष्टीकरण को हटा कर कुछ दूसरा सोच रही है और ऐसा कभी हो सकता है या जैसा संविधान में संशोधन हो गया है सरकार जो चाहेगी वह कीमत देगी और कीमत के विरोध में आप न्यायालय में नहीं जायेंगे ऐसी व्यवस्था सरकार करने जा रही है और उसके मातहत मैं समझता हूं कि यह स्पष्टीकरण जो है 23 वाला माननीय मंत्री जी इसी मकसद से हटा रहे हैं ।

जनतांत्रिक प्रणाली के लिये सबसे बड़ा सबूत है न्यायालय । कोई भी आदमी सरकार के किसी भी कार्य से एग्रीव्ड हो तो वह आदमी कहां जा सकता है ? उसके लिये एक ही शरण है अदालतों में जाने की । बाजार मूल्य हमारा यह था और सरकार ने हमको बाजार मूल्य नहीं दिया, सरकार ने जो कम्पेन्सेशन दिया है वह बाजार मूल्य के बराबर नहीं है तो उसको कोर्ट ही में जाकर इसके लिये शरण लेनी पड़ती है । इस प्रकार से जो बाजार के मूल्य की कीमत आंकी जाती थी वह एक मखौल बन जायेंगी और वह सरकार की मर्जी पर ही हो जायेगी । मैं अधिक न कह कर मंत्री जी से चाहूंगा कि क्या आप चाहते हैं कि किसान और मजदूर का राज्य हो? तो गरीब किसानों की भूमि को इस प्रकार से लेना और निजी लोगों और पूंजीपतियों को वह सौंप देना एक महा पाप ही है । दूसरी चीज है कि आपने बिड़ला को देखा । अंग्रेजों के काल में वह 7 करोड़ का आदमी था और आज है 110 करोड़ का । ऐसे ही लोगों को आप बराबर सस्ते दर पर किसानों की जमीन एक्वायर करके दे रहे हैं कि वहां पर बड़े-बड़े उद्योग धन्धों की स्थापना करें । यह भूमि कई हजार एकड़ दी जायेगी । किसानों का क्या नक्शा होगा ? छोटे किसानों का क्या होगा, उनका कोई सुनने वाला नहीं रह जायगा । बड़े-बड़े पूंजीपति ही सारी जमीन के मालिक बन जायेंगे ।

[श्री शम्भूनाथ चौधरी---]

अभी मैं मिर्जापुर गया था। हवाई जहाज उतराने के लिये किसानों की जमीन एक्वायर की गई और यह कहा गया कि वहां पर उसी के लिय स्थान नियत किया गया है। वह जमीन बिड़ला साहब को सस्ते दर पर दी गयी है। कहा जाता है कि इंगलैण्ड उद्योग धन्धों के कारण ही बढ़ा है। 316 एकड़ जमीन संजीव गांधी, इंदिरा गांधी के बेटे को दी गयी है। आप केवल पूंजीपतियों को ही सुविधा देंगे। एक आदमी को कल कारखाने लगाने के लिये 316 एकड़ भूमि सस्ती दर पर दे दी गयी। वह भी छोटी कार के कारखाने के लिये फायदा किसको होगा ? उसका फायदा होगा उन लोगों को जो कार पर चढ़ते हैं। किसान और मजदूरों के बेटों को उसका लाभ नहीं मिलेगा। अगर साइकिल का कारखाना होता तो यह समझा जा सकता था कि उसको सस्ते दर पर साइकिल ही मिल जायेगी जो आपकी यह नीति है यह किसान और मजदूरों के हित की नीति नहीं है केवल निजी लोगों को लाभ पहुंचाने के लिये आपकी यह नीति है। आपकी आत्मा में तो यह है कि जो बड़े पूंजीपति हैं वे और बड़े पूंजीपति बन जाएं और उनका कैलाश और उंचा होता जाय और इसीलिये आप इस विधेयक को लाए हैं। मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और अपने संशोधन का समर्थन करता हूं।

*श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि "भूमि अर्जन उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1970 को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसे इसकी परिधि बढ़ाने का अधिकार प्राप्त हो, और अपनी रिपोर्ट एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

मान्यवर, जब मैंने इस विधेयक को देखा तो मेरी समझ में ही नहीं आया कि आखिर यह किस उद्देश्य से लाया गया है, क्या इसकी जरूरत पड़ गयी ? कहा यह जायेगा कि बहुत सी त्रुटियां हैं उनको दूर करने के लिये और किसानों को मुआविजा दिलाने के ख्याल से लाया गया है। श्रीमन्, भूमि अर्जन की समस्या निश्चित रूप से एक बड़ी भारी समस्या है। किसान इससे जितना परेशान है शायद उतना किसी और चीज से नहीं है। जो भी कल-कारखाने बनेंगे, चाहे सार्वजनिक क्षेत्र में हों और चा हे निजी क्षेत्र में हों, किसान की जमीन निकलेगी, तमाम कानूनों के रहते हुए भी। दफा 117 का प्रयोग हो जाएगा। कहा जाएगा बहुत इमरजेन्सी है, यह होना चाहिये। नतीजा यह होता है कि किसान अपनी अच्छी से अच्छी जमीन से हाथ धो बैठता है और मुआविजे का भी कोई पुरसाहाल नहीं होता।

श्रीमन्, मैं जिस जगह का रहने वाला हूं, जिला देवरिया में कसिया के पास 1952 में सब जेल बनाने के लिए टाउन से लगी हुई जमीन ली गयी और 80 रु० एकड़ के हिसाब से मुआविजा दिया गया। जिन काश्तकारों ने नहीं लिया और उनका पैसा रेवेन्यू डिपाजिट में चला गया। सारे किसान परेशान हैं। जमीन जबर्दस्ती ले ली गयी, डुग्गी बजा दी गयी और सरकार का कब्जा हो गया। उस पर अब तक सब जेल भी नहीं बनी। बीच में हाईडिल डिपार्टमेंट आया और उत्तर प्रदेश सरकार ने ऊंचे दाम पर हाइडिल डिपार्टमेंट को जेल डिपार्टमेन्ट से जमीन ट्रांसफर कर दी। श्रीमन्, कौन सा औचित्य है, कौनसी नैतिकता है ? 80 रु० एकड़ में किसान से जमीन ले ली, किसी खास उद्देश्य के लिए ली और जब उसके लिए जरूरत नहीं थी तो आपने उसे एक कामर्शियल इंस्टीट्यूशन हाइडिल डिपार्टमेंन्ट को दे दी, दो हजार, तीन हजार और चार हजार रु० एकड़ के भाव में, यह मुनाफाखोरी की। मैं कहना चाहता हूं कि आज भी किसान को उसका मुआवजा नहीं मिला। करीब 50 किसान तड़फ रहे हैं। यहीं नहीं, आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंन्ट की खूबी यह है कि आज भी उस जमीन से किसान का नाम खारिज नहीं हुआ, मालगुजारी उनसे वसूल होगी, और सब-जेल भी उस पर बनी नहीं। जेल डिपार्टमेंट का उस पर कब्जा हो गया और अगर दो साल पहले किसान उसको जोतने के लिए गया तो उस पर धारा 107/117

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लगा दी । अधिष्ठाता महोदय, जब से अंग्रेज चले गए तबसे डी०आई०आर० की तमाम दफाएं खत्म हो गयीं । लेकिन इनके यहां एक सरपट दफा है 107/117, जिसको चाहे उसको बन्द कर दें । किसान हो, पोलिटीकल पार्टी का आदमी हो, गुन्डा-बदमाश हो, कोई भी हो, सबके साथ एक ही ढंग का व्यबहार करते हैं । तो श्रीमन्, इसी तरह से सब जगह यह हालत है । हमारी कांस्टीट्यूएन्सी में आज से 9 वर्ष पहले कोटवा टीकमपुर गांव, तमकुही ब्लाक में, नाले के लिए जमीन निकाली गयी लेकिन उसका मुआविजा आज तक नहीं दिया गया । तमाम लिखा पढ़ी की, प्रश्न भी पूछे, लेकिन कुछ नहीं हुआ । तो श्रीमन्, मैंने इसलिए यह संशोधन रखा है कि जितनी कठिनाइयां हैं, उन सबको दूर करने के लिए इस पर प्रवर समिति में विचार किया जाय।

श्रीमन्, दो-तीन बातें मैं कहना चाहता हूं । आप जमीन ले लें । आपके अहलकार ऐसे हैं कि जहां पैसा पा गए वहां टेढ़ा-मेढ़ा कर दिया । सड़क घुमा दी, नहर घुमा दी । लेकिन किसान दौड़ता है, बड़े से बड़े अफसर के पास कोई सुनवाई नहीं होती । पब्लिक परपज के लिए आप लेते हैं लेकिन कोई नहीं पूंछता कि मुआविजा मिला या नहीं । बिना मुआविजा दिये हुए सरकार जमीन ले लेती है कारखानों के लिए, सड़कों के लिए। मैं कहना चाहता हूं इसमें यह नियम बनना चाहिये, और तब जाकर यह पूरा होगा, कि जब तक किसी आदमी पर व्यक्तिगत रूप से नोटिस तामील न हो तब तक उसकी जमीन न ली जाय । होता यह है कि गांव सभा में जा कर किसी आदमी के ऐरे गैरे नत्थू खेरे के दस्तखत बनवा लेते हैं और लिख देते हैं कि मकान पर मौजूद नहीं था । लेखपाल के घर पर बैठकर नोटिस की तामील करा लेते हैं । इस तरह से किसान की जमीन निकल जाती है । इस कानून में यह प्राविधान करना चाहिए कि जब तक व्यक्तिगत नोटिस नहीं होगा किसी की जमींन नहीं निकलेगी । उजरदारी की एक निश्चित अवधि होनी चाहिए । लैण्ड इक्वीजीशन आफिसर के बैठने का निश्चित समय होना चाहिए । तारीख लगा देते हैं कि मुआविजा बटेगा, मगर मालूम होता है कि चले गये और किसान परेशान हो जाता है क्योंकि वे मिलते ही नहीं है । आप एक विधेयक लाएं और उसमें दो बातों की व्यवस्था करें, एक तो यह कि जब तक नोटिस हर किसान को बाजाव्ता खुद तामील नहीं होगा तब तक उसकी जमीन नहीं ली जायेगी और आगे कोई कार्यवाही नहीं होगी और दूसरी बात यह है कि जब तक किसान को उसकी जमीन का मुआविजा नहीं मिल जाता है तब तक उसकी जमीन पर किसी का अधिकार नहीं होना चाहिये । अगर जमीन पर अधिकार करना है तो पहले मुआविजा मिलना चाहिए ।

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से सरकार को याद दिलाना चाहता हूं मुगलिया सल्तनत के जमाने में बादशाह शेरशाह सूरी की जब मिलिटरी चलती थी तो उसके साथ एक अमीन चलता था । अगर किसी किसान की फसल को नुकसान हो जाता था या किसी की जमीन लेनी होती थी तो उस किसान को मुआविजा हाथ के हाथ बांटा जाता था । यह ऐतिहासिक बात है और तवारिखी सत्य है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता । आज मुआविजा देने का कोई इन्तजाम नहीं है, केवल जमीन लेने की बात है । अब प्रश्न यह है कि मुआविजे की दर क्या हो ? इसमें लिखा हुआ है कि बाजार दर हो । देखने में तो बाजार दर बड़ी अच्छी है, मगर यहां पर बाजार दर का अर्थ यह लगाया जाता है कि 4–5 साल पहले के बयनामों का जो ऐवरेज हो वही बाजार दर है । बाजार दर का यह अर्थ नहीं है । इसमें यह क्लीयर हो जाना चाहिये कि लेटेस्ट और हाइयेस्ट मार्केट रेट ही बाजार दर होगी और वही मुआविजा दिया जायेगा । किसी भी डेवलपिङ्ग टाउन में जो जमीन पहले 10,000 रु० प्रति एकड़ थी वही 5 साल बाद 50,000 रु० की हो गयी है और हो रही है । जब मुआविजा दिया जायेगा तो 50,000 और 10,000 का एवरेज लिया जायेगा और उससे किसान मारा जायेगा । यह तरीका बिल्कुल गलत है । मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हाइएस्ट और लेटेस्ट मार्केट रेट जो हो उसी हिसाब से किसान को मुआबिजा दिया जाना चाहिये और उसकी एक तिथि भी होनी चाहिये कि इतने दिन के अन्दर मुआविजा दे दिया जायेगा और अगर उतने दिन के अन्दर मुआविजा नहीं मिलेगा तो उस जमीन के लेने का अधिकार किसी अधिकारी या किसी विभाग को नहीं रहेगा ।

[श्री रामधारी शास्त्री---]

एक दिक्कत और है। अपने लिये तो आप हर सुविधा करेंगे और एक आर्डिनेन्स जारी कर देंगे। जैसा इसमें हुआ है एक संशोधन विधेयक के शक्ल में उस आर्डिनेन्स को विधान सभा से वेलिडेट करा लेंगे लेकिन अगर कोई किसान चाहता है कि वह फौरी अदालत में चला जाये और रोक आज्ञा ले आये तो उसके लिए जाब्ता दिवानी की दफा है जिसमें 60 दिन का नोटिस देना होता है। सारे सरकारी अहलकार और अफसर उसमें इनवाल्वड हैं। अगर आप ईमानदारी के साथ जमीन लेना चाहते हैं तो यह प्राविधान कराएं कि जाब्ता दिवानी का वह कानून इसमें नहीं माना जाएगा जिसमें 60 दिन का नोटिस देना जरूरी है। लैण्ड एक्विजीशन के केस कोई भी किसान अदालत में अपनी चारा जोई कर सकता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो सरकारी अधिकारी ज्यादती करते रहेंगे और किसान उनका शिकार होता रहेगा।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में एक सबसे बड़ी सड़क निकल रही है। वह सड़क भारत सरकार की है जिसका नाम लेटरल रोड़ है और जो सीधे नेफा तक जाती है। कुछ पुरानी जमीन पड़ी हुई है। वह जमीन वैसी की वैसी पड़ी रही। उसी से केवल 1 फर्लांग के फासले पर और कहीं -कहीं 150-200 गज के फासले पर किसानों की एक दूसरी जमीन ले ली गयी है। वह हाय तोबा कर रहे हैं। इस बात की व्यवस्था होनी चाहिए कि वहां जो भी सरकारी जमीन उपलब्ध है, गांव सभाओं की जमींन उपलब्ध है या सरकारी जमीन को सड़कों के लिए छोड़ दिया गया है, किसान की जमीन के बदले में पहले उस जमींन को किसानों को दे दिया जाये।

और यदि जमींन न दे सकें तो उनको उचित रेट से मुवाविजा मिले। पहले आपने मुआविजे की रकम को कट कर दिया, अब आप कहते हैं कि हम 15 परसेन्ट बढ़ा रहे हैं। मैं कहता हूं कि इस तरह से काम नहीं चला करता। आप तो समाजवादी होने का दम भरते हैं। मैं इस बिल का स्वागत करता अगर यह उसी रूप में आता और किसानों के हित में होता। मगर इससे किसानों का हित होनेवाला नहीं है। इसलिये मैं इस राय का हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जाय जिससे कि इसमें सुधार हो सके और एक नयी शक्ल में विधेयक यहां बन कर आ सके। माननीय मंत्री महोदय तो जनता के प्रतिनिधि हैं और वे जनता की भलाई के लिये हैं, आशा है वे इस संशोधन को अवश्य स्वीकार कर लेंगे।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मान्यवर, मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं और जो संशोधन है उसका समर्थन करता हूं। मुझे जो कहना था वह बहुत कुछ माननीय शास्त्री जी ने कह दिया है, मैं बहुत सूक्ष्म में एक दो बातें कहना चाहूंगा। जब भी मान्यवर, कोई विधेयक बनता है तो उसमें सरकार की, सरकार के कानून-विभाग की तथा संबंधित विभाग की बहुत बड़ी- बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वे उस विधेयक से संबंधित जितनी बातें जो यहां पर समय-समय पर कही जांय उनका ध्यान रखें। इनके सलाहकार जो इतने समय तक विधायकों के विचार सुनते चले आ रहे हैं, उन्होंने उन विचारों की तनिक परवाह नहीं की, जिन शिकायतों का यहां कई वार जिक्र किया गया, जिनके कारण आज किसान अत्यन्त दुखी है, उनकी ओर कतई ध्यान नहीं दिया गया है। सरकार तो जनता की सुख सुविधाओं के लिये है, फिर क्यों इन्होंने यह नहीं सोचा कि ऐसा कानून लावें जिससे जनता के उन कष्टों का निवारण हो सके जो कष्ट वे काफी समय से झेलते चले आ रहे हैं। मैं उनको आज फिर दुहराना नहीं चाहता।

मान्यवर, मैं इस बात को मानता हूं कि अगर कहीं पर जनहित में कोई जमीन हस्तगत करना हो तो उसमें विलम्ब नहीं होना चाहिये। लेकिन ऐसा करते वक्त तीन बातों की ओर मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिये। एक तो यह कि जब लैंड एक्वीजीशन हो जाये तो तुरन्त उसे सरकार अपने नाम में करवा ले, उस आदमी का नाम तुरन्त कट जाना चाहिये। न्यूटेशन की कार्यवाही तुरन्त होना चाहिये। दूसरे कम्पेनसेशन में बहुत डिले की जाती है। उसके लिये कई बार यहां कहा जा चुका है। तुलसीपुर-शोहरतगढ़ एक सड़क बन रही है जिसका मुआबिजा आज तक लोगों को नहीं मिला है। लैंड एववीजीशन आफिसर तो जिले-जिले में नियुक्त हैं, मगर मुआबिजा समय से नहीं मिल रहा है।

*बक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इनको लगा देना चाहिए कि यदि निश्चित अवधि में सरकार मुआविजा नहीं देगी तो इन्ट्रेस्ट देगी। इन्ट्रेस्ट उसे अवश्य दिया जाना चाहिए। क्योंकि आपने उसकी रोटी रोजी छीनी है। जिस सरकारी कर्मचारी ने मुआविजा नहीं दिया उस पर भी कार्यवाही होनी चाहिए। दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह वर्षों से लोगों को मुआविजा नहीं मिला है। बिना किसी स्कीम के सोचे समझे आप जमीन न अधिगृहीत करें बहुत बार ऐसा होता है कि जिस काम को करने के लिए जमीन ली जाती है, उस काम को बाद में सरकार नहीं करती है और वह जमीन बेकार पड़ी रहती है। मैं आपके सामने उदाहरण रखना चाहता हूं, बांदा में बहुत बड़ी जमीन एक्वायरकी हुई पड़ी हुई है और जिस काम के लिए जमीन ली गयीं थी उसमें इस्तेमाल नहीं की गयी है। उस पर बिल्डिग बनी है, लेकिन उस बिल्डिग में आज तक कोई काम नहीं हुआ है। उस बिल्डिग का फाटक अभी तक बन्द पड़ा हुआ है। इसके लिए सरकार को और सरकारी कर्मचारी को क्या दण्ड हो, इसका भी प्राविधान होना चाहिए। समय निश्चित हो जाना चाहिए कि तीन या चार वर्षों में यदि कार्य प्रारम्भ न हो तो वह जमीन उसी को लौटा दी जाएगी जिससे की ली गयी है। यदि सरकार ने स्कीम को छोड़ दिया हो और सरकार उस जमीन को बेच रही हो, उस दशा में भी व्यवस्था यह होना चाहिए कि उस जमीन की बिक्री से सरकार को जो लाभ प्राप्त हो, वह भी सम्बन्धित जमीन के मालिकों को दिया जाना चाहिए। इसके अलावा यह भी होना चाहिए कि वह जमीन उसी को वापस कर दी जानी चाहिए, जिससे ली गयी हो। किन्तु यदि कोई उसे लेने से इन्कार करे तो उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार उसे लाभ भी मिलना चाहिए। इसका प्राविधान होना चाहिए। इस विधेयक में इन बातों का ध्यान लोगों ने और कानून बनाने वालों ने नहीं दिया है। हो सकता है मंत्री जी ने कह दिया हो कि ऐसी-ऐसी व्यवस्था कर दी जाए, लेकिन वह भी नहीं की गयी है। इस दृष्टि से यह अत्यन्त आवश्यक है कि जो यह संशोधन हमारे शम्भूनाथ चौधरी और सब लोगों ने सामने पेश किया है, उसको स्वीकार किया जाए और अवसर दिया जाए कि जो खामियां रह गयी हैं, वे न रह जाएं, उन पर विचार किया जाये। इन शब्दों के साथ मैं इन संशोधनों का समर्थन करता हूं।

डाक्टर प्रकाश नारायण गुप्ता (जिला आगरा)—

मान्यवर, मैं आपका बड़ा-बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आपने इस पर विचार व्यक्त करने का अवसर दिया है। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। लेकिन साथ ही साथ मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मान्यवर, जो कानून पहले से बना हुआ है और अब तक जितने भी कानून हैं वे अलग-अलग जगह के लिए अलग-अलग बने हुए हैं। जैसे महापालिका की जमीन एक्वायर करेंगे तो मुआविजे की दर दूसरी होगी और हाउसिंग बोर्ड जमीन अगर अधिग्रहण करेगा तो दूसरे रेट्स होंगे और 15 परसेंट जबरिया भी मिलेगा। इसलिए होना यह चाहिए कि सब जगहों के लिए एक ही कानून होना चाहिए। जब जनता की जमीन ली जाती है, जिस पर उसकी रोटी रोजी निर्भर थी तो उसका मुआविजा मिलना चाहिए। जब जनता की जमीन सार्वजनिक हित के लिए ली जाए तो उसका मुआविजा एक ही दर से मिलना चाहिए नहीं तो साफ तौर से यह डिस्क्रिमिनेशन का मामला बन जाता है। इसमें एक दफा 17 बनाई गयी है। दफा 4 की नोटिस के साथ दफा 17 लगा कर उस जमीन पर सरकार कब्जा कर सकती है। यह तो आवश्यक है कि यदि जरूरत हो तो जमीन जनता की शीघ्र ली जानी चाहिए। लेकिन यह क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि जिनकी जमीन ली जाए उनको मुआविजा देने के लिए हम उतनी ही तत्परता दिखाएं। जिनकी जमीन ली जाती है, वे गरीब किसान हैं, जिनके पास जीविका का कोई दूसरा साधन नहीं है। और बिना पैसा दिये हुए जीविका से अलग कर दिया जाता है। मेरा जाती तजुरबा है, मेरे मोहल्ले के पास कुछ लोग ऐसे रहते हैं। मैंने जब डाक्टरी का इम्तहान पास करके डाक्टरी शुरू की तो मैंने एक दूध वाले से दूध लेना शुरू किया.....

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—

सुनें तो जरा। उन्हीं के दल के सदस्य कितनी कीमती बात बता रहे हैं।

*डाक्टर प्रकाश नारायण गुप्ता--

मैंने देखा कि दूध वाला दूध में पानी मिला रहा था। जब मैं उसके पास गया और कहा कि तुम ने ऐसा क्यों किया तो उसने गाली दे कर यह कहना शुरू किया कि आपने जमीन छीन कर अपनी कोठियां बनायीं हैं। हमारी तो रोजी यही है। हमने पानी डाल दिया तो क्या हुआ ? उसके बाद मैंने इन्क्वायरी की तो मालूम हुआ कि उनमें से अधिकांश लोग जरायम पेशा हो गये, रात को नकबजनी करने लगे क्योंकि उनके पास कोई जीविका का साधन बचा नहीं। लैंड एक्वीजीशन के लिए जो इस वक्त कानून है उसमें इतनी ज्यादा खराबियां नहीं हैं। इस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उसको पढ़ने की चेष्टा नहीं की। उसमें साफ लिखा हुआ है कि मार्केट रेट पर मुआविजा दिया जायगा और 15 परसेंट और दिया जायगा। यह भी दिया हुआ है कि मार्केट रेट की डेफिनीशन यह है कि जिस भाव पर राजी से बेंचने वाला एक राजी से खरीदने वाले को ट्रांसफर करे। उसको कहते हैं मार्केट रेट। दफा 4 का नोटिस देकर जो बाजार है उस पर मुआविजा देना चाहिए। इस का फायदा उठाने के लिए अधिकारीगण नोटिस देकर, दस-बारह वर्ष की पुरानी नोटिसों को निकाल कर उसके आधार पर एक्वीजन करते हैं इसलिए नहीं कि जमीन की जरूरत है बल्कि इसलिए कि जो जमीन दो रुपये की है वह दो पैसे में मिल सके। अगर कोई लैण्ड एक्वीजीशन आफिसर जमीन की कीमत गलत लगाता है, तो क्या उसकी गलती नहीं मानी जानी चाहिए, और क्या उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए ? लैंड एक्वीजीशन आफिसर पांच पैसे गज में जमीन एक्वायर करता है और कोर्ट में जाकर पांच रुपये गज मुआविजा मिलता है। ऐसे कितने ही केसेज हैं कि कोर्ट में जा कर दस गुना, बीस गुना, चालीस गुना मुआविजा बनता है। मैं आगरा में डिप्टी मेयर के तौर पर काम कर चुका हूं। मुझे अनुभव है, मुख्य नगर अधिकारी टेलीफोन से लैंड एक्वीजीशन आफिसर से कहता था कि अगर इतना मुआविजा कर दोगे तो नगरपालिका कहां से देगी। मुआविजा बहुत थोड़ा रखो। बाद में कोर्ट में करायेंगे तब तक बिल्डिंग बेच कर दे देंगे। इस तरह की परिपाटी से सरकार की बदनामी होती है। ज्यादातर लोग गरीब हैं जिनकी जमीन ली जाती है। कुछ लोग पैसे वाले हैं जिनकी जमीन ली जाती है। गरीब आदमी को पांच पैसे के हिसाब से मुआविजा मिलता है, उसे तीन सौ, चार सौ रुपये मुआविजा बैठता है, जब वह उसे लेने के लिये जाता है तो करीब-करीब आधा पैसा वकील लोग, और अहलकार लोग बंटवा लेते हैं। वह इस काबिल भी नहीं रहता कि वह इतना पैसा खर्च कर सकें कि अपने रुपये को लेने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक जा सके। वह आने दो आने का मुआविजा ले कर बेरोजगार हो जाता है। बड़ा आदमी हाईकोर्ट तक जाकर जिस जमीन का गरीब दो सौ रुपये मुआविजा पाता है, बीस हजार रुपये वसूल करता है। और उसका आखिरी नतीजा यह होता है कि गरीब आदमी यह नहीं समझ पाता कि उसने मुकदमा लड़ा था और हमने नहीं लड़ा बल्कि वह यह समझता है कि गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है और जो पार्टी इन पावर होती है उसको नुकसान भुगतना होता है और वह अन पापुलर होती है। राजा साहब जब मंत्री थे तो मैंने लिख कर दिया था कि इसको एग्जामिन करा लें और सही तरीके से विधेयक को लायें लेकिन अफसोस है कि एक के बाद दो मंत्री बदल गये लेकिन उसका जवाब तक नहीं आया। यह सरकार के लिये कोई उचित बात नहीं है। मैं समझता हूं कि यह विधेयक तो पास होगा ही लेकिन अगर इसमें सुधार करके पूरे तौर से एक कम्पोजिट विधेयक लाया जाय जो सब जगह के लिये एक रूप से लागू हो, किसी के साथ अन्याय न हो और जो संविधान की मंशा है उसको वह सही रूप से उतार ले तो यह ज्यादा उचित होगा।

*श्री बसन्तलाल शर्मा--

अधिष्ठाता महोदय, यह जो प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव है मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं यह समझता हूं कि लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट बहुत आवश्यक है क्योंकि कोई अपनीजमीन राजी से देता नहीं अगर किसी सार्वजनिक कार्य के लिये आवश्यकता होती है तो लेकिन यह जो संशोधन विधेयक लाया गया है, यह सरकार के दिमाग का दिवालियापन है। इस सरकार को

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह भी पता नहीं है कि लैंड एक्वीजीशन में आजकल क्या-क्या नाटक रचा जाता है। कम्पनीज के नाम से जमीन ली जाती है। उसमें शिक्षा संस्थायें, धर्मार्थ अस्पताल, आरफनेज जिनमें सार्वजनिक हित के काम होते हैं उनके लिये जमीन एक्वीजीशन करने के लिये प्रार्थना-पत्र दिया जाता है और उसको कम्पनीज की तरह समझा जाता है और उसके अलावा इंडस्ट्रियल परपजेज के लिये जमीन ली जाती है। इस ऐक्ट के अलावा एक क्वेश्चनर बनाया गया है जिसमें 22 सवालात हैं। उनमें एक बाजीगर जैसा जाल रचा गया है और वह माल विभाग से इश्यु होता है। जमीन लेने वालों को झूठे जवाब देने होते हैं और इस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का लूट खसोट करने का एक अच्छा अवसर मिलता है। मैं स्वयं भुक्तभोगी हूं। चार साल परेशान रहने के बाद एक मालदार आदमी की जमीन मिल रही थी तो नीचे से लेकर लैंड एक्वीजीशन आफिसर तक ने रिश्वत खायी और वह सारी कार्यवाही न्यायालय की बायड हो गयी। आप अगर इस विधेयक के उद्देश्य और कारण देखेंगे तो यही पायेंगे कि इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें सन् 67 में जो संशोधन किया गया था 1894 के ऐक्ट की धारा 4 और 6 में उसको अब निरस्त किया जा रहा है।

मान्यवर, ऐसा लगता है कि सरकार ने इस समाजवाद की हवा के उड़ान में यह तय कर लिया है कि उस समय की सरकार ने जो कुछ दिया था उसे अनडन कर दिया जाय और सन् 70 में जो सरकार आई उसने यह संशोधन कर दिया और आज 72 में उसका कार्यान्वयन वह सम्पादन करने जा रही है। उस समय तीन साल के बारे में जो संशोधन किया गया है वह केवल इस विचारधारा से किया गया था कि अधिकारी समय से कुछ भूमि की कार्यवाही को सम्पादित नहीं कर पाते थे। इसलिये उनके ऊपर एक अंकुश लगाया गया था और अब उसमें यह बहाना करके कि कोर्ट में दिलाया जाय और तीन साल की अवधि बढ़ाई जाय तो मान्यवर, यह सिर्फ समय नष्ट करने की बात है इस सदन के लिये, और इससे कोई फायदा नहीं है। इसको प्रवर समिति में भेजे जाने की आवश्यकता है। जहां पर सरकार को जरूरत होती है उसके लिये धारा 17 है जिसमें कि बिना किसी प्रकार के मुआविजे के फौरन जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है और काश्तकार रोता है उस पर कोई ऐक्शन नहीं लिया जाता है। जमीन खाली एक्वायर कर ली जाती है उसका कोई उपयोग नहीं होता है। 10–10 साल तक जमीन पड़ी रहती है। मैं आप को बहराइच के नानपारा में एक ब्लाक का उदाहरण देना चाहता हूं। वहां पर भूमि ले ली गयी और उसे लेकर ब्लाक के लिये टाल दिया गया। उसके पहले 8 मील के फासले ब्लाक बन चुका था। उस जमीन को इस नाम पड़े रहने दिया गया कि ब्लाक की बिल्डिंग बनाई जायेगी। वह भूमि अभी भी पड़ी हुई है। उसके लिये कहा जाता है कि इसमें हम स्कूल बनायेंगे या कोई अन्य चीज खोलेंगे। इस प्रकार जिले के अधिकारी टालते रहते हैं। जो ओरीजिनल बिल 1894 का है उसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि जिस परपज के लिये वह भूमि ली गयी है यदि उस कार्य के लिये उसका इस्तेमाल नहीं होता है तो उस भूमि को वापस करने की कार्यवाही की जा सकती है। किन्तु इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। अधिकारी मनमानी वहां पर करते हैं। धांधलेबाजी हो रही है। काश्तकार भटकते रहते हैं। काश्तकारों की आखिरी सीढ़ी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है और वही सारी कार्यवाही करता है। एक तरफ तो इस प्रकार की अंधेरगर्दी फैली हुई है उसको दूर करने के लिये कोई इन्तजाम नहीं होता है दूसरी तरफ वास्तविक कार्य के लिये जब कोई गैर-सरकारी आदमी भूमि लेता है तो उसे लूट लिया जाता है, गरीब, बैकवर्ड और पिछड़ों को जिनके पास कि पैसा नहीं है उनकी जमीन निकाल ली जाती है और जो सरकारी कर्मचारी हैं जो कि पैसा वाला है वह झट से कोई मन्दिर या कोई कब्र जमीन पर बना देता है ताकि वह जमीन न जा सके। तो इस प्रकार से धांधलेबाजी होती है।

मैं माननीय राज्य मंत्री के लिये तो नहीं कह सकता हूं किन्तु उप-मंत्री जी के लिये कहता हूं कि वे तो कानूनगो रहे हैं। उनको इन सब बातों का अनुभव है कि किस तरह से माल विभाग के कर्मचारी लूट खसोट करते हैं। इसलिये जो कानून 1894 में बना हुआ है वह इनइफेक्टिव और प्रभावशून्य है। उसकी कोई धारा कारगर नहीं रह गयी हैं। दफा 4 के अन्तर्गत नोटिफिकेशन नहीं होता है। कार्यकर्ता उसको रुकवा देते हैं। तो इन बातों का

[श्री बसन्त लाल शर्मा---]

निराकरण करना है। जहां तक मुआविजे की बात है उसमें अब 15 प्रतिशत का जिक्र किया गया है। यह भी धोखाधड़ी की बात है। सन् 52 में जब जमींदारी एबालिशन ऐक्ट लागू हुआ तो उस समय 1 हजार रुपया प्रति एकड़ एक मामूली जमीन का मूल्य था और उस समय गेहूं पांच सेर और साढ़े पांच सेर का बिकता था और अब 14 छटांक और एक सेर का हो गया है। उसी प्रकार अब 5 हजार रुपया प्रति एकड़ मामूली जमीन का मूल्य हो गया है। जो क्वेश्चेनयर उसमें बना हुआ है उसमें कुछ कालम्स में यह भी लिखा है कि आपने किसान से बातचीत की, तो उसमें फरजी तौर से भर दिया जाता है और लिखा जाता है कि हां। इस प्रकार सब फरजी और झूठ ही लिखा जाता है। उसमें यह भी होता है कि क्या वह पूरा पैसा लेने के लिये तैयार है तो लिख दिया जाता है कि वह पूरा पैसा लेने के लिये तैयार है लेकिन वह नहीं होता। क्यों कि उसमें कानून को तोड़-मरोड़ कर ऐसे नये-नये प्रश्न पैदाकर दिये जाते हैं, एग्रीमेंट में शर्तें डाल दी गयी हैं कि अगर इन शर्तों का माननीय मंत्री जी अध्यन करें और नियम, उपनियम, प्रश्नावली और एग्रीमेंट को देखें तो मालूम होगा कि एक बवाल फैला हुआ है। अगर हमारे बोलने को अरण्य शेदन समझें तब दूसरी बात है वरना आप देखें कि इधर के बैठने वाले तो हमारे साथ हैं ही, उधर भी अभी डाक्टर पी० एन० गुप्ता ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यह बिल पूरा इनइफेक्टिव है, बेकार समय नष्ट किया जा रहा है, इसे प्रवर समिति में जाना चाहिए। मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, वह राज्यमंत्री रह चुके हैं इसी सरकार में। तो उधर के बोलने वाले सदस्यों की विचारधारा और भावना बिल्कुल स्पष्ट है कि यह संशोधन विधेयक जो लाया गया है वह बिल्कुल अपूर्ण है, इससे सरकार का मंशा पूरा नहीं होती है। अव्वल तो इसे वापस ले लेना चाहिए। और अगर सरकार समझती है कि वास्तव में किसानों के हितों की रक्षा करनी है तो उनकी आवश्यकताओं को समझना चाहिए कि किस प्रकार से भूमि प्राप्त की जाय और क्या क्या दिक्कतें सरकारी अधिकारी और कर्मचारी पैदा कर रहे हैं और किस प्रकार कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं अगर इसका निराकरण करना है तो इसको प्रवर समिति को भेजने के संशोधन को मान लेने में उनको कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इस 1894 के ऐक्ट में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है, इसलिए या तो इसको वापस लिया जाय और दूसरा विधेयक लाया जाय या इसको प्रवर समिति को भेजा जाय जिसको इसकी परिधि बढ़ाने का अधिकार हो ताकि उसमें वर्तमान आवश्यकताओं, स्थिति और समाजवादी विचारधारा को देखते हुए , सरकार की जो औद्योगीकरण की नीति है उसको देखते हुए उसका समावेश इस विधेयक में करें। उसी में जनता का हित है और सरकार का हित है और हम लोगों का भी हित है। इन शब्दों के साथ मैं प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री प्यारेलाल (जिला मेरठ)---

अधिष्ठाता महोदय, माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो विधेयक पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। लेकिन साथ ही साथ मैं सुझाव भी देना चाहता हूं यह जो अंग्रेजों के जमाने का 1894 का कानून बना हुआ है जिसमें किसानों को तरह-तरह से परेशान व हलाक किया जाता है, शोषण किया जाता है उसी 1894 के कानून में आमूल परिवर्तन तुरन्त होना जरूरी है। किसान की जमीन ले ली जाती है 1894 के कानून के अनुसार लेकिन किसान को 8-8, 10-10 साल तक मुआविजा नहीं मिलता है। जमीन 1 आना, 2 आना गज ली जाती है बाजार भाव कहकर बहकाया जाता है परन्तु मुआविजा नहीं के बराबर होता है और ऊंची कीमत पर सरकार बेंचती है, इस तरह से किसान का व उपभोक्ता का खून चूसा जाता है।

श्री अधिष्ठाता---

कृपया माननीय सदस्य आपस में बात न करें।

श्री प्यारेलाल---

इस कानून में ऐसा संशोधन होना चाहिए कि जितनी कल्हर, बंजर जमीन हो उस क्षेत्र में जहां विकास योजना लागू होनी है। पहले उसका अर्जन करना चाहिए। फिर जमीन की

श्रेणी बना ली जायं, स्पष्ट कर दिया जाय कि किस क्रम से जमीन ली जायगी। यानी पहले कल्हर ली जाय और जहां कहीं कोई विकल्प न रहे वहां भोर्णवार भूमि ली जाय। अगर उपजाऊ भूमि ही ली जाय तो बाजार भाव पर ली जाय और उसका मुआविजा दिया जाय। जमीन पर कब्जा लेने से पहले और सारी भूमि का एकमुश्त किसान को मुआविजा दे दिया जाय।

आज मैं देख रहा हूं कि गाजियाबाद में 8–8, 10–10 साल हो गये। जमीन ले ली गयी। उस पर कारखाने बन गये निजी क्षेत्र में, सरकारी भवन बन गये लेकिन किसान को मुआविजा आज तक नहीं मिला है। मैं यह पूछना चाहता हूं सरकार से और सभी माननीय सदस्यों से चाहे इस पक्ष में या विपक्ष में बैठे हों कि अगर उन्हीं को साल-साल भर तनख्वाह न मिले तो क्या वह असेम्बली में आ जायंगे? 8–8, 10–10 साल तक किसानों को मुआविजा नहीं मिला, कैसे किसान अपने बच्चों को पढ़ाये लिखाये, उनके लिए रोटी लाये? मेरी समझ में नहीं आता कि इतना बोगस कानून जो 1894 का है उसी में पेबन्द लगा कर उसको चलाया जा रहा है। यह निर्थक कानून है। इसमें पेबन्द लगाने के बजाय इसमें आमूल-चूल परिवर्तन होना चाहिए। जहां तक संभव हो सरकारी काम के लिए जमीन का अर्जन किया जाय, उसका अधिग्रहण किया जाय लेकिन जहां पूंजीपतियों के लिए जमीन ली जाती है और अमीरों की कोठी बनाने के लिए ली जाती है तो उसका नकशा बना कर छोड़ दें और उनसे कहें कि लो अपने भाव, जिस भाव से किसान दे सके। इस कानून में इस तरह से संशोधन होना चाहिए कि उसमें स्पष्ट हो कि सरकार के अपने काम के लिए जमीन ली जा रही है, वह चीज स्पष्ट हो। जहां सड़क बनानी है या स्कूल बनाना है वहां भले ही किसान को कत्ल कर दो। लेकिन जहां किसानों की जमीन ली जाय और वह उद्योगपतियों को दे दी जाय तो यह न्याय और हक, वह किसानों का खून है। इसलिये इसमें आमूल चूल परिवर्तन होना चाहिये। 1960–61 में गाजियाबाद में 35 हजार एकड़ भूमि ली गई लेकिन आज तक मुआविजा नहीं दिया गया। उस समय के मुख्य मंत्री ने स्वायत्त शासन मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि जब यहां उद्योग लगेंगे तो वहां के लोगों को उन उद्योगों से प्राथमिकता दी जायेगी। लेकिन मैं देखता हूं कि पूंजीपति बाहर से नौकर लाते हैं और स्थानीय लोगों को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। जिस इलाके की जमीन ली जाय तो वहां पर उद्योगों में वहां के नौजवानों को प्राथमिकता दी जाये।

इसके साथ-साथ जमीन सस्ते दाम तो ले ली जाती है और विकास का खर्चा मनमाना लगा दिया जाता है। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और हाउसिंग बोर्ड जैसे इन सफेद हाथियों को सरकार पाल रही है जो जनता के धन से वेतन पाते हैं और उसका ही शोषण करते हैं यदि जमीन पर 2 रुपये गज का खर्चा विकास पर आना चाहिये तो उस पर 10-12 रुपये गज लगाया जाता है। इसके साथ-साथ गलत योजनायें बनती हैं। जहां आबादी होनी चाहिये वहां उद्योग लग जाते हैं। और उद्योगों के बीच में आबादी। आबादी बीच में होने से चिमनी का धुंआ दिन रात लोगों के कपड़े काले करता है। इसलिये उद्योगों के बीच में आबादी नहीं होनी चाहिये। जिस काम के लिये जमीन ली जाय उस पर वही काम होना चाहिये। जब तक इसमें आमूल परिवर्तन नहीं होंगे तब तक किसान का खून होता रहेगा और आपके समाजवाद का नारा चूंचूं का मुरब्बा बन कर रह जायेगा। इस कानून में आमूल परिवर्तन करना होगा और जनता को बाजार भाव से मुआविजा देना होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा श्री शम्भूनाथ चौधरी का नाम पुकारे जाने पर तथा कई सदस्यों के खड़े होने पर)।

श्री अधिष्ठाता––

अब इसको समाप्त करना है क्योंकि शहरी भवनों से संबंधित विधेयक साढ़े तीन बजे आना है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी––

श्रीमन्, हमारा समय श्री रामप्यारे जी को दे दिया जाय।

*श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)--

अधिष्ठाता महोदय, इस संशोधन विधेयक में जो चौधरी जी का संशोधन है उसके समर्थन में मैं बोलना चाहता हूं। इस ऐक्ट के मातहत मिर्जापुर इलाके में रिहन्द बांध के 45 हजार आदमियों को उजाड़ दिया गया। मुआविजे की गलत नीति के कारण इतने आदमी भिखारी बन गये हैं। चुर्क सीमेन्ट, डल्ला सीमेन्ट फैक्टरियों तथा ओबरा थरमल के लिये किसानों की जमीन ली गई तथा प्राइवेट सेक्टरों को भी दी गई। ओबरा थर्मल में प्रोडक्शन शुरू हो गया लेकिन अभी तक उनको मुआविजा नहीं दिया गया। इसी तरह से डल्ला सीमेंट फैक्टरी में 8–10 साल से जमीन पर कब्जा कर लिया लेकिन अभी तक मुआविजा नहीं दिया गया।

मान्यवर, यही नहीं कि इन्होंने उनकी जमीन को लिया हो, इन्होंने उन लोगों को लूट लिया, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि मुआविजे की इनकी दर यह है कि लगान का 30 गुना दिया जाय। 4 आना अगर लगान है तो उसको $7\frac{1}{2}$ रुपया देकर छुट्टी पाते हैं और उनकी जीविकोपार्जन का साधन छीन लेते हैं। इसका सरकार को अविलम्ब कोई उपाय करना चाहिये। इसके लिये सरकार को इस विधेयक को प्रवर समिति को भेज देना चाहिये ताकि उसके ऊपर पूरे तौर से विचार हो सके। हमारे यहां मिर्जापुर में सरकार अथवा दूसरे वर्ग के लोग किसानों की जमीनों को ले लेते हैं। राबर्ट्सगंज में $8\frac{1}{2}$ हजार बीघा और दुद्धी में $3\frac{1}{2}$ हजार बीघा जमीन ले ली और वहां के प्रतिनिधि हम लोग सन् 1969 से आवाज उठा रहे हैं लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई और इस सरकार ने गरीबों से जमीन लेकर उनको उजाड़ दिया है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि अगर वह किसी की जमीन को ले या उस जमीन को ले जिस पर उसका घर मकान बना है तो उसको उचित मुआविजा दिया जाय और जिन लोगों का मुआविजा अभी तक बाकी है उसको 1, 2, 3 महीने में अवश्य दे दिया जाय। जिनके जीविकोपार्जन का साधन छीन लिया गया है, उनको कुछ तो सहारा उस पैसे के मिल जाने से हो जाय। हिन्डालकों ने वहां के ग्राम समाज की भूमि को 500 रुपया एकड़ में एवायर कर लिया है और जिन लोगों की जमीन को लिया गया है उनको वहां पर कोई नौकरी भी नहीं मिली है। उन्हीं को नहीं, उत्तर प्रदेश के लोगों को भी नहीं मिली है। बड़े-बड़े अधिकारियों के लड़के उनके यहां नौकर हो जाते हैं। उसके पास की ही जंगलात विभाग की जमीन को 5 हजार रुपया प्रति एकड़ पर लिया गया है लेकिन किसानों की जमीन 500 रुपया एकड़ में ले ली गयी है। सरकार की कोई एक नीति निर्धारित होनी चाहिये। जो पिछड़े इलाके हैं, जहां राजनैतिक चेतना जाग्रत नहीं हुई है, उनको आप लूट लें, यह उचित नहीं है। आप एक सिद्धान्त बनायें और उसके अनुसार किसानों को उचित कीमत उनकी जमीन की दें।

*श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)---

अधिष्ठाता महोदय, यह विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिर्जापुर जिले का यह क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ है। वहां अभी तक कोई ठोक से पैमाइश नहीं हुई है। जितने भी औद्योगिक सेंटर्स हैं वे मिर्जापुर में लगा दिये जाते हैं। हिन्डालको, चुर्क सीमेंट फैक्ट्री, डाला फैक्ट्री आदि। उनके लिये गरीबों की जमीन सरकार एक्वायर कर लेती है और वे लोग अगर किसी अधिकारी को एप्रोच करते हैं तो उनसे कह दिया जाता है सरकार के पास जाओ, यहां से कुछ नहीं हो सकता। उनकी दरख्वास्त को फाड़ कर फेंक दिया जाता है।

मिर्जापुर में ही बिण्डनगंज 28 कि० मी० की एक सड़क बन रही है। काश्तकारों की अच्छी और उपजाऊ जमीन को उसमें ले लिया गया है और मुआविजा भी नहीं दिया जाता है कहते हैं कि हम जिम्मेदार नहीं है, सरकार के पास जाओ। इसी प्रकार बिना मुआविजा दिये वहां पर सारे उद्योगों को लगा दिया गया है। यहां तक कि मंत्री महोदय वहां गये और उन्होंने चुनाव में घोषणा की, वहां पर एक खास समस्या वर्ग 4 की जमीनों की है, सन् 1247 में वहां पर गांवों की हदबन्दी हुई थी और कितनी ही जमीन ऐसी है कि जो वहां पर पड़ी हुई है

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और उसका कोई ठीक से रिकार्ड नहीं है और उसके कारण मुआविजे के मिलने में बड़ी दिक्कत हो रही है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह सगौरी और विजयगढ़ में जो यह 135 गांवों का मामला है वहां का वह शीघ्र एक सेटिलमेंट करा दें ताकि वहां की जमीनों की नापजोख और रिकार्ड्स ठीक हो सकें और इस तरह से वहां के किसानों को ठीक से मुआविजा भी मिल सकेगा। इसी के लिये बार बार मंत्री जी से कहा जा रहा है और उनसे बार बार अप्रोच करना पड़ता है। रामप्यारे जी और हम बराबर दुद्धी ब राबर्ट्सगंज क्षेत्र के लिये और वहां की समस्याओं के निवारण के लिये प्रयास कर रहे हैं लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई निश्चित कदम इस दिशा में नहीं उठाया गया है। इन गांवों को वन विभाग में लेने से भी वहां की डेढ़ लाख जनता प्रभावित हुई है। यदि सरकार वहां की इन समस्याओं का कोई स्थायी हल नहीं निकालेगी तो हमें डर है कि वहां की जनता कोई आन्दोलन न छेड़ दे और फिर उसकी जिम्मेदारी उस सरकार पर ही होगी। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वर्ग 4 की जमीनों की कोई निश्चित सीमा नहीं है और उनको मनमाने तरीके से अधिकारी अपने कब्जे में कर लेते हैं, इस चीज को तुरन्त ठीक किया जाय।

श्री काजी जलील अब्बासी--

अधिष्ठाता महोदय, इस सम्बन्ध में जितनी बातें कही गई उनमें जहां तक व्यवहारिक कठिनाइयों का संबंध है, हम बहुत आभारी हैं कि बहुत सी ऐसी चीजों पर यहां प्रकाश डाला गया जो कि आवश्यक थीं। मुआविजे का जहां तक सवाल है इसमें शक नहीं कि लोगों की जो कठिनाइयां हैं वे सब हमारे सामने आई हैं और अगर माननीय सदस्यगण उचित समझें तो उनको लिख कर दे दें और जो खास दिक्कत होगी उन को रफा करने की कोशिश की जायगी। जहां तक श्री शम्भूनाथ जी के संशोधन की बात है मालूम होता है कि उनको कुछ भ्रम है वर्ना वह इस संशोधन को शायद पेश ही न करते। उनके जो 2–3 भ्रम रहे उनको मिटाने की मैं कोशिश करूंगा। यह जो भिन्न प्रयोजन के लिये भूमि अर्जन के संबंध में लागू होने की बात उन्होंने कही, उस का मतलब यह है कि जो कि प्रयोजन भिन्न नहीं है यानी जितना हिस्सा है उससे अलग हट कर, उसको छोड़ कर जो कि केन्द्रीय सरकार का है, उन पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। जितने प्रयोजन राज्य सरकार के होंगे वे वहीं होंगे जो सेक्शन 4 पब्लिक परपज में आते हैं और उन सब पर ही यह बिल लागू होगा। इस पर जिन माननीय सदस्यों ने बहुत लम्बे भाषण दिये उस को मैंने साफ किया।

दूसरे सेक्शन के बारे में भी उनको भ्रम था कि सेक्शन 6 में है या 1 में है। इस संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि वह सन् 54 में संशोधन 23 (1) में हुआ था और केवल एक हिस्सा जो उसका था और उसमें सेनिटेशन और गैर सेनिटेशन, इन दो चीजों का फर्क किया गया था इस में थोड़ी सी पहले दिक्कत होती थी, उसको साफ करने के लिये जो स्पष्टीकरण था, उसको निकाल दिया गया है और बकिया पूरी क्लास कायम है। वैसे इस संबंध में एक मुल्ला कमेटी बैठी है और उसको हमारे यहां से काफी सिफारिशें गई हुई हैं, आप जानते हैं कि यह एक केन्द्रीय कानून है, हमारा पूरा लैंड एक्वीजिशन ऐक्ट केन्द्र का है और उस में व्यापक संशोधन करने के लिये मुल्ला कमेटी बैठी हुई है और तमाम पहलुओं पर विचार हो रहा है और मैं माननीय सदस्यों को इतमिनान दिलाना चाहता हूं कि उसमें इन तमाम चीजों पर विचार हो रहा है। ये सब चीजें उसमें विचार हो रही हैं, उसमें चेंज होगा। यह एक ऐसी चीज है जिसे 1963 में जो एक कमेटी बैठी थी, उसने विचार किया और जो त्रुटियां उसने बतायीं उनका इसमें समावेश किया गया है। हमें इसका अफसोस है कि इसमें इतनी देर लगी क्योंकि यह बहुत पहले आ जाना चाहिए था। अब उन सारी त्रुटियों को जो समिति ने बताया था, विचार करके इसमें रखा है। मैं आशा करूंगा कि माननीय सदस्य और खास कर माननीय शम्भूनाथ जी ने जो प्रस्ताव रखे हैं, वे उनको वापस ले लेंगे।

(इस समय 3 बजकर 12 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने जो बात रखीं भिन्न प्रयोजनों के सम्बन्ध में उससे मेरी बात का परपज सर्व नहीं होता है। श्रीमन्, यह तो नीति का सवाल क्लियर आता है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि भूमि अर्जन (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1970 सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो। समिति अपना प्रतिवेदन एक महीने के भीतर प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि भूमि अर्जन (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1970 को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जिसे इस की परिधि बढ़ाने का अधिकार प्राप्त हो, और अपनी रिपोर्ट एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि भूमि अर्जन (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1970 जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खंड २

अधिनियम संख्या 1, 1894 की धारा 6 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथा संशोधित भूमि अर्जन अधिनियम, 1894, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 6 की उपधारा, (1) के प्रथम परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जाय सदैव से बढ़ाया गया समझा जाय, अर्थात् :—

"परन्तु अग्रेतर यह कि पूर्ववर्ती परन्तुक में अभिदिष्ट तीन वर्ष की अवधि की गणना करने में वह समय, जिसके दौरान राज्य सरकार किसी न्यायालय के किसी आदेश द्वारा या उसके परिणामस्वरूप ऐसी घोषणा करने से निरोधित थी, सम्मिलित नहीं किया जायगा :"

श्री कल्पनाथ सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि—

खंड 2 द्वारा प्रस्तावित परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय—

"अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि इस अवधि के पश्चात् पुनः शासन द्वारा यह निश्चित किया जायेगा कि अब भी जनहित में उक्त भूमि की आवश्यकता है और उसे कारण सहित गजट में प्रकाशित किया जायेगा और कोई भी व्यक्ति इस सम्बन्ध में अपनी आपत्ति 15 दिन के भीतर राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा किन्तु यह भी प्रतिबन्ध है कि इस प्रकाशन और आपत्ति के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति इस आधार पर किसी अदालत में नहीं जायेगा।"

इसका मतलब यह है कि जो 3 साल तक अगर किसी अदालत में मामले विचाराधीन रहे, और उसके बाद अगर तीन साल तक एक्वीजीशन प्रोसीडिंग्स चलती रहीं और उसके बाद अगर

सरकार को आवश्यकता ही नहीं हुई उस जमीन के अधिग्रहण की तो कोई आवश्यकता नहीं रह जाती और दूसरी बात इससे यह हो जायेगी कि फिर अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाय कि बाजार के मूल्य में जमीन का मूल्य घट जाय अथवा बढ़ जाय तो बढ़ती हुई अवस्था में भी या घटी हुई अवस्था में भी---घटी हुई अवस्था में सरकार के ऊपर बोझा नहीं पड़ेगा और बढ़ी हुई अवस्था में किसान पर बोझा नहीं पड़ेगा। जो तीन साल तक बाजार भाव रहा उसके बाद जो बाजार भाव हो उसकी बात के लिये यह हमारा संशोधन है कि अगर उसके आधार पर कोई आपत्ति मालूम होती है तो वह राज्य सरकार को उसके प्रकाशन के पन्द्रह दिन के अन्दर नोटिस दे और उसके बाद अगर राज्य सरकार समझती है कि उसका कोई अधिकारी होगा वह यह समझता है कि उसने जो कारण दिये हैं वह मुनासिब कारण हैं, उसके आधार पर उसको अपना मूल्य बढ़े हुए बाजार भाव पर पाने का अधिकार होगा लेकिन फिर उसे किसी अदालत में जाने का कोई गुंजाइश न रहे और डिले न हो इस मामले में काम चलाने के लिये इस पर भी यह मैंने प्रतिबन्ध लगाया कि फिर इस आधार पर कोई आदमी फिर अदालत में नहीं जायेगा। यह उसका मतलब है। अगर सरकार मुनासिब समझती है तो उसको माने और अगर मुनासिब नहीं समझती है तो न माने?

श्री काजी जलील अब्बासी---

माननीय सदस्य ने खुद समझा कि इसमें कुछ गैर-मुनासिब चीज है। उन्हें इसमें गैर मुनासिब होने का स्वयं ख्याल था। खास तौर पर यों कि तीन साल या पांच साल के बाद जब वह आयेगा तों उस बक्त वह मुकदमा तो लड़ रहा है। अब इस वक्त मूल्य के मुताबिक कैसे देंगे। जब हमने लिया तो उस वक्त का मूल्य और उसके मुताल्लिक देंगे। इस वास्ते मैं समझता हूं कि जब आप यह कहते हैं कि जो मूल्य बाद में हो आवश्यकता हो या न हो, जब आवश्यकता नहीं होगी लेने की तो 48 में विदड्रा कर सकते हैं। हर दम प्राविजन मौजूद है। बिना आवश्यकता के क्यों लेंगे?

श्री कल्पनाथ सिंह---

ऐसी तमाम जमीनें पड़ी रहती हैं जो एक्वीजीशन में चली जाती हैं और जिस परपज के लिये होती हैं वह होता नहीं है।

श्री काजी जलील अब्बासी---

कानून में पूरी गुंजाइश है। कठिनाई वास्तविक बात की पड़ रही है। कानून छः के बाद भी अमल-दरामद पूरा नहीं होता है। आपकी व्यावहारिक कठिनाई ठीक है जो आपने कहा है। उसको देखा जायेगा। इसमें दिक्कत क्या है। आवश्यकता हो तब छोड़ दें, आवश्यकता न हो तो 48 में छोड़ देंगे। जरूरत पर देंगे। इसको हम ले रहे हैं। इसलिये श्रीमन्, इसको मैं नहीं मानता।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड 2 द्वारा प्रस्तावित परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय---

"अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि इस अवधि के पश्चात् पुनः शासन द्वारा यह निश्चित किया जायगा कि अब भी जनहित में उक्त भूमि की आवश्यकता है और उसे कारण सहित गजट में प्रकाशित किया जायेगा और कोई भी, व्यक्ति इस संबंध में अपनी आपत्ति पन्द्रह दिन के भीतर राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा किन्तु यह भी प्रतिबन्ध है कि इस प्रकाशन और आपत्ति के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति इस आधार पर किसी अदालत में नहीं जायेगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, खंड 2 के पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय—

"खंड 2 द्वारा प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा 6 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत तीन वर्ष की अवधि के पश्चात् बाजार दर जो भी हो उसके आधार पर मुआविजा दिया जायेगा न कि उस दर पर जो इसके पूर्व निश्चित किया गया था। ऐसी दरें राज्य सरकार के आदेश से जिलाधिकारी द्वारा तय की जायेंगी जिससे क्षुब्ध कोई व्यक्ति राज्य सरकार या उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति को पन्द्रह दिन में अपील कर सकेगा। किन्तु इस सम्बन्ध में किसी अदालत में विवाद उठाने की मनाही रहेगी।"

(श्री कल्पनाथ सिंह के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर तो आप बोल चुके। प्रश्न यह है कि खंड 2 के पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय—खंड 2 द्वारा प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा 6(1) के परन्तुक के अन्तर्गत ३ वर्ष की अवधि के पश्चात् बाजार दर जो भी हो उसके आधार पर मुआविजा दिया जायेगा न कि उस दर पर जो इसके पूर्व निश्चित किया गया था। ऐसी दरें राज्य सरकार के आदेश से जिलाधिकारी द्वारा तय की जायंगी जिससे क्षुब्ध कोई व्यक्ति राज्य सरकार या उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति को 15 दिन में अपील कर सकेगा। किन्तु इस सम्बन्ध में किसी अदालत में विवाद उठाने की मनाही रहेगी।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३, ४ व ५

धारा 23 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 23 में—

(क) उपधारा (1) में, प्रथम खंड का स्पष्टीकरण निकाल दिया जाय।

(ख) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"(2) "भूमि के बाजार मूल्य के अतिरिक्त, जैसा कि ऊपर उपबन्धित किया गया है, न्यायालय हर मामले में ऐसे बाजार मूल्य के पन्द्रह प्रतिशत के बराबर राशि अर्जन के वैवश्यिक प्रकृति होने के फलस्वरूप अधिनिर्णीत करेगा।"

ऐक्ट संख्या 13, 1967 की, धारा 4 का संशोधन

4—लैण्ड एक्वीजीशन (अमेंडमेंट ऐंड वेलीडेशन) ऐक्ट, 1967 की धारा 4 में, उपधारा (2) के अन्त में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिये जायें और सदैव से बढ़ाये गये समझे जायं, अर्थात् :—

"परन्तु यह कि उक्त अवधि की गणना करने में वह समय, जिसके दौरान राज्य सरकार किसी न्यायालय के किसी आदेश द्वारा या उसके परिणामस्वरूप ऐसी घोषणा करने से निरोधित थी, सम्मिलित नहीं किया जायगा;

परन्तु अग्रेतर यह कि ऐसे हर मामले में जिसमें पूर्ववर्ती परन्तुक लागू हो, उक्त अवधि भूमि अर्जन (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1970 के प्रारम्भ होने से तीन महीने की समाप्ति के पूर्व समाप्त हुई न समझी जायगी।"

वैधीकरण

5—किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के किसी प्रतिकूल निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी लैंड एक्वीजीशन (अमेंडमेंट ऐंड वैलीडेशन) आर्डिनेंस, 1967 के प्रारम्भ होने के पूर्व मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित की गयी किसी भूमि के संबंध में इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व मूल अधिनियम की धारा 6 के अधीन की गयी कोई घोषणा, यदि वह एतद्द्वारा संशोधित लैंड एक्वीजीशन (अमेंडमेंट ऐंड वैलीडेशन) ऐक्ट, 1967 की धारा 4 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर की गयी हो, इस आधार पर अवैध न समझी जायेगी और सदैव से ही अवैध न समझी जायगी कि वह उक्त आर्डिनेंस के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् की गयी थी, और तदनुसार, ऐसी घोषणा के अनुसरण में किया गया कोई अर्जन और ऐसे अर्जन के संबंध में की गयी कोई कार्यवाही या किया गया कोई कार्य (जिसके अन्तर्गत दिया गया कोई आदेश, किया गया अनुबन्ध या प्रकाशित अधिसूचना भी है) केवल उक्त आधार पर अवैध नहीं समझा जायगा और कभी भी अवैध रहा नहीं समझा जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 3, 4 और 5 बिधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 1 प्रस्तावना तथा शीर्षक

भूमि अर्जन (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७०

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में अग्रेतर संशोधन करने और तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रवृत्ति

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

1—(1) यह अधिनियम भूमि अर्जन (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1970 कहलायेगा।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह संघ के प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए सभी भूमि अर्जन के संबंध में लागू होगा।

श्री कल्पनाथ सिंह—

आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड 1 (3) से शब्द "संघ" निकाल दिया जाय। श्रीमन्, इसकी मूल भाषा यह है कि "यह संघ के प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए सभी भूमि अर्जन के सम्बन्ध में लागू होगा"। इसका मतलब यह है कि "संघ" के लिए किसी दूसरी विधि की व्यवस्था है। मेरा निवेदन है कि उत्तर प्रदेश में केवल एक व्यवस्था ही चले। इसलिए मैंने यह रखा है कि "संघ" शब्द निकाल दें। एक ही कानून बने चाहे संघ की जरूरत हो...

श्री उपाध्यक्ष--

"संघ" शब्द निकाल देंगे तो जो रह जायेगा उसका अभिप्राय क्या होगा। आपने यदि लिखा होता "यह संघ के प्रयोजनों से", लेकिन अगर केवल "संघ" शब्द निकाल देंगे तो फिर इसका कोई अर्थ नहीं निकलता।

श्री कल्पनाथ सिंह--

आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर यह छोटा सा शब्द 'संघ' निकालने के लिए तैयार हो जायं तो बाकी बात अपने आप बन जायगी। एक शब्द यह नहीं निकालेंगे तो यह दस शब्द निकाल देंगे, यह किस प्रकार उम्मीद की जा सकती है।

श्री उपाध्यक्ष--

यह निरर्थक है। इसको मैं रूल आउट करता हूं।

श्री कल्पनाथ सिंह--

आपकी मर्जी।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री काजी जलील अब्बासी--

आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि भूमि अर्जन (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1970, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि भूमि अर्जन (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1970 जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

इलाहाबाद तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय कोर्ट के लिये विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचनार्थ कार्यक्रम की सूचना।

श्री उपाध्यक्ष--

अब एक, दो सूचना देनी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय कोर्ट में कार्य करने के लिये उत्तर प्रदेश विधान सभा के 5 सदस्यों के निर्वाचनार्थ निम्नलिखित कार्य-क्रम स्वीकार किया है:

1--नाम-निर्देशन पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि तथा समय--19 जनवरी, 1972 के अपराह्न 1 बजे तक।

2--नाम-निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा--19 जनवरी, 1972 को अपराह्न 1.15 बजे (सचिव, विधान सभा के कमरे में)।

3--नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय--19 जनवरी, 1972 के अपराह्न 3 बजे तक।

4--निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो मतदान दिनांक 20 जनवरी, 1972 को दिन के 12 बजे से अपराह्न 4 बजे तक विधान मंडल पुस्तकालय, विधान भवन, लखनऊ में होगा।

गोरखपुर विश्वविद्यालय कोर्ट के लिये 5 सदस्यों के निर्वाचनार्थ प्राप्त नामांकन-पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा नियत समय पर की गयी और सब ठीक पाये गये हैं। यदि अतिरिक्त नाम 19 जनवरी, 1972 के अपराह्न 3 बजे तक वापस नहीं लिये गये तो मतदान 20 जनवरी, 1972 को दिन के 12 बजे से अपराह्न 4 बजे तक विधान मंडल पुस्तकालय, विधान भवन, लखनऊ में होगा।

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराया तथा बेदखली का विनियमन) विधेयक, १९७०†

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री बेनी सिंह)—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से आज इस सदन के समक्ष एक ऐसा विधेयक पेश कर रहा हूं कि जिसका युगों से इन्तजार था और जिस विधेयक ने इस सदन के कई मंत्रियों को निकाला बैठाला। सन् 68 से एक विधेयक पेश हो रहा था। उस पर कैबिनेट की कई सब-कमेटियां बनीं, कई मंत्रियों ने विचार किया लेकिन वह पूरा न हो सका। आज जिस को मैं पेश कर रहा हूं वह अपनी जो सेलेक्ट कमेटी थी उसकी सर्वसम्मत राय से ही यहां पेश कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप प्रस्ताव पेश कर दें।

श्री बेनी सिंह—

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराया तथा बेदखली का विनियमन) विधेयक, 1970, जैसा कि संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ, पर विचार किया जाय।

चूंकि इसमें इतना मंथन हुआ है कि अब इसमें बहस की ज्यादा जरूरत है नहीं। सेलेक्ट कमेटी ने 18–20 बैठकें कर के इसके एक-एक शब्द पर 6–6, 7–7 घंटे की बहस की और उसके बाद सर्वसम्मति से आपके सामने यह पेश हुआ है। इसकी जो खास बातें हैं वह मैं थोड़ी सी बता दूं। मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लेना चाहता क्योंकि आज ही इसको पास करने का इरादा है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

इतना महत्वपूर्ण विधेयक है। इसको एक घंटे में आप पास कराना चाहते हैं?

श्री बेनीसिंह—

आपका सहयोग होगा तो जरूर पास हो जायगा और अगर आप इसको देखेंगे तो आपको इसमें कोई संशोधन करने की गुंजायश नजर ही नहीं आयेगी। श्री रूपनाथ सिंह भी उस सर्व-सम्मति में शामिल हैं। तो ऐसी हालत में इसमें कहीं गुंजायश नहीं है। यों आप वक्त लगाना चाहें तो लगायें, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन जितनी जल्दी आप पास कर सकें उतना ही अच्छा है। क्योंकि इसका बहुत इन्तजार हो रहा था। जहां-जहां मैं गया लोगों ने पूछा कि कब ला रहे हो और हमारा सदन इतना उत्सुक है, हर मेम्बर पूछता है कि कब ला रहे हो। इसमें अगर आप ज्यादा वक्त लगायेंगे तो मैं क्या कहूं? आप हमारी मदद नहीं करेंगे। यही कह सकता हूं। लेकिन उम्मीद है कि आप हमारी पूरी मदद करेंगे। अगर कोई ऐसी बात होगी तो उसको मान लेने में भी मुझको एतराज नहीं होगा।

अभी तक यह कानून अस्थायी था अब स्थायी हो जायगा। इसमें हमने यह किया है कि 10 साल के बाद नये मकान अपने आप इस कानून के अन्तर्गत आ जायंगे। अभी तक 1951 के बाद के मकान इस अधिनियम में नहीं आते हैं। अब इसके अन्तर्गत ज्यादा मकान जायेंगे और आप उनका आवंटन कर सकेंगे। इसके अलावा एक घुमाव-फिराव का जो रास्ता था किसी

† 11 मई, 1970 की कार्यवाही में छपा है।

[श्री बेनी सिंह]

को बेदखल करने का वह भी हमने कम कर दिया है। पहले ऐसा होता था कि रेण्ट कन्ट्रोलर के पास से कमिश्नर के पास जाता था, फिर गवर्नमेंट के पास आता था और इससे 2–3 वर्ष लग जाते थे, अब सीधा कर दिया गया है। रेन्ट कन्ट्रोलर के पास से अब सीधे डिस्ट्रिक्ट जज के पास जायेगा और उसका फैसला आखिरी होगा। उसकी अपील कहीं दूसरी जगह नहीं होगी।

एक चीज इसमें यह है कि टाउन एरियाज में, लोकल बाडी में लोग मकानों का एसेसमेंट कम करवा लेते थे। अगर किसी ने अपने मकान का एसेसमेंट कम करवा लिया है और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को उसकी इत्तिला मिल जाय तो वह उसको ठीक करके उसका जो भी उचित एसेसमेंट होगा वह कर सकता है और वही लागू होगा। लोकल बाडीज उसमे अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकेंगी और उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। दबाव में आकर, इन्फ्लुएंस से कोई कम एसेसमेन्ट नहीं करवा सकेगा।

इसमें एक बात यह भी थी कि किरायेदार की मृत्यु के बाद उसके वारिस किरायेदार रह सकेंगे। अभी यह था कि यह कानून बड़े-बड़े शहरों में लागू होता था याने म्युनिसिपैलिटीज में लागू होता था और हमें टाउन एरियाज वगैरह को डिक्लेयर करना पड़ता था कि इसमें लागू होगा। लेकिन अब हमने सभी को इसमें इन्क्लूड कर लिया है, कारपोरेशन, म्युनिसिपैलिटीज टाउन एरिया, वगैरा।

एक बात यह भी है कि कुछ लोग मकान बनवाते थे और स्वयं रहते थे सस्ते किराये के मकानों में उनको एलाट कराकर। अब यह नहीं होगा। उनको अपने मकान में जाना होगा और वह सस्ते मकान में नहीं रह सकेंगे।

एक सदस्य—

ऐसे जगदीश अवस्थी जी हैं.....

श्री बेनी सिंह—

ऐसे आपके जितने साथी हैं और जिनसे आप नाराज हो गये हैं उनके नाम बता दीजिये, तो काम हो जायेगा। कभी वह आपके परम मित्र रहे हैं और वह तो अब भी आपकी मदद करते हैं।

मान्यवर, हमने सशस्त्र सेना के लोगों के लिये भी उसमें रियायत की है। जो व्यक्ति सेना में काम कर रहे है और उनको मकान खाली कराना है तो उनका मकान खाली हो जायेगा और यदि उनकी मृत्यु के बाद उनका वारिस किसी एलाटमेंट के मकान में रहता है तो उसको परमीशन रहने के लिये दे दी जायेगी। उसकी बेदखली न होगी। दूसरे अगर कोई व्यक्ति सशस्त्र सेना में काम कर रहा है और उसके ऊपर एक साल का किराया बाकी है, तो साधारण व्यक्तियों की तरह वह डिफाल्टर नहीं कहलायेगा।

ऐसा भी होता है कि सरकारी नौकरी के बाद रिटायर होने के बाद जब वह अपने शहर में आते हैं तो उनको अपना मकान खाली नहीं मिलता। इसमें उन्हें यह भी अधिकार दिया गया है कि रिटायर होने के बाद जब वह शहर में आयेंगे तो वह अपना मकान खाली करा सकेंगे।

मान्यवर, यह कुछ खास-खास बातें हैं जो मैंने मोटे तौर पर बताईं। यह जो बिल प्रस्तुत किया गया है उसकी लोकप्रियत इसी बात से सिद्ध होती है कि हमारी कमेटी में किसी ने भी "वोट आफ डिस्सेन्ट, नहीं" दिया। सभी पार्टीज के लोग उसमें थे और बहुत मंथन के बाद यह बना है। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी पास कर दें और श्री नित्यानन्द स्वामी जी को ही बोल लेने दें उनको ही सारा वक्त दे दिया जाय। हां, अगर कोई महत्वपूर्ण संशोधन होंगे और अच्छे होंगे तो उनको ले लेंगे।

ऐसी कोई बात नहीं है जिसको हम न मानें। अतः मेरी प्रार्थना है कि इस पर विचार किया जाय।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मान्यवर....

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से एक स्पटीकरण चाहता था। मैं यह पूछना चाहता था कि आपके डी0एस0ओ0 ने कोई मकान एलाट कर दिया तो लैण्ड लार्ड क्या करते थे। कोई अगर कब्जा लेने जाता था तो वह छत को गिरा देता था उसके बाद वह आपके ऐक्ट से बाहर निकल जाता था। तो इसके लिये क्या प्रावीजन किया गया है जिससे मकान मालिक इसमें कुछ न कर सकें।

श्री बेनी सिंह--

इसमें कुछ प्रावीजन होगा या नहीं। अगर आप इसमें अमेंडमेंट देते तो मैं कर देता, मगर आप तो देर से आये हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

उपाध्यक्ष महोदय, जहां साधारण रुप से मैं इस विधेयक का स्वागत करने के लिये खड़ा हुआ हूं परन्तु श्रीमन्, फिर भी कुछ कारण हैं जिनका मैं उल्लख करना चाहता हूं। उन्हीं कारणों के कारण मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि उत्तर प्रटेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराया तथा बेदखली का विनियमन) विधेयक, 1970 जनमत संग्रह के लिये 3 माह तक परिचालित किया जाय।

श्रीमन्, मंत्री जी यह कहेंगे कि विलम्ब हो जाएगा। परन्तु वह एक बात से जरूर सहमत होंगे कि बीसियों साल के बाद इस प्रदेश में यह विधेयक आ रहा है जैसा आप ने कहा अभी तक तो यह एक टेम्पोरेरी विधेयक चल रहा था और उस में बीसियों खामियां थीं। अब पूर्णरूप से यह विधेयक आया है और इस को हम जल्दबाजी में पास कर दें, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं इस बात से असहमत नहीं हूं कि प्रवर समिति में सभी पार्टियों के लोग थे। मुझे उनकी योग्यता पर भी सन्देह था नहीं है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनको आप भी मानेंगे। उदाहरण के तौर पर पिछले विधेयक में चार मील की परिधि आप ने रखी थी। आप इसको शहर के चार मील तक अनिवार्य कर दीजिये क्यों चार पांच मील तक तो शहर होता ही है। लोग शहर में मकान नहीं बना पाते हैं और शहर के आसपास बना लेते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। इसको आप अगर स्वीकार कर लेंगे तो यह आसानी हो जायगी कि जो रेंट कंट्रोल से बचने वाले लोग हैं, म्युनिसिपैलिटी की हद के बाहर अगर वह मकान बना लेते हैं तो वह भी हमारी गिरफ्त में आ जायेंगे। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि एक्ट की वापसी का जो प्राविजन है धारा 1 में--जहां चाहेंगे वहां वापस कर लें कि इस ऐक्ट के लागू होने को। मैं यह कहना चाहता हूं कि टाउन एरिया, नगरपालिका या महापालिका इसमें मत रखिये। जहां कैजुअल रूप से कहीं लागू करते हैं वहां वापिस करना चाहते हैं, तो ठीक है लेकिन कुछ में आप कहें कि नगरपालिका में ऐक्ट लागू नहीं होगा, यह उचित नहीं होगा। इसलिये संक्षेप में मैं अपनी बात कह रहा हूं।

एक बात और कहूंगा। खण्ड 2 में ऐसे मकान या ऐसे स्थान हैं जिनका उद्योग के लिये या मनोरंजन के लिये, ऐसी चीजों के लिये उपयोग होता है या अभिप्रेत है। तो यह अभिप्रेत नहीं है प्रेत है। इसका मतलब यह होगा कि कहीं भी इस काम के लिये उपयोग हो मालूम

[श्री नित्यानन्द स्वामी]

नहीं कितने दिन तक तो, वह इससे छूट जायगा। आप ने इसको इतना वेग कर दिया है क्योंकि उसे मनोरंजन के लिये छूट होगी तो कोई भी मकान मालिक मकान बना कर उस पर क्लब का बोर्ड लगा कर आपके रेंट कंट्रोल एक्ट से बाहर आ जायगा। इसके अन्दर आप पाबन्दी रख दें ताकि इसका दुपयोग न हो। इसके अतिरिक्त मैं यह भी करना चाहता हूं कि आप ने खण्ड 2 (च) में यह कहा है कि जो किसी कम्पनी या सोसाइटी द्वारा निर्मित किया गया हो और धृत हो। तो आप 'और' की जगह 'या' कर दीजिये। आप दोनों को हो अनिवार्य करना चाहते हैं निर्मित भी हो और धृत भी हो। यह कैसे हो सकता है। इसकी आपको निकाल देना चाहिये।

एक बात और कहना चाहता हूं। इसमें एक अधिकार दिया गया है मकान मालिक को कि वह मकान गिरा दे। तो यह इसमें खण्ड 2 (च) में भी है और 21 में भी है जिसके अन्दर मकान मालिक मकान गिरा देगा तो वह ऐक्ट के बाहर हो जायेगा। तो आपके पास क्या व्यवस्था है जिससे वह किरायेदार को प्राथमिकता देगा कि उसको रहने का अवसर दिया जाय। कृपया इस अधिकार को आप खुली छूट न दे दें। जो चाहेंगे गिरा देंगे। वह मकान आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को यह अधिकार दें कि उससे बिना राय के कोई मकान गिराने का अधिकारी नहीं होगा। अगर आप यह अधिकार दे देंगे तो मकान मालिक जिसकी चाहेगा उसकी छत गिरा देगा और उस धारा के बाहर निकल जायेगा। यह कहा गया कि जो नियत अधिकारी हैं उसको मुकदमा दिया जायगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि किसी पक्ष के प्रार्थना-पत्र पर या स्वयं ही। अगर कोई पक्ष चाहे कि प्रार्थना-पत्र दे तो वह भी ले लिया जाय, इससे आसानी हो जायेगी। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो स्टैन्डर्ड रेंट बनाया है उस पर मुझको को आपत्ति है। आज का जो किराया है उस पर आंख पर पट्टी बांध कर 25 परसेंट बढ़ा दिया गया। यह ठीक है कि किसी का किराया 1 या 2 रु0 है तो उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा और उसका किराया कुछ पैसे या आनों में बढ़ जायगा परन्तु जिन भवनों का किराया 100 या इससे अधिक है उसका 25 परसेंट बढ़ाने में 25, 30 रु0 का अन्तर आ जायेगा। यह जो धारा 9 है इसके अन्दर कई पहलू है। इसको देख कर और बाजार भाव को देख कर और मकानों का किराया देखकर तथा आस-पास की लोकेलिटी देख कर उसका किराया नियत किया जाय। स्टैन्डर्ड रेंट को आप ऐसा न करें। हमारे प्रदेश में कम से कम और अधिक से अधिक किराये पर बहुत से मकान हैं। आपने तो सभी को एक लाठी से हांक दिया है, यह ठीक नहीं है। अब किसी किरायेदार का किराया 100 रु0 है तो उसका बढ़ कर 125 रु0 हो जायेगा तब उसको नुकसान होगा। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

धारा 6 में आपने यह कह दिया कि अगर मकान मालिक कोई सुधार कराने की बात करता है तो एक प्रतिशत बढ़ा देगा। एक प्रतिशत कितना होता है। किसी ने 200 रु0 लगाया और 1,000रु0 की रसीद पेश कर दी तो किरायेदार के ऊपर काफी भार हो जायगा। आप इसको आधा प्रतिशत कर दें। जहां कोई सुधार की बात आयी कि किराया बढ़ता ही चला जायगा इसी प्रकार से आपने गृह कर भी 25 प्रतिश बढ़ाने की बात कही है। इसके माने यह होंगे कि किरायेदार के भी 25 प्रतिशत किराये में वृद्धि होती चली जायेगी।

मुझे तो मालूम होता है कि इसके अन्दर आपने मकान मालिकों की तरफ ज्यादा ध्यान रखा है। एक बात और है कि जो रिटायर्ड लोग है जब वे लौट कर वापस आयें तो उनको अपना मकान वापस मिल जायगा। जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं, मैं तो अपने जिले देहरादून की बात बताता हूं, कि जब उनको कोई मकान मिल जाता है तो फिर उसका ट्रांसफर 50 जगहों पर होने पर भी वह कभी मकान नहीं खाली करता। चाहे उसमें उसकी एक टूटी चारपाई ही क्यों न पड़ी रहे पर वह उसको घेरे ही रहता है और नहीं छोड़ता। मैं धारा 12 के अन्दर (घ) और जोड़ना चाहता हूं कि जिस आदमी का स्थानान्तरण अन्य किसी जगह को हो जाय तो अगर वह किसी किराये के मकान में रहता है, उसको खाली समझा

जाय । वह मकान खाली हो जाना चाहिये । आपने 12 (2) के अन्दर साझे की बात बताई । एक दुकानदार की कोई दुकान है । उसने एक आदमी को साझे में ले लिया । आपके हिसाब से वह दुकान खाली समझी जायेगी । फंडामेंटल राइट्स और कान्स्टीट्यूशन के हिसाब से आप ऐसा नहीं कर सकते हैं । जिस आदमी के नाम से दुकान है वह रहे और साझेदार के नाम में वह न हो पाये । साझेदार को आप किरायेदार न समझिये । यह तो ठीक मालूम होता है । यह जो आज कल हाथ बदले जाते हैं साझेदारी के नाम पर, इसको आप रोकना चाहते हैं, मैं आपकी मंशा समझ रहा हूं । लेकिन यह इस तरह नहीं हो सकता । इसको हाईकोर्ट स्ट्रक कर देगा । क्या आप किसी की साझेदारी को रोक देंगे ? यह कर दिया जाय कि नये साझीदार के नाम से आप उसको एलाट नहीं करेंगे ।

धारा 14 में भी लूपहोल रख दिया है । लूप का जमाना है आज कल । जो लोग इस एक्ट के जारी होने से ठीक पहले किसी मकान में मकान मालिक की मर्जी से आ गए, बिना एलाटमेंट के भी आ गए, उनको आप रेग्युलेराइज कर देंगे । इसका मतलब यह हुआ कि यह ऐक्ट जब भी लागू होगा उसके पहले मकान मालिक जिसको चाहे अपना किरायेदार बना ले । एग्रीड रेन्ट पर बह कर लेंगे और आपके इस ऐक्ट को इवेड करके हजारों लोग किरायेदार बन जायेंगे । आखिर इस धारा को रखने की आवश्यकता क्या है ? इसको आप निकाल दीजिए ।

धारा 15 में मकान खाली करते समय जहां मकाना मालिक को सूचना देनी चाहिये, वह बात तो समझ में आती है, लेकिन जो यह कहा गया है कि किरायेदार भी 15 दिन पहले सूचना दे, यह बात समझ में नहीं आती । वह कैसे देगा ? पता नहीं कितना पानी गंगा जी में 15 दिन में बह जायेगा । उसने दूसरे मकान की बात सोची और सूचना दे दी और फिर वह मकान नहीं मिला तो वह क्या करेगा ? तो इसको मत रखिए ।

धारा 16 में आपने एलाटमेन्ट का अधिकार जिलाधीश को दिया है । उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन कोई क्राइटेरियन तो फिक्स कीजिए कि किस-किस को एलाटमेंट और किस-किस हालत में हो सकता है । जिलाधीश के हाथ में एक ऐसी ताकत दे दी है कि जिसको चाहे एलाट करे, मनमानी करे । श्रीमन्, अब तक तो अपील 7--एफ में स्टेट गवर्नमेन्ट को होती थी । अब यह अपील जिला जज को होगी । तो किस आधार पर जिला जज तय करेगा कि एलाटमेंट सही था या गलत था ? जब कोई क्राइटेरियन आप रखेंगे इस आधार पर एलाटमन्ट होना चाहिय, तभी तो जिला जज अपील की सुनवाई कर पायेगा । इसलिये यह जरूर तय कर दें कि इस-इस आधार पर एलाटमेंट हो सकता है ।

एक अन्याय धारा 16 (4) के अन्दर किरायेदार के साथ यह हो रहा है कि सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है । आपने कहा कि अगर कोई गैरकानूनी रूप से काबिज है तो उसको किसी भी ताकत से, जो पुलिस की ताकत भी हो सकती है, निकाला जा सकता है । मैं आपकी बात का खंडन नहीं करना चाहता, लेकिन दुनिया में कौन-सा ऐसा कानून है जिसमें सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाता है ? आप इसमें यह रखिए कि उसको सुनने के बाद । कई जगह मकान मालिक को सुनने के बाद आदेश देने की बात आपने रखी है । तो इसमें भी यह करिये । वरना यह होगा कि किसी अधिकारी का टेलीफोन गया कि फलां व्यक्ति को निकालो । आपके नियत अधिकारी ने उससे कहा कि निकल जाइये, नहीं निकलेंगे कल तक तो पुलिस निकाल देगी । हो सकता है कल तक का भी समय न मिले, रातों-रात ही निकाल दिया जाय । तो 16 (4) के अन्दर सुनवाई का अवसर होना चाहिये । चाहे वह गलत ढंग से काबिज हो लेकिन उसे यह कहने का तो अधिकार होना चाहिये कि वह किस वजह से काबिज है । उसको सुनवाई का अवसर तो मिलना ही चाहिये ।

इसी तरह से अपील की गुंजायश तो है लेकिन उसके पहले एक गुंजायश और होनी चाहिये । अगर कोई व्यक्ति एफीडेविट दे नियत अधिकारी के यहां कि मैं अपील में जाना

[श्री नित्यानन्द स्वामी]

चाहता हूं तो उसको स्टे दे दिया जाय और समय दिया जाय। मैं समझता हूं 16 (4) में बड़ा अन्याय हो रहा है किरायेदार के साथ। उसको रातो-रात निकाल दिया जायेगा, न अपील होगी, न स्टे होगा, न अपनी बात कह पायेगा। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मैं जानता हूं कि जो लोग कचेहरी में काम कर चुके हैं और जो लोग इस बात को समझते हैं, वे मानेंगे कि इस पर अवश्य विचार होना चाहिये। यहां हर यह कहा गया कि पहाड़ी म्युनिसिपैलिटियों में वे आधा किराया जमा करेंगे। जो साल भर का किराया जमा करने का प्राविधान है उसको आप देखें। क्या कोई गरीब आदमी साल भर का किराया जमा कर सकेगा? इसको कम कर दीजिये और पहाड़ी म्युनिसिपैलिटियों की डेफिनिशन स्पष्ट कीजिये। आप पहाड़ी म्युनिसिपैलिटी किसको मानते हैं? आपने नियम 18 के अन्दर अपील रखी है जिसमें कहा गया है कि अलाटमेन्ट के खिलाफ अपील होगी, लेकिन वहां पर धारा 18 में धारा 16 की अपील होगी। वहां पर आप 17 और जोड़ दीजिये। नियम 17 के अन्दर है मकान मालिक के लिए मकान रिलीज करें और उन लोगों की अपील भी, जो उसके एक हिस्से में रहते हैं, नियम 18 के अन्दर होनी चाहिये। वह शायद आपसे छूट गया है, वहां पर 17 की जगह पर 19 छप गया है। वह 17 होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

वह प्रदेशन आदेश देने की शर्तें हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

नियम 17 के अन्दर कई ऐसे प्राविधान हैं जो अपीलेबिल हैं। उनकी अपील होनी आवश्यक है वर्ना इनको दिक्कत होगी। जो पहला रूल 7 था वह 17 के अन्दर आ गया है। अगर कोई किसी मकान के एक भाग में रहता है तो उसको प्राथमिकता मिलेगी। अगर आप इसकी अपील का प्राविधान नहीं करेंगे तो वह व्यक्ति कहां जायेगा, वह बिना अपील के रह जायेगा। तो 19 की जगह 17 होना चाहिये। यह धारा 19 गलत है।

अध्याय 4 के अन्दर बेदखली के अधिनियम में अनैतिक तथा अवैध कार्यों के सिलसिले में मकानों की बेदखली की बात कही गयी है।अनैतिक बात तो समझ में आती है। अगर कोई मकान व्यभिचार का अड्डा बन गया है तो उसकी बेदखली होनी चाहिये, मगर अवैध इतना वेग शब्द है कि अगर मामूली सी मारपीट हो गई या ऐसा जुर्म हो गया कि एक आदमी को सजा हो गयी तो इस बात के लिये वह बेदखल हो जायेगा। अनैतिक शब्द रहे। आप मारल टर्पिट्यूड का शब्द ले आयें और उसके अन्दर डिफाइन कर दीजिये। अवैध शब्द इतना वेग है कि किसी भी व्यक्ति को पकड़ कर मकान से बाहर निकाला जा सकता है।

यहां पर एक स्वागत योग्य बात मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि पहले सेक्शन 3 के अन्दर बेदखली की आज्ञा रेन्ट कन्ट्रोल आफिसर देते थे और मुंसिफ के यहां दावा दायर होता था। श्री रूप नाथ यादव ने भी संशोधन दिया है। इस पर आप विचार करें। आप नियत अधिकारी को यह अधिकार मत दीजिये। आपने एक ऐसा अधिकार दे दिया कि वे मुकदमा सुन कर निकालने का आदेश कर दें। वह कौन है नियत अधिकारी? वे एक मैजिस्ट्रेट की हैसियत के व्यक्ति हैं जोकि जुडिशियल निर्णय नहीं ले सकते हैं। वे एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय ले लेंगे। आप जानते हैं कि जुडिशियरी को क्यों अलग किया गया है। इसीलिए अलग किया गया है ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रभाव न पड़े। यह मैजिस्ट्रेट जो होगा किसी को मकान से निकलन का आदेश दे देगा। आप यह अधिकार मुंसिफ को दीजिए बजाए नियत अधिकारी के। यादव जी ने भी यह संशोधन रखा है कि मुंसिफ को यह अधिकार दे दें। वह एक जुडिशियल निर्णय होगा। जुडिशियल निर्णय होगा तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। आपने तो ऐसा कर दिया कि मैजिस्ट्रेट जिसको चाहे निकाल दे और पुलिस फोर्स का इस्तेमाल कर ले। तो यह तो एक ऐसा मामला हो जायगा कि अगर

किसी मकान मालिक को शिकायत है तो निर्णय कर दिया कि वह मकान से निकल जाये और दो दिन बाद उसको पुलिस से निकलवा दिया। आप इसकी अहमियत को समझ रहे हैं और आप इस पर अवश्य विचार करेंगे।

मैं आपकी इस बात के लिए प्रशंसा करता हूं कि आपने यह प्रस्ताव रखा है कि 'जो लोग सेना में काम कर रहे हैं उनको अगर मकान की आवश्यकता है तो उनके लिए मकान खाली हो जायं। परन्तु धारा 21 के अन्दर कुछ ऐसा स्पष्टीकरण कर दिये हैं कि अगर एक व्यक्ति रिटायर हो गया तो यह समझ लिया जायेगा कि उसको आवश्यकता है। इसी तरह से जो और आगे आपने लिखा है उसको भी देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपने इसी की एक फाइनल प्रूफ मान लिया। मैं इस पर आपत्ति करता हूं। आप इसको निर्णय का आधार तो मान सकते हैं, मगर इसको फाइनल प्रूफ नहीं मानना चाहिये। आपने इसी 21 (चार) में लिखा है कि अगर कोई मकानदार किसी मकान में रहता है और उसका कोई हिस्सा किराये पर उठा है और वह चाहता है कि उसको पूरे मकान की आवश्यकता है तो उसकी आवश्यकता जैन्यून समझी जायेगी, यह भी ठीक नहीं है। जब आप पहले से ही यह सब शर्त रख देंगे तो फिर जांच करने वाले अधिकारी के लिये रह ही क्या जायेगा? इसलिये इन सबको आप जांच के लिये, निर्णय के लिये आधार तो मानिये, लेकिन अन्तिम निर्णय न मानिये।

धारा 24 (1) में किरायेदार को पुन: कब्जा दिये जाने के लिये जो 3 माह का प्राविजन आपने रखा है, इस बन्धन को आप हटा दीजिये।

इसी प्रकार धारा 25 (2) में आपने लिखा है कि किसी व्यक्ति को होटल या बासा में ठहराना शिकमी किराये पर उठाना नहीं समझा जायगा। यह बड़ा वेग है। इससे तो हर आदमी यह कहेगा कि यह होटल या बासा है, और वह इसका नाजायज फायदा उठायेगा। इस लिये इसको आप समाप्त कर दीजिये।

आपने 26 (2) के अधीन लिखा है कि "समय समय पर पुताई तथा मरम्मत करायेगा।" तो कोई तो इसका अर्थ लेगा कि हर माह पुताई हो, कोई अर्थ लगायेगा कि डेढ़ वर्ष या दो वर्ष का इससे मतलब है। इसलिये इ सकी जगह आप यह कर दीजिये कि हर वर्ष या साल में एक बार पुताई करायेगा।

श्री उपाध्यक्ष---

आप अपने संशोधन पर ही रहिये ...

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मैं यही बता रहा हूं कि इन-इन कारणों से इसका परिचालन आवश्यक है।

मान्यवर, 28 (6) में आपने यह किया है कि पुताई या मरम्मत आदि में भी जो खर्च आयेगा ज्यादा, उस पर भी किराया बढ़ाया जा सकेगा तो इससे तो यह होगा कि किराया हमेशा बढ़ता चला जायगा और वह हनुमान जी की पूछ बन जायेगा। इसलिये इस प्रतिबन्ध को भी आप हटा दीजिये।

आपने धारा 27 में अपील भी नहीं रखी है। इसकी अपील होनी चाहिये। जिसको परेशानी है वह कहां जायगा। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। धारा 29 में आपने कहा है कि आग लगने, सामुहिक उपद्रव आदि के कारण अगर कोई मकान ध्वस्त हो जाय तो किराये दार को मकान बनवा लेने का हक होगा। यह तो आपने अच्छा किया है कि किरायेदार को बनवाने का हक दे दिया है। लेकिन मकान मालिक को भी आप बाध्य कीजिये। क्योंकि हर किरायेदार स्वयं मकान बनवा नहीं सकता है। इसलिए इसमें मकान मालिक को बाध्य किया जाय, जैसा कि आपने धारा 24 में किया है। अध्याय

[श्री नित्यानन्द स्वामी—]

6 में आपने सजा का बहुत ज्यादा प्राविधान कर दिया है, जिस पर आपको सोचना चाहिए। यह सजा 6 महीने तक की है। इसमें सजा की कोई बात नहीं है, कोई सजा नहीं होनी चाहिए। सिर्फ जुर्माना होना चाहिये और वह भी जो 5 हजार आपने रखा है उससे कहीं कम होना चाहिए। यह अधिक से अधिक 500 रुपया होना चाहिए। जो सजा बहत ज्यादा है, उस पर हमें आपत्ति है।

धारा 31 में मुझे बहुत बड़ी आपत्ति है। इसमें आपने अपील का कोई प्राविधान नहीं रखा है। इसमें निश्चित रूप से अपील का प्राविजन होना चाहिये। मैं अन्त में यह निवेदन करना चाहता हूं, यद्यपि शुरू से मेरा आग्रह रहा है और मुख्य मन्त्री जी से व्यक्तिगत प्रार्थना की है कि इसको वह जल्दी ले जायें और आपसे भी बात की है, लेकिन फिर भी यह चाहता हूं कि ऐसी जल्दी कहीं न हो जाये कि गलत काम हो जाय? और हित के स्थान पर लोगों का अहित हो जाए। जो सूंड है वह आगे लगने के बजाये पीछे न लग जाए यह हमें ध्यान में रखना है। इसको आप ठीक रूप से लावें और जो कमियां रह गई हैं, उसे दूर करें। उद्योगपति उद्योगों के लिए अपने मकान छुड़वा लेंगे, रेन्ट कन्ट्रोल से बच जायेंगे, इसको आप को ध्यान में रखना चाहिए और ऐसी दोषपूर्ण धारा को ठीक करके रखना चाहिए। धारा 34 में पहले से काबू करवा लेंगे। हर रोज आप सुनेंगे कि दिन में फैसला हुआ और रात में पुलिस ने सामान बाहर निकाल कर फेंक दिया। स्टे देने की, समय देने की और सुनवाई करने की आप व्यवस्था कीजिए। जो सुझाव मैंने दिये हैं, मैं आशा करता हूं उन पर आप विचार करके अपने अधिनियम में उनका आप समावेश करेंगे। अच्छा है कि उनको कल के लिए छोड़ दें। श्रीमन्, जरूरी नहीं है कि आप हमारी बात ही मान लीजिए, आप स्वयं संशोधन ले जाएं, लेकिन जो मूल बात है वह उसमें आ जाये। किरायेदार और मकान मालिक—दोनों पक्षों में से किसी के भी साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें इन शब्दों के साथ में चाहूंगा कि आप मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करें।

*श्री राम गोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, मैं स्वामी जी द्वारा कही गई बातों को दोहराऊँगा नहीं, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ जब इसको पढ़ा। मैंने मन्त्री जी के भाषण को बड़े ध्यान से सुना, क्योंकि हमारी यह सरकार पिछले तमाम वर्षों से यह कह रही है कि वह गरीबी मिटाना चाहती है, छोटे लोगों को मकान देना चाहती है, अल्प आय वाले लोगों को राहत पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन जब मैंने देखा इसमें यह विधेयक केवल 10 साल पहले तक के मकानों के लिए लागू किया गया है और उसमें वे तमाम खामियां हैं जिनकी तरफ स्वामी जी ने ध्यान दिलाया, तो मैं नहीं समझता हूं कि कैसे इसका मैं समर्थन करूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह संयुक्त प्रवर समिति में जाये। और संयुक्त प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय। 31 दिसम्बर, 1971 तक जितने मकान उत्तर प्रदेश की नगरपालिकाओं के क्षेत्र में, टाउन एरिया या अन्य बस्तियों में बनाये गये हैं, जहां पर अधिकतर कर्मचारी, अध्यापक, अल्प वेतन भोगी, छोटे दूकानदार, ऐसे लोग रहते हैं, उनको मकानों की सुविधा मिल सके, इस ऐक्ट के अन्दर लाया जाय। अगर सरकार अर्बन पार्टी पर सीलिंग ले आयी होती या हाउसिंग बोर्ड ने कोई ऐसी योजना रखी होती कि अल्प वेतन भोगी लोगों के लिये, रिक्शा वालों के लिए, बड़ी मात्रा में बीसों हजार मकान इलाहाबाद, लखनऊ और कानपुर में बनाये जायेंगे तो मैं इस विधेयक का समर्थन करता। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप इस प्रकार का निर्देश दें कि यह विधेयक संयुक्त प्रवर समिति को भेजा जाय। बहुत से सदस्य तो हैं ही नहीं। जिनके नाम इसमें हैं, उनमें से अधिकांश लोगों को रहना चाहिये। एक ओर यह नारा लगाते हैं, गरीबी दूर करो, छोटे लोगों का स्तर उठाया जायगा और दूसरी तरफ बड़े आदमियों को छूट दे रहे हैं। काला पैसा लगा कर, दो नम्बर का पैसा लगा कर तमाम मकान बनवा दिये जायं और हमारे कर्मचारी, हमारे अध्यापक को दो कमरों का दो सौ रुपये महीने किराया देना पड़ता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है और रसीद उसको पचास रुपये की दी जाती है। इसलिये 31 दिसम्बर, 1971 तक जितने भी मकान नगरपालिका क्षेत्र में बनाये गये हैं, सभी इस विधेयक की परिधि म आने चाहिये। मैं आपके द्वारा चाहूंगा कि खाद्य मन्त्री विचार करें कि पचीस साल या तीस साल तक अगर किसी किरायेदार ने मकान का किराया दे दिया है, और मकान मालिक के पास कई मकान हैं, अगर किराये के मकान की किराये से कीमत निकल आयी है तो वह मकान किरायेदार का हो जाना चाहिये जिसमें वह रहता है गरीब दूकानदार, गरीब रिक्शेवाला, गरीब अल्पवेतन भोगी। यह नहीं होना चाहिये कि अनन्त काल तक वह किराया देता रहे। इलाहाबाद में बट साहब और गिरीश चन्द्र चतुर्वेदी थे। खुशी की बात है कि बट साहब खाद्य कमिश्नर होकर यहां आये हैं। उनका और गिरीश चन्द्र चतुर्वेदी दोनों का म बड़ा आदर करता हूं। गिरीशचन्द्र चतुर्वेदी, डी० एम० वहां पर थे और मकान यहां पर अलाट करवा रखा था। बट साहब से उनका लड़ाई झगड़ा था। मकान खाली करवाने का सिर्फ एक नाटक किया गया लेकिन जो बड़े लोग बैठे हैं रिटायर हो गये, मैं खुद जानता हूं गिरीश चन्द्र चतुर्वेदी जी को। (व्यवधान) बड़े लोगों की दुहाई न दी जाय। दुहाई देते हैं तो गरीबों की दीजिये न कि उन लोगों की जो अफसर उधर बैठे हैं। यह जब रिटायर हो जायेंगे तो देहरादून में आयेंगे, लखनऊ में आयेंगे, कालीदास मार्ग पर। राजस्व परिषद् के एक बड़े माननीय सदस्य हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं उनका बड़ा आदर करता हूं। रामायण इत्यादि पढ़ते हैं। हजारों रुपये के मकान इलाहाबाद में किराये पर उठाये हैं। छोटे तबके वालों को कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है। इन चन्द शब्दों के साथ, 31 दिसम्बर, 1971 तक जितने भी नये मकान बने हैं सब रेंट कन्ट्रोल ऐक्ट के परिधि में आना चाहिये अगर और छोटा कर्मचारी, माली, दाई, चौकीदार को अगर आल्टरनेटिव मकान नहीं मिलेगा तो उसको निकाला नहीं जायगा। तो मैं इस बिल का समर्थन करूंगा। कम से कम 24 घंटे के लिए इसको प्रवर समिति में भेज दें। और कल सदन में बिल आये। इन शब्दों के साथ मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराया तथा बेदखली का विनियमन) विधेयक, 1970 को पुनः संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय।

*श्री चन्द्र भान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से जो इस विधेयक को लाये हैं कहना चाहता हूं---कुफ्र टूटा खुदा-खुदा करके। 1967 से यह विधेयक धक्के खाता फिर रहा था। यह सौभाग्य की बात है कि यह विधेयक अब यहां पेश किया गया। इस प्रवर समिति के अन्दर कुछ ऐसे लोग चले गये थे जिन्होंने इसकी असली नीति बदल दी वरना पुरानी गुप्ता जी की सरकार ने इस विधेयक को मकान मालिकों के बचाव के लिये पेश किया था। आज खुशी की बात है कि इसमें किरायेदारों के बचाव के लिए एक दम नजर आ रहे हैं। इसके लिये मन्त्री जी को मुबारकबाद देता हूं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि छोटे-छोटे संशोधनों की वजह से जो यह विधेयक तीन साल तक लटका रहा, इसको अब लटकाने की चेष्टा न की जाय। जो संशोधन माननीय स्वामी जी ने रखा है, जो सुझाव उन्होंने दिये हैं वह भी शामिल हो जाने चाहिये। लेकिन उनकी वजह से यह विधेयक फिर तीन महीने के लिये कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया तो दो ही साल लग जायेंगे, जैसे मौजूदा विधेयक को डेढ़ साल लग गया। मुझे बड़ी खुशी होती, अगर हमारे मन्त्री जी जो कहते हैं कि हम समाजवाद लाना चाहते हैं, अगर वह इस विधेयक में बजाय दस साल के पांच साल के मकानों को रेगुलेट करने के जितने इस अवधि में मकान हैं सारे के सारे इसमें शामिल हो जाते तो ज्यादा फायदेमन्द होता। आपकी ऐसी नीति है, अगर आप हायर परचेज पर हैं इन तमाम किरायेदारों को कस्बों के अन्दर रुपया ले कर मकान दे देते तो ज्यादा बेहतर होता। इस विधेयक में एक खास बात का ध्यान रखना पड़ेगा। दूकानें पगड़ी ले कर लोगों को दी जाती हैं। इसके बचाव के लिए आपने क्या तरकीब सोची है? इसके अलावा इस विधेयक का हमेशा दुरुपयोग सरकारी कर्मचारियों ने किया है। अगर सरकारी कर्मचारियों को मकान किराये पर दे देते हैं,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्र भान शर्मा]

और उनका तबादला हो जाता है तो वह मकान को खाली नहीं करते जिसकी वजह से दूसरे आदमियों को मकानों की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिस प्रकार पिछले दिनों में डी०एस ओ०, कमिश्नर और सेक्रेटरी वगैरह ने जो इस ऐक्ट से सम्बन्धित रहे हैं, दुरुपयोग किया है उतना कभी नहीं हुआ। डी० एस० ओ० और कमिश्नर ने बड़ी-बड़ी रिश्वतें कमाईं। यहां तक कि गवर्नमेंट के लेविल तक लोगों ने बड़े-बड़े मकानों में प्रायारिटी दे कर, यहां तक कि बहुत से मंत्रियों ने लोगों के बस में आ कर बड़े-बड़े नाजायज मुनाफे कमाये हैं। यह तो अच्छी बात हुई कि आपने इस को कतई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के हाथ में दे कर इस खतरे से निकाल दिया वरना इस कानून की वजह से बड़ा भ्रष्टचार पैदा होता। जो आपकी अलाटमेंट की पावर है वह बड़े गलत तरीके से इस्तेमाल हो रही है। मैं कितनी ही मिसालें दे सकता हूं। एम० एल० एज० को क्वार्टर एलाट होता है लेकिन उन्होंने कोठियां अलाट करा रखी हैं। मुझे उम्मीद है कि वह ऐसे मामलों की छानबीन करेंगे और ऐसे अलाटमेंट कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। इससे आपकी कई समस्याओं हल होगी जिन आदमियों ने कई कई मकान अपने सम्बन्धियों के नाम से ले लिये हैं अगर वे रिलीज हो गये तो जो छोटे-छोटे कर्मचारी हैं, गरीब लोग हैं उनकी समस्या हल हो जायगी। यहीं नहीं, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में जिन एम० एल० एज० कर्मचारियों, राजनीतिक पार्टीज के पदाधिकारियों को मकानों की बिलकुल जरूरत नहीं है, उन्होंने कलेक्टर तथा सप्लाई आफिसर से कह कर अपने नाम बहुत से इलाटमेंट करा रखे हैं और जो जरूरतमन्द लोग हैं वे महरूम रह जाते हैं, वे बहुत परेशान हैं। जब से इस ऐक्ट के आने का शोर हुआ है बहुत से मकान मालिकों ने जिनके मकान इस ऐक्ट की हद में आने वाले हैं और जिनमें किरायेदार रहते हैं उन्होंने उनके खिलाफ सूटें दायर कर रखे हैं, उनको इस हेरेसमेंट से बचाने के लिये आपको कोई रास्ता सोचना होगा। स्वामी जी ने जो अपील तथा स्टे की बात कही तो स्टे का प्राविजन अवश्य होना चाहिये। एक्जिक्यूटिव ने गलत कदम उठा दिया है तो उसकी वजह से 24 घंटे के अन्दर बहुत से लोगों को बजरिये पुलिस द्वारा बेदखल किया जा सकता है जिससे लोगों को परेशानी होगी। अगर किसी के खिलाफ जिलाधीश के यहां से कार्य-वाही हुई है और वह जजेज कोर्ट में जाना चाहता है तो उसे स्टे के लिये अख्तियारात जरूर दीजिये। ऐसा नहीं होगा तो बहुत से लोगों को परेशानी होगी और हमेशा के लिए मुस्तकिल तौर पर लोगों के लिये मुश्किल पैदा हो जायगी।

बहुत से लोगों ने ऐसा भी किया है कि वह लखनऊ नगर महापालिका के अन्दर किराये पर रहते हैं और लखनऊ से 5, 7 मील दूर उन्होंने अपना मकान बना रखा है जिसे वह किराये पर दिये हुए हैं और लखनऊ में वह थोड़ा किराया दे कर अपने मकान को किराये पर उठा कर ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। इसलिये म्युनिसिपल लिमिट्स की कैद न रखी जाय जब कि बहुत से लोग 10, 12 मील से आते हैं और उनका कोई मकान वहां है तो वह, इसके अन्दर आ जाना चाहिये। और उनका यहां का मकान खाली हो जाना चाहिये ताकि वह अधिक किराये का फायदा न उठा सकें। यह जो विधेयक आप लाये हैं यह वैसे तो बहुत अच्छा है लेकिन इस बात का विचार जरूर किया जाय कि मकान मालिक की बेदखली के जो अख्तियार दिये गये हैं जिले लेविल पर ही बेदखली का निर्णय करके गरीब लोगों को कहीं हेरेसमेंट न हो।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और इस बिल को लागू करने में एक मिनट की भी देरी न की जाय। देरी करना किरायेदार के हुकूम पर कुल्हाड़ी चलाना होगा।

*श्री राम प्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने मन्त्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि वह इस बिल को लाये। यह ऐसा बिल है जिससे ज्यादा लोगों का फायदा हो सकता है। लेकिन इसमें जो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

थोड़ी सी कमियां रह गयी हैं उस पर भी मन्त्री जी विचार कर लें। एक तो जो प्राविजन है कि एक आदमी 10, 15 साल से किसी मकान में रहता है। उसको अगर मकान मालिक बेचता है, उस वक्त कम से कम इस बात पर जरूर विचार किया जाय कि उस किरायेदार को पहले हक होगा खरीदने का जो उसमें रहता है ताकि वह किरायेदार निकाला न जा सके। (व्यवधान)। अगर यह प्राविजन है तो बड़ी खुशी की बात है। सभी लोग जानते हैं कि जितने अधिकारी हैं उन्होंने लखनऊ में मकान बना रखे हैं और अपने मकानों को उन्होंने किराये पर दे रखा है और वे सरकारी अथवा एलाटेड मकानों में कम किराये पर रहते हैं। यह नहीं होना चाहिये और जो छोटे-छोटे गरीब किरायेदार हैं उनको वे मकान मिलने चाहिये ताकि उनको राहत मिल सके क्योंकि गरीब आदमी ज्यादा किराया नहीं दे सकता। अच्छा होता कि हायर परचेज सिस्टम पर छोटे किरायेदारों को मकान दिये जाते ताकि उन लोगों से माहवारी काट लेते तो कह सकते हैं। आजकल जो किराये की समस्या है वह तो सभी को पता है। छोटी-छोटी दुकानों और मकानों के लिये पगड़ी चलती है। जितने पैसे वाले लोग हैं वे हर जगह हर मकान को एलाट करने की कोशिश करते हैं। छोटा आदमी तो मकान ले ही नहीं पाता है क्योंकि उसके सामने पगड़ी का सवाल आ जाता है। इस समस्या के समाधान के लिये भी आपको इस बिल में व्यवस्था कर लेनी चाहिए थी। इन शब्दों के साथ में चाहता हूं कि इस विधेयक को जल्दी से पारित किया जाय।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)——

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह बिल इस सदन में आया, ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में गया, उसकी रिपोर्ट आई और उस पर इस समय विचार हो रहा है। जब मैंने इस बिल को देखा तो उसमें कुछ दो-एक बातें ऐसी मालूम होती है जिन पर यदि माननीय मन्त्री जी विचारकरें... (व्यवधान) मान्यवर, मैं कह रहा था कि जो विधेयक सामने है उसमें एक दिक्कत ऐसी मालूम हुई कि जब कोई सरकारी कर्मचारी ट्रांसफर पर जाता है तो जहां वह जाता है वहां पर भी उसे मकान एलाट हो जाता है और यहां तक कि लखनऊ शहर भी इसका अपवाद नहीं है जहां कि सरकार स्वयं निवास करती है। लोग सरकार से सम्बन्धित होने की वजह से मकान एलाट करवा लेते हैं किन्तु उसे पुस्तों तक प्रयोग करते रहते हैं। जब लोगों का ट्रांसफर हो जाता है तो जहां उनकी तबियत होती है वहां वह मकान एलाट करवा देते हैं और पुराने एलाटेड मकान को छोड़ते नहीं हैं उसे अपने ही कब्जे में रखे रहते हैं। जिसके लिये सरकार स्वयं उत्तरदायी है। कहने का मतलब यह है कि सरकारी कर्मचारी के लिये बंगला या मकान सरकार के कार्य के लिये उसे एलाट करवाया जाता है और इस चीज को सरकार ने अपने पजेशन में ले रखा है किन्तु इसके बावजूद भी वे पजेशन नहीं छोड़ते और उनके ही नाम एलाट रखते हैं। मैं जानना यह चाहता हूं कि जब सरकार यह व्यवस्था करने की बात सोचती है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद उस स्थान पर आता है जहां पर कि निवास करना चाहता है और उस मकान में कोई रहता है तो क्या सरकार इस बात की भी व्यवस्था करने की बात सोचेगी कि जिस आदमी का ट्रांसफर हो जाय, अपने कार्यकाल के अन्तर्गत उसको कोई मकान रखने का अधिकार नहीं होगा! श्रीमन् यही नहीं, मुझे यह भी कहने के लिये आप क्षमा करेंगे कि कुछ लोग लखनऊ में भी इस प्रकार के मकान रखते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि शायद बड़े बड़े ओहदे पर मिनिस्टर साहब भी रखते हों तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था इस बिल में क्यों नहीं की जा रही है। आपने टाउन एरिया को शामिल कर लिया, बहुत अच्छा, किन्तु एक-दो दिक्कतें हमें इस मामले में दिखाई देती हैं जो कि बहुत ही मौलिक है जिनकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं। सबसे पहले आप अपने कर्मचारियों, जिनका कि मैंने पहले जिक्र किया, उनके लिये सोचें। और दूसरा काम है श्रीमन्.....

श्री बेनी सिंह---

उसमें है। सरकारी कर्मचारियों का अगर ट्रांसफर होता है तो उनका मकान खाली करा दिया जायगा ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

कहां है ? जरा वह क्लाज मंत्री जी पढ़ दें। मेरा मुख्य विरोध इस बात का है। अगर सरकार ने कोई अधिकार ले लिया है और यह मान लिया जायगा कि जिस तारीख को उस का ट्रांसफर दूसरी जगह को हो गया उसी तारीख से आटोमेटिकली उसका मकान खाली हो जायगा जिस तारीख को चार्ज लिया, या एक महीने के बाद खाली होगा या दो महीने बाद होगा या 6 महीने बाद। साल भर की ही तारीख कोई बता दें। मैं साल भर तक की बात कहता हूं, क्योंकि जुलाई में ट्रांसफर हो और जून तक उसके बच्चे रहना चाहे तो नेक्स्ट जुलाई तक वह रह सकें। अगर मंत्री जी बता दें तो मैं अपनी बात यही समाप्त कर लूंगा, अपनी जानकारी बढ़ा लूंगा। लेकिन जो मैं समझ पाया हूं, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है और इस प्रकार की व्यवस्था न होना इस बिल की अपूर्णता का द्योतक है। मैं नहीं यह कहना चाहता कि इसके पीछे क्या बात है, लेकिन यह मान कर चलता हूं कि कहीं कोई भूल हो गयी है। मंत्री जी अगर इसका सुधार कर लें। अगर मानते हैं तो खड़े होकर कह दें, मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। इसमें मंत्री जी का सवाल क्या है, यह तो पूरी सिलेक्ट कमेटी का सवाल है। अगर सरकार मुनासिब समझती है तो उसको घोषणा करनी चाहिये। वैसे तो यह उच्च सरकारी संशोधन है, हमारा संशोधन तो सरकार मानेगी नही। मानेगी तो लालबहादुर सिंह का या किसी दूसरे का ।

दूसरा निवेदन यह करना चाहूंगा कि जो मकान की आज शहरों में दिक्कत हो रही है तो जो मकान बन रहे हैं, उनको भी इसकी परिधि में लेना चाहिये। और अगर नहीं लिया जायगा, क्योंकि उसके लिए कुछ तारीख फिक्स कर दी गयी है कि फलां तारीख तक के मकान इसमें लिये जायेंगे, तो अगर नये नहीं लिये जायंगे तो उनके किराये बेतहाशा बढ़ेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि नये मकान नहीं बन पायेंगे। मेरा निवेदन है कि सरकार को यह काम स्वयं अपने हाथ में लेना चाहिये। हाउसिंग की व्यवस्था जो सरकार कर रही है, हायर-परचेज स्कीम के अन्तर्गत या विकास बोर्ड की स्कीम के अन्तर्गत, वह कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है, जिससे लोगों को मकान मुहय्या होने में आसानी हो सके। मुमकिन है कुछ शहरों में स्कीम बन जायगी लेकिन जो टाउन एरिया, नोटिफाइड एरिया या छोटी म्युनिसिपैलिटीज हैं, वहां मकानों की दिक्कत कम नहीं है। काफी बड़ी संख्या ऐसे लोगों की हो रही है वहां जिनके लिए मकान का किराया देना बोझ हो रहा है। मंहगाई भत्ता देने में सरकारी कर्मचारियों को या दूसरे लोगों को जहां आप कहते हैं कि बड़ा भारी बोझ है, वहीं जो छोटे कर्मचारी है, जो टाउन एरिया में रहते हैं उन लोगों को मकान मोहय्या करने में आपको कठिनाई हो रही है। मेरा निवेदन है कि सरकार को यह काम अपने हाथ में लेना चाहिये। और लोग कह सकते हैं कि इस बिल से इस बात का क्या ताल्लुक ? ताल्लुक सिर्फ इतना है कि अगर आप इसमें एक एक क्लाज ऐसा बना लें और अधिकार प्रतिनिहित विधायन के अन्तर्गत लेना चाहें तो ले लें कि सरकार मकान बनवा कर इसी किराये के अन्तर्गत लोगों को प्रोवाइड करने का भी प्रयास करेगी। बाकी अपने रिसोर्सेज इकट्ठा करते रहिये। लेकिन इससे लोगों को आशा बंधेगी और मकान के किराये कम होने में सुविधा होगी। जो आज तर्क दिये जाते हैं कि लोग मकान नहीं बनायेंगे, इसके लिये मैंने यह कहा ।

मैं गोरखपुर के बारे में निवेदन करूंगा कि वहां पर बहुत सी जमीन खाली पड़ी हुई है। सरकार को चाहिये था कि उसको अपने कब्जे में लेकर मकान बनाती। लेकिन सरकार ने कुछ लोगों को जमीन पट्टे पर देना शुरू किया। ऐसी जमीन जो सरकारी है, नीचे दुकाने बनी हुई हैं और ऊपर रेजीडेंशियल क्वार्टर्स बने हुये हैं। वे इस तरह से बने हुये है कि सिवाय इसके कि आमतौर से दूसरी जगह यदि स्थान मिल जाये तो वहां लोग रहना

पसन्द नहीं करेंगे। जब जमीन शहर में इतनी मौजूद है तो इसका इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है ? मेहरबानी करके अगर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हों तो जरूर कीजिये।

दूसरे यह कि किरायेदारी के सिलसिले में मुकदमे बाजी को प्रथम कम कीजिये। अभी भी इसमें मुकदमेबाजी की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद स्थानीय तौर पर एक ऐसा ट्रिब्यूनल बना दिया जाय जो जिले के जज के स्तर का हो उसकी नियुक्ति करके बनाया जाय और उसका फैसला अगर सरकार को ऐतराज न हो तो सरकार को और दूसरे पक्ष को भी मान्य होना चाहिये। इससे जो लम्बी दौड़ मकानों के लिटिगेशन की लगानी पड़ती है वह कम हो जायेगी। कहा जाता है कि सरकार के पास यह अधिकार सुरक्षित रहेगा। पूरे स्टेट के मामले यहां सेक्रेटेरियट में आयें तो इसमें दो दिक्कतें होती हैं। एक तो यह कि एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर को जुडीशियल का काम सौंप देते है। उसके सामने भी दिक्कत हो जाती है, जिस काम को जुडीशियल बना दिया उसको सेमी जुडीशियल बनाना ठीक नहीं मालूम होता है। सरकार निश्चित घोषणा कर दे कि एलाटमेंट जिस हैसियत से जिस आदमी को मिलता है उसका उसी हैसियत से उपयोग होना चाहिये। उसका मिसयूज नहीं होना चाहिये। यह प्रबन्ध सरकार को करना चाहिये।

*श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)---

उपाध्यक्ष जी, मुझे बहुत ही आश्चर्य लगा कि बहुत से मित्र इस विधेयक के ऊपरी ढांचे के भुलावे में आकर इसकी प्रशंसा करने में लग गये। प्रदेश में आवास की समस्या मध्यम श्रेणी के लोगों की है जिसके लिये जनता में इस विधेयक के प्रति आकर्षण पैदा होना था। यदि उनकी समस्यायें ध्यान में रखी गई होंती तो जरूर होता। अभी मेरे पूर्व वक्ता माननीय स्वामी जी ने जो विचार व्यक्त किये हैं, मैं उनसे सहमत हूं। आप देखिये उपाध्यक्ष जी, जहां तक भवनों को इस परिधि से मुक्त रखने की बात है। केन्द्रीय सरकार से लेकर राज्य सरकार तक के भवनों की बात ही मैं नहीं कहता, क्योंकि यह एक ऐसा प्रश्न है जिसके द्वारा अपने ही बनाये नियमों से हम बंधते हैं। इस प्रश्न पर मतभेद हो सकता है। इसके अतिरिक्त भी पृष्ठ 2 के अन्तर्गत (क) से लेकर (च) की धाराओं को अगर आप देखे तो उसमें यह भी दिया हुआ है "किसी ऐसे भवन पर जो किसी विश्वविद्यालय या अन्य परिनियत निकाय द्वारा, अथवा सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 के अधीन रजिस्टर्ड किसी सोसाइटी या किसी सहकारी समिति, कंपनी या फर्म द्वारा निर्मित किया गया और धृत हो।" इस प्रकार की संस्थाओं द्वारा बने हुए मकानों को भी आप मुक्त कर रहे हैं। इस प्रकार के भवनों का इस प्रकार की संस्थाओं द्वारा निर्माण हो रहा है जिनमें किरायेदारों को काफी तकलीफें हैं। मैं नहीं कह सकता कि गवर्नमेंट की जो मंशा है उसके लिये हम कैसे इन दशाओं में कार्य कर पायेंगे। हमारे भाई वैसे तो शहरी संपत्ति की सीमा निर्धारित करने का नारा लगाते हैं, लेकिन उन दलों के लोग ही जो समाजवाद और गरीबी का नारा लगाते हैं बड़ी-बड़ी संपत्तियों को कब्जे में किये बैठे हैं। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता लेकिन मेरे अड़ोस पड़ोस में, बनारस नगर में ही ऐसे लोग हैं, जो चाहे शासन में हैं अथवा नहीं हैं, उनके पास ऐसे बहुत से भवन हैं जिनको वे किराये पर दिये हुये हैं। कुछ लोगों ने सोसाइटी भी बना ली है और उसके अन्तर्गत इन भवनों को कर लिया है और मैं समझता हूं कि उनको छूट देने के लिये ही ऐसा प्राविधान इस कानून में किया जा रहा है। अगर ऐसा है तो वह फिर गरीबों के हित में नहीं होगा।

दूसरी बात किराये निर्धारण के सिलसिले में है। वह भी वेग है। उसमें कहा गया है कि मकानदार और किरायेदार के समझौते से किराया तय होगा, इससे तो मूल समस्या पर ही कुठाराघात होता है क्योंकि हम कम किराये पर मकानों को देना चाहते हैं। यह भी उचित नहीं है। इसके अलावा बेदखली का प्रश्न भी विचारणीय है। उसमें इस प्रकार की शर्तें हैं कि अगर कोई मकान में संशोधन, परिवर्तन, चाहे उससे मकान को क्षति होती हो या

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शंकर प्रसाद जायसवाल]--

वृद्धि होती हो किरायेदार नहीं कर सकता । इसके अन्तर्गत मकानदार बहुत से किरायेदारों को हटा देंगे और आज भी हटा रहे हैं कि उसने यह प्लास्टर क्यों करा लिया या रंग क्यों करा लिया या खिड़की में जाली क्यों लगवा ली या नये डिजाइन की खिड़की क्यों लगवा ली । इन पर भी बेदखली हुई है । बेदखली के नाम में मकानदारों को बहुत छूट दे दी गयी है । इसी प्रकार से यह भी लिखा हुआ है कि जिन प्रयोजनों और जिन शर्तों के आधार पर मकान किराये पर लिया गया है, उसके अतिरिक्त कार्यों के लिये उसका उपयोग नहीं किया जा सकता, मान लीजिये किसी की जनरल मर्चेन्ट की दूकान नहीं चली, और अगर वह दूसरे प्रकार की दूकान खोलना चाहता है, तो उसके लिये उसको दंड दे दिया जायगा । इतना ही नहीं अगर पाखाना-गुस्लखाना खराब है तो इस विधेयक में कहीं भी नहीं है कि इस सीमा तक वह मरम्मत करा सकता है, कोई प्राविधान ऐसा नहीं है । अगर उस ने थोड़ा सा भी परिवर्तन किया तो निश्चित शर्तों के अनुसार, प्रयोजनों में परिवर्तन समझा जायगा और उसकी बेदखली हो जायगी । एक ओर तो बहुत बड़े पैमाने पर रेन्ट कन्ट्रोल की इस धारा से भवनों को निकाल लिया जिन पर कि यह धारा लागू नहीं होगी ।

दूसरी ओर किराये में इस प्रकार की छूट दी गई और बेदखली की कार्यवाही में भी मकान मालिकों के साथ बहुत बड़ा पक्षपात किया गया है । इन तीनों मुद्दों पर मोटे तौर पर देखने से यह साफ-साफ प्रकट होता है । इसके अलावा कुछ और भी बातें हैं जिनकी ओर आपका ध्यान जाना चाहिये था । स्वामी जी ने वह सब बातें काफी डिटेल में आप के सामने रखी हैं मैं उसको दोहराना नहीं चाहता । लेकिन यह बहुत आवश्यक है कि यह विधेयक प्रदेश की जनता के हित में हो और इसके लिये यह जरूरी है कि इसे जनमत संग्रह के लिये भेजा जाय और जनता के विचार इस पर काफी अच्छी तरह से आने चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं स्वामी जी के संशोधन का समर्थन करूंगा और मंत्री जी का और शासन का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि यह वह कानून होगा कि जो आप को कसौटी पर कसेगा और इस नाते आप सही निर्णय लेकर काम करें और जनता को बहकाने और धोखा देने की कोशिश न करें । सस्ती नारे के अन्दर लुभाने की बात आप न करें । आप वह कार्य न करें जिससे बड़े-बड़े मकान मालिक और उद्योगपतियों को लाभ पहुंचेगा ऐसे कानून से क्या लाभ कि हाथी निकल जाय और दुम फंस जाय इसलिए यह मेरा सुझाव है कि आप इन धाराओं में सुझाये गये संशोधन को स्वीकार करें और बिना इनको माने इसे पास न करें । वर्ना सारे के सारे लोगों के जो विचार हैं और जो बदलते जा रहे हैं आप के प्रति वह बहुत ही कम समय में बदल जायेंगे । इन शब्दों के साथ मैं जनमत संग्रह को भेजे जाने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मान्यवर, आम तौर से या पूर्ण रूप से लगभग सभी माननीय सदस्यों ने मेरे सुझावों को स्वीकार किया है जो मैंने सदन के समक्ष प्रस्तुत किये थे और हम नहीं समझते कि मंत्री जी प्रजातन्त्र के विरोधी हैं और वह इन सुझावों को स्वीकार नहीं करेंगे । केवल 5 मिनट में मैं 4 मुख्य बातों की ओर ध्यान आकृष्ट करुंगा । पहली बात तो यह है कि इसमें 25 प्रतिशत किराया बढ़ाने का जो प्राविधान रखा गया है उसका हम विरोध करते हैं और किरायेदारों के साथ यह ज्यादती होगी ।

दूसरे शर्मा जी ने तथा अन्य सदस्यों ने भी कहा कि जो सरकारी कर्मचारी ट्रांसफर हो जाते हैं तो उनके ट्रांसफर के बाद उनके मकान को खाली कराने का प्राविजन इसमें रहना चाहिये, आप ने कहा कि इसमें प्राविधान है, अगर है तो ठीक है लेकिन शायद वह नहीं है तो उसका प्राविधान मंत्री जी कर दें । मुख्य बात यह है कि आप इसके अन्दर मकान मालिक की आवश्यकता पर किरायेदार की बेदखली करने की बात रखे हैं इस कार्यवाही को आप एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर को न दें । इसको आप मुन्सिफ और न्यायालय में दीजिये और उसकी अपील जिला जज के यहां रखिये । इस तरह से लोगों की गैर कानूनी बेदखली होगी और बड़ी परेशानी किरायेदारों को हो जायगी । इसके अलावा जो गैरकानूनी काबिज लोग हैं उनको भी सुनवाई और अपील का मौका दिया जाना चाहिये, इससे उनकी मदद तो नहीं होगी, बल्कि उससे लाभ ही होगा ।

एक चीज यह भी है कि आपने धारा 17 और 32 में अपील का प्राविजन नहीं किया है, वह आप कर दें। इसके अलावा जो सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये हैं उन सब पर आप विचार करें और इस पर न रहे कि प्रवर समिति से यह सर्वसम्मति से पास हो कर आया है, वहां का भी मैं जानता हूं माननीय रूपनाथ सिंह यादव जी बैठे हैं जिन्होंने वहां पचीसों संशोधन पेश किये थे तो इस लिये जो आपकी प्रवर समिति का खोखलापन है, वह तो समझ में आ गया है। यह शायद इस नयी सरकार का पहला ही विधेयक है, जिसका पूरे प्रदेश में स्वागत होगा। इसमें जो कुछ प्राविधान है कि 10 साल की सुविधा देंगे, जिला जजों को अपील कर सकेंगे आदि बातों का सारे प्रदेश में स्वागत होगा यदि आप जो त्रुटियां मैंने बतायी है, उनको इसमें से दूर कर दें और मैं अपने संशोधन के प्रस्ताव को वापस भी ले लूंगा यदि मेरी 4 बतायी हुयी बातों का आप इसमें समावेश करने की कृपा करेंगे, अन्यथा मैं चाहूंगा कि शक्ति परीक्षण हो जाय।

श्री राम गोपाल संड—

श्रीमन्, इस विधेयक के सम्बन्ध में मेरा तो छोटा सा प्रस्ताव है। मैं चाहता हूं कि इस विधेयक को ऐसा बना दिया जाय जिससे लोगों को अधिक से अधिक लाभ हो और मैं समझता हूं कि गरीबी हटाओ का नारा देने वाले हमारे मंत्री जी इसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री बेनीसिंह—

जितने अधिकार क्षेत्र इस अधिनियम के हैं, उससे ज्यादा लोग बाहर गये। किसी ने कहा कि मकान हायर परचेज पर दे दिया जाय, किसी ने कहा कि मकान बनवाये जायं लेकिन इस विधेयक का केवल एक ही मतलब है कि शहर में जो मकान बने हैं, उन पर अपना कन्ट्रोल हो और उनका आवंटन और किरायेदार की बेदखली पर कन्ट्रोल हो। मकान कौन बनायेगा, उसके लिये दूसरा विभाग है, हाउसिंग बोर्ड, इस अधिनियम से कोई सम्बन्ध नहीं है। बहस इतनी बढ़ी कि सारी चीजें जोड़ दें। जहां तक आपने इसको काम करने का अधिकार दिया, उस अधिकार क्षेत्र के अन्दर ही काम करना है, उसके बाहर वह कहां जाय। इसमें प्राविधान है कि हर 10 वें साल मकान एलाटमेंट में होंगे। 10 साल तक वह मकान मालिक बना रहेगा। फिर वह इस विधेयक की परिधि में आ जायगा।

माननीय कल्पनाथ जी ने कहा कि यह कह कर काम नहीं चलेगा कि मकान बनते जायं। जिस प्रतिशत से आबादी बढ़ रही है उस हिसाब से मकान नहीं बन रहे हैं और न कोई सरकार इतनी क्षमता रखती है कि पूरी आबादी के लिए मकान बनवाकर बेच दिए जायं। प्राइवेट लोगों को जब वे मकान बनायेंगे, तो कुछ मिलना चाहिए ताकि वह कुछ समय तक उनमें रह सकें और कुछ पैसा कमा सकेंगे। जो हाउसिंग बोर्ड से कर्जा लेकर मकान बनायेंगे वह कैसे उसको अदा करेंगे। जितनी भी चीजें हुयी हैं, एक-एक पर बहस हुयी है। ऐसा कोई प्वाइन्ट नहीं है जिस पर बहस न हुयी हो और बहस होने के उपरान्त ही एक सर्वसम्मति से फैसला हुआ, वह इसमें आ गया है। आपने कहा कि इसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो नहीं हुयी हैं। यदि मैं उन सब पर कुछ विचार रखूं तो बहुत समय लगेगा। माननीय जायसवाल जी ने कहा कि अगर किरायेदार मकान में तब्दीली करेगा तो बेदखल हो जायगा। ऐसे किरायेदार बेदखल नहीं होगा। उसको प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी से परमीशन लेनी होगी तब वह बेदखल होगा वैसे ही नहीं हो जायेगा। अगर उसकी शक्ल बदल जाय, यों आप सरसरी तौर पर कह दें तो ऐसे हो जायेगा। हर प्वाइन्ट उसमें है। उसमें है। कहीं भी गुन्जाइश नहीं है। आप करें। अगर कोई चीज आप बता दें और जरूरत पड़ेगी तो उसको हम बदल डालेंगे। आपका अगर सहयोग मिलेगा और आप चाहेंगे तो बदलने में देर नहीं लगेगी। एक चीज आ जायेगी.....

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल—

मैं जरा स्पष्टीकरण चाहता हूं। किरायेदार ने कोई ऐसा कार्य किया है जो प्रयोजन से असंगत हो जिसके लिये उसको भवन किराये पर दिया गया था।

श्री बेनी सिंह---

रेजीडेन्स से दूकानों में और दूकानों को रेजीडेन्स में बदल दिया यह ठीक नहीं है। जब कानून आता है तो उसका स्पष्टीकरण होता है अदालतों, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, और वह बिल्कुल फूल-प्रूफ होता है। जो वकील होते हैं वे इसलिये आते हैं कि जो कानून हैं उनको देख लें। इसीलिये मैं कह रहा हूं कि इसमें सरकारी अफसरों का असर मारा गया। आप देखें इसमें कहा गया है कि जिस दिन कोई अपनी आवास हटा दे और दूसरी जगह कर लेगा तो उस मकान को खाली समझा जायेगा। इसके दो हिस्से हैं। एक प्राइवेट मकान का एलाटमेन्ट है और दूसरा सरकरी मकानों का एलाटमेन्ट है। जो सजा है वह हमने सरकारी मकानों की परिधि में नहीं दी है। उसको तो एस्टेट डिपार्टमेंट के अधीन सरकारी नौकरों के कान्डक्ट के मुताबिक कर सकते हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

एक मकान जो एक बार ले लेते हैं उसको वे छोड़ते नहीं है।

श्री बेनी सिंह---

अगर किसी ने आवास हटा दिया तो उसका मकान खाली समझा जायेगा। अभी कोई साहब कर रहे थे कि हटाने की बात किसी पुलिस अधिकारी को दे दी गई। "दोऊ न होऊ एक संग मुआलू।" यह भी करो वह भी करो। चित्तो मेरी, पट्टो मेरी।

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)---

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि जब तक यह विधेयक पारित न हो जाय। ऐजेन्डे में संशोधन के विषयों को कल ले लिया जाय और बाकी जब तक यह पूरा न हो जाय सदन का कार्य चलता रहे।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि सदन जब तक यह कार्य सूची में उल्लिखित विषय हैं, वे पूरे न हो जायं, तब तक चले।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बेनी सिंह---

मैं अधिक न कह कर यह निवेदन करूंगा कि नित्यानन्द जी इसको स्वीकार कर लें। इसमें बहुत से रूल्स आयेंगे। श्री रामगोपाल जी और स्वामी जी से मैं यह प्रार्थना करूंगा कि वे इस पर विचार करें और पारित करें।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मैं तो माननीय मन्त्री जी की कविता पर फिदा हो गया हूं। माननीय मन्त्री जी ने एक भी बात का उत्तर नहीं दिया, लेकिन मैं अपने संशोधन को माननीय मन्त्री जी के आश्वासन पर वापस लेता हूं।

श्री चन्द्रभान शर्मा---

उपाध्यक्ष महोदय, फिदा शब्द तो चौधरी साहब ने इस्तेमाल किया था। अब उन्हें आशिक शब्द स्तेमाल करना चाहिये था।

श्री राम गोपाल सण्ड---

दस साल के बजाय 5 साल कर दें।

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो आप जब खंडों पर चर्चा हो तब कहियेगा। आप अपना संशोधन वापस लेते हैं या वोट लिया जाय।

श्री रामगोपाल सण्ड—

मैं अपना संशोधन वापस नहीं लेता ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री नित्यानन्द स्वामी का संशोधन वापस किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराया तथा बेदखली का विनियमन) विधेयक, 1970 को पुनः संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (शहरी भवन किराये पर देने, किराया तथा बेदखली का विनियमन) विधेयक, 1970, जैसा कि संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

अधिनियम प्रवर्तन से मुक्त

2—(1) इस अधिनियम की कोई बात—

(क) किसी ऐसे भवन पर जो राज्य सरकार या भारत सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण का हो या उसमें निहित हो, या

(ख) राज्य सरकार या भारत सरकार द्वारा पट्टे पर लिये गये अथवा अधिगृहीत किसी भवन के सम्बन्ध में उक्त सरकार के अनुदान से स्थापित किरायेदारी पर, या

अधिनियम संख्या 6 1948

(ग) किसी ऐसे भवन पर जो फैक्टरीज ऐक्ट, 1948 के अर्थ में "फैक्टरी" के रूप में प्रयोग किया जाता हो अथवा प्रयोग किये जाने के लिये अभिप्रेत हों, या

(घ) किसी ऐसे भवन पर जो किसी अन्य औद्योगिक प्रयोजन के लिए (अर्थात् किसी माल के निर्माण, संरक्षण अथवा प्रक्रिया के प्रयोजन के लिए) या सिनेमा या थियेटर के लिए प्रयोग किया जाता हो अथवा प्रयोग किये जाने के लिये अभिप्रेत हो, यदि भवन में ऐसे प्रयोजन के लिये लगाया गया सन्यन्त्र तथा उपकरण भवन के साथ पट्टे पर दिये गये हों :

प्रतिबन्ध यह है कि इस खण्ड की कोई बात सिनेमा या थियेटर के परिसर में स्थित किसी दुकान या अन्य भवन के सम्बन्ध में जिसकी किरायेदारी सिनेमा या थियेटर की किरायेदारी से अलग स्थापित हुई हो, प्रभावी नहीं होगी, या

(ङ) किसी ऐसे भवन पर, जो सार्वजनिक मनोरंजन या आमोद-प्रमोद के स्थान (जिसके अन्तर्गत कोई खेल-कूद का स्टेडियम भी है किन्तु सिनेमा या थियेटर नहीं है) के रूप में प्रयोग किया जाता हो अथवा प्रयोग किये जाने के लिए अभिप्रेत हो, या उससे सम्बद्ध किसी भवन पर, या

(च) किसी ऐसे भवन पर जो किसी विश्वविद्यालय या अन्य परिनियत निकाय द्वारा अथवा सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 के अधीन रजिस्टर्ड किसी सोसाइटी या किसी सहकारी समिति, कम्पनी या फर्म द्वारा निर्मित किया गया और धृत हो, और जो केवल अपने अध्यासन के लिये या अपने किन्हीं अधिकारियों या कर्मचारियों के, चाहे किराये पर या बिना किराये के, अध्यासन के लिये, अथवा अतिथि गृह के रूप में, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाता हो, ऐसे व्यक्तियों के अध्यासन के लिये अभिप्रेत हो जिनका उससे सामान्य कार्य के दौरान व्यवहार हो, पर लागू न होगी ।

(2) सिवाय धारा 24 की उपधारा (2) अथवा धारा 29 की उपधारा (3) में की गई व्यवस्था के, इस अधिनियम की कोई बात किसी भवन पर उस दिनांक से जब उसका निर्माण पूरा हो, दस वर्ष की अवधि में लागू न होगी।

स्पष्टीकरण---इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये---(क) किसी भवन का निर्माण उस दिनांक को जबकि क्षेत्राधिकार युक्त स्थानीय प्राधिकरण को उसके पूरा होने की रिपोर्ट दी जाय या उसके द्वारा अन्यथा अभिलिखित की जाय, और किसी ऐसे भवन की दशा में जो निर्धारण के अधीन हो, उस दिनांक को जब से उसके सम्बन्ध में प्रथम निर्धारण प्रभावी हो, और यदि उक्त दिनांक भिन्न-भिन्न हों तो उस दिनांक को, जो उनमें से पहले हों, और किसी ऐसी रिपोर्ट, अभिलेख या निर्धारण के न होने पर, उस दिनांक को जब उसका प्रथम बार वस्तुतः अध्यासन (जिसके अन्तर्गत केवल निर्माण-कार्य का पर्यवेक्षण या निर्माणाधीन भवन रखवाली करने के प्रयोजनार्थ अध्यासन नहीं है) किया जाय, पूरा हुआ समझा जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे भवन के विभिन्न भागों के, जिनकी रचना या तो अलग-अलग इकाइयों के रूप में हो या जिन पर मकानदार और एक या उससे अधिक किरायेदारों द्वारा अथवा विभिन्न किरायेदारों द्वारा अलग-अलग अध्यासन हो, निर्माण के पूरा होने के भिन्न-भिन्न दिनांक हो सकते हैं।

(ख) 'निर्माण' के अन्तर्गत किसी वर्तमान भवन के स्थान पर, जिसे पूर्णतः अथवा सारतः गिरा दिया गया हो, कोई नया निर्माण भी है।

(ग) जहां किसी वर्तमान भवन में कोई ऐसा सारवान् परिवर्तन किया जाय जिसे कि वर्तमान भवन उसका केवल एक अल्पांश हो जाय तो वर्तमान भवन सहित सम्पूर्ण भवन उक्त परिवर्द्धन के पूरा होने के दिनांक को निर्मित हुआ समझा जायगा।

(3) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सामान्य जनता के हित में ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर है तो वह गजट में अधिसूचना द्वारा किसी ऐसे भवन को, जो किसी शैक्षिक या पूर्त संस्था के स्वामित्व में हो और जिससे प्राप्त समस्त आय का उपयोग उसी संस्था के लिए किया जाता हो इस अधिनियम के सभी या किन्हीं उपबन्धों से विमुक्त कर सकती है, और इसी प्रकार ऐसी अधिसूचना को निरस्त या संशोधित कर सकती है।

श्री लाल बहादुर सिंह (जिला वाराणसी)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खण्ड 2 (1) (क) में शब्द "राज्य सरकार या भारत सरकार" के स्थान पर शब्द "भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार" रख दिये जायं। मैंने यह इसलिए पेश किया कि दूसरे राज्य सरकार की सम्पत्ति यहां होगी और इस राज्य की भी सम्पति दूसरी जगह होगी। अगर यह नहीं रखेंगे तो सरकारों में लड़ाई हो सकती है।

श्री बेनी सिंह---

मैं इसे स्वीकार करता हूं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

यह किसी को नहीं मानते तो इसको क्यों माना।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 (1) (क) में शब्द "राज्य सरकार या भारत सरकार" के स्थान पर शब्द "भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, अभी एक माननीय सदस्य ने, जो संयुक्त प्रवर समिति के सदस्य थे, एक संशोधन पेश किया और सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया। मान्यवर, मेरी मुसीबत यह है कि संयुक्त प्रवर समिति में सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से मैं एक ही था और वहां भी वही हालत हुई जो यहां है। वहां बहुमत के बल पर हारना पड़ा। हमारे जो और संशोधन थे वे मंजूर हो गये थे, उसके लिये मैं मन्त्री जी को बधाई देता हूं। लेकिन कुछ संशोधन उन्होंने नहीं माने, इसलिए हमें यह लाना पड़ा। गरीबों और छोटे किरायदारों के लिए इसम ज्यादा व्यवस्था नहीं की है इसलिए हमने यह रखा है। माननीय मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था कि अगर सदन में कोई ऐसी बात कहेंगे और मानने लायक होगी तो मान लेंगे। मेरा उनसे निवेदन है कि वह इसको भी मान लें। मैं आपकी आज्ञा से अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं: "खण्ड 2 के उपखण्ड (2) की तीसरी पंक्ति में शब्द 'दस' के स्थान पर शब्द 'आठ' रख दिया जाय। अभी माननीय सण्ड जी ने कहा कि तत्काल लागू कर दिया जाय। लेकिन हम तो केवल आठ वर्ष वालों के लिये कह रहे हैं। वह इसके अन्दर आ जायं। इसके अन्दर उन्होंने दस साल कहा है। इसके लिये भी म्युनिसिपैलिटी में जायेंगे। वहां से जब असेसमेंट होगा, नक्शा पास होगा, रिपोर्ट देंगे तो दो तीन वर्ष वहां लगा लेंगे। तो आटोमेटिकली दो, तीन साल वहां खर्च करेंगे तब दस साल लागू होगा। तो इसे घटा कर 8 कर दिया जाय।

श्री बेनी सिंह—

मान्यवर, एक परम्परा होनी चाहिये कि जब ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी से सर्वसम्मति से पास हो चुका तो कम से कम जो उसके मेम्बर हों वे ऐसे संशोधन न दें। यह संशोधन ये वहां पेश कर चुके थे और कमेटी में बहस हुई थी और उस पर ये राजी हो गये थे, अब फिर यहां रख रहे हैं। अब मैं उसको कैसे मान लूं? सेलेक्ट कमेटी के ज्यादातर मेम्बर तो उसके खिलाफ थे। इसलिये अब भी निवेदन है कि आप इसे वापस कर लें, बड़ी कृपा होगी।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 के उपखंड (2) की तीसरी पंक्ति में शब्द "दस" के स्थान पर शब्द "आठ" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड 2 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खण्ड ३ व ४

परिभाषायें

3—जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

(क) किसी भवन के सम्बन्ध में, "किरायेदार" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसके द्वारा उसका किराया देय हो, और किरायेदार की मृत्यु पर उसके वारिसों से है;

यू० पी० ऐक्ट संख्या 2, 916 उ०प्र० अधिनियम संख्या 2, 1959

(ख) "गृह कर" का तात्पर्य यूनाइटेड प्राविंसेज म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 की धारा 128 (1) (i), या उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 173 (1) (क), या जैसी भी दशा हो, यूनाइटेड प्राविंसेज टाउन ऐरिया ऐक्ट, 1914 की धारा 14 (1) (ई) में उल्लिखित कर से है, :

(ग) "जिला मजिस्ट्रेट" के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस अधिनियम के अधीन उसकी सभी या किन्हीं शक्तियों, कृत्यों, और कर्त्तव्यों के प्रयोग, सम्पादन और पालन करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी भी है, और भिन्न-भिन्न क्षेत्रों अथवा मामलों या मामलों के वर्गों के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न अधिकारियों को तदर्थ प्राधिकृत किया जा सकता है और जिला मजिस्ट्रेट किसी ऐसे अधिकारी के पास से कोई मामला वापस मंगा सकता है और या तो उसका निस्तारण स्वयं कर सकता है या उसे किसी अन्य ऐसे अधिकारी को निस्तारण करने के लिये अन्तरित कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि इस खण्ड की किसी बात से यह न समझा जायगा कि इससे जिला मजिस्ट्रेट को खण्ड (ङ) के अधीन नियत प्राधिकारी के कृत्यों का सम्पादन करने के लिये किसी ऐसे मजिस्ट्रेट को प्राधिकृत करने की अपनी शक्ति अथवा धारा 32 के अधीन परिवाद करने, या उसे करने के लिये प्राधिकृत करने, की शक्ति को प्रतिनिहित करने की शक्ति प्राप्त है;

(घ) "नियत" का तात्पर्य सिवाय खंड (ङ) में, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है ;

(ङ) "नियत प्राधिकारी" का तात्पर्य प्रथम श्रेणी के किसी ऐसे मजिस्ट्रेट से है जिसे इस रूप में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो और जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्राधिकारी के सभी या किन्हीं शक्तियों, कृत्यों और कर्त्तव्यों का प्रयोग, सम्पादन तथा पालन के लिये प्राधिकृत हो, और भिन्न-भिन्न क्षेत्रों अथवा मामलों या मामलों के वर्गों के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न मजिस्ट्रेटों को तदर्थ प्राधिकृत किया जा सकता है, और जिला मजिस्ट्रेट किसी ऐसे मजिस्ट्रेट के पास से कोई मामला वापस मंगा सकता है और या तो उसका निस्तारण स्वयं कर सकता है या उसे किसी अन्य ऐसे मजिस्ट्रेट को निस्तारण करने के लिये अन्तरित कर सकता है;

(च) किसी भवन के सम्बन्ध में "निर्धारण" का तात्पर्य क्षेत्राधिकारयुक्त स्थानीय प्राधिकारण द्वारा उसके किरायार्थ मूल्य के यथास्थिति कर निर्धारण या आनुपातिक कर निर्धारण से है, और "निर्धारित" का अर्थ तदनुसार समझा जायेगा;

(छ) किसी भवन के मकानदार या किरायेदार के सम्बन्ध में, "परिवार" का तात्पर्य निम्नलिखित से है, अर्थात् उसकी या उसके—

(1) पत्नी या पति,
(2) पुंजातीय वंशज,

(3) ऐसे माता-पिता या पितामह-पितामही, या अविवाहित अथवा विधवा अथवा विवाह-विच्छिन्न अथवा न्यायिक रूप से पृथक पुत्री अथवा पुंजातीय वंशज की पुत्री, जो सामान्यतया उसके साथ रहते हों, और किसी मकानदार के सम्बन्ध में, "परिवार" के अन्तर्गत कोई ऐसी नारी भी है जिसे उक्त भवन में रहने का विधिक अधिकार हो ;

(ज) "पुराना अधिनियम" का तात्पर्य यूनाइटेड प्रार्विसेज (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट एण्ड इविक्शन ऐक्ट, 1947 से है; उ० प्र० अधिनियम सं० 3 1947

(झ) "भवन" का तात्पर्य किसी आवासिक या अनावासिक छादित संरचना से है और उसमें—

(1) ऐसे भवन से सम्बद्ध कोई भूमि (जिसमें कोई बगीचा भी सम्मिलित है) गैराज और उपभवन ;

(2) ऐसे भवन में प्रयोग करने के लिये, मकानदार द्वारा उपलब्ध किया गया कोई फर्नीचर, ;

(3) ऐसे भवन में उसके और अधिक लाभकारी उपयोग के लिये लगाये गये उपस्कार व फिक्सचर, भी सम्मिलित है ;

(ञ) किसी भवन के सम्बन्ध में, "मकानदार" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे उसका किराया देय हो, अथवा यदि भवन किराये पर उठा होता तो देय होता, और इसके अन्तर्गत सिवाय खंड (छ) में, ऐसे व्यक्ति का एजट या एटार्नी भी है ;

(ट) 'मानक किराया' का तात्पर्य, धारा 6, 8 और 10 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित से है:—

(1) पुराने अधिनियम द्वारा शासित और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के समय किराये पर उठे हुए किसी भवन की दशा में—

(क) यदि ऐसे प्रारम्भ के समय उसके लिये देय कोई सम्मत किराया और [रीजनेबुल एनुअल रेन्ट' [जिसका इस अधिनियम में वही अर्थ है जो पुराने अधिनियम की धारा 2 (एफ) में है, जिसे अनुसूची में उद्धृत किया गया है] दोनों हों, तो सम्मत किराया, या रीजनेबुल ऐनुअल रेन्ट तथा उस पर 25 प्रतिशत, जो भी अधिक हो; !

(ख) यदि कोई सम्मत किराया न हो किन्तु रीजनेबुल ऐनुअल रेन्ट हो, तो, रीजनेबुल रेन्ट तथा उस पर 25 प्रतिशत;

(ग) यदि न तो सम्मत किराया हो और न रीजनेबुल ऐनुअल रेंट, तो धारा 9 के अधीन अवधारित किराया;

(2) किसी अन्य दशा में तत्समय प्रवृत्ति निर्धारित किरायार्थ मूल्य और निर्धारण के न होने पर, धारा 9 के अधीन अवधारित किराया;

(ठ) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है;

(ड) "स्थानीय प्राधिकरण" का तात्पर्य किसी नगर महापालिका, नगरपालिका बोर्ड, नोटीफाइड एरिया कमेटी या टाउन एरिया कमेटी से है,

(ढ) किसी भवन के सम्बन्ध में "सुधार" का तात्पर्य उसमें कोई परिवर्द्धन या परिवर्तन करन अथवा किरायदार के लिय किसी नई सुख सुविधा की व्यवस्था करने से है, और इसके अन्तर्गत किसी वर्ष में की गयी ऐसी मरम्मत भी है जिसका व्यय उसके एक महीने के किराये या धारा 28 की उपधारा (2) के प्रतिबन्धात्मक खंड में उल्लिखित दशा में उसके दो महीने के किराये की धनराशि से अधिक हो यू0पी0ऐक्ट संख्या 2, 1914

अधिलाभ का निषेध और सामान्यतया देय किराये

4—(1) कोई मकानदार किसी भवन में किसी किरायेदार को बसाने के लिए, भवन के लिए देय किराये से अधिक कोई भी अधिलाभ या अतिरिक्त भुगतान नहीं लेगा और न उसे स्वीकार करेगा और कोई किरायेदार भी किसी शिकमी किरायदार या अन्य व्यक्ति को बसाने के लिये उससे कोई अधिलाभ नहीं लेगा और न उसे स्वीकार करेगा।

(2) धारा 5, 6, 7, 8 और 10 में किसी व्यवस्था के सिवाय, किसी भवन के लिए देय किराया वह होगा जो मकानदार और किरायेदार के बीच परस्पर सम्मत हो और किसी सम्मति के न होने पर जो मानक किराया हो।

श्री लालबहादुर सिंह---

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि "खंड 3 (ग) के प्रतिबन्ध की तीसरी पंक्ति में "धारा 32" के स्थान पर 'धारा 33' रख दिया जाय।"

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि सेलेक्ट कमेटी के मेम्बरों को संशोधन नहीं रखने चाहिए। मेरा ख्याल है कि लाल बहादुर जी भी उस कमेटी के मेम्बर थे। तो रूपनाथ यादव जी का तो संशोधन माना नहीं और इनका मान लेते हैं। तो कम से कम मन्त्री जी, अपनी बात तो रखिए।

श्री बेनी सिंह---

यह तो शाब्दिक है, खाली नम्बरिंग करने के लिये यह है। इसको मैं स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

दोनों शाब्दिक संशोधन नहीं थे बल्कि दोनों आंकिक थे। एक अंश स्वीकार किया और दूसरा नहीं ।

प्रश्न यह है कि खंड 3 (ग) के प्रतिबन्ध की तीसरी पंक्ति में "धारा 32" के स्थान पर "धारा 33" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 3 और खंड 4 इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 5 व 6

पुराने भवनों की दशा में देय किराया

5---ऐसे किसी भवन के सम्बन्ध में जिस पर पुराना अधिनियम लागू था इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व से जारी किरायेदारी की दशा में मकानदार लिखित नोटिस द्वारा, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से तीन महीने के भीतर दिया गया हो, उक्त भवन के लिये देय किराए की धनराशि में ऐसी वृद्धि कर सकता है जो मानक किराये से अधिक न होगी और इस प्रकार बढ़ाया गया किराया इस अधिनियम के प्रारम्भ से देय होगा।

सुधार का किराये पर प्रभाव

6---धारा 4 या धारा 5 में निहित किसी बात के होते हुए, किन्तु धारा 8 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए यदि मकानदार ने इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी भवन में या तो किरायेदार की सहमति से या विधि की किसी अपेक्षा के अनुसरण में कोई सुधार किया हो तो वह किरायेदार को लिखित नोटिस देकर, जो उक्त सुधार के सम्पन्न होने के दिनांक से तीन महीने के भीतर दिया गया हो, भवन के मासिक किराये में उक्त दिनांक से ऐसी धनराशि की वृद्धि कर सकता है जो ऐसे सुधार की वास्तविक लागत के एक प्रतिशत से अधिक न हो, और तत्पश्चात् उक्त भवन का मानक किराया तदनुसार बढ़ जायेगा।

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 5 के अन्त में निम्नलिखित परंतुक जोड़ दिया जाय:-

"प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की कोई बात ऐसे किराये दार के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी जिसके किराये की दर 25 रु0 मासिक से अनधिक हो।"

इस कानून के द्वारा यह सरकार गरीब और छोटे किरायेदारों पर25 फीसदी और किराया बढ़ाने जा रही है। अगर यह कानून न होता तो जितना किराया छोटा किरायेदार देता था उतना ही देता। तो जैसा हमारा एक संशोधन धारा 7 में मान लिया था कि इस धारा की कोई बात ऐसे किरायेदार के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी जिसके द्वारा तत्समय देय किराये की दर 25 रुपये मासिक से अनधिक न हो।

मान्यवर, उसी आधार पर उसी सिद्धान्त पर माननीय मंत्री जी इसको भी मान लें। ऐसे छोटे-छोटे कर्मचारी है, रिक्शेवाले हैं, मंहगाई बढ़ती जा रही है और आप किराये बढ़ाते चले जा रहे हैं। क्योंकि आपका मंहगाई रोकने पर तो कन्ट्रोल है नहीं इसलिये आप किराया बढ़ा रहें हैं।

श्री बेनी सिंह---

मान्यवर, इसको मानने में भी वही दिक्कत है। मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि इसको वापस ले लें।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खण्ड 5 के अन्त में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जाय---"प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की कोई बात ऐसे किरायेदार के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी जिसके किराये की दर 25 रु0 मासिक से अनधिक हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खण्ड 5 और खण्ड 6 इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 7, 8, 9, 10 और 11

कर देने का दायित्व

7---किसी प्रतिकूल लिखित संविदा के अधीन रहते हुये, किन्तु उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 179 या यूनाइटेड प्राविंसेज म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 की धारा 149, या उसकी धारा 338 के अधीन बनाये गये, किसी नियम अथवा निर्गत किसी अधिसूचना या यूनाइटेड प्राविन्सेज टाउन एरियाज़ ऐक्ट, 1914 की धारा 14 (1) (ई) में निहित किसी बात के होते हुए भी, किरायेदार किराये के अतिरिक्त और उसके भुगतान के रूप में मकानदार को निम्नलिखित ऐसे करों या उनके आनुपातिक भाग का जो उसकी किरायेदारी के अन्तर्गत भवन या उसके भाग के सम्दन्ध में देय हो, यदि कोई हो, देनदार होगा, अर्थात्---

(क) जल-कर,

(ख) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् गृह-कर में की गयी, प्रत्येक ऐसी वृद्धि या उसके उस भाग का, जो धारा 5 के उपबन्धों के अधीन किराये में वृद्धि के परिणाम स्वरूप भवन के कर निर्धारण में वृद्धि के कारण अद्भुत न हो, पच्चीस प्रतिशत।

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की कोई बात ऐसे किरायेदार के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी, जिसके द्वारा तत्समय देय किराये की दर (जिसमें धारा 5 के उपबन्धों के अधीन किराये में वृद्धि की गणना नहीं की जायेगी) पच्चीस रुपयें मासिक से अनधिक हो ।

मानक किराये की धनराशि आदि के सम्बन्ध में विवाद

8--(1) यदि मानक किराये की धनराशि, या धारा 5 या धारा 6 के अधीन अनुज्ञय किराये में वृद्धि की धनराशि या दिनांक जिससे ऐसी वृद्धि प्रभावी होगी, अथवा धारा 7 के अधीन किरायेदार द्वारा देय कर की धनराशि, या धारा 16 या धारा 21 के अधीन किसी भवन का कोई भाग या उससे सम्बद्ध किसी भूमि के निर्मुक्त होने के पश्चात् किरायेदार द्वारा देय आनुपातिक किराये की धनराशि अथवा धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन मूल-किरायेदार को प्रदिष्ट नये भवन के लिय उसके द्वारा देय किराये की धनराशि के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न हो तो जिला मजिस्ट्रेट, तदर्थ आवेदन-पत्र दिये जाने पर आदेश द्वारा उक्त धनराशि से अवधारित करेगा ।

(2) यदि किसी किरायेदार द्वारा अध्यासित किसी भवन का निर्धारण उसके लिये देय सम्मत किराये से कम हो तो जिला मजिस्ट्रेट, किरायेदार के आवेदन-पत्र पर या स्वतः मकानदार को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकरण को सम्मत किराये के अनुसार उस दिनांक से जबसे सम्मत किराया देय हुआ हो या इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से, जो भी पश्चात्वर्ती हो, निर्धारण में वृद्धि करने के निदेश दे सकता है, और तदुपरान्त, उक्त स्थानीय प्राधिकरण से सम्बन्धित विधि में दी गयी किसी बात के होते हुये भी, निर्धारण को तदनुसार ठीक कर दिया जायगा।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, धारा 10 के अधीन की गयी किसी अपील के परिणाम के अधीन रहते हुये, अन्तिम होगा ।

मानक किराया को अवधारण

9--(1) किसी ऐसे भवन की दशा में, जिस पर पुराना अधिनियम लागू था और जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के समय किराये पर उठा हो जिसके लिये न तो कोई रीजनेबुल ऐनुअल रेन्ट और न कोई सम्मत किराया हो, अथवा किसी ऐसी अन्य दशा में जबकि न तो कोई सम्मत किराया न कोई निर्धारण प्रवृत्त हो, जिला मजिस्ट्रेट तदर्थ आवेदन-पत्र दिये जाने पर मानक किराया अवधारित करेगा ।

(2) मानक किराया अवधारित करने में जिला मजिस्ट्रेट निम्नलिखित बातों पर विचार करेगा:--

(क) भवन पर इस अधिनियम के लागू होने के दिनांक अथवा किराये पर उठाने के दिनांक, जो भी पश्चात्वर्ती हों (जिसे आगे इस धारा में उक्त दिनांक कहा गया है) के ठीक पूर्व भवन और उसके स्थल का तत्सम्बन्धी बाजार मूल्य;

(ख) भवन के निर्माण अनुरक्षण तथा मरम्मत की लागत;

(ग) उक्त दिनांक के ठीक पूर्व उसी प्रतिवेश में तत्सदृश भवनों के लिये प्रचलित किराया;

(घ) भवन में व्यवस्थित सुख-सुविधा;

(ङ) भवन का नवीनतम निर्धारण, यदि कोई हो;

(च) कोई अन्य संगत तथ्य जो मामले की परिस्थितियों को देखते हुये सारवान प्रतीत हो।

(3) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, धारा 10 के अधीन की गयी किसी अपील के परिणाम के अधीन रहते हुये, अन्तिम होगा।

धारा 8 तथा 9 के अधीन आदेश के विरुद्ध अपील

10—(1) धारा 8 या धारा 9 के अधीन दिये गये जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर उसके विरुद्ध जिला न्यायाधीश को अपील कर सकता है, और जिला न्यायाधीश या तो स्वयं उसे निस्तारित करेगा या उसे अपने प्रशासकीय नियन्त्रणाधीन किसी भी अपर जिला न्यायाधीश को निस्तारण के लिये अभ्यर्पित कर सकता है, और ऐसे किसी भी अधिकारी से उसे वापस मंगा सकता है या उसे किसी भी अन्य ऐसे अधिकारी को अन्तरित कर सकता है।

(2) अपील प्राधिकारी आदेश की पुष्टि, उसमें परिवर्तन या उसे विखंडित कर सकता है अथवा पुन: विचारण के लिये मामला जिला मजिस्ट्रेट को वापस कर सकता है, और कोई अतिरिक्त साक्ष्य भी ले सकता है, और ऐसे आदेश के सम्बन्ध में जिसके विरुद्ध अपील की गयी हो अपने निर्णय तक उसके प्रवर्तन को एसी शर्तों पर, यदि कोई हो, जिन्हें वह उचित समझ, स्थगित कर सकता है ।

(3) इस धारा के अधीन अपील प्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी भी आदेश के विरुद्ध कोई भी अग्रेतर अपील या पुनरीक्षण नहीं किया जा सकेगा, तथा उसका आदेश अन्तिम होगा ।

प्रदेशन आदेश के बिना किराये पर देने का निषेध

11—एतद्पश्चात की गई व्यवस्था के सिवाय, कोई भी व्यक्ति किसी भी भवन को धारा 16 के अधीन जारी किये गये किसी प्रदेशन आदेश के अनुसरण के सिवाय किराये पर नहीं देगा।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि "खंड 7 की परन्तुक की तीसरी पंक्ति में शब्द "पच्चीस" के स्थान पर शब्द 'तीस' रख दिया जाय।" माननीय, माननीय मन्त्री जी ने इस संशोधन को समिति मे आंशिक रूप से मान लिया था। केवल 5 रु० की तो बात है, उसको वह और मान लें।

श्री बेनी सिंह—

उनको कहना है और मुझे नहीं मानना है। इससे ज्यादा मैं और क्या कहूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 7 की परन्तुक की तीसरी पंक्ति में शब्द "पच्चीस" के स्थान पर शब्द "तीस" रखा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 7, 8, 9, 10 और 11 इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 12

कतिपय दशाओं में भवन का रिक्त समझा जाना

12—(1) किसी भवन के मकानदार या किरायेदार का भवन या उसके किसी भाग से अध्यासन समाप्त समझा जायगा यदि—

(क) उसने सारत: अपना सामान वहां से हटा लिया हो, अथवा

(ख) उसने उस पर किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसके परिवार का सदस्य न हो अध्यासन कर लेने दिया हो, अथवा

(ग) किसी आवासिक भवन की दशा में, उसने तथा उसके परिवार के सदस्यों ने अन्यत्र निवास, जो अस्थायी निवास न हो, कर लिया हो।

(2) किसी अनावासिक भवन की दशा में यदि कोई किरायेदार, जो भवन में कारोबार करता हो, कारोबार में, यथास्थिति कोई ऐसा भागीदार अथवा किसी ऐसे नये भागीदार को प्रवेश करा ले जो उसके परिवार का सदस्य न हो तो यह समझा जायेगा कि उस किरायेदार का भवन से अध्यासन समाप्त हो गया है।

(3) किसी आवासिक भवन की दिशा में, यदि किरायेदार या उसके परिवार का कोई सदस्य उसी नगर, म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया या टाउन एरिया में जिसमें किरायेदारी के अन्तर्गत भवन स्थित है, कोई आवासिक भवन बना ले अथवा अन्यथा रिक्त स्थिति में अर्जित कर लें या रिक्त करा ले तो यह समझा जायगा कि उस किरायेदार का अपनी किरायेदारी के अन्तर्गत भवन से अध्यासन समाप्त हो गया है :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किरायेदार या उसके परिवार के किसी सदस्य ने इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक के पूर्व ऐसा आवासिक भवन बना लिया था तो उस किरायेदार का अपनी किरायेदारी के अन्तर्गत भवन से अध्यासन उक्त दिनांक से एक वर्ष का अवधि व्यतीत होने पर समाप्त हुआ समझा जायेगा।

(4) कोई भवन या उसका भाग जिस पर उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) के अर्थान्तर्गत मकानदार या किरायेदार का अध्यासन समाप्त हो गया हो, इस अध्याय के प्रयोजनों के लिये रिक्त समझा जायेगा।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

मान्यवर मैं आपकी आज्ञा से संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड 12 के उपखंड (3) में शब्द 'कोई सदस्य के' पश्चात् और शब्द 'उसी नगर' के पूर्व शब्द 'या कोई लाइसेन्सी' रख दिये जांय। और इस उपखंड के परन्तुक की दूसरी पंक्ति में शब्द 'बना' के पश्चात् तथा शब्द 'लिया था' के पहले शब्द 'या अर्जित कर' रख दिये जांय। मान्यवर यह तो मेरा शाब्दिक संशोधन है और मैं माननीय मन्त्री जी से आशा रखता हूं कि वह इसको मान लें। मान्यवर, जब इसका प्रारूप बना था तब भी मैंने इन्हीं शब्दों को रखा था। अगर कोई किरायेदार अपना मकान बनाता है तो उसको अपन नये मकान म जाना पड़गा, लकिन अगर कोई लाइसेन्सी रहता है और वह मकान बना लेता है तो वह नहीं जायेगा और उसी कम किराये के मकान में रहकर मुनाफा कमायेगा। चूंकि जैसा मैंने पहले कहा यह मेरा शाब्दिक संशोधन है और जैसा लाल बहादुर सिंह जी ने रखा था, वैसे ही इसको भी मान लें।

श्री बेनी सिंह—

मान्यवर, यह तो वकील के दांवपेच हैं, इसलिए...

श्री कल्पनाथ सिंह—

मान्यवर, यह राज हठ है।

श्री बेनी सिंह—

इसको मानने में मुझे दिक्कत है, मैं असमर्थ हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 12 के उपखंड (3) में शब्द 'कोई सदस्य के' पश्चात् और शब्द 'उसी नगर' के पूर्व शब्द 'या कोई लाइसेंसी' रख दिये जांय। और इस उपखंड के परन्तुक

की दूसरी पंक्ति में शब्द 'बना' के पश्चात् तथा शब्द "लिया था" के पहले शब्द "या अर्जित कर" रख दिये जांय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 12 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 13

13—यदि किसी मकानदार या किरायेदार का किसी भवन या उसके भाग पर अध्यासन समाप्त हो जाये, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में उसकी ओर से अथवा धारा 16 के अधीन किसी प्रदेशन या निर्मुक्ति आदेश से अन्यथा उस पर अध्यासीन नहीं होगा, और यदि वह इस प्रकार अध्यासीन होने के लिये तात्पर्यिता हो तो धारा 30 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे ऐसे भवन का अप्राधिकृत अध्यासी समझा जायगा। — प्रदेशन या निर्मुक्ति बिना भवन का अध्यासन करने के सम्बन्ध में निर्बन्धन

श्री लालबहादुर सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड 13 के चौथी पंक्ति में आये शब्द तथा अंक "धारा 30" के स्थान पर "धारा 31" रख दिया जाय तथा चौथी पंक्ति में आये शब्द "भवन" के स्थान पर शब्द "भवन या भाग" रख दिया जाय।

मान्यवर, इसमें यह हो सकता है कि मकान मालिक फिर उसे निकालने की कोशिश करे।

श्री बेनी सिंह—

मान्यवर, मैं यह संशोधन स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 13 की चौथी पंक्ति में आये शब्द तथा अंक 'धारा 30' के स्थान पर "धारा 31" रख दिया जाय तथा चौथी पंक्ति में आये शब्द 'भवन' के स्थान पर शब्द 'भवन या भाग' रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 13 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 14

14—पुराने अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन दिये गये किसी सामान्य आदेश में दी गयी किसी बात के होते हुये भी, कोई किरायेदार जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व मकानदार की सहमति से किसी भवन पर अध्यासीन हो, परन्तु वह ऐसा व्यक्ति नहीं हो जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से ठीक पूर्व पुराने अधिनियम की धारा 7-ए के अधीन कार्यवाहियां विचाराधीन हों, उक्त भवन के प्राधिकृत अध्यासन समझा जायगा। — वर्तमान किरायेदारों के अध्यासन का नियमितकरण

श्री लाल बहादुर सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड 14 की दूसरी पंक्ति में आये शब्द "होने से पूर्व" के स्थान पर शब्द "होने से ठीक पूर्व" रख दिये जायें।

श्री बेनी सिंह—

मान्यवर, मैं यह स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 14 की दूसरी पंक्ति में आये शब्द 'होने के पूर्व' के स्थान पर शब्द 'होने से ठीक पूर्व' रख दिये जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 14 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 15

जिला मजिस्ट्रेट को रिक्त की सूचना देने का दायित्व

15—(1) प्रत्येक मकानदार किसी भवन के, उस पर अध्यासन समाप्त होने या किरायेदार द्वारा उसके रिक्त किये जाने या अधियाचन से उसके निर्मुक्त होने या किसी भी अन्य प्रकार से रिक्त होने पर ऐसी रिक्ति के बाद अधिक से अधिक सात दिन के भीतर जिला मजिस्ट्रेट को रिक्ति की लिखित सूचना देगा, तथा ऐसी सूचना मकानदार के विकल्प पर रिक्ति के पूर्व दी जा सकती है।

(2) इस प्रकार किसी भवन को रिक्त कर रहा प्रत्येक किरायेदार उसकी लिखित सूचना जिला मजिस्ट्रेट तथा मकानदार को भी ऐसी रिक्ति के कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व देगा।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन सूचना के अन्तर्गत ऐसे ब्यौरे दिये जायेंगे जो नियत किये जायं।

(4) जिला मजिस्ट्रेट उसे तदर्थ आवेदन-पत्र दिये जाने पर अपना यह समाधान करने पर कि मकानदार या किरायेदार को उपधारा (1) या उपधारा (2) में उल्लिखित समय के भीतर सूचना न देने का पर्याप्त कारण था ऐसे विलम्ब को क्षमा कर सकता है।

श्री लाल बहादुर सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 15 की प्रथम पंक्ति में आये शब्द "उस पर" के स्थान पर शब्द "उस पर उसका" रख दिये जायें।

श्री बेनी सिंह—

मान्यवर, यह स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 15 की प्रथम पंक्ति में आये शब्द 'उस पर' के स्थान पर शब्द "उस पर उसका" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड 15 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 16

रिक्त भवन का प्रदेशन तथा निर्मुक्ति

16—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, जिला मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा—

(क) मकान मालिक से किसी भवन को, जो खाली हो या खाली हो गया हो अथवा खाली होने वाला हो, या ऐसे भवन के किसी भाग को, किन्तु केवल सम्बद्ध भूमि को नहीं, आदेश में निर्दिष्ट व्यक्ति को किराये पर देने की अपेक्षा कर सकता है (जिसे प्रदेशन आदेश कहा जायेगा), अथवा

(ख) ऐसे भवन को पूर्णतया या उसके किसी भाग को अथवा उससे सम्बद्ध किसी भूमि को मकानदार के पक्ष में निर्मुक्त कर सकता है (जिसे निर्मुक्ति आदेश कहा जायेगा)।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन कोई निर्मुक्ति आदेश तक तब न दिया जायगा अब तक कि जिला मजिस्ट्रेट का यह समाधान न हो जाय कि भवन या उसके किसी भाग अथवा उससे सम्बद्ध किसी भूमि की या तो उसके वर्तमान रूप में या उसके गिराये जाने और उसके नव-निर्माण के पश्चात् मकानदार द्वारा अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य के अथवा किसी उस व्यक्ति के जिसके लाभार्थ वह धारक हो, या तो आवासिक प्रयोजनों के लिये अथवा किसी व्यापार, आजीविका या वृत्ति के प्रयोजनों के लिये, अथवा यदि मकानदार किसी सार्वजनिक पूर्त न्यास का न्यासी हो तो न्यास के उद्देश्यों के लिये, अध्यासन के वास्ते वास्तविक रूप से आवश्यकता है, या भवन अथवा उसका कोई भाग जीर्णावस्था में है और वह गिराये जाने तथा नव निर्माण के प्रयोजन के लिये अपेक्षित है, या उससे सम्बद्ध कोई भूमि उसके द्वारा एक या एकाधिक नये भवनों के निर्माण के लिये अथवा नये भवनों के निर्माणार्थ उसके बेचने के उद्देश्य से उसे अनेक प्लाटों में बांटने के लिये अपेक्षित है :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन कोई आवेदन-पत्र ऐसे पूर्त न्यास के उद्देश्यों के लिये नहीं ग्राह्य होगा जिसके उद्देश्यों में धर्म, जाति या जन्म-स्थान के आधार पर उसके हिताधिकारियों में विभेद की व्यवस्था हो।

(3) प्रदेशन आदेश में यह निर्दिष्ट किया जायगा कि:—

(क) भवन का प्रयोग किरायेदार द्वारा आवासिक अथवा अनावासिक प्रयोजनों के लिये किया जायगा,

(ख) कारोबार के प्रयोजनों की दशा में, कारोबार के स्वामियों या भागीदारों के नाम,

(ग) वह दिनांक, जो आदेश के दिनांक से सात दिन के पहले का न होगा, जब तक मकानदार प्रदेशन गृहीता को कब्जा दे देगा,

(घ) ऐसे अन्य ब्यौरे जो नियत किये जायं।

(4) यदि प्रदेशन गृहीता या मकानदार, यथास्थिति, उसे प्रदिष्ट या उसके पक्ष में निर्मुक्त किसी भवन या उसके किसी भाग का कब्जा न पा सके और किसी भी अन्य व्यक्ति ने उस पर अध्यासन कर लिया हो या अपना अध्यासन बनाये रखा हो तो जिला मजिस्ट्रेट, यथास्थिति, प्रदेशन गृहीता या मकानदार द्वारा आवेदन-पत्र दिये जाने पर, आदेश देकर, आदेश में नामित किसी व्यक्ति को और उसके अधीन दावा जताने वाले या अध्यासन में पाये जाने वाले प्रत्येक अन्य व्यक्ति को भी बेदखल कर सकता है या बेदखल करा सकता है, और

इस प्रयोजन के लिये ऐसा बल प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो, तथा प्रदेशन गृहीता या मकानदार कोभ वन या भाग का कब्जा दे सकता है या दिला सकता है।

(5)—(क) यदि मकानदार या कोई ऐसा अन्य व्यक्ति जो प्रदेशन या निर्मुक्ति आदेश में समाविष्ट भवन या उसके किसी भाग का वैध रूप से अध्यासी होने का दावा करता हो, जिला मजिस्ट्रेट का समाधान कर दे कि ऐसा आदेश उपधारा (1) के, यथास्थिति, खंड (क) या खंड (ख), के अनुसार नहीं दिया गया है तो जिला मजिस्ट्रेट आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि इस खण्ड के अधीन कोई आवेदन-पत्र ऐसे व्यक्ति की बेदखली से सात दिन के बाद ग्रहण नहीं किया जायगा।

(ख) यदि जिला मजिस्ट्रेट इस उपधारा के अधीन पुनर्विलोकन पर अपने प्रदेशन या निर्मुक्ति आदेश को रद्द कर दे या उसमें परिवर्तन कर दे तो वह आवेदक को यदि वह पहले से ही बेदखल कर दिया गया हो, फिर से भवन या भाग का कब्जा देगा या दिलायेगा और इस प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है अथवा करा सकता है जो आवश्यक हो।

(6) यदि जिला मजिस्ट्रेट उपधारा (5) के अन्तर्गत दिये गये किसी आवेदन पत्र को मिथ्या या सारहीन पाता है तो वह आदेश द्वारा आवेदक से, यथा-स्थिति, प्रदेशन गृहीता या मकानदार को विशेष खर्चा दिलायेगा जो पांच सौ रुपये से अधिक नहीं होगा।

(7) इस धारा के अधीन प्रत्येक आदेश, धारा 18 के अधीन किसी अपील के परिणाम के अधीन रहते हुये, अन्तिम होगा।

(8) प्रदेशन गृहीता, उपधारा (5) और धारा 18 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, प्रदेशन के दिनांक से, अथवा जहां वह किसी स्थगन आदेश या भवन पर किसी अन्य व्यक्ति का अध्यासन होने या अध्यासन बने रहने के कारण कब्जा न पा सका हो, तो उस दिनांक से जिस दिनांक को उसे कब्जा मिले, किरायेदार हो गया समझा जायगा।

(9) जिला मजिस्ट्रेट मकानदार द्वारा तदर्थ आवेदन-पत्र दिये जाने पर भवन के प्रदेशन ग्रहीता से मकानदार को—

(क) जहां भवन पहाड़ी म्युनिसिपैलिटी में स्थित हो वार्षिक किराये के आधे; और

(ख) किसी अन्य दशा में एक माह के किराये, की अग्रिम धनराशि देने की आदेश द्वारा अपेक्षा कर सकता है और उसके एक सप्ताह के भीतर भुगतान न करने पर, प्रदेशन आदेश को विखंडित कर सकता है।

श्री लाल बहादुर सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड 16 (1) (क) के प्रथम पंक्ति में आये शब्द "मकान मालिक" के स्थान पर शब्द "मकानदार" रख दिया जाय।

श्री बेनी सिंह—

मान्यवर, मैं यह संशोधन स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 16 (1) (क) के प्रथम पंक्ति में आये शब्द 'मकान मालिक' के स्थान पर शब्द 'मकानदार' रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड 16 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 17, 18 व 19

प्रदेशन आदेश देने की शर्तें

17—(1) यदि जिला मजिस्ट्रेट को किसी भवन के रिक्त होने की, या रिक्त होने की सम्भावना की, धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन कोई सूचना प्राप्त हो तो उस भवन के सम्बन्ध में कोई प्रदेशन आदेश, ऐसी सूचना के प्राप्त होने के दिनांक से इक्कीस दिन के भीतर दिया जायगा और उसकी सूचना मकानदार को दी जायगी, और यदि उक्त अवधि के भीतर कोई ऐसा आदेश न दिया जाय अथवा उसकी सूचना न दी जाय तो मकानदार जिला मजिस्ट्रेट को अपनी पसन्द के व्यक्ति के नाम की सूचना देगा, और तदुपरान्त जिला मजिस्ट्रेट इस प्रकार नामित व्यक्ति के पक्ष में भवन प्रदिष्ट कर देगा, जब तक कि वह ऐसे विशेष और पर्याप्त कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, उसे ऐसे नामांकन की सूचना प्राप्त होने के दिनांक से दस दिन के भीतर किसी अन्य व्यक्ति को प्रदिष्ट न करें:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी मकानदार ने धारा 16 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अपने पक्ष में सम्पूर्ण भवन या उस भवन के किसी भाग अथवा उससे सम्बद्ध भूमि को निर्मुक्त करने के लिये कोई आवेदन पत्र दिया हो तो इक्कीस दिनों की उक्त अवधि की गणना उक्त आवेदन-पत्र पर निर्णय के दिनांक से यदि ऐसे निर्णय के विरुद्ध पुनर्विलोकन के लिये कोई आवेदन-पत्र दिया जाय अथवा अपील दायर की जाय तो ऐसे आवेदन-पत्र या अपील पर निर्णय के दिनांक से की जायेगी।

(2) यदि किसी भवन का कोई भाग आवासिक प्रयोजनों के लिए मकानदार के अध्यासन में हो अथवा आवासिक प्रयोजनों के लिये धारा 16 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन उस के पक्ष में निर्मुक्त किया जाय, तो उक्त उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन उसके शेष भाग का प्रदेशन मकानदार द्वारा नामित व्यक्ति के ही पक्ष में किया जायगा जब तक कि जिला मजिस्ट्रेट ऐसे विशेष और पर्याप्त कारणों, से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, किसी अन्य व्यक्ति को उसे प्रदिष्ट न करे।

प्रदेशन या निर्मुक्ति आदेश केविरुद्ध अपील

18—(1) धारा 16 या धारा 19 के अधीन किसी आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति उक्त आदेश के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर उसके विरुद्ध, जिला न्यायाधीश को अपील कर सकता है, और अन्य विषयों के सम्बन्ध में ऐसा अपील पर धारा 10 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्ततनों के साथ लागू होंगे।

(2) यदि और जहां तक धारा 16 या धारा 19 के अधीन आदेश में कोई परिवर्तन या विखंडन कर दिया जाय, जिला मजिस्ट्रेट, उसे तदर्थ आवेदन-पत्र दिये जाने पर, पक्षों को फिर भी से उसी स्थिति में रख देगा जिसमें वे ऐसे आदेश या उसके किसी भाग के इस प्रकार परिवर्तित अथवा विखंडित न होने पर होते, और इस प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है, जो आवश्यक हो ।

मकानदार द्वारा निर्मुक्ति आदेश के दुरुपयोग करने की दशा में पुनः प्रदेशन

19--यदि कोई भवन या उसका भाग धारा 16 के अधीन, अथवा धारा 18 के अधीन अपील पर मकानदार के पक्ष में इस आधार पर निर्मुक्त किया जाय कि उसकी आवश्यकता मकानदार या उसके परिवार के किसी सदस्य या ऐसे किसी व्यक्ति जिसके लाभार्थ वह धारक हो, के द्वारा, या ऐसे किसी न्यास के उद्देश्यों के लिये जिसका वह न्यासी हो, अध्यासन के लिये थी, या उसके गिराये जाने तथा नव-निर्माण के प्रयोजन के लिये अपेक्षा थी, और मकानदार या तो उसे किसी ऐसे व्यक्ति के अध्यासन में दे देता है या दिलवा देता है जो उस व्यक्ति से भिन्न है जिसके द्वारा अध्यासन की, मकानदार के कथन के अनुसार, अपेक्षा थी, अथवा किसी ऐसे व्यक्ति को उस पर अध्यासन करने की अनुज्ञा दे देता है, अथवा अन्यथा उसका उपयोग उससे भिन्न प्रयोजन के लिये करता है जिसके लिए उसे निर्मुक्त किया गया था, या यथास्थिति, उसका कब्जा पाने के दिनांक से अथवा ऐसे मकान की दिशा में जिस पर कुछ निर्माण या पुनर्निर्माण के पश्चात् अध्यासन का प्रस्ताव था, उसके पूरा होने के दिनांक से एक महीने के भीतर या ऐसी बढ़ायी गयी अवधि के भीतर जिसके लिये जिला मजिस्ट्रेट पर्याप्त कारण से अनुज्ञा दे, उस पर अध्यासन नहीं करता है, तो जिला मजिस्ट्रेट या, यथा-स्थिति, जिला न्यायाधीश ऐसे कार्य या लोप के दिनांक से तीन महीने के भीतर तदर्थ आवेदन-पत्र दिये जाने पर, मकानदार को सुनवाई का अवसर देने पश्चात्, निर्मुक्ति के आदेश को पूर्णतः या अंशतः वापस ले सकता है और ऐसा आदेश दिये जाने पर जिला मजिस्ट्रेट उस भवन या भाग को रिक्त मान सकता है, और तदनुसार उसका प्रदेशन कर सकता है।

श्री लालबहादुर सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 17(1) के छठी पंक्ति में प्रथम बार आये शब्द "देगा" के स्थान पर शब्द "दे सकेगा" रख दिया जाय।

श्री बेनी सिंह--

मान्यवर, यह संशोधन स्वीकार है।

श्री रूपनाथ सिंह यादव--

मान्यवर यह तो केवल शाब्दिक है। संयुक्त परामर्शदात्री समिति में इस संशोधन को यूनानीमसली मान लिया गया था। कोई इसके विरोध में नहीं था। मैं इस सम्बन्ध में एक कन्स्टीट्यूशनल प्वाइंट उठा रहा हूं। आप मेरा निवेदन सुन लें। सरकार की तरफ से इस सम्बन्ध में अमेन्डमेंट कैसे लाया जा रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह अधिकार तो मन्त्री जी को है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 17 (1)की छठी पंक्ति में प्रथम बार आये शब्द "देगा" के स्थान पर शब्द "दे सकेगा" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हरिनाथ तिवारी--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब तक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऐसे विशेष और पर्याप्त कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, किसी अन्य व्यक्ति को उसे प्रविष्ट न करें को पूरे का पूरा ही निकाल दिया जाय। मान्यवर, यह उस आवास के लिये है जो कुछ अंश है किसी मकान का और वह मकान मालिक के हक में विमुख किया गया है। पहले लिखा है कि

उसको नामित करे और उसको दिया जाय। फिर जो बढ़ा दिया है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट दूसरे को भी कर सकता है कोई रीजन देकर। मन्त्री महोदय, मूल में सारी चीजों को मानते चले जा रहे हैं, और मुझको आशा है कि वह इसको भी मान लेंगे। वह किसी ऐसे आदमी को एलाट कर देंगे तो इससे कलह पैदा हो जायेगी। इसलिये इसको किसी मैजिस्ट्रेट के ऊपर न रखा जाय कि जिसत्रो वह चाहता है जिसके साथ उसकी निभ जाय यह हो नहीं तो उसको लेकर रात दिन की लड़ाई पैदा होगी। इसलिये मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय इस संशोधन को मान लेंगे और मजिस्ट्रेट को इसको एलाट करने का आर्डर नहीं देंगे।

श्री बेनी सिंह—

मान्यवर, इसको मैंने स्वीकार किया।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 17 के उपखण्ड (2) की चौथी पंक्ति से "जब तक..... प्रदिष्ट न करें" तक निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड 17 व खण्ड 18 और 19 इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 20

सिवाय निर्दिष्ट कारण के किरायेदार को बेदखल करने के लिये वाद पर रोक

20—(1) उपधारा (2) में या धारा 43 की उपधारा (2) के खंड (द) में की गयी व्यवस्था के सिवाय किसी भवन से किसी किरायेदार की बेदखली करने के लिये कोई वाद संस्थित नहीं किया जायेगा, भले ही समय के बीत जाने से या छोड़ देने की नोटिस की समाप्ति पर या किसी अन्य प्रकार उसकी किरायेदारी समाप्त हो गयी हो—

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी बात से समय के बीत जाने से किरायेदार की ऐसी किरायेदारी की समाप्ति पर उसकी देखदली करने के लिये वाद पर कोई रोक न होगी यदि वह किरायेदारी किसी वाद, अपील, पुनरीक्षण या निष्पादन कार्यवाही के प्रसंग में ऐसे समझौते या समायोजन द्वारा या उसके अनुसरण में जो या तो न्यायालय में अभिलिखित किया गया हो अथवा अन्य रूप से लिखित और किरायेदार द्वारा हस्ताक्षरित हो, निश्चित अवधि के लिये की गयी हो।

(2) किसी भवन से किरायेदार को उसकी किरायेदारी की समाप्ति पर बेदखल करने के लिये निम्नलिखित एक या एकाधिक कारणों से कोई वाद संस्थित किया जा सकता है, अर्थात्:—

(क) किरायेदार पर कम से कम चार महीने का किराया बाकी है, और उस पर मांग की नोटिस के तामील होने के एक महीने के भीतर उसका भुगतान उसने मकानदार को नहीं किया है :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे किरायेदार के सम्बन्ध में जो संघ की शसस्त्र सेवाओं का सदस्य है और जिसके पक्ष में इन्डियन सोल्जर्स (लिटीगेशन)

ऐक्ट, 1925 के अधीन विहित प्राधिकारी ने उस ऐक्ट की धारा 3 के अर्थों में यह प्रमाण-पत्र दिया है कि वह विशेष परिस्थितियों के अधीन सेवारत है, अथवा यदि इस प्रकार सेवारत होते हुये जिसकी मृत्यु शत्रु की कार्यवाही के फलस्वरुप हो गई हो तो उसके वारिसों के सम्बन्ध में, इस खंड में शब्द "चार महीने" के स्थान पर शब्द "छः महीने" प्रतिस्थापित समझा जायेगा ;

(ख) किरायेदार ने जानबूझ कर भवन को सारवान रूप से क्षतिग्रस्त किया है या करने की अनुज्ञा दी है ;

(ग) किरायेदार ने, मकानदार की लिखित अनुज्ञा के बिना, भवन में कोई ऐसा निर्माण या संरचनात्मक परिवर्तन जिससे उसका मूल्य या उसकी उपयोगिता घटने या जिससे उसका विरूपण होने की संभावना हो किया है या करने की अनुज्ञा दी है;

(घ) किरायेदार ने कोई ऐसा कार्य किया है जो उस प्रयोजन से असंगत हो जिसके लिये उसे भवन किराये पर दिया गया था, या मकानदार की लिखित सहमति के बिना उसका प्रयोग ऐसे प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिये किया है, अथवा वह अवैध या अनैतिक प्रयोजनों के निमित्त भवन का प्रयोग करने या प्रयोग करने की अनुज्ञा देने के अपराध में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सिद्ध-दोष ठहराया गया है ;

(ङ) किरायेदार ने, यथास्थिति, धारा 25 या पुराने अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके सम्पूर्ण भवन या उसके किसी भाग को शिकमी किराये पर उठाया है ;

(च) किरायेदार ने अपनी तत्प्रकारीय हैसियत को नकारा है या मकानदार के स्वत्व को अमान्य किया है और मकानदार ने न तो पुनः प्रवेश करने के अपने अधिकार का अधित्याग किया हो और न किरायेदार के ऐसे आचरण को क्षमा किया हो ;

(छ) किरायेदार को भवन का अध्यासन करने की अनुज्ञा मकानदार के अधीन उसके सेवायोजन संविदा के भाग के रूप में दी गयी थी और उसका सेवायोजन समाप्त हो गया है।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी वाद में किरायेदार वाद की प्रथम सुनवाई पर या उसके पूर्व प्रयोग तथा अध्यासन के लिये किराया या क्षतिपूर्ति की उतनी सम्पूर्ण धनराशि जितनी का उसे देय होना स्वीकार हो, जमा करेगा और तत्पश्चात् वाद के जारी रहने के दौरान नियमित रूप से, प्रयोग तथा अध्यसन के लिये ऐसे किराये की दर पर जिसे उसने स्वीकार किया हो, देय मासिक किराया या क्षतिपूर्ति की धनराशि जमा करेगा, और इस सम्बन्ध में किसी व्यतिक्रम की दशा में न्यायालय जब तक कि वह उसके द्वारा तदर्थ दिये गये किसी अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् उतनी धनराशि की प्रतिभूति लेकर अतिरिक्त समय न दे, कोई प्रतिवाद ग्रहण करने से इन्कार कर सकता है, या जैसी भी दशा हो, उसका प्रतिवाद काट सकता है।

(4) उपधारा (2) के खंड (क) में उल्लिखित कारण से बेदखली के लिये किसी बाद में, यदि वाद की प्रथम सुनवाई पर मकानदार को किरायेदार भवन के प्रयोग तथा अध्यासन के लिये

उसके द्वारा देय किराये तथा क्षतिपूर्ति की सम्पूर्ण धनराशि को (प्रयोग तथा अध्यासन के लिये ऐसी क्षतिपूर्ति की गणना किराये की दर पर की जायगी) और उस पर नौ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज और उसके सम्बन्ध में मकानदार के वाद-व्यय में से किरायेदार द्वारा धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन पहले से जमा की गयी कोई धनरशि की कटौती करने के पश्चात् शेष का बिना किसी शर्त भुगतान कर दे या प्रस्तुत कर दे तो न्यायालय, उक्त कारण से बेदखली के लिये डिक्री देने के बजाय किरायेदार को उक्त कारण से बेदखल किये जाने के उसके दायित्व से अवमुक्त करने का आदेश दे सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की कोई बात ऐसे किरायेदार के सम्बन्ध में नहीं लागू होगी जिस ने या जिसके परिवार के सदस्य ने उसी नगर, म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया या टाउन एरिया में कोई आवासिक भवन बनाया हुआ है या अन्यथा रिक्त स्थिति में अर्जित किया है या अर्जन के पश्चात् रिक्त कराया है ।

(5) इस धारा की किसी बात से सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश 23 के नियम 3 के अधीन अभिलिखित किसी करार, समझौते या तुष्टि के आधार पर डिक्री देने की न्यायालय की शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(6) प्राविन्शियल स्माल काज कोर्ट्स ऐक्ट, 1887 में, द्वितीय अनुसूची में, प्रविष्टि संख्या (4) के अन्त में, निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराया तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1971 में यथापारिभाषित भवन से किसी किरायेदार की (उसकी किरायेदारी समाप्त होने के पश्चात्) बेदखली के लिये मकान-दार द्वारा वाद सम्मिलित नहीं है ।"

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 20(2)(क) में दूसरी पंक्ति में शब्द "नोटिस के" तथा "तामील" के बीच में शब्द "व्यक्तिगत" बढ़ा दिया जाय ।

मान्यवर, ऐसा है कि तामील दो तरह की होती हैं एक तो पर्सनल होती है और दूसरी सब्स्टीच्यूटेड होती है । जहां पर तामील शब्द होगा वहां पर सब्स्टीच्यूटेड माना जायगा । डाकिया गया और लिख दिया कि लेने से इन्कार कर दिया । अगर उस पर नोटिस हो चुकी है तो वह बेदखल हो सकता है इस लिये उसको इसके तामील होने की आवश्यकता है । जहां पर सब्सटी-च्यूटेड सर्विस होती है वहां पर बेइमानी होने लगती है । अतः इन परिस्थितियों में व्यक्तिगत सर्विस होना चाहिये । व्यक्तिगत नोटिस होने की जरूरत है । मंत्री जी इसको मान लेंगे क्योंकि यह बहुत ही उपयुक्त है । यहां पर शब्द व्यक्तिगत बहुत ही उपयुक्त है ।

श्री बेनी सिंह—

मान्यवर, हम इसको मान नहीं सकेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 20(2)(क) में दूसरी पंक्ति में शब्द "नोटिस के" तथा "तामील" के बीच में शब्द "व्यक्तिगत" बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड 20 के उपखंड (2) (क) के परन्तुक की छठवीं पंक्ति में शब्द "छः" के स्थान पर शब्द "एक" लिख दिया जाय। मान्यवर, जो सैनिक वीरगति प्राप्त हो गए हैं यह उनके लिए है। कमेटी में आश्वासन भी था एक साल के लिए। मंत्री जी इसको कृपा कर मान लेंगे।

श्री बेनी सिंह—

श्रीमन्, इस संशोधन को अगर मैं मान लूं तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। छः महीने के बजाय एक ही महीना रह जाएगा। इसमें वर्ष कहीं नहीं लिखा है। अगर यह एक वर्ष कर दें तो मैं मान लूंगा।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

श्रीमन्, मैंने लिखकर भेज दिया है। यह एक साल ही है।

श्री उपाध्यक्ष—

एक वर्ष का मेरे पास आया था, वह मैंने स्वीकार नहीं किया था। अगर मंत्री जी मानते हैं तो उसको शुद्ध कर लीजिए। फिर इसमें छः के स्थान पर छः महीने भी होना चाहिये। अब मैं इसको रखता हूं।

प्रश्न यह है कि खंड 20 के उपखंड (2) (क) के परन्तुक की छठवीं पंक्ति में शब्द "छः महीने" के स्थान पर शब्द "एक वर्ष" लिख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री लालबहादुर सिंह—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड 20 (4) के प्रतिबन्धात्मक खंड की दूसरी पंक्ति में आये शब्द "के सदस्य" के स्थान पर शब्द "के किसी सदस्य" रख दिये जायं।

श्री बेनी सिंह—

श्रीमन्, मुझे यह स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 20 (4) के प्रतिबन्धात्मक खंड की दूसरी पंक्ति में आये शब्द "के सदस्य" के स्थान पर शब्द "के किसी सदस्य" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सशोधित खंड 20 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 21, 22 व 23

किरायदार के अध्यासन में भवन की निर्मुक्ति के लिए कार्यवाहियां

21—(1) नियत प्राधिकारी, मकानदार के तदर्थ आवेदन-पत्र पर, किरायेदारी के अन्तर्गत भवन से किरायेदार को बेदखल करने का आदेश दे सकता है, यदि उसका यह समाधान हो जाय कि निम्नलिखित कारणों में से कोई एक कारण विद्यमान है, अर्थात्—

(क) भवन की, या तो उसके वर्तमान रूप में या उसे गिराने और नव-निर्माण किये जाने के पश्चात्, मकानदार द्वारा अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य अथवा किसी उस व्यक्ति के जिसके लाभार्थ वह धारक हो, या तो आवासिक प्रयोजनों के लिये अथवा किसी वृत्ति, व्यापार या आजीविका के प्रयोजनों के लिये अथवा यदि मकानदार किसी सार्वजनिक पूर्त न्यास का न्यासी हो, तो न्यास के उद्देश्यों के लिए, अध्यासन के लिये वास्तविक रूप से आवश्यकता है ;

(ख) भवन जीर्णावस्था में है और वह गिराये जाने तथा नव-निर्माण के प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि भवन मकानदार द्वारा क्रय किये जाने के पूर्व, यदि ऐसा क्रय इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् किया जाय किरायेदार के अध्यासन में था तो खंड (क) में उल्लिखित कारणों से कोई आवेदन-पत्र तब तक ग्रहण नहीं किया जायगा जब तक कि ऐसे क्रय के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि व्यतीत न हो जाय और मकानदार ऐसा आवेदन-पत्र देने से कम से कम छः महीने पूर्व किरायेदार को तदर्थ नोटिस न दे दे, और ऐसा नोटिस उपरोक्त तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व भी दिया जा सकता है :

प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि खंड (क) के अधीन किसी ऐसे भवन के सम्बन्ध में आवेदन-पत्र दिया जाता है जिसमें किरायेदार किसी व्यापार, आजीविका या वृत्ति में आबन्धित है तो नियत प्राधिकारी मामले के सब संगत तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् बेदखली का आदेश देते समय, मकानदार से किरायेदार को दो वर्ष के किराये के बराबर धनराशि प्रतिकर के रूप में दिलवायेगा तथा नियमों के अधीन रहते हुये ऐसी अन्य शर्तें आरोपित कर सकता है जो वह उचित समझे :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह भी है कि खंड (क) के अधीन कोई आवेदन-पत्र—

(1) ऐसे पूर्त न्यास के उद्देश्यों के लिये नहीं ग्राह्य होगा जिसके उद्देश्यों में धर्म, जाति या जन्म स्थान के आधार पर उसके हिताधिकारियों में विभेद की व्यवस्था हो,

(2) किसी आवासिक भवन के सम्बन्ध में, किसी व्यापार के प्रयोजनों के लिये अध्यासन के लिये नहीं ग्राह्य होगा,

(3) किसी आवासिक भवन के सम्बन्ध में, ऐसे किरायेदार के विरुद्ध जो संघ की सशस्त्र सेनाओं का सदस्य है और उसके पक्ष में इण्डियन सोल्जर्स (लिटीगेशन) ऐक्ट, 1925, के अधीन विहित प्राधिकारी ने उस ऐक्ट की धारा 3 क अर्थों में यह प्रमाण-

पत्र दिया हो कि वह विशेष परिस्थितियों के अधीन सेवारत है, अथवा यदि इस प्रकार सेवारत होते हुए उसकी मृत्यु शत्रु की कार्यवाही के फलस्वरूप हो गई हो, तो उसके वारिसों के बिरुद्ध, ग्राह्य नहीं होगा।

स्पष्टीकरण—किसी आवासिक भवन की दशा मे—

(1) यदि किरायेदार या उसके परिवार के किसी सदस्य ने उसी नगर, म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया या टाउन एरिया में कोई आवासिक भवन बनाया हुआ है या अन्यथा रिक्त स्थिति में अर्जित कर ले या अर्जन के पश्चात् रिक्त करा ले तो किरायेदार की कोई आपत्ति इस उपधारा के अधीन दिये गये आवेदन-पत्र के बिरुद्ध ग्राह्य नहीं होगी;

(2) यदि मकानदार किसी वृत्ति, व्यापार, आजीविका या सेवायोजन में उस नगर, म्युनिसिपलिटी, नोटीफाइड एरिया या टाउन एरिया जिसमें भवन स्थित हो, के बाहर आबन्धित था और ऐसे आबन्ध की समाप्ति के कारण उसे भवन की आवश्यकता आवासिक प्रयोजनों के लिये स्वयं अध्यासन के लिये हो तो ऐसी आवश्यकता खण्ड (क) में उल्लिखित कारण के लिये पर्याप्त समझी जायेगी;

(3) यदि मकानदार संघ की सशस्त्र सेनाओं का सदस्य है और उसके पक्ष में इंडियन सोलजर्स (लिटीगेशन) ऐक्ट, 1925, के अधीन विहित प्राधिकारी ने उस ऐक्ट की धारा 3 के अर्थों में एक प्रमाण-पत्र दिया है कि वह विशेष परिस्थितियों के अधीन सेवारत है तो उसका यह कथन कि उसे भवन की आवश्यकता है आवासिक प्रयोजनों के लिये अपने परिवार के उन सदस्यों के लिये है जिनका विवरण आवेदन-पत्र में दिया है, खंड (क) में उल्लिखित कारण के लिये पर्याप्त समझा जायगा ;

(4) यदि किरायेदारी के अन्तर्गत भवन ऐसे किसी भवन का भाग है जिसका शेष भाग आवासिक प्रयोजन के लिये मकानदार के अध्यासन में हो तो यह तथ्य इस निर्णय के लिये निश्चायक होगा कि मकानदार को भवन की वास्तविक रूप से आवश्यकता है।

(2) नियत प्राधिकारी मकानदार के तदर्थ आवेदन-पत्र पर किरायेदारी के अन्तर्गत भवन से सम्बद्ध किसी अतिरिक्त भूमि से किरायेदार को बेदखल करने का आदेश दे सकता है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि भूमि एक या एकाधिक नये भवनों के निर्माण के लिये, या नये भवनों के निर्माणार्थ उसको बेचने के उद्देश्य से उसे अनेक प्लाटों में बांटने के लिये आपेक्षित है, और इनमें से प्रत्येक दशा में, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सक्षम प्राधिकारी ने उक्त प्रयोजन के लिये नक्शे का अनुमोदन कर दिया है।

स्पष्टीकरण—यदि मार्ग सहित सम्बद्ध भूमि भवन के आच्छादित क्षेत्र के दुगुना से अधिक हो, तो अधिशेष भूमि अतिरिक्त भूमि समझी जायेगी।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायगा जब तक कि सम्बद्ध पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर न दे दिया जाय।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन इस बात के होते हुए भी कि किरायेदारी समाप्त नहीं की गयी है, आदेश दिया जा सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि निश्चित अवधि के लिये रजिस्ट्रीकृत पट्टे द्वारा स्थापित किरायेदारी की दशा में, ऐसी अवधि की समाप्ति के पूर्व ऐसा आदेश नहीं दिया जा सकता ।

(5) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन आदेश दिये जाने पर, भवन या भाग या सम्बद्ध भूमि, जैसी भी दशा हो, मकानदार के पक्ष में निर्मुक्त हो जायगी :

प्रतिबन्ध यह है कि धारा 24 में उल्लिखित परिस्थितियों में से किसी एक के विद्यमान होने पर, इस प्रकार निर्मुक्त भवन या उसके भाग (किन्तु केवल सम्बद्ध भूमि को नहीं) धारा 24 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अध्याय 3 के अनुसार फिर से प्रदेशन के अधीन समझा जायगा ।

(6) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन आदेश से तीस दिन की अवधि व्यतीत होने पर, किरायेदार की किरायेदारी अपने सम्पूर्ण रूप में या जैसी दशा हो, मकानदार के पक्ष में निर्मुक्त किसी सम्बद्ध भूमि के सम्बन्ध में समाप्त हो जायेगी, और पश्चात्वर्ती दशा में, किरायेदारी के अन्तर्गत भवन के शेष भाग के लिए देय किराया वह होगा जो पक्षों के बीच सम्मत हो और ऐसी सम्मति के न होने पर जो धारा 8 के अधीन अवधारित किया जाय ।

धारा 21 तथा 24 के अधीन आदेश के विरुद्ध अपील

22--धारा 21 या धारा 24 के अधीन आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर उसके विरुद्ध जिला न्यायाधीश को अपील कर सकता है और अन्य विषयों के सम्बन्ध में ऐसी अपील पर धारा 18 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे ।

बेदखली के आदेश का प्रवर्तन

23--(1) नियत प्राधिकारी किसी ऐसे किरायेदार को बेदखल करने के लिये जिसके विरुद्ध यथास्थिति धारा 21 के अधीन या धारा 22 के अधीन अपील पर आदेश दिया जाय, या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति के विरुद्ध जो वस्तुतः अध्यासित पाया जाय, और मकानदार को कब्जा दिलाने के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है अथवा करा सकता है जो आवश्यक हो ।

(2) इस धारा के अधीन कार्यवाहियों में नियत प्राधिकारी का प्रत्येक आदेश अन्तिम होगा ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव ---

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड 21 के उपखंड (1) की पहली पंक्ति में शब्द "नियत प्राधिकारी" के स्थान पर शब्द "मुंसिफ" लिख दिया जाय । और इस उपखंड के भाग (क) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जाय :

"प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसा भवन या उसका कोई भाग ऐसे किरायेदार के अध्यासन में है कि जिसका देय किराया 25 रु0 प्रतिमाह से अधिक न हो तो कोई आवेदन-पत्र खंड (क) में उल्लिखित कारणों से तब तक ग्रहण नहीं किया जायगा जब तक कि 3 साल की अवधि अधिनियम के लागू होने से समाप्त न हो जाय ।"

मान्यवर, मंत्री जी ने यह माना है कि जो मकान खरीदेंगे या अर्जन करेंगे वह तीन वर्ष तक नहीं कर पाएंगे । इसी तरह से कमजोर वर्ग वालों के लिये भी होना चाहिए । वरना हाईकोर्ट में अगर चैलेन्ज होगा तो रद्द हो जायगा । यह बहुत समाजवादी संशोधन है । आशा है मंत्री जी इसको मान लेंगे । दूसरे नियत अधिकारी में मुंसिफ रख दिया जाय । मजिस्ट्रेट होगा तो उस

[श्री रूप नाथ सिंह यादव]

पर तमाम जोर पड़ेंगे और अगर उसने मान लिया तो खटाखट बेदखल करा देगा। इसलिये बजाय मजिस्ट्रेट के मुंसिफ कर दिया जाय। अगर मंत्री जी इसको मान लें तो मैं उन्हें बहुत बधाई दूंगा। मैं मुख्य मंत्री जी से अपील करूंगा कि वे हस्तक्षेप करके इस पर विचार करवा देंगे तो यह सरकार बड़ी बधाई की पात्र बनेगी और यह सरकार बहुत हीरो मानी जायेगी।

श्री बेनी सिंह—

रूप नाथ जी बधाई दे रहे हैं, परन्तु मुझे दुःख है कि मैं इसको मान नहीं सकूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 21 के उपखंड (1) की पहली पंक्ति में शब्द "नियत प्राधिकारी" के स्थान पर शब्द "मुंसिफ" लिख दिया जाय। और इस उपखंड के भाग (क) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जाय :

"प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसा भवन या उसका कोई भाग ऐसे किरायेदार के अध्यासन में है कि जिसका देय किराया 25 रु० प्रति माह से अधिक न हो तो कोई आवेदन-पत्र खंड (क) में उल्लिखित कारणों से तब तक ग्रहण नहीं किया जायगा जब तक कि 3 साल की अवधि अधिनियम के लागू होने से समाप्त न हो जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 21, 22 तथा 23 इस विधेयक के अंग माने जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 24 व 25

किरायेदार को पुनः प्रवेश का विकल्प

24—(1) यदि कोई भवन धारा 21 के अधीन अथवा धारा 22 के अधीन अपील पर मकानदार के पक्ष में निर्मुक्त किया जाय और किरायेदार को बेदखल कर दिया जाय और मकानदार या तो उसे किसी ऐसे व्यक्ति के अध्यासन में दे देता है या दिलवा देता है जो उस व्यक्ति से भिन्न है जिसके द्वारा अध्यासन की, मकानदार के कथन के अनुसार अपेक्षा थी, अथवा किसी ऐसे व्यक्ति को उस पर अध्यासन करने की अनुज्ञा दे देता है या अन्यथा उसका प्रयोग उससे भिन्न प्रयोजन के लिये करता है जिसके लिये उसे निर्मुक्त किया गया था या यथास्थिति, उसका कब्जा पाने के दिनांक से अथवा ऐसे भवन की दशा में जिस पर कुछ निर्माण या पुनर्निर्माण के पश्चात् अध्यासन करने का प्रस्ताव था उसके पूरा होने के दिनांक से एक महीने के भीतर या ऐसी बढ़ायी गई अवधि के भीतर जिसके लिये नियत प्राधिकारी पर्याप्त कारण से अनुज्ञा दे, उस पर अध्यासन नहीं करता है अथवा ऐसे भवन की दशा में जिसे गिराया जाना प्रस्तावित था उसे उसका कब्जा पाने के दिनांक से दो महीने के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जिसके लिये नियत प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से अनुज्ञा दे, नहीं गिराता है तो नियत प्राधिकारी या, यथास्थिति, जिला न्यायाधीश ऐसे कार्य या लोप के दिनांक से तीन महीने के भीतर तदर्थ आवेदन-पत्र दिये जाने पर मकानदार को यह आदेश दे सकता है कि मूल शर्तों एवं प्रतिबन्धों पर भवन का अध्यासन

बेदखल किये गये किरायेदार को दे दे, और ऐसा आदेश दिये जाने पर, मकानदार और ऐसा कोई व्यक्ति जिसका उस पर अध्यासन हो, उक्त किरायेदार को रिक्त भवन का कब्जा देगा, और ऐसा न करने पर, नियत प्राधिकारी उसे कब्जा दिलायेगा और इस प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है अथवा करा सकता है जो आवश्यक हो ।

(2) यदि मकानदार धारा 21 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन निर्मुक्ति आदेश प्राप्त करने के पश्चात् भवन गिरा दे और उस स्थल पर नये भवन या भवनों का निर्माण करे तो, जिला मैजिस्ट्रट मूल किरायेदार द्वारा एसे समय के भीतर, जो नियत किया जाय, तदथ आवेदन-पत्र दिय जाने पर उसे नया भवन या उनमें से ऐसा कोई एक जो जिला मजिस्ट्रेट आवश्यकताओं पर विचार करने के बाद उचित समझे, प्रदिष्ट कर सकता है, और तदुपरान्त वह किरायेदार ऐसे भवन के लिये किराये के रूप में ऐसी धनराशि का देनदार होगा जो उसके निर्माण-व्यय के (जिसके अन्तर्गत पुराने भवन को गिराने का व्यय भी है, किन्तु भूमि का मूल्य नहीं है) एक प्रतिशत प्रति माह के बराबर होगा, और भवन, उपर्युक्त किराये के भुगतान के लिये किरायेदार के दायित्व के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन होगा, और यदि किरायेदार कोई आवेदन-पत्र न दे या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अनुज्ञेय समय के भीतर किराये पर उक्त भवन लेने से इन्कार करे या न ले, अथवा बाद में अपना अध्यासन समाप्त कर दे या अन्यथा उसे रिक्त कर दे तो वह भवन भी धारा 2 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट अवधि, या शेष अवधि के लिये, जैसी भी दशा हो, इस अधिनियम के प्रवर्तन से मुक्त होगा।

शिकमी किराये पर उठाने का निषेध

25--(1) कोई भी किरायेदार अपनी किरायेदारी के अधीन सम्पूर्ण भवन को शिकमी किराये पर नहीं उठायेगा।

(2) किरायेदार भवन का कोई भाग मकानदार तथा जिला मजिस्ट्रेट की लिखित अनुज्ञा से शिकमी किराये पर उठा सकता है।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिये--

(1) यदि किरायेदार का किसी भवन या उसके भाग पर धारा 12 के अर्थ में, अध्यासन समाप्त हो जाता है तो यह समझा जायगा कि उसने उक्त भवन या उसका भाग शिकमी किराये पर उठाया है।

(2) किसी व्यक्ति को होटल या बासा में ठहराना शिकमी किराये पर उठाना नहीं समझा जायगा ।

श्री लाल बहादुर सिंह--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 24(2) के चौथी पंक्ति में आये शब्द "आवश्यकताओं" के स्थान पर शब्द "उसकी आवश्यकताओं" रख दिये जायं । यह भी शाब्दिक है ।

श्री बेनी सिंह--

मान्यवर, यह मुझे स्वीकार है ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 24 (2) के चौथी पंक्ति में आये शब्द "आवश्यकताओं" के स्थान पर शब्द "उसकी आवश्यकताओं" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 24 व खण्ड 25 इस विधेयक के अंग माने जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 26, 27, 28 व 29

मकानदार तथा किरायेदार के कतिपय आभार

26—(1) कोई मकानदार, किरायेदार द्वारा उपभोग की जाने वाली किन्हीं सुख-सुविधाओं को, बिना वैध प्राधिकार अथवा कारण से, समाप्त नहीं करेगा और न ही उनको रोकेगा अथवा उनमें कमी करेगा।

(2) मकानदार, किरायेदारी के अधीन भवन को वातरक्षी तथा जलरक्षी बनाये रखने के लिए बाध्य होगा और, किसी प्रतिकूल लिखित संविदा के अधीन रहते हुये, समय-समय पर पुताई तथा मरम्मत करायेगा।

(3) किसी प्रतिकूल लिखित संविदा के अधीन रहते हुये, कोई किरायेदार भवन में उसके द्वारा कराये गये किसी सुधार को किरायेदारी जारी रहने के दौरान अथवा उसके समाप्त होने के पश्चात् न गिरायेगा और न सचल किस्म के फिक्सचरों को छोड़कर, ऐसे सुधार में प्रयुक्त किसी सामग्री को हटायेगा।

सुख-सुविधाओं के संबंध में मकानदार के आभारों का बाध्यकरण

27—(1) नियत प्राधिकारी, किरायेदार के आवेदन-पत्र देने पर मकानदार से यह अपेक्षा करते हुए उस पर नोटिस तामील कर सकेगा कि वह नोटिस में निर्दिष्ट अवधि जो एक सप्ताह से अधिक न होगी के भीतर धारा 26 की उपधारा (1) के उल्लंघन में तथा-कथित समाप्त की गई, रोकी गई अथवा कमी की गई सुख-सुविधाओं को पुनः स्थापित करे अथवा यह कारण बतावे कि क्यों न इस धारा के अधीन उसके विरुद्ध आदेश पारित किया जाय।

(2) यदि मकानदार उक्त अवधि के भीतर सुख-सुविधायें पुनः स्थापित न करे, अथवा पर्याप्त कारण न बताये, तो नियत प्राधिकारी आदेश देकर किरायेदार को अपनी लागत पर ऐसी सुख-सुविधा पुनः स्थापित करने की अनुज्ञा दे सकता है और तत्पश्चात् किरायेदार उक्त आदेश के अनुसरण में अपने द्वारा उपगत ऐसी लागत को मकानदार को ऐसे व्यय का लेखा देने के पश्चात् उसे देय किराये में से कटौती करके वसूल करने का हकदार होगा, और धारा 6 की कोई बात ऐसी लागत के संबंध में लागू नहीं समझी जायगी।

मरम्मत इत्यादि के संबंध में मकानदार के आभारों का बाध्यकरण

28—(1) यदि मकानदार धारा 26 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार पुताई या मरम्मत न कराये तो किरायेदार लिखित नोटिस देकर उससे उक्त नोटिस तामील होने के दिनांक से एक महीने के भीतर उक्त कार्य कराने के लिये कह सकता है।

(2) यदि अपेक्षित पुताई या मरम्मत की लागत एक वर्ष में एक महीने के किराये की धनराशि से अधिक होने की संभावना हो तो किरायेदार अपनी नोटिस में मकानदार को धारा 6 के उपबन्धों के अनुसार ऐसे बढ़े हुये किराये का भुगतान करने की अपनी स्वीकृति की भी सूचना देगा :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी मरम्मत की दशा में जो भवन को वातरक्षी तथा जलरक्षी रखने के लिये आवश्यक हों, इस उपधारा के उपबन्धों का अर्थ एक महीने के किरांये के स्थान पर दो महीने का किराया रख कर लगाया जायेगा।

(3) यदि मकानदार नोटिस का अनुपालन न करे तो किरायेदार स्वयं पुताई या मरम्मत ऐसी लागत पर करा सकता है जो एक वर्ष में यथास्थिति, एक महीने या दो महीने के किराये से अधिक न हो और उक्त धनराशि को किराये में से काट लेगा और किसी भी ऐसी दशा में वह उपगत व्यय का लेखा मकानदार को प्रस्तुत करेगा।

(4) यदि किरायेदार का यह दावा हो कि भवन में ऐसी सीमा तक पुताई या मरम्मत अपेक्षित है जिसकी लागत एक वर्ष में, यथास्थिति, एक महीने या दो महीने के किराये की धनराशि से अधिक हो जाने की संभावना हो, जिसे एतद्पश्चात् इस धारा में "बड़ी मरम्मत" कहा गया है, और मकान दार या तो उक्त कार्य कराने के अपने उत्तरदायित्व से इंकार करे या नोटिस का अनुपालन न करे तो किरायेदार उपधारा (5) के अधीन आदेश के लिये नियत प्राधिकारी को आवेदन-पत्र दे सकता है।

(5) नियत प्राधिकारी उपधारा (4) के अधीन आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर, पक्षों की सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् या तो—

(क) आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर सकता है, या

(ख) मकानदार से अपेक्षित बड़ी मरम्मत को ऐसी अवधि के भीतर, जो आदेश में निर्दिष्ट को जाय, करने की अपेक्षा कर सकता है,और उसके ऐसा न करने पर किरायेदार को उन मरम्मतों को ऐसी धनराशि से (जो दो वर्ष के किराये की धनराशि से अधिक नहीं होगी) अनधिक लागत पर और ऐसी अवधि के भीतर जो आदेश में निर्दिष्ट की जाय, कराने की अनुज्ञा दे सकता है ।

(6) यदि उपधारा (5) के अधीन किसी आदेश के अनुसरण में किरायेदार द्वारा कोई बड़ी मरम्मत कराई जाय तो वह उसके व्यय का लेखा नियत प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, जो किरायेदार द्वारा वसूल की जा सकने वाली धनराशि को सत्यापित करेगा, और तत्पश्चात् किरायेदार द्वारा ऐसी धनराशि, यदि मकानदार द्वारा उसका भुगतान अथवा अन्यथा समायोजन न कर दिया गया हो, की कटौती किराये में से एक महीने के किराये के पच्चीस प्रतिशत के अनधिक मासिक किस्तों में की जा सकती है और ऐसे किसी मामले में धारा 6 के अधीन किराये में वृद्धि केवल उस माह के जिसमें किरायेदार द्वारा लागत की धनराशि पूर्णत: वसूल कर ली जाय, आगामी माह से प्रभावी होगी ।

(7) उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन नियत प्राधिकारी के किसी भी आदेश के विरुद्ध कोई अपील या पुनरीक्षण न किया जा सकेगा और वह अंतिम होगा।

सामूहिक उपद्रव, इत्यादि में नष्ट हुये भवनों के किरायेदारों को विशेष संरक्षण

29—(1) यदि कोई भवन सामूहिक उपद्रव के रूप में किये गये रिष्टि अथवा अन्य अपराध किये जाने के फलस्वरूप किरायेदारी के अन्तर्गत कोई भवन पूर्णत: अथवा अंशत: नष्ट हो जाय तो किरायेदार को उस भवन को ऐसी क्षति से 6 महीने की अवधि के भीतर उस भवन को पूर्णत: या अंशत: जैसी भी दशा हो, अपने व्यय पर पुनर्निर्माण कराने का अधिकार होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसी क्षति स्वयं किरायेदार के त्रुटिपूर्ण कार्य या चूक के कारण हुयी हो, तो वह इस उपबन्ध का लाभ उठाने का हकदार न होगा ।

(2) यदि अग्नि, तूफान, बाढ़ अथवा अतिवृष्टि के फलस्वरूप किरायेदारी के अन्तर्गत कोई भवन पूर्णत: या अथवा अंशत: नष्ट हो जाय तो किरायेदार को, ऐसी क्षति के एक महीने की अवधि के भीतर मकानदार को लिखित सूचना देने के बाद, उस भवन को पूर्णत: या अंशत: जैसी भी दशा हो, अपने व्यय पर पुनर्निर्माण कराने का अधिकार होगा ।

प्रतिबन्ध यह है कि किरायेदार—

(क) यदि ऐसी क्षति स्वयं उसके त्रुटिपूर्ण कार्य या चूक के कारण हुई हो, अथवा

(ख) ऐसे किसी पुनर्निर्माण के संबंध में जो उसने मकानदार को उपरोक्त सूचना देने के पूर्व अथवा ऐसी सूचना देने के बाद 15 दिन की अवधि बीत जान के पूर्व कर लिया हो, अथवा यदि मकानदार ने इस बीच धारा 21 के अधीन कोई

आवेदन-पत्र दिया हो या उस आवेदन-पत्र के निस्तारण से पूर्व कर लिया हो, अथवा

(ग) ऐसे किसी पुनर्निर्माण के संबंध में, जो ऐसी क्षति होने के या, मकानदार द्वारा उपरोक्त आवेदन पत्र दिये जाने पर उसके निस्तारण से 6 महीने की अवधि के बाद की हो, इस उपबन्ध का लाभ, उठाने का हकदार नहीं होगा ।

(3) यदि किरायेदार ने इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व कोई पुनर्निर्माण या मरम्मत पुराने अधिनियम की धारा 19 के अधीन अपने अधिकार का प्रयोग करके कर ली हो या वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के बाद उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अपने अधिकार के प्रयोग में करे, तो--

(क) इस प्रकार पुनर्निर्मित या मरम्मत की गयी सम्पत्ति उसकी किरायेदारी में समाविष्ट हो जायेगी,

(ख) किरायेदार को, किरायेदारी जारी रहने के दौरान या उसकी समाप्ति के पश्चात्, इस प्रकार पुनर्निर्मित या मरम्मत की गयी सम्पत्ति या उसके किसी भाग को गिराने अथवा, सचल किस्म के किन्हीं फिक्सचरों से भिन्न, सम्पत्ति में प्रयुक्त किसी सामग्री को हटाने का अधिकार नहीं होगा,

(ग) धारा 2 की उपधारा (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबन्ध इस प्रकार पुनर्निर्मित भवन पर लागू होंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे भवन के संबंध में धारा 21 के अधीन उसकी उपधारा (1) के खंड (ख) में उल्लिखित कारण से कोई आवेदन-पत्र उपरोक्त पुनर्निर्माण की समाप्ति के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के भीतर ग्राह्य नहीं होगी ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि 11-क में जहां अंक 3 है उसके स्थान पर अंक 4 लिख दिया जाये और खंड 26 के उपखंड (3) के बाद उपखंड (4) निम्न तौर से जोड़ दिया जाये--

"मकानदार अनिवार्यत: किरायेदार को उसके देय किराये की प्राप्ति की रसीद देगा।"

मान्यवर, मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें कुछ भूल हो गई है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है । माननीय मंत्री जी इसको मान लेंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब तो आपने इसको पुनरीक्षित कर दिया है ।

श्री बेनी सिंह--

मान्यवर, मैं इसको मानता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 26 के उपखंड (3) के बाद उपखंड (4) निम्नतौर से जोड़ दिया जाय--

"मकानदार अनिवार्यत: किरायेदार को उसके देय किराये की प्राप्ति की रसीद देगा ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 26 व खंड 27, 28 तथा 29 इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 30

कतिपय परिस्थितियों में न्यायालय में किराया जमा करना

30--(1) यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने को किसी भवन का किरायेदार बताये, अपने तथाकथित मकानदार को उस भवन के संबंध में किराये की धनराशि दे और तथाकथित मकानदार उसे लेने से इंन्कार करे तो वह व्यक्ति उस धनराशि को नियत रीति से जमा कर सकता है और ऐसे भवन के संबंध में किसी भी पश्चात्वर्ती अवधि के लिये उसके कथनानुसार देय होने वाले किराये को लगातार तब तक जमा करता रह सकता है जब तक कि मकानदार इस बीच उसे लिखित नोटिस देकर किराया स्त्रीकार करने की अपनी इच्छा प्रकट न करे ।

(2) यदि किसी भवन के संबंध में किराया पाने के हकदार व्यक्ति के बारे में कोई वास्तविक सन्देह या विवाद उठे, तो किरायेदार, जिन परिस्थितियों के अधीन किराया जमा किया जाय उन्हें बताते हुए उसी प्रकार किराया जमा कर सकता है और जब तक ऐसा सन्देह निवारण न हो जाय अथवा ऐसे विवाद का निपटारा किसी सक्षम न्यायालय के निर्णय से या पक्षों के बीच समझौते से न हो जाय, ऐसे भवन के संबंध में अनुवर्ती देय होने वाला किराया बराबर जमा करता रह सकता है ।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) में अभिदिष्ट जमा की जाने वाली धनराशि क्षेत्राधिकार रखने वाले मुन्सिफ के न्यायालय में जमा की जायगी ।

(4) उपधारा (1) के अधीन कोई धनराशि जमा किये जाने पर न्यायालयऐसी जमा धनराशि की सूचना तथाकथित मकानदार पर तामील करायेगा और जमा की गयी धनराशि उस व्यक्ति द्वारा न्यायालय को तदर्थ आवेदन-पत्र देने पर निकाली जा सकती है।

(5) उपधारा (2) के अधीन कोई धनराशि जमा किये जाने पर न्यायालय जमा धनराशि की सूचना संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों पर तामील करायेगा और जमा की गयी धनराशि को ऐसे व्यक्ति के लाभार्थ रोक लेगा जो किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अथवा सम्बद्ध पक्षों के बीच हुए किसी समझौते के कारण उसे पाने का हकदार पाया जाय और वह धनराशि ऐसे व्यक्ति को देय होगी ।

(6) उपर्युक्त प्रकार से जमा की गई धनराशि के संबंध में यह समझा जायगा कि जमा करने वाले व्यक्ति ने उपधारा (1) में अभिदिष्ट दशा में उस व्यक्ति को जिसके हक में वह जमा की गयी है, व उपधारा (2) में अभिदिष्ट दशा में मकादनार की उस धनराशि की यथाविधि भुगतान ऐसे जमा किये जाने के दिनांक को कर दिया है ।

श्री लाल बहादुर सिंह--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 30 के उपखंड (6)की तीसरी पंक्ति में आये शब्द "यथाविधि" निकाल दिया जाय ।

श्री बेनी सिंह--

मान्यवर, यह मुझे स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 30 के उपखंड (6) की तीसरी पंक्ति में आये शब्द "यथाविधि" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 30 इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 31-42

शास्ति

31—(1) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का या उनके अनुसरण में दिये गये किसी आदेश का उल्लंघन, अथवा ऐसे उल्लंघन के प्रयत्न या दुष्प्रेरण करने का सिद्ध-दोष होता है, दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि छः महीने तक की हो सकेगी या ऐसे अर्थदंड से जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है, अथवा दोनों से दंडित किया जायेगा ।

अधिनियम संख्या 5, 1898

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 32 में निहित किसी बात के होते हुये भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण करने वाले प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के लिये पांच हजार रुपये तक का अर्थदंड देना वैध होगा ।

(3) यदि कोई व्यक्ति, धारा 4 के उपधारा (1) का उल्लंघन करने के लिये सिद्ध दोष हो, तो न्यायालय, जो उसे सिद्ध दोष ठहराये, यह निदेश दे सकता है कि इस प्रकार सिद्ध दोष व्यक्ति पर आरोपित और वसूल किये गये अर्थदंड में से, यदि कोई हो, ऐसी धनराशि, जो किसी भवन के संबंध में किरायेदार के रूप में रहने के लिये किराये के अलावा अधिलाभ या अतिरिक्त भुगतान के रूप में भुगतान की गई धनराशि से अधिक न होगी, उस किरायेदार को लौटा दी जाय जिसने ऐसा भुगतान किया हो :

प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार किरायेदार को भुगतान की गई कोई धनराशि का किसी अनुवर्ती दावे में उसे प्रतिकर देने अथवा प्रत्यास्थापन करने में विचार किया जायगा ।

कम्पनियों द्वा रा अपराध

32—(1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो तो कम्पनी, तथा अपराध किये जाने के समय उसके कार्य संचालन के लिये कम्पनी का प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी अपराध का दोषी समझा जायगा और तद्नुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने तथा दंडित होने का वह उत्तरदायी होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा में दी गई किसी बात से कोई ऐसा व्यक्ति किसी दंड का उत्तरदायी नहीं होगा, यदि वह यह सिद्ध कर दे कि अपराध बिना उसकी जानकारी के किया गया था अथवा उसने ऐसे अपराध को किये जाने से रोकने के लिये सभी सम्यक् उपाय किये ।

(2) उपधारा (1) में निहित किसी बात के होते हुये भी, यदि इस अधिनियम के अधीन किसी कम्पनी द्वारा कोई अपराध किया जाय और यह सिद्ध हो जाय कि ऐसा अपराध उस कम्पनी के मैनेजिंग एजेंट, सेक्रेटरीज एवं ट्रेजरर्स, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुमति से किया गया है, अथवा ऐसे अपराध का किया जाना किसी मैनेजिंग एजेंट, सेक्रेटरीज एवं ट्रेजरर्स, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी की उपेक्षा के कारण आरोप्य हो, तो कम्पनी के ऐसे मैनेजिंग एजेंट, सेक्रेटरीज एवं ट्रेजरर्स, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के दोषी समझे जायेंगे और तदनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने तथा दंडित होने के वे उत्तरदायी होंगे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये—

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है, और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या अन्य व्यक्तियों का समुदाय भी है; तथा

(ख) "निदेशक" का किसी फर्म के संबंध में तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है ।

अपराधों का संज्ञान

33—(1) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिये कोई अभियोग, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत किसी परिवाद के सिवाय, संस्थित नहीं किया जायेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि जिला मजिस्ट्रेट ने अनुचित अथवा अवैध रूप से परिवाद प्राधिकृत करने से इनकार कर दिया हो तो आयुक्त स्वत: अथवा तदर्थ आवेदन-पत्र दिये जाने पर उसे ऐसे परिवाद प्राधिकृत करने के लिये निदेश दे सकता है।

(2) प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से नीचे का न्यायालय ऐसे किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा ।

विभिन्न प्राधिकारियों के अधिकार और उनके द्वारा अनसरणीय प्रक्रिया

34—(1) इस अधिनियम के अधीन कोई जांच करने या किसी अपील की सुनवाई के प्रयोजनों के लिये जिला मजिस्ट्रेट, नियत प्राधिकारी या किसी अपील प्राधिकारी को वे ही शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में किसी बाद की सुनवाई के समय निम्नलिखित विषयों के संबंध में निहित हैं, अर्थात्—

1908 का अधिनियम सं0 5

(क) किसी व्यक्ति को सम्मन जारी करना और उसे उपस्थित होने के लिये बाध्य करना और शपथ पर उसका बयान लेना;

(ख) शपथ-पत्र पर साक्ष्य लेना;

(ग) किसी भवन या उसके परिवेश का निरीक्षण करना या साक्षियों तथा लेख्यों के परीक्षण अथवा स्थानीय अन्वेषणों के लिये कमीशन जारी करना;

(घ) लेख्य प्रकट करने और उन्हें प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना,

(ङ) किसी पक्ष को तदर्थ बने नियमों के अधीन खर्चे अथवा विशेष खर्चे दिलाना, या किसी पक्ष से खर्चे की प्रतिभूति की अपेक्षा करना,

(च) किसी विधिपूर्ण करार, समझौते या तुष्टि को अभिलिखित करना और उसके अनुसार आदेश देना;

(छ) कोई अन्य विषय जो नियत किये जायं ।

1898 का अधिनियम संख्या, 5

(2) जिला मजिस्ट्रेट, नियत प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन कोई जांच अथवा किसी अपील की सुनवाई करते समय, दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 480 और 482 के अर्थ में सिविल न्यायालय समझा जायगा और उसके समक्ष कोई कार्यवाही भारतीय दंड संहिता की धारा 193 तथा 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही समझी जायगी ।

1860 का अधिनियम संख्या 45, 18-87 का अधिनियम संख्या 9

(3) यदि इस अधिनियम के अधीन जिला मजिस्ट्रेट या नियत प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी द्वारा अभिनिर्णीत कोई वाद-व्यय या अन्य धनराशि अदत्त रहे तो वह उसके संबंध में वसूली का प्रमाण-पत्र नियत प्रपत्र में जारी कर सकता है और कोई व्यक्ति जिसके पक्ष में ऐसा प्रमाण-पत्र जारी किया जाय, प्राविंशियल स्माल काज कोर्ट ऐक्ट, 1887 के अधीन क्षेत्राधिकार युक्त किसी लघुवाद न्यायालय को, प्रमाण-पत्र में निर्दिष्ट धनराशि की वसूली के लिये आवेदन-पत्र दे सकता है। ऐसा न्यायालय तदुपरान्त प्रमाण-पत्र उसी रीति और उसी प्रक्रिया से निष्पादित करेगा या उसे निष्पादित करायेगा मानों कि वह किसी बाद में धनराशि के भुगतान के लिये स्वयं उसके द्वारा दी गई कोई डिक्री हो।

(4) यदि किसी भवन का मानक किराया अवधारित करने के लिये या उससे निष्कासित करने के लिये किसी कार्यवाही के दौरान किसी पक्ष की मृत्यु हो जाय तो ऐसी कार्यवाही—

(क) मकानदार अथवा किरायेदार की दशा में, उसके वारिसों या विधिक प्रतिनिधियों को ;

(ख) किसी अप्राधिकृत अध्यासी की दशा में, किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसके अधीन दावा करता हो या जिसका भवन कर अध्यासन पाया जाय, अभिलिखित करने के पश्चात् जारी रखी जा सकती है।

(5) यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन जिला मजिस्ट्रेट या नियत प्राधिकारी के या अपील पर दिये गये किसी आदेश के अनुसरण में किसी भवन से बेदखल कर दिया गया है तो, यथास्थिति, जिला मजिस्ट्रेट या नियत प्राधिकारी ऐसे व्यक्तियों पर और ऐसी रीति से, जो नियत की जाय तदर्थ नोटिस तामील करने या प्रकाशित करने के पश्चात् उस भवन में रह गई किसी विशेष सम्पत्ति को ऐसी रीति से जो नियत की जाय, हटा सकता है या हटवा सकता है अथवा उसका निस्तारण कर सकता है।

1908 का अधिनियम संख्या 5

(6) इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में दायर किये जाने वाले शपथ-पत्र उसी रीति में दिये जायेंगे और उन अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन दायर किये जाने वाले शपथ-पत्रों के हों, और उनका सत्यापन उक्त संहिता की धारा 139 के खंड (ख) के अधीन उच्च-न्यायालय द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा अथवा खण्ड (ग) के अधीन किसी अन्य न्यायालय द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा किया जा सकता है।

(7) जिला मजिस्ट्रेट, नियत प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन दिये गये प्रत्येक आदेश के कारणों को अभिलिखित करेंगे।

(8) इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के प्रयोजनार्थ और तत्संबंधित प्रयोजनों के लिये उक्त प्राधिकारीगण ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे जो नियत की जाय।

परिसीमा अधिनियम 1963 (1963 का अधिनियम 36) की धारा 4, 5 तथा 12 की प्रवृत्ति

35—परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 4, 5 तथा 12 के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन समस्त कार्यवाहियों पर आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

सद्भावना से किये गये कार्य के लिये संरक्षण

36—किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे कार्य के लिये, जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम अथवा दिये गये आदेश के उपबन्धों के अनुसरण में, सद्भावना से किया गया हो, अथवा उसका किया जाना तात्पर्यित या अभिप्रेत हो, कोई बाद, अभियोग या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी ।

अन्तिमता तथा उपधारण

37—(1) इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त या इसके अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करके दिये गये किसी आदेश पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायेगी ।

(2) यदि किसी आदेश का इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त या इसके अधीन किसी शक्ति के प्रयोग में किसी प्राधिकारी द्वारा दिया जाना और हस्ताक्षरित होना तात्पर्यित हो तो न्यायालय जब तक कि इसके प्रतिकूल सिद्ध न कर दिया जाय, यह उप-धारणा करेगा कि ऐसा आदेश उक्त प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार दिया गया था ।

अधिनियम का सम्पति अन्तरण अधिनियम तथा सिविल प्रक्रिया संहिता पर अभिवावी होना 1882 का अधिनियम 4, 1908 का अधिनियम 5

38—इस अधिनियम के उपबन्ध, संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 या सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में निहित उससे असंगत किसी बात क होते हुये भी, प्रभावी होंगे ।

प्रथम बार विनियमन के अन्तर्गत लाये गये भवनों के संबंध में बेदखली के लिए विचाराधीन वाद

39—ऐसे भवन से जिस पर पुराना अधिनियम लागू नहीं था, किसी किरायदार की बेदखली के लिये किसी ऐसे वाद में जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक को विचाराधीन हो, यदि किरायेदार इस प्रकार प्रारम्भ होने के दिनांक से अथवा वाद के विचाराधीन रहने की जानकारी होने के दिनांक से, जो भी पश्चात्वर्ती हो, एक माह के भीतर उस न्यायालय में जिसके समक्ष वाद विचाराधीन हो, भवन के प्रयोग तथा अध्यासन के लिये किराया और क्षतिपूर्ति (प्रयोग तथा अध्यासन के लिये ऐसी क्षतिपूर्ति की गणना किराये की दर पर की जायगी) की सम्पूर्ण धनराशि को, उस पर नौ प्रतिशत, प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित, और मकानदार के कुल वाद व्यय को जमा कर दे, तो धारा 20 की उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खंड में या उसकी उपधारा (2) के खंड (ख) से (छ) में उल्लिखित कारणों में से किसी कारण के सिवाय, बेदखल किये जाने के लिये कोई डिक्री नहीं दी जायेगी, और सम्बद्ध पक्ष अपने अभिकथनों में आवश्यक संशोधन तथा अतिरिक्त साक्ष्य, जहां आवश्यक हो, प्रस्तुत करने के हकदार होंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे किरायेदार को जिसके द्वारा देय किराये की दर पच्चीस रुपये मासिक से अनधिक हो उपरोक्त ब्याज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण---इस धारा व धारा 40 में, पद "इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक," का तात्पर्य, किसी भवन के संबंध में, उस दिनांक से है जब यह अधिनियम उस भवन पर लागू होता है ।

प्रथम बार-विनियमन के अन्तर्गत लाये गये भवनों के संबंध में बेदखली के वादों में विचाराधीन अपील या निगरानी

40---यदि ऐसे किसी भवन से जिस पर पुराना अधिनियम लागू नहीं था किसी किरायेदार को बेदखल करने के लिये किसी वाद से प्रोद्भूत कोई अपील या निगरानी इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक को विचाराधीन हो तो उसका निस्तारण धारा 38 के अनुसार, जो आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे, किया जायगा ।

नियम बनाने का अधिकार

41---राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को, जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के संबंध में शुल्क नियत करने का कोई नियम भी है, कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

विधान मंडल के समक्ष नियम आदि का रखा जाना

42---धारा (1) की उपधारा (3) के प्रतिबन्धात्मक खंड और धारा 2 की उपधारा (3) के अधीन जारी की गई सभी अभिसूचनायें और इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, जारी किये जाने या बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, उसके एक सत्र या दो अथवा उससे अधिक आनुक्रमिक सत्र में कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और, जब तक कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों क अधीन रहत हुए प्रभावी होंगे जो विधान मंडल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन उनके अधीन पहले की गई किसी बात की बैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।

श्री लाल बहादुर सिंह---

(श्री बंशगोपाल शुक्ला की अनुपस्थिति में)

श्रीमन्, मैं पेश करना चाहता हूं ।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---

श्रीमन्, हमारे दल के वे सदस्य हैं, हमें अनुमति दें....

श्री उपाध्यक्ष---

उन्होंने आपको अधिकृत किया है....

श्री महीलाल---

जी हां । वे हैं नहीं । हमको इजाजत दें पेश करने की ।

श्री बेनी सिंह---

इसे मैं स्वीकार कर लूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष---

ऐसा नहीं होता है । फिर तो अन्य सदस्य भी ऐसा करना चाहेंगे और सभी को अधिकार प्राप्त हो जायेगा दूसरे के संशोधन को रखने का । परम्परा यही रही है कि यदि कोई किसी को अधिकृत कर देता है और उसकी सूचना यहां रहती है तो इजाजत दे दी जाती है । अब इस केस में सरकार को अगर एतराज नहीं है और आपको उन्होंने अधिकृत किया है तो मैं इजाजत दिये देता हूं, लेकिन बाद में ऐसा नहीं होगा ।

श्री महीलाल—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 31 के उप खंड (3) में चौथी, पांचवीं तथा सातवीं पंक्ति में शब्द "किरायेदार" के पश्चात् शब्द "या शिकमी किरायेदार" बढ़ा दिये जायें।

श्री बेनी सिंह—

यह मुझे स्वीकार है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 31 के उपखंड (3) में चौथी, पांचवी तथा सातवीं पंक्ति में शब्द "किरायेदार" के पश्चात् शब्द "या शिकमी किरायेदार" बढ़ा दिये जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 31 व खंड 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 और 42 इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 43 व 44

निरसन त

अपवाद

43—(1) यूनाइटेड प्राविंसेज (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐंड एविक्शन ऐक्ट, 1947 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी—

(क) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व पुराने अधिनियम की धारा 3 के अधीन जिला मैजिस्ट्रेट के समक्ष विचाराधीन कोई आवेदन-पत्र या कार्यवाही क्षेत्राधिकारयुक्त नियत प्राधिकारी को अन्तरित हो जायगी और इस अधिनियम की धारा 21 के अधीन विचाराधीन आवेदन-पत्र या कार्यवाही समझी जायगी और इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उसका निस्तारण किया जायेगा;

(ख) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व पुराने अधिनियम की धारा 7 के अधीन या पुराने अधिनियम की धारा 17 के अधीन बनाये गये कंट्रोल आफ रेंट ऐंड इविक्शन रूल्स, 1949 के नियम 6 के अधीन जिला मैजिस्ट्रेट के समक्ष विचाराधीन किसी आवेदन-पत्र या कार्यवाही का निस्तारण उसके द्वारा इस अधिनियम की धारा 16 व 17 के उपबन्धों के अनुसार किया जायगा;

(ग) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व पुराने अधिनियम की धारा 3–ए या धारा 5-ए के अधीन जिला मैजिस्ट्रेट के समक्ष विचाराधीन किसी कार्यवाही का निस्तारण जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा किया जायगा और उसकी धारा 7–डी के अधीन इस प्रकार विचाराधीन कार्यवाही निस्तारण के लिये नियत प्राधिकारी को अन्तरित हो जायेगी और जिला मैजिस्ट्रेट या नियत प्राधिकारी का निर्णय, यथास्थिति धारा 8, धारा 9 या धारा 27 के अधीन निर्णय समझा जायेगा और प्रथमतः तथा द्वितीयतः उल्लिखित मामलों में तदनुसार अपील के अधीन होगा ;

(घ) किसी भवन के संबंध में पुराने अधिनियम की धारा 7–बी के अधीन किसी कार्यवाही पर जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक को विचाराधीन हो, धारा 39 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ, उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वह उन भवनों के संबंध में लागू होते हैं जिन पर पुराना अधिनियम लागू नहीं था ;

(ङ) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व पुराने अधिनियम की धारा 7–सी के अधीन मुंसिफ के न्यायालय में विचाराधीन कोई कार्यवाही ऐसे जारी रहेगी और समापित की जायेगी मानों यह अधिनियम पारित न किया गया हो;

(च) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व पुराने अधिनियम की धारा 7–ई के अधीन मुंसिफ के न्यायालय में विचाराधीन कोई कार्यवाही, इस अधिनियम की धारा 28 के अधीन कार्यवाही समझी जायेगी और निस्तारण के लिये नियत प्राधिकारी को अन्तरित हो जायगी;

(छ) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व पुराने अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (4) के अधीन मुंसिफ या सिविल न्यायाधीश के न्यायालय में किराया निश्चित करने के लिये विचाराधीन कोई वाद उस न्यायालय द्वारा निर्णीत किया जायगा और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व की अवधि के संबंध में किराये की दर पुराने अधिनियम के अनुसार निश्चित की जायगी और किसी अनुवर्ती अवधि के संबंध में किराये की दर इस अधिनियम के अनुसार निश्चित की जायगी ;

(ज) कोई न्यायालय या प्राधिकरण, जिसके समक्ष इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व किसी भवन के किराये की वसूली या उसे अवधारित या निश्चित करने अथवा उससे बेदखली से संबंधित कोई वाद या अन्य कार्यवाही विचाराधीन हो, उक्त प्रारम्भ होने के दिनांक से साठ दिन के भीतर उसे आवेदन-पत्र दिये जाने पर, किसी पक्ष को इस अधिनियम के उपबन्धों के परिणाम स्वरूप अपने अभिकथन में संशोधन करने की अनुमति दे सकता है;

(झ) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा पुराने अधिनियम की धारा 3 के अधीन दिया गया अनुज्ञा देने या उसे देने से इन्कारी का कोई आदेश, जिसके विरुद्ध कोई पुनरीक्षण दायर न किया गया हो—

(1) यदि ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से तीस दिन से भी अधिक पहले दिया गया हो, अंतिम होगा ;

(2) किसी अन्य दशा में, जिला न्यायाधीश को अपील के अधीन होगा, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से साठ दिन के भीतर दायर की जा सकती है, और जिला न्यायाधीश का निर्णय अंतिम होगा;

(ञ) पुराने अधिनियम की धारा 17 के अधीन बनाये गये कंट्रोल आफ रेंट एंड एविक्शन रूल्स, 1949 के नियम 6 के अधीन जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया मकानदार को किसी भवन का अध्यासन करने की अनुज्ञा देने या उसे देने से इन्कारी का कोई आदेश, जिसके विरुद्ध कोई पुनरीक्षण दायर न किया गया हो—

(1) यदि ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के तीस दिन से भी अधिक पहले दिया गया हो, अंतिम होगा;

(2) किसी अन्य दशा में, जिला न्यायाधीश को अपील के अधीन होगा, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से साठ दिन के भीतर दायर की जा सकती है, और जिला न्यायाधीश का निर्णय अंतिम होगा,

(ट) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पुराने अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) या धारा 7-ए के अधीन दिया गया कोई आदेश, जिसके विरुद्ध कोई पुनरीक्षण दायर न किया गया हो—

(1) यदि ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के तीस दिन से भी अधिक पहले दिया गया हो, अंतिम होगा,

(2) किसी अन्य दशा में, जिला न्यायाधीश को अपील के अधीन होगा जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से साठ दिन के भीतर दायर की जा सकती है, और जिला न्यायाधीश का निर्णय अंतिम होगा,

(ठ) जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया कोई ऐसा आदेश अंतिम होगा, जिसमें पुराने अधिनियम की धारा 3 के अधीन अनुज्ञा दी गयी हो या उसे दिये जाने से इन्कार किया गया हो, जिसे उक्त धारा की उपधारा (3) के अधीन आयुक्त द्वारा पुष्टिकृत, परिष्कृत या प्रतिवर्तित किया गया हो और जिसके संबंध में इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व पुराने अधिनियम की धारा 7—एफ के अधीन राज्य सरकार को कोई पुनरीक्षण दायर न किया गया हो;

(ड) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व आयुक्त के समक्ष पुराने अधिनियम की धारा 3 के अधीन अनुज्ञा देने से संबंधित विचाराधीन कोई पुनरीक्षण जिला न्यायाधीश को अन्तरित हो जायगा और उसका निर्णय अंतिम होगा ;

(ढ) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व, पुराने अधिनियम की धारा 7—ए की उपधारा (4) के अधीन आयुक्त के समक्ष विचाराधीन किसी पुनरीक्षण पर उसके द्वारा निर्णय दिया जायगा, और उसका उस पर निर्णय अंतिम होगा ;

(ण) पुराने अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) या धारा 7-ए की उपधारा (4) के अधीन दिये गये आयुक्त के किसी आदेश के विरुद्ध इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व पुराने अधिनियम की धारा 7-एफ के अधीन राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन किसी पुनरीक्षण का निस्तारण राज्य सरकार द्वारा किया जायगा ;

(त) पुराने अधिनियम की धारा 7-ए के अधीन जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा दिये गये ऐसे आदेश के जिसके विरुद्ध आयुक्त के समक्ष कोई पुनरीक्षण दायर न किया गया हो, या पुराने अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन किसी आदेश के या पुराने अधिनियम की धारा 17 के अधीन बनाये गये कंट्रोल आफ रेंट ऐंड इविक्शन रूल्स, 1949 के नियम 6 के अधीन मकानदार को किसी भवन का अध्यासन करने की अनुज्ञा देने या अनुज्ञा देने से इन्कारी के आदेश के विरुद्ध पुराने अधिनियम की धारा 7-एफ के अधीन राज्य सरकार के समक्ष इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व विचाराधीन कोई पुनरीक्षण आयुक्त को अन्तरित हो जायेगा, और उसका निर्णय अंतिम होगा ;

(थ) खंड (झ), खंड (ञ) या खंड (ट) के अधीन जिला न्यायाधीश के समक्ष दायर की गयी सभी अपीलों और खंड (ड) के अधीन उसे अन्तरित सभी पुनरीक्षणों और खंड (त) के अधीन आयुक्त को अन्तरित सभी पुनरीक्षणों के संबंध में धारा 18 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे ;

(द) किसी किरायेदार की बेदखली के लिये पुराने अधिनियम की धारा 3 में अभिदिष्ट अनुज्ञा से संस्थित कोई वाद या ऐसे वाद से प्रोद्भत कोई कार्यवाही जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व विचाराधीन हो जारी रखी और समाप्त की जा सकती है मानो यह अधिनियम पारित न हुआ हो और इस प्रकार इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् खंड (झ), खंड (ठ), खंड (ड) या खंड (ण) में अभिदिष्ट अनुज्ञा से बेदखली के लिये कोई वाद संस्थित किया जा सकता है ;

(ध) किसी किरायेदार को बेदखल करने के लिये पुराने अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) में उल्लिखित किसी कारण से संस्थित कोई वाद या ऐसे वाद से प्रोद्भूत कोई कार्यवाही (जिसमें किसी करार, समझौता या तुष्टि के आधार पर डिक्री के निष्पादन की कार्यवाही भी शामिल है) जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व विचाराधीन हो, जारी रखी और समाप्त की जा सकती है मानो यह अधिनियम पारित न हुआ हो ;

(न) पूर्ववर्ती खंडों के अधीन जिला मैजिस्ट्रेट, नियत प्राधिकारी, जिला न्यायाधीश, आयुक्त या राज्य सरकार का कोई निर्णय, जहां आवश्यकता हो, उसी प्रकार बाध्य किया जा सकेगा मानों यह इस अधिनियम के तदनुरूप उपबन्धों के अधीन सक्षम प्राधिकारी का कोई आदेश हो ।

उत्तर प्रदेश अधनियम सं० 1,1966 का संशोधन

44—उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1966 की धारा 68, में जिसके अन्तर्गत उसका पार्श्व शीर्षक भी है, शब्द तथा अंक "यू०पी० (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐंड इविक्शन ऐक्ट, 1947" के स्थान पर शब्द तथा अंक "उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972" रख दिये जायें और उसका प्रतिबन्धात्मक खंड निकाल दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

दोनों एक साथ रख दीजिये ।

श्री महीलाल—

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 43 के उपखंड (2) (त) में शब्द "आयुक्त" के स्थान पर शब्द "जिला न्यायाधीश" रख दिये जायं ।

खंड 43 के उपखंड (2) (थ) में शब्द "खंड (ड) के अधीन उसे अन्तरित सभी पुनरीक्षणों और खंड (त) के अधीन आयुक्त को अन्तरित सभी पुनरीक्षणों" के स्थान पर शब्द "खंड (ड) या खंड (त) के अधीन उसे अन्तरित सभी पुनरीक्षणों" रख दिये जायें ।

श्री बेनी सिंह—

ये मुझे स्वीकार हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 43 के उपखंड (2) (त) में शब्द "आयुक्त" के स्थान पर शब्द "जिला न्यायाधीश" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड 43 के उपखंड (2) (थ) में शब्द "खंड (ड) के अधीन उसे अन्तरित सभी पुनरीक्षणों और खंड (त) के अधीन आयुक्त को अन्तरित सभी पुनरीक्षणों" के स्थान पर शब्द "खंड (ड) या खंड (त) के अधीन उसे अन्तरित सभी पुनरीक्षणों" रख दिया जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 43 तथा खंड 44 इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

अनुसूची

यूनाइटेड प्राविसेज (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐंड इविक्शन ऐक्ट, 1947 की धारा 2 (एफ) का उद्धरण

2 (एफ) "रीजनेबुल ऐनुअल रेंट" का तात्पर्य 1 जुलाई, 1946 के पूर्व निर्मित परिस्थान की दशा में, निम्नलिखित से है :

"(1) यदि उसका अलग से नगरपालिका कर-निर्धारण किया गया हो, तो नगरपालिका कर निर्धारण और उस पर 25 प्रतिशत ;

(2) यदि वह उक्त प्रकार कर-निर्धारित स्थान का केवल एक भाग हो तो, ऐसे परिस्थान के लिये नगरपालिका कर-निर्धारण के आनुपातिक अंश की धनराशि और उस पर 25 प्रतिशत ;

(3) यदि उसका नगरपालिका कर-निर्धारण न किया गया हो---

(1) किन्तु किसी किरायेदार द्वारा 1 अप्रैल, 1942 और 30 जून, 1946 के बीच किराये पर धृत रहा हो तो 1 अप्रैल, 1942 के पश्चात् निकटस्थ एक माह के किराये का पंद्रह गुना, और

(2) यदि वह इस प्रकार किराये पर धृत न रहा हो तो धारा 3-ए के अधीन अवधारित धनराशि, और

1 जुलाई, 1946 को या उसके पश्चात् निर्मित परिस्थान की दशा में, धारा 3-ए के अनुसार अवधारित किराये से है।"

नोट---"नगरपालिका कर-निर्धारण", जिसका अभिदेश उपरोक्त परिभाषा में आया है उपरोक्त अधिनियम की धारा 2(ई) में निम्न प्रकार से परिभाषित है:---

"2 (ई) 'नगरपालिका कर-निर्धारण' का तात्पर्य 1 अप्रैल, 1942 को या उससे पूर्व कर-निर्धारित परिस्थान के संबंध में, यथास्थिति, नगरपालिका बोर्ड अथवा नोटीफाइड एरिया द्वारा निर्धारित तथा उक्त दिनांक को प्रवृत्त वार्षिक किरायार्थ मूल्य से है, तथा उस परिस्थान क संबंध में जो दिनांक 1 अप्रैल, 1942 के उपरान्त ही कर-निर्धारित हुआ हो, ऐसे दिनांक के पश्चात् हुय सर्वप्रथम कर-निर्धारण से है।"

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) विधेयक, 1970

शहरी क्षेत्रों में स्थित कतिपय वर्गों के भवनों को किराये पर देने और उनके किराये तथा उनसे किरायेदारों की बेदखली को, सामान्य जनता के हित में, विनियमित करने तथा सम्बद्ध विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम, प्रसार, लागू होना तथा प्रारम्भ।

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह—

(क) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 में यथा परिभाषित प्रत्येक नगर,

(ख) यूनाइटेड प्राविन्सेज म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 में यथा परिभाषित प्रत्येक म्युनिसिपैलिटी,

(ग) यूनाइटेड प्राविन्सेज म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 के अधीन संघटित प्रत्येक नोटिफाइड एरिया,

(घ) यूनाइटेड प्राविन्सेज टाउन एरिया ऐक्ट, 1914 के अधीन संघटित प्रत्येक टाउन एरिया—

पर लागू होगा:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र में रहने वाली सामान्य जनता के हित में ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर है तो वह गजट में अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकती है कि यह अधिनियम या उसका कोई भाग ऐसे क्षेत्र पर लागू होगा, और तदुपरान्त यह अधिनियम या उसका भाग ऐसे क्षेत्र पर लागू हो जायगा :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सामान्य जनता के हित में ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर है तो वह गजट में अधिसूचना द्वारा —

1—पूर्ववर्ती प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना को निरस्त या संशोधित कर सकती है, या

2—घोषणा कर सकती है कि यथास्थिति, इस अधिनियम या उसके किसी भाग का, किसी ऐसे नगर, म्युनिसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया, टाउन एरिया या अन्य स्थानीय क्षेत्र पर जो निर्दिष्ट किया जाय, लागू होना समाप्त हो जायगा, और तदुपरान्त इस अधिनियम या उसके भाग का उस नगर म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया या अन्य क्षेत्र पर लागू होना समाप्त हो जायगा, और इसी प्रकार ऐसी घोषणा को निरस्त या संशोधित कर सकती है।

(4) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधयक के अंग माने जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बेनी सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराया तथा बेदखली का विनियमन) विधेयक, 1970 जैसा कि संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ पुनः संशोधित रूप में जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ पारित किया जाय । अब मैं इसमें सभी माननीय सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद ही देना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराया तथा बेदखली का विनियमन) विधेयक, 1970 जैसा कि संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ, पुनः संशोधित रूप में जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ पारित किया जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम ५१ व ५२ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 52 के अन्तर्गत 7 तारीख को इनका (श्री चरण सिंह) का जो प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, वह परसों के लिए रख दिया है ।

नियम 51 के अन्तर्गत निम्न सूचनाएं प्राप्त हुई हैं:—

सर्वश्री होती लाल अग्रवाल, कल्पनाथ सिंह, रामबिलास पान्डेय, व सुरेन्द्र विक्रम सिंह का इटावा शहर में प्रति रक्षा कोष के लिये चन्दा एकत्रित करने में अधिकारियों द्वारा धांधलियों के विषय में प्राप्त हुआ, इसे मैंने केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर लिया है ।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी का गढ़वाल तथा विजनौर बिजली में बिजली की सप्लाई ठीक तरह से न होना, विषय पर प्राप्त हुआ जिसे मैंने स्वीकार नहीं किया है । सर्वश्री सी० पी० एन० सिंह, सुरेंद्र विक्रम तथा रामबिलास पाण्डेय का पडरौना जिला देवरिया में त्वरित योजनान्तर्गत कार्य करने वाले मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने से संबंधित था, उसे अस्वीकार कर दिया है ।

सर्वश्री सुरेन्द्र विक्रम तथा रामबिलास पांडेय का सम्भल जिला मुरादाबाद में विषाक्त शराब पीने के फलस्वरूप अनेकों की मृत्यु के सम्बन्ध में था, इसे भी स्वीकार नहीं किया है । वे प्रश्न कर सकते हैं ।

[क्षी उपाध्यक्ष]

श्री चन्द्रभान शर्मा का मेरठ यूनिवर्सिटी सीनेट कोर्ट की कार्यकारिणी के चुनाव में अनियमितता के बारे में था यह भी स्वीकार नहीं हुआ ।

श्री कल्याण सिंह का प्रदेश में बिजली की ठीक तरह सप्लाई न होने के कारण जनता में असन्तोष के विषय पर था यह भी स्वीकार नहीं हुआ ।

श्री हरिनाथ तिवारी व माधव प्रसाद त्रिपाठी का रोडवेज उत्तर प्रदेश द्वारा 15 प्रतिशत किराये में की गई वृद्धि के सम्बन्ध में था, जो स्वीकार नहीं किया गया है, क्योंकि यह अधिनियम के अन्तर्गत वृद्धि हुई है ।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

इसके बारे में इस सदन में कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ है ।

श्री उपाध्यक्ष—

पहले मेरी बात सुन लीजिये, फिर उठाइयेगा । सर्वश्री राम सागर, सूबेदार प्रसाद तथा जगन्नाथ राव का सम्भल जिला मुरादाबाद में विषाक्त शराब पीने के फलस्वरूप अनेकों की मृत्यु से सम्बन्धित जो था उसे अस्वीकार किया गया है । प्रश्न कर सकते हैं ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी का टाउन इन्टर कालेज, बलिया के प्रधानाचार्य द्वारा परीक्षाफल घोषित किये जाने में अनियमितायें विषय पर जो प्रस्ताव था, इस पर वह प्रश्न कर लें । लेकिन यह अविलम्बनीय महत्व का प्रश्न नहीं है, इस लिए नियम 51 में स्वीकार नहीं हुआ ।

श्री राम विलास पान्डेय का तिलहर जिला शाहजहांपुर में भारत विरोधी तत्वों की ओर से बम तथा ट्रांसमीटर बरामद होने के बारे में था, वह भी अस्वीकार हुआ है ।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं आज दफा 51 में जिसे आपने स्वीकार नहीं किया है । 11 जनवरी को मेरठ यूनिवर्सिटी सीनेट कोर्ट की कार्यकारिणी के चुनाव में काफी अनियमितताएं हुई हैं । इसमें बहुत से प्रत्याशी थे । एक प्रत्याशी श्री वीरेन्द्र स्वरूप सभापति, विधान परिषद भी थे । उन्होंने इस चुनाव के अन्दर अपनी सत्ता और सरकारी जरायों का दुरुपयोग किया । अपनी कार तथा झंडे के द्वारा कनवेसिंग की और सरकारी पैड पर चिट्ठियां लिखीं और सर्विस स्टाम्प को इस्तेमाल किया जिससे चुनाव पर बुरा प्रभाव पड़ा । इसलिये मेरा प्रस्ताव स्वीकार किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

विषय गंभीर प्रतीत होता है किन्तु उसका सम्बन्ध विधान परिषद के माननीय सभापति से है । सन् 1952 से सन् 1967 तक के अध्यक्ष पद से निर्णयों के संकलन में पृष्ठ 109 पर माननीय अध्यक्ष ने यह अभ्युक्ति की थी कि सदन में चर्चा सरकार के विरुद्ध हो सकती है । सरकारी पैसों एवं साधनों का दुरुपयोग याचिका का विषय भी हो सकता है । यदि माननीय सभापति ने सूचना में उल्लिखित पत्र सरकारी हैसियत से लिखा है तो उनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव तथा हटाने का संकल्प परिषद के नियमों के अनुसार लाया जा सकता है किन्तु सम्बद्ध उनके विषय में सदन में चर्चा करना उचित नहीं प्रतीत होता । नियम 51 में यह उपबन्धित है कि सचिव सूचना की एक प्रति सम्बद्ध मंत्री को भी भेज देंगे । इससे भी यह स्पष्ट होता है कि विषय का सम्बन्ध शासन से होना चाहिये किन्तु इस विषय का सम्बन्ध शासन से नहीं है । विषय नियम 51 के अन्तर्गत ग्राह्य नहीं प्रतीत होता इसलिये हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

रोडवेज वालों ने 15 प्रतिशत किराया बढ़ाया है जिसके लिये कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया गया था। श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी तथा हरिनाथ तिवारी जी ने नियम 51 के अन्तर्गत प्रस्ताव दिया था। कोई अधिनियम नहीं है इस सम्बन्ध में और सारे प्रदेश में लाखों लोग इससे प्रभावित होगें। लिहाजा इसे स्वीकार किया जाय।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

आपने भ्रम से अस्वीकार कर दिया। आपका ख्याल था कि अधिनियम में आ गया है लेकिन अधिनियम में है नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—

अधिनियम के तहत आपने यह अधिकार सरकार को जरूर दिया है बढ़ाने का तो मैं क्या कर सकता हूं?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

यह अधिकार नहीं दिया कि इतनी जल्दी बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

आप मिल लीजियेगा। मैं समझा दूंगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

सरकार को लाठी चार्ज का अधिकार है लेकिन जब लाठी चार्ज होता है तो हम आपसे बहस मांगते हैं। गलत काम करेगी सरकार तो हमारा अधिकार नहीं है क्या?

श्री उपाध्यक्ष—

आप मुझसे मिल लीजियेगा। यह बढ़ाने का अधिकार आपने सरकार को दिया है। उस पर कैसे रोक लगाई जा सकती है?

श्री नित्यानन्द स्वामी—

सरकार उस अधिकार का दुरुपयोग कर रही है।

श्री उपाथ्यक्ष—

तब यह दूसरा विषय हो सकता। नियम 51 का विषय नहीं हो सकता।

श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

आप व्यवस्था दें कि क्यों बढ़ा दिया जाय सदन को बिना कांफिडेंस में लिये हुए?

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने बता तो दिया कि आपने ही अधिकार दिया है।

श्री होतीलाल अग्रवाल (जिला इटावा)

मेरा भी एक प्रस्ताव था.....

श्री उपाध्यक्ष—

वक्तव्य के लिए उसे स्वीकार कर लिया गया है।

श्री होतीलाल अग्रवाल—

वक्तव्य के बाद स्पष्टीकरण का भी मौका मिलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—

वक्तव्य होगा तो फिर स्पष्टीकरण का मौका भी आपको मिलेगा।

श्री होतीलाल अग्रवाल—

कौन से दिन दिया जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

20 तारीख को रखे देता हूं ।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

24 घंटे में पश्चिमी जिलों के केवल दो घंटे बिजली आ रही है ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम कार्य सूची का 25 वां आइटम लेते हैं जिसमें प्रदेश के कर्मचारियों को द्वितीय अन्तरिम सहायता देने के संबंध में वित्त मंत्री की घोषणा पर नेता विरोधी दल तथा अन्य सदस्यों की सूचनाओं पर दो घंटे की चर्चा है.....

श्री कल्याण सिंह—(जिला—अलीगढ़)

मान्यवर, मैंने एक प्रश्न आप के पास दिया था जो कि प्रदेश के तीन लाख किसानों से संबंधित था । मान्यवर, किसानों को बिजली नहीं मिल रही है ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न नहीं है....(व्यवधान)

श्री महीलाल—

मान्यवर, अगर बिजली नहीं आयेगी तो अकाल पड़ जायेगा । आपके द्वारा मैंने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है । मेरे प्रश्न का संबंध प्रदेश के जन-जीवन से है । इन बातों में यदि आप ध्यान नहीं देंगे और शासन का ध्यान आकृष्ट नहीं करायेंगे तो हमारे पास और क्या चारा है.....

श्री उपाध्यक्ष—

संभावित एवं आशंकित स्थिति संबंधी प्रश्नों के लिए....(व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह—

मेरे प्रश्न का क्या हुआ.....(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं माननीय महीलाल की बात का जवाब दे रहा हूं । आप समझते हैं कि उन्होंने जो कुछ कहा है वह निरर्थक कहा है.....

श्री कल्याण सिंह—

यह प्रश्न नहीं है । आप हमारे प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं....

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं स्वीकार हुआ है आप का प्रश्न । इस तरह से काम नहीं चलेगा । मैं महीलाल के प्रश्न का जवाब दे रहा था आप बीच में ही बोलने लगे । मैं सबकी बात सुन रहा हूं आप बीच में रुकावट डालना चाहते हैं ....(व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि आपने अब तक बड़ी खूबी से निभाया है....

श्री उपाध्यक्ष—

जो विषय चल रहा है उसके बारे में जिसको शंका है वह कहे । मैं सब माननीय सदस्यों को सुनूंगा । मैं जब माननीय महीलाल जी के प्रश्न का उत्तर दे रहा रहा था तो माननीय कल्याण सिंह जी बीच में बोलने लगे । अब मैं उन्हें समय देता हूं ।

श्री कल्या.ण सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं ने जो प्रश्न दिया था, वह प्रदेश के तीन लाख विद्युत उपभोक्ताओं से सम्बन्धित है। किसानों को पानी नहीं मिल रहा है, उनको बिजली नहीं दी जा रही है। मोटर्स सब बन्द पड़े हुये हैं। भुड़ तक पानी नहीं पहुंचा तो सिंचाई नहीं हो सकती है क्योंकि करेन्ट नहीं दिया जा रहा है। इस तरह से प्रदेश की यह समस्या कैसे हल होगी। इस पर मैं सरकार से वक्तव्य चाहता था। किसानों में त्राहि-त्राहि मचा हुआ है।

श्री रूप नाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

उपाध्यक्ष जी, माननीय कल्याण सिंह जी के इस प्रश्न को स्वीकार कर लीजिये·····

श्री उपाध्यक्ष—

यदि उनकी बात में दम है तो आपको बोलने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

उपाध्यक्ष जी, वैसे आप जो आदेश देते हैं मैं उसका पालन करता हूं और तुरन्त बैठ जाता है। मैं बीच में बाधा नहीं डालना चाहता किन्तु मुझे एक बात की चिन्ता हो गई है और वह यह है कि यह सदन केवल तीन रोज तक ज्यादा से ज्यादा बैठेगा और आप ही यदि कृपा करेंगे तो हो सकता है 7 रोज का हो जाय। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि आपके सामने महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहे है उस सम्बन्ध में सरकार को दूसरा मौका नहीं मिलेगा जिस पर कि हम उसका ध्यान आकृष्ट कर सकें। यदि ऐसे अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न जैसे बिजली का न दिया जाना, सुरक्षा आदि से सम्बन्धित प्रश्न आपके सामने आते हैं उसे आप अस्वीकार करेंगे और सरकार टालने की कोशिश करेगी कि इन पर वक्तव्य के लिये मौका नहीं मिल पायेगा। आपको मालूम ही है कि 4 महीने में फसल निकल जायेगी। पता नहीं हम लोग अब कब बैठेंगे। कितना बड़ा नुकसान इस प्रदेश के किसानों का हो जायेगा। इस के लिये जो नियम 51, नियम 52 और नियम 56 वगैरह पर ध्यान दिलाने की बात है उसे आप देखें। हमको यहां अवसर नहीं मिलेगा इसको कहने का। मंत्री जी ने कहा कि फरवरी के अन्त में सेशन होगा या मार्च के अन्त मे होगा, पता नहीं है। वोट आन एकाउन्ट लेकर ही खाली कर दें, टैक्स लगा दें तो इन सब चीजों को देखते हुए मैं समझता हूं कि आप इस पर उदारतापूर्वक समय दे माननीय सदस्यों को।

श्री उपाध्यक्ष—

सब की सुन रहा हूं, आपकी, सब की। लेकिन प्रश्न यह है कि·····
(व्यवधान) आपके नेता ने जब कहा तो उससे बड़ी बात आप कहना चाहते हैं ? जब आप अनुशासित नहीं रहेंगे तो कैसे होगा।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने सुबह कहा था, बात मेरे हाथ में जरूर समय की थी, लेकिन जब सदन ने फैसला कर लिया तो जो इस वक्त कार्यसूची में है उसमें तो हम सदन के फैसले से बंधे हुए हैं। दूसरी बात जो आपने कही, उससे सहमत हूं कि पब्लिक अकाउन्टस कमेटी है और दूसरी समितियों की रिपोर्टस् हैं, तो मैं तो इस राय का बराबर रहा हूं कि इनमें भी हम चाहते थे कि समावेश हो जाय या और कुछ नये जो नियम हैं उनमें यह आने वाला है। तो यह नहीं है कि मैं सचेष्ट नहीं हूं। आपकी इच्छा को पूरा करने का मेरा मन है। नियम समिति की जो बैठक हुई थी उसमें आमूल-चूल परिवर्तन जो हुए हैं उससे सदन की क्षमता बढ़ेगी, यही दृष्टि में रख कर के मैंने कार्य किया है। तो मैं उसके लिए प्रयत्न करूंगा, मैं आपके साथ हूं। मुझे सदन चलाने में और न चलाने में, चलाने के हमेशा पक्ष में रहने की इच्छा सदा रही है।

तो आगे चलता हूं। माननीय चौधरी चरण सिंह।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

माननीय नेता विरोधी दल से कहूं कि एक मिनट के लिए क्षमा करेंगे। यहां कई महत्व केप्रश्न उठाये गये है, बिजली का है, मिर्जापुर का, कई अन्य माननीय सदस्यों ने रखे। अगर इस पर आप मौका नहीं देंगे तो हमको कब अवसर मिलेगा। जैसा माहौल है हमको सरकार का ध्यान इतने महत्वपूर्ण पहलुओं पर आकृष्ट करने का मौका कभी नहीं मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष--

हम कोशिश करें माहौल के ऊपर उठने की।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

उधर के लोग बड़े-बड़े विचार व्यक्त किया करते हैं, तो कैसे होगा, बड़ा अहित हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष--

उसके लिये रास्ता निकाला जायगा। पुनर्गठन समिति की रिपोर्ट के बारे में मैं स्वयं चिन्तित हूं कि उसके लिए समय मिलना चाहिए। तो उस संबंध में बात करेंगे।

श्री मही लाल--

वह तो आप रिपोर्टों की बात कह रहे हैं कि उन पर बहस हो और कौन-कौन रिपोर्ट आनी आवश्यक है। उसका विषय नहीं है। विषय तो यह है कि जो लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय हैं अगर उन पर वक्तव्य नहीं दिलायेंगे तो जनहित कैसे होगा ?

श्री उपाध्यक्ष---

रोज एक दो वक्तव्य और दो घंटे की चर्चा की स्वीकृत देता हूं। नियमत: एक ही स्वीकार करनी चाहिए, वह भी करता हूं। रोज वह तो हो ही रहा है, लेकिन यह है कि अतिरिक्त आप चाहते है तो उसके लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता पड़ेगी।

प्रदेश के कर्मचारियों को द्वितीय अन्तरिम सहायता देने के सम्बन्ध में वित्त मंत्री की घोषणा पर चर्चा

*श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)---

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने राज्य कर्मचारियों को जो अंतरिम सहायता दी है उसके विषय में चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण है और सारी गवर्नमेंट से वास्ता रखता है। मैं उम्मीद करता था कि माननीय त्रिपाठी जी इस वक्त हाउस में रहने की कृपा करते तो अच्छा रहता। लेकिन जो शासक दल है उसके करीब-करीब 95 फीसदी गैर-हाजिर, और मुख्य मंत्री जी का स्वयं यहां सदन में न रहना, मैं समझता हूं कि हल्की से हल्की यह बात कही जा सकती है कि यह अनुचित है।

अब माननीय वित्त मंत्री जी ने जो उस रोज घोषणा की। उसकी मैं दो तीन बात सुना देना चाहता हूं, फिर मैं अपनी बात कहूंगा। आपने यह लिखा कि राज्य सरकार ने दिनांक अप्रैल 1, 1971 को राज्य कर्मचारियों, गैर-सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को निम्नलिखित रूप से अंतरिम सहायता देनी स्वीकार की थी। राज्य कर्मचारियों को दस रूपये प्रतिमास और शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को 8 रुपये प्रति मास। यह 900 रुपये वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिये अनुमान्य थी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्दीक्षण नहीं किया।

इनको स्वीकार किये जाने के फलस्वरुप 12·50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार सरकारी बजट पर पड़ेगा। अभी थोड़े दिन पहले भारत सरकार ने पहली अक्तूबर, 1971 से निम्न-लिखित दरों पर द्वितीय अंतरिम सहायता देने की घोषणा अपने कर्मचारियों के लिये की है। मैं इसको छोड़े देता हूं।

फिर आप कहते है कि मंत्रि-परिषद् में इस मामले पर 7–1–72 को सांयकाल 5 बजे बैठक में विचार किया और यह निर्णय लिया कि पहली अक्तूबर, 71 से अंतरिम सहायता निम्न दरों पर दी जाय––

(1) 85 रुपये से नीचे 7 रुपये (2) 85 रुपये से 210 रुपये तक 8 रुपये (3) 210 से 500 रुपये तक 10 रुपये (4) 500 से 900 रुपये तक 15 रुपये 900 से 1,250 रुपये तक 25 रुपये।

उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय में बहुत से प्रश्न उठते हैं। पहला यह कि ये कीमतें क्यों बढ़ रहीं हैं? इसका कारण क्या है? मैं इस बात को मानता हूं कि इसमें प्रदेश गवर्नमेंट की जिम्मेदारी कम है और केन्द्रीय सरकार की अधिक है। उनकी नीति के कारण यह भाव बढ़ते चले जाते हैं और इस सिलसिले में कोई उठाया या नहीं? यदि उठाया तो क्या उठाया। एक सवाल यह उठता है लेकिन मैं इसकी चर्चा नहीं करूंगा।

दूसरा सवाल उठता है कि राज्य कर्मचारियों को जो वेतन मिलता है, उनके वेतन में जो औसत हिन्दुस्तानी की आमदनी है उसमें कोई रिशता, कोई संबंध होगा या नहीं होगा? और फिर इसका क्या उसूल है? यह भी प्रश्न उठता है, इस पर विचार होना चाहिये। लेकिन आज मैं इसका भी जिक्र नहीं करूंगा।

फिर एक सवाल यह उठता है कि जब लिविंग कास्ट बढ़ जाय, जो जरूरी चीजें हैं आदमी की जिन्दगी के लिये अगर उनकी कीमत बढ़ जाय तो वेतन की दर में वृद्धि होनी चाहिये या नहीं और होनी चाहिये तो किस उसूल पर? क्या उसूल है? क्या जो कंज्यूमर्स इंडेक्स बढ़ता चला जाय उससे लिंक कर दिया जाय तो जो गवर्नमेंट की आमदनी है क्या वह भी इसी तरह से वैरी करती है। एक सवाल यह उठता है कि इसका क्या उसूल है? इसमें बहुत सी बातें हो सकती हैं। लेकिन मैं केवल एक सवाल रख रहा हूं। मैं इसका भी जिक्र करना नहीं चाहता हूं। फिर यह है कि हमारे यहां जो राज्य कर्मचारी है, उनको जो डी0ए0 दिया जाय, स्पेशल पे दी जाय उन पर कोई असर उसका होता है जो गवर्नमेंट आफ इंडिया अपने कर्मचारियों को देती है जो एक ही स्थान पर रहते हैं, एक ही काम करते है एकसी मंहगाई है तो जब उनको ज्यादा मिले तो इनको क्यों न मिले और इसका क्या असर पड़ता है और गवर्नमेंट आफ इंडिया का अपना क्या कर्त्तव्य होना चाहिये। यह एक बड़ा भारी सवाल है जो वर्षों से उठ रहा है। हमारी गवर्नमेंट ने उनसे अनुरोध किया है कि उनकी यह नीति निहायत गलत है। लेकिन मैं इस सवाल का भी ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहता हूं।

मैं तो केवल दो मामूली से सवाल उठाना चाहता हूं। पहला तो यह कि जब कीमतें बढ़ जायं तब क्या जो कर्मचारी ज्यादा तनख्वाह पाता है उसको ज्यादा अन्तरिम सहायता मिलनी चाहिये और जो लोग कम तनख्वाह पाते हैं, उनको कम मिले। इसी संदर्भ में मैं यह सवाल उठाना चाहता हूं कि कहीं कोई सीमा होगी भी या नहीं कि उसके बाद अन्तरिम सहायता नहीं दी जायगी 250,500 1000 अथवा 2200, 2700 रुपया, तनख्वाह जिन लोगों की होगी उन लोगों को दिया जायगा। इन्हीं दो सवालों का जिक्र मैं इस समय करना चाहता हूं।

मैंने आज वित्त सचिव से दरियाफ्त किया कि क्या डीअरनेस अलाउन्सी तारीफ कहीं नियमों में है। मैंने पूछा कि मंहगाई भत्ते की क्या परिभाषा है। वह किन स्थितियों में दिया जाता है। उन्होंने मुझे यह बताया कि कुछ स्पेशल पे के बाबत यह लिखा है कि जब लिविंग कास्ट राइज करने लगे तो वह बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि डीअरनेस एलाउन्स

[श्री चरण सिंह]

का कोई जिक्र नहीं है । लेकिन मैं समझता हूं कि मोटी सी बात यह है कि महंगाई भत्ता उन लोगों को मिलना चाहिये जो इसके पाने के अधिकारी हों, जो अपनी जरूरियात बढ़ते हुए भावों के कारण पूरी न कर पा रहे हों । मनुष्य को जिन चीजों की जरूरत होती है उनमें इसके बाद भी दो रायें नहीं हो सकतीं कि कौन सी चीजें नेसेसिटी की डेफीनीशन में आती हैं और कौन सी लग्जरी की डेफीनीशन में, कौन चीज जरूरी है और कौन गैर-जरूरी ।

यह सर्वसम्मत बात है कि मनुष्य के लिये भोजन सबसे पहली आवश्यकता है, दूसरी चीज है कपड़ा, इसके बाद आता है मकान, फिर बच्चों की शिक्षा, उसके बाद बच्चों का इलाज । ये पांच आवश्यकतायें हर मनुष्य की हैं जो पूरी होनी चाहिये । इन आवश्यकताओं के दाम अगर बढ जायं तो कोई भी गरीब कर्मचारी या मनुष्य पूरा नहीं कर सकता, वह उसके लिये चिन्ता का विषय हो जायगा और गवर्नमेंट को इन लोगों की मदद करनी चाहिये । इसको मैं यों भी कहना चाहता हूं कि जो जितना ही गरीब आदमी होगा उसकी आमदनी का उतना ही अधिक प्रतिशत उसके भोजन और कपड़े आदि पर खर्च होगा । एक आदमी 100 रुपया तनख्वाह पाता है तो हो सकता है कि उसकी तनख्वाह का 80 फीसदी रुपया अपने बच्चों को केवल सूखी रोटी देने में खर्च हो जाय लेकिन जो 500 रुपया पाता है वह उसी प्रतिशत से 400 रुपया भोजन पर खर्च नहीं कर सकता । वह ज्यादा से ज्यादा 150 रुपया खर्च कर लेगा या ज्यादा से ज्यादा 200 कर देगा यानी 40 फीसदी करेगा और जो 2 हजार रुपया तनख्वाह पाता है वह मुश्किल से 300–400 रुपया खर्च करेगा ।

मान लो वह दूध पीये, फल खाये तो 2000 रुपया में 400 रुपया खर्च कर लेगा, 20 फीसदी 500 में 200 यानी 40 फीसदी और 100 में 80 यानी 80 फीसदी खर्च करेगा । इसलिये गवर्नमेंट से अन्तरिम सहायता पाने का अगर कोई अधिकारी है तो नीचे का तबका है, गरीब आदमी है । 2 हजार जो तनख्वाह पाता है या 1 हजार जो तनख्वाह पाता है, वह नहीं है । ठीक है भाव बहुत ज्यादा हो गये हैं और आदमी की नित्य जरूरतें भी बढ़ती ही जाती हैं । अब टेलीविजन चल जायगा, वह भी जरूरत में आ जायगा । कोई एक घड़ी के बजाय 5 घड़ी रखेगा । किसी का शौक है सिगार पीने का, कोई चेन स्मोकर है, किसी साहब को यह शौक है कि अगर वे हफ्ते में दो सिनेमा न देख लें, उनको नींद ही न आये, उनका मन ही न लगे । यह सब अपने-अपने शौक हैं । इसलिये अगर भाव बढ जायेंगे तो 1 हजार और डेढ हजार पाने वाले को भी कुछ मुश्किल तो होगी ही । लेकिन उसकी जो जरूरियात हैं उनमें कोई कमी नहीं आती तो जितना ही बड़ा वेतनभोगी राज्य कर्मचारी होगा हम उसकी इस तरह से लगजरी में कंट्रीब्यूट करते हैं कि महंगाई लो तुम्हारे शौक में कमी न आये । मेरा कहने का मतलब यह है कि गरीब आदमी को अपनी भोजन आदि की जरूरी आवश्यकताओं पर ज्यादा खर्च करना पड़ता है और इसलिये वह सबसे बड़ा अधिकारी है इस तरह की सहायता का । अब सवाल यह है कि गरीब कौन है ? वैसें तो अमरीका के मुकाबले में हमारे यहां का 2 हजार रुपया मासिक पाने वाला भी गरीब होगा लेकिन हमें तो अपने देश के कानटेक्स में देखना है कि हमारे यहां की प्रति व्यक्ति औसत आय क्या है, नेशनल पर कैपिटा इनकम हमारे यहां क्या है और वही एक पैमाना हो सकता है यानी उससे अगर किसी की कम आय है तो वह गरीब है और अगर उससे ज्यादा है तो वह मालदार है ।

इसके सिवा हमारे बहां गरीबी और अमीरी को नापने का और हो नहीं सकता । अब देखना यह है कि हमारे प्रदेश की पर कैपिटा इनकम क्या है । मुझे आफिशियल सोर्सेज से पता लगा मैंने प्लानिंग सेक्रेटरी श्री तिवारी से पूछा कि हमारे यहां पर-कैपिटा इनकम क्या है, पहले तो एक रिपोर्ट एकनामिक्स ऐंड स्टेटिसटिक्स डिपार्टमें ट से निकला करती थी वह निकलती होगी लेकिन 61-62 के बाद जो रिपोर्ट निकली उसमें औसत प्रति व्यक्ति आय दी हुई नहीं है। तो मुझे सचिव महोदय ने बताया कि 69–70 की करेंट प्राइसेस पर बेस्ड आय यहां की 506 रुपया है एक व्यक्ति की हमारे प्रदेश में । अब औसतन एक परिवार में 5 व्यक्ति होते हैं तो इस हिसाब से एक परिवार की आय हुई 2,530 रुपये, यह

सालाना हुई यू0पी0 के एक परिवार की आय और मासिक आय हुई 210 रुपया एक परिवार की । इस का नतीजा यह निकला कि 210 रुपया मासिक जिस कर्मचारी को वेतन मिलता है उसको साल भर में 2,530 मिलेंगे और इस तरह से जो देश के परिवार का औसत 506 रुपये का है और इस तरह से जिसका औसत या मासिक आय 210 रुपया हुई उसको गरीब कहा जा सकता है । वही वास्तव में अन्तरिम सहायता के पाने का हकदार है।

इससे थोड़ा और आगे मैं जाता हूं । हमारे यहां 87 प्रतिशत लोग जनरली गांवों में रहते हैं और हमारे कर्मचारी 75 प्रतिशत शहरों में ही रहते हैं । अब हम यह देखें कि हमारे यहां शहरी पर कैपिटा आय क्या है । मुझे मालूम है कि पहले हमारे यहां जो आंकड़े निकलते थे और वह शायद अब बन्द हो गये हैं, अब अर्बन और रूरल के नहीं निकलते हैं, मैंने इस संबंध में कैबिनेट को एक रिपोर्ट 28–6–66 को दी थी जबकि राज्य कर्मचारियों का यहां आन्दोलन चल रहा था और मेरा ख्याल था कि अगर उस पर उस वक्त विचार हो गया होता तो कर्मचारी उसके लिये राजी हो जाते लेकिन उसके बाद बहुत सी बातें यहां हुई और उस रिपोर्ट पर विचार नहीं हुआ पार्टी में विचार नहीं हुआ और मेरी गैर-हाजिरी में बात हुई और उसके बाद यहां बहुत सी घटनायें घटी और सारे सूबे में क्या-क्या हुआ वह सब आप जानते हैं । मेरी उस रिपोर्ट में दिया है कि गवर्नमेंट के आंकड़ों के अनुसार सन् 57 से सन् 61 तक के 4 साल की औसत आय हमारे प्रदेश की 260 रुपया थी तो शहर वालों की औसत आय 695 रुपया थी और उसी अनुपात से अगर हम निकालते हैं कि 260 रुपया सब की आय और खाली शहरी इलाके की 695 रुपया थी तो 506 रुपया जो आय प्रति व्यक्ति प्रदेश की बताई गई है तो उस रेशियो से 1352 रुपये की आमदनी हमारे एक शहर में रहने वाले नागरिक की है । अब इस 1352 के हिसाब से 5 आदमी के परिवार के हिसाब से 6,700 या 6800 रुपये आती है और फिर साल भर के हिसाब से शहर में रहने वाले की आमदनी 563 रुपया माहवार से कम है, जैसे हमारे राज्य कर्मचारी की आमदनी है, वह गरीब है । एक तो यह पैमाना हो सकता है, दूसरा यह तय करना है कि हम किसको डियरनेस एलाउन्स दें और किस को न दें । तीसरा पैमाना यह हो सकता है कि किन लोगों पर इन्कम टैक्स लगता है । आजकल यह 5 हजार रुपये की आमदनी पर लगता है । पहले यह 200 रुपये पर और फिर 3300 पर, 3600 पर और फिर यह 4200 रुपये पर लगता था । आज 5 हजार रुपया प्रति वर्ष पाने वाले व्यक्ति पर यह टैक्स नहीं लगता है । ज्यादा आमदनी वाले व्यक्ति पर ही लगता है, जिसका मतलब यह हुआ कि 415 या 416 रुपया जिनकी आमदनी है उनको सीधे टैक्स मुस्तजिब नहीं होता या वह इस लायक नहीं । 415 से ज्यादा पाने वाले से ही टैक्स लेना मैं मुनासिब समझता हूं ।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी को और दूसरे माननीय दोस्तों को बतलाना चाहता हूं लेकिन प्रश्न यह उठता है कि 415 रुपये से ज्यादा पाने वाले पर एक ओर हम टैक्स लगायेंगे तो क्या दूसरी तरफ हम उसको डियरनैस एलाउन्स भी देंगे । या वे डी0ए0 पाने के मुश्तहक हैं तो टैक्स का सवाल नहीं उठता और अगर टैक्स के देने के लायक वे समझें जाते हैं तो फिर डी0ए0 न दिया जाय । आप एक हाथ से देते हैं और दूसरे हाथ से ले लेते हैं । 3 फीगर्स हमारे सामने हैं, 210, 416 और 563। 75–80 फीसदी कर्मचारियों को कस्बों में काम करना पड़ता है तो वह बहुत छोटा लैबिल हो जायगा । 563, 416 में तय करना है । मेरी राय में बीच की रकम ठीक होगी और वह 500 हो सकती है । मेरे अपने मत के अनुसार 500 से ज्यादा पाने वाले जितने व्यक्ति हैं, वे किसी भी मायने में डी0ए0 पाने के अधिकारी नहीं हैं । कोल्ड लौजिक और जस्टिस और पब्लिक इन्टरेस्ट का तकाजा है । मैं जानता हूं कि आज 500 रुपया बड़ी फैमिली के लिये कोई मायने नहीं रखते हैं । ऐसी बात नहीं है कि मेरे दिल में कोई खून नहीं है या मेरा फौलादी दिल है । मैं उनकी कठिनाइयों को महसूस करता हूं । हमारे देश और प्रदेश के लिमिटेड फंड्स ह, सीमित साधन हैं तो फिर क्या हुआ ? और मैं

[श्री चरण सिंह]

अपने कर्मचारियों से भी उम्मीद करता हूं कि देश के करोड़ों आदमी, जिनकी हम बजट के जरिये आमदनी नहीं बढ़ा सकते हैं, उनकी सेवा करना या जिनकी जेबों से पैसा आता है तो हमें उनसे कम्पेयर करना है । बात चाहे हार्श हो, कठोर हो मेरी अपनी राय में 500 से ज्यादा पाने वाले को डी0ए0 नहीं मिलना चाहिये और 500 से कम पाने वाले को जितना भी आप दे सकते हैं, कितने फण्ड्स अवेलेबिल हैं, मैं नहीं कह सकता, यह दूसरा प्रश्न हो जाता है, दें जो भी सारे साधन उपलब्ध न हों, उनमें से 500 रुपया तक पाने वाले लोगों को ही तक्सीम हो जाना चाहिये था ।

उनमें भी जो दो सौ दस तक पाते हैं उनको ज्यादा मिलना चाहिये । 210 से 500 तक जो पाते हैं उनको कुछ कम । लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, ठीक इसके उलटा है । यह चलता आ रहा है, पहले से चलता आ रहा है । तो एक तो इसका असर यही होता है कि समाजवाद के क्या माने हैं ? कान सुनते-सुनते पक गये हैं । मैं सवाल नहीं पूछना चाहता हूं । अगर मैं पूछ बैठूं तो मुझे उसकी परिभाषा क्या है, एक सेंटेंस में बता दें । तो शायद बता सकें, लेकिन मेरी समझ में आना मुश्किल है । मैं तो केवल इतना तक जानता हूं कि महात्मा गांधी ने कहा है कि मैं समाजवादी नहीं हूं सिवाय इस हद के कि जो ऐसी फैक्टरियां हैं जो ऐसा सामान बना रही हैं जो छोटे पैमाने पर नहीं बना सकते हों जो कि बहुत कम होंगी उनकी मल्कियत या नियंत्रण गवर्नमेंट के हाथ में हो । आइ ऐम ए सोश-लिस्ट ओनली टु दैट एक्सटेन्ट । उसके बाद जो सारी एकानामिक एक्टीविटीज हैं वे छोटे पैमाने पर हों, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल और ट्रेड ये सब । यह तो उनका कहना था । लेकिन चल रहा है सब और प्रचार बहुत बुरी चीज होती है । मैंने चार ठगों की एक कहानी पढी है । मैं यह आप पर नहीं लगा रहा हूं । मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से सुनाना चाहता हूं । एक भला आदमी कोई बकरी खरीदकर या यों कह लीजिये कि राज मंगल पांडेय जी ही बकरी खरीदकर चले । पैंठ में एक ठग मिल गया । एक ने कहा कि कुत्ता तो बहुत अच्छा लाये हो । उसने कहा कि बेवकूफ बकरी है । आगे चला तो दूसरे ने कहा वह तो मिली भगत थी ही-उसने भी यही सैंटेंस दुहराया कि भई कुत्ता तो बहुत अच्छा लाये हो । इस पर उसको शक होने लगा कि कहीं यह कुत्ता ही तो नहीं है । जब तीसरे के बाद चौथे ने भी उसी बात को कहा कि कुत्ता तो बड़ा अच्छा लाये हो । उसने बेचारे ने उनके कहने पर बकरी छोड़ दी । वह बकरी छोड़कर चला गया । चार ही टांगें कुत्ते की होती हैं और चार ही टांगें बकरी की भी होती हैं । तो प्रचार ऐसी चीज है कि बराबर कहते रहे कि समाजवाद-समाजवाद-समाजवाद-समाजवाद.....एक मौजूदा, जो वर्ल्ड सिस्टम है--पोलिटिकल सिस्टम है उनमें केवल.....

श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)--

मान्यवर, बकरी इधर है और चारों ठग उस तरफ हैं ।

(हंसी)

श्री चरणसिंह--

एक ही मुल्क है जो अपने आपको सोशलिस्ट कहता है और उसका नाम है यू०एस०एस० आर० यूनियन आफ सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक हम तो इतनी छोटी सी बात कहते हैं कि दो बड़े कम्युनिस्ट मुल्क हैं उनमें से एक अपने आपको सोशलिस्ट कहता है । मुझसे साथी सहमत होंगे, जो उधर बैठे हुये हैं कि सोशलिज्म के दो इन्ग्रिडिएन्ट्स हैं-एक तो डिस्पैं-रिटीज इन इन्कम्स-गरीब और अमीर का फर्क ज्यादा न रहे बढ़े नहीं । जिस वक्त चार्ज लिया किसी भी भली गवर्नमेंट ने उसकी कोशिश यह होनी चाहिये कि जिस वक्त चार्ज लिया उस वक्त जो स्थिति थी वह कम हो बजाय इसके कि वह बढ़े । पूरी तरह मिट जायेगी डिफरेंस इसको शायद सोशलिस्ट मानते हों, मैं नहीं मानता । क्योंकि मुझे तो यू0एस0एस0 आर० का मालूम है कितना डिफरेंस है एक और 59 का फर्क है गरीब और अमीर की तनख्वाह में उसे छोड़ देता हूं लेकिन हमारी कोशिश यह होनी चाहिये कि जो अन्तर पड़ गया है एक

आदमी की और दूसरे आदमी की तनख्वाह में वह बजाय बढ़ने के घटे जब से यह स्वराज्य हुआ उसमें बजाय घटने के यह अन्तर बढ़ा ही है । मैं यह जानना चाहता हूं कि अब आप ज्यादा तनख्वाह पाने वालों को ज्यादा भत्ता देंगे और जो कम तनख्वाह पाते हैं जो सबसे ज्यादा मुस्तहक होने चाहिये उनको क्या अन्तरिम सहायता देंगे । तो इस तरह से डिस्पैरिटीज घटती हैं या बढ़ती हैं । तो यह डिस्पैरिटीज बढ़ती या घटती हैं । डिस्पेरिटी बढ़ेंगी ।

इसी सिलसिले में, अगर आप इजाजत दें तो कहना चाहता हूं क्योंकि माननीय वित्त मंत्री जी को दिलचस्पी रहती है, 18 मार्च को शायद गवर्नमेंट आफ इंडिया में गवर्नमेंट बनी । पहली अप्रैल से 30 सितम्बर तक यानी छः महीने तक जो मोनोपोलिस्टक रेस्ट्रेंट, कुछ ऐसा ही नाम है, यानी जिनके पास बहुत बड़े-बड़े उद्योग हैं उनको डिफाइन किया जाय और उन्हें और लाइसेंस न दिये जायं । यह गवर्नमेंट आफ इंडिया का ऐक्ट बना लेकिन बावजूद उसके पहली से 30 अक्टूबर तक 57 लाइसेंस इसी प्रकार के मोनोपोलिस्टिक्स को दिये गये । ठीक उसी तरह से यह है कि जिस दर से अन्तरिम सहायता दी । हमारे नौजवान दोस्त तिवारी जी यह जवाब देना चाहें, मैं समझता हूं वह देंगे नहीं लेकिन खैर शायद देना चाहें कि यह जो बड़े अफसरों का भत्ता बढ़ा यह तो बहुत छोटा हिस्सा है । जो मनी इंन्वाल्व है वह बहुत कम है । यह बात ठीक है । मैं मानता हूं कि इससे कोई बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है हमारे बजट पर । क्योंकि मेरे पास जो पहले आंकड़े हैं सन् 63 या 65 के उनमें हमने 5 लाख 20 हजार कर्मचारी एज्यूम किये थे । अब गालिबन साढ़े 5 लाख या 6 लाख हो गये हों । उस समय 100 रु0 से कम पाने वालों की तादाद 81 फीसदी थी, 100 से 300 तक पाने वालों की तादाद 17 फीसदी, 300 से 500 तक पाने वालों की तादाद 1.3 फीसदी और बाकी की तादाद 0.7 फैसदी थी । अब जिनको 100 मिलता था वह ज्यादा हो गये होंगे । मैंने खुद ही कहा कि 200 से कम वालों को ज्यादा मिलना चाहिये । इतना ही ऊपर वालों की बढ़ गयी होगी । जो इसमें रेशियो दे रखा है कि उस समय 300 तक की तादाद 93 फीसदी थी । वही होगी । 98 या 96 होगी । यह 300 के बजाय 500 होगी । यह जो बड़ों को सहायता दी गयी है, तिवारी जी या उनकी गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा सकता है या मुमकिन है वित्त सचिव मश्विरा दें कि कुल रुपया कितना है जिस पर तूफान हो रहा है बात ठीक है । लेकिन सवाल उसूल का है । जितने बड़े–बड़े 15 उद्योगपति देश में हैं इनकी कुल इंकम ले लें तो देश की इंकम का बहुत छोटा प्रोपोर्शन है और अगर उसको सब में तकसीम कर दें तो लोगों को ज्यादा रिलीफ नहीं होगा । मनुष्य को वह खुद कितना कम पाता है यह ज्यादा मैटर नहीं करता, उसको मैटर तब करता है जब चारों तरफ झोंपड़ियां हों और बीच में एक महल हो जिसमें बिजली जलती हो । मनुष्य का स्वभाव है, उसके दिल में कांटा चुभता है जब बहुत अन्तर हो जाय । उस पर साइकोलोजिकल इफेक्ट होता है और वह उसमें डिसकन्टेंमेन्ट पैदा करता है । एक जवाब यह दिया जा सकता है और दिया जाता रहा है और मैंने भी अक्सर सुना है कि अगर आप अफसरों को तनख्वाह कम देंगे तो अच्छे आदमी नहीं आयेंगे । मैं बीच में अर्ज करना चाहता हूं । जापान का मुझे मालूम है, मैंने एक आर्टिकिल में पड़ा था कि वहां 1.5 का स्प्रैड है । बड़े से बड़ा राज्य कर्मचारी छोटे से छोटा राज्य कर्मचारी से 5 गुने से अधिक तनख्वाह नहीं पाता ।

उस देश ने कितनी तरक्की की । आखिर वहां काबिल से काबिल आदमी गवर्नमेंट सर्विसेज में होंगे। मैं कह यह रहा था कि यहां अक्सर यह दलील दी जाती है कि ब्राइट आफिसर्स कैसे आयेंगे फिर अगर हम उनकी तनख्वाह घटा दें। यह बात नहीं है, आयेंगे । उन ब्राइट यंगमैन की केवल रुपया ही एक आकर्षण नहीं है, देश की सेवा का भी होगा, हुकूमत का भी होगा, म सेवा को पहले रखता हूं। लेकिन अगर नहीं आते हैं तो इंडस्ट्री में जायेंगे, प्रोफेशन्स में जायेंगे, वहां देश की सेवा करेंगे। दूसरे मुल्कों में हो यह रहा है कि जो टाप

[श्री चरण सिंह]

के लड़के हैं, ज्यादा होशियार है वे गवर्नमेंट सर्विस में आना पसन्द नहीं करते। हमारे यहां भी धीरे-धीरे यह प्रवृत्ति हो रही है। आई० ए० एस० में टाप वाले अब कम आ रहे हैं। तो क्या देश की हानि हो रही है या हमारी सर्विसेज में कुछ नाकाबिल लड़के आ रहे हैं। मैं तो 4–5 साल से देख रहा हूं कि आई० ए० एस० और आई० पी० एस० में बहुत ब्रिलियेंट नये लड़के आ रहे हैं। तो उससे कोई अन्तर पड़ने वाला नहीं है। मैं फिर दोहराता हूं कि देश को तो कोई हानि नहीं होगी। इन्डस्ट्री में जायेंगे, वहां नई-नई रिसर्चेज करेंगे। लिहाजा यह इसका जवाब कोई सार्थक जवाब नहीं है, कोई अर्थ नहीं रखता।

अब, हमारे यहां क्या होता रहा है। मुझे याद पड़ता है कि माननीय पन्त जी के जमाने में 300 रुपये से ज्यादा तनख्वाह पाने वाले को भत्ता नहीं मिलता था। बढ़ते-बढ़ते वह 450 हो गया शायद पन्त जी के ही जमाने में या बाबू सम्पूर्णानद के जमाने में। लेकिन इतना मुझको डेफिनेटली याद है कि 1964-65 से पहले 450 से कम तनख्वाह पाने वाले को भत्ता मिलता था। आयी माननीया सुचेता जी। उन्होंने 900 रुपये तक कर दिया। जो पिछली संविद थी उसने भी 900 रुपये तक ही दिया। माननीय नारायण दत्त जी अगर माफ करें, मैं आपका नाम ले कर कह रहा हूं, वित्त मन्त्री जी या नैनीताल के रेप्रेजेंटेटिव के बजाय, जो शिकायत है वह यह है कि जो पिछली गवर्नमेंट थी वह तो सोशलिस्ट नहीं थी, उसने तो सब को दिया दस रुपये। आपकी गवर्नमेंट तो ऐडमिटेडली सोशलिस्ट है, हम तो लोहा मान गये तो आपने यह किया कि 10 के बजाय 7, 8, 10, 15 और 25। क्यों? वह सोशलिस्ट कांशियन्स आपका क्या हुआ था जब आप केबिनेट में बैठे थे सोचने के लिये। एक कन्जरवेटिव, रिऐक्शनरी, निहायत निकम्मी गवर्नमेंट थी संविद की। करना तो उनको यह चाहिये था कि चपरासियों, छोटे कर्मचारियों, लोअर डिवीजन असिस्टेंट्स, अपर डिवीजन असिस्टेन्ट्स भी कुछ उसमें आ जाते उनको ज्यादा, बाकी को कम और उससे ऊपर बिल्कुल नहीं। करना तो उनको यह चाहिये था, नहीं किया। लेकिन उन्होंने कम से कम इतना तो किया कि सब को एक सा। आप आये। आपने वह काम किया जो बिल्कुल अनसोशलिस्टिक कि बड़ों और छोटों को बराबर नहीं बल्कि छोटों को कम और बड़ों को ज्यादा। यही नहीं, आपने दूसरी जिद्दत और की है कि 900 से बजाय साढ़े 1200 तक देने का निर्णय किया। उन्होंने तो 900 रुपये तक पाने वाले कर्मचारियों को सब को 10 रुपये दिये, आपने कहा कि नहीं, छोटों को कम और बड़ों को ज्यादा। 'ही हू हैथ शैल बी" बाइबिल में ऐसा है। जिसके पास नहीं है उससे ले लिया जायगा और जिसके पास है उसको और दे दिया जायगा। आपके उसूल पर जिनकी तनख्वाह कम है उनको कम और जिनकी तनख्वाह ज्यादा है उसको ज्यादा। पिछली सरकार ने 900 रुपये तक ही इतिश्री की और आपने 1200 रुपये तक की। इस तरीके से यह मुल्क चल रहा है।

यही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो कुछ आपसे कह रहा हूं उसको 27 जुलाई, 1966 को जब मैं कांग्रेस की तरफ से मिनिस्टर था, और जब हमारे यहां कर्मचारियों की तरफ से आन्दोलन चल रहा था मैंने इस सम्बन्ध में माननीय इन्दिराजी को रिपोर्ट भेजी थी। मैंने उनको लिखा और उनसे कहा कि आपने जो यह 2250 रु० पाने वाले आई०ए०एस० आफिसर्स हैं और अगर कमिश्नर हो जाय तो उनको 2500 रु० मिलने लगे, उनकी तनख्वाह बढ़ाकर 2700 रु० क्यों कर दी। अगर एकोनोमी की यह हालत हो गई तो इसमें दोष किसका है? इसके कारण जब डिवैलुएशन हुआ तो अरबों और खरबों देश को उठाना पड़ा। मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं पूछता हूं कि इससे खर्चा बढ़ाना चाहिये या घटना चाहिये था? राज्य कर्मचारियों में जो आफिसर्स हैं उनको बढ़ाना चाहिए थे या घटना चाहिये था? यह मोटा सा सवाल है। उनसे बजाय यह कहने कि भाई देश पर विपत्ति आई है 2250 या 2500 के बजाय 2000 ले लो, यह न कहकर 2700 रु० कर दिया गया। मान्यवर, यही नहीं 1,000 रु० से अधिक तनख्वाह पाने वाले आई० ए० एस० आफिसर्स को 100 रु० दिया जा रहा है डियरनेस अलाउन्स। हमने तो 450 तक

ही किया था। उन्होंने 1000 रु0 से अधिक पाने वाले को कर दिया। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि यह बात उनके जहन में कैसे बैठ गई, यह कैसे मुमकिन हुआ? आखिर आपने यह कैसे कर दिया और जो उन्होंने रेजूलूशन पास किया था सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी का, वह क्या हुआ? तब से वह और अधिक सोशलिस्ट बन गई हैं। मैं यह जानना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि कोई आदमी मुझे एनलाइटेन करें। और रीजनिंग दें कि किस प्रकार से 1000 रु0 पाने वाले आफिसर्स को 100 रु0 डियरनेंस अलाउन्स देना उचित है और यह किस पैमाने पर दिया जा रहा है और दुनिया के किस सोशलिस्ट देश में ऐसा हुआ है। हमारे लीडर जिन्होंने देश का नेतृत्व किया अंग्रेजों के जमाने में अगर ऐसा कोई प्रोपोजल ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से आता तो क्या कहते और करते? मैं कहता हूं कि वह उसको एक्सेप्ट नहीं करते---इरगिज़ हरगिज़ उसको एक्सेप्ट नहीं करते। अब तो हमारे उस तरफ के बेंचेज के लोग उन लीडरान को रिएक्शनरी कहते हैं---जिम्मेदार लोग हैं---एक साहब डिप्टी मिनिस्टर हैं। वह रिएक्शनरी लीडर अंग्रेजों के जमाने में---मैं फिर दोहराना चाहता हूं---अगर यह प्रोपोजल आता तो जबर्दस्त आन्दोलन खड़ा हो जाता और गवर्नमेंट आफ इंडिया को मजबूर होकर वह प्रोपोजल वापिस लेना पड़ता।

यही नहीं, मान्यवर, मैंने शायद कहीं पढ़ा है या मालूम हुआ है कि 1250 रु0 पाने वाले आई0 ए0 एस0 आफिसर्स को 50 रु0 डियरनेस अलाउन्स और मिला है और वह भी पहली अप्रैल, 70 से---याने उनको बकाया भी मिला है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री जी के बाबत मेरी अच्छी राय है वह कोई गुस्ताखी न समझें---ही इज वन आफ दी बेस्ट मिनिस्टर्स---वह मेरी बात का जवाब देंगे और मुझे खुशी होगी अगर वह मेरी बात का जवाब दें---चाहें वह मेरी बात को माने या न माने और वह जवाब देंगे बड़ी योग्यता के साथ। और कहीं माननीय त्रिपाठी जी होते तो वह यह लच्छेदार हिन्दी बोलते...वह लच्छेदार हिन्दी बोलते कि न वह उठाई जाती और धरी जाती। लेकिन मेरा कहना यह है कि ऐसी बातें 'एक्सप्लेन अवे' नहीं होती। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि जब आपने कैबिनेट में यह फैसला किया तो इससे क्या मैन्टेलिटी जाहिर होती है? क्या आपकी गरीबी की तरफ निगाह है? मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा मान्यवर, मैं रीजन चाहता हूं क्या वह रीजन देंगे। आपकी गरीबी की तरफ निगाह क्यों नहीं है और फिर सोशलिज्म का इतना प्रचार कि यह भी मशीनरी है वह भी है, रेडियो है, टेलीवीजन है और न मालूम क्या-क्या साधन है, अगर मैं एक आधा नाम ले लूंगा तो वह नाराज हो जायेंगे सब दबा गये। उसकी सच्चाई आप ने दबा ली, जिस गवर्नमेंट ने यह काम किया। उपाध्यक्ष महोदय, कुछ और बात नहीं, मैं यह बिना खौफ के कह रहा हूं कि उनकी तरफ से कभी कदम गरीबों के हक में उठने वाला नहीं है। यह किसी तरह से भी मुमकिन नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, एक दो मिनट में और जितनी बातें मैं कहना चाहता हूं कह कर खत्म करता हूं। वैसे मैं जितनी बात कहना चाहता था वह सब कह दीं।

एक बात और है। आप यह कह सकते हैं कि आप दस-साढ़े दस महीने मुख्य मन्त्री रहे आपने क्या किया? एक तो यह कि मैं अपने आपको सोशलिस्ट नहीं कहता। दूसरी बात यह कि आप लोग तो न मालूम मुझे कन्जरवेटिव, रिएकेक्शनरी, बी० के० डी० और न मालूम क्या-क्या कहते हैं। मैं प्रीवीपर्स एबोलीशन करने के खिलाफ था। था मोरल ग्राउन्ड्स पर। मैं उसके बहुत से आर्गूमेंट दे सकता हूं। खैर छोड़ दीजिये। मैं रिएक्शनरी हूं, अमीरों का हामी हूं। हम ने यह मान लिया कि वी प्लेड गिल्टी। मगर हमने नहीं किया यह कोई आर्गूमेंट होगा। अब मैं जवाब नहीं देता कि क्या-क्या किया। जब एस० वी० डी० गवर्नमेंट सन् 67 में थी, तो यह क्वैश्चन उठाया कि जितनी स्पेशल पेज हैं दे शुड आल बी एबालिश्ड। मैंने चीफ सेक्रेटरी को कहा कि जितनी भी स्पेशल पेज हैं वह सब खत्म होनी चाहिये और आई० ए० एस० लोगों को 100 रु० डी० ए० मिलता है वह एबालिश होना चाहिये। थोड़ा बहुत हुआ। नहीं हो पाया। हम ने सैकड़ों आर्गूमेंट गवर्नमेंट आफ इंडिया को भेजे हैं। हमारा कहना है कि यह हमारी जेब से जाता है। उस वक्त के एल० आर० की भी राय थी कि यह देना लाजमी नहीं है। हमारे यहां यह कैबि-

[श्री चरण सिंह]

नेट में पेश हुआ। मैं यह कहना चाहता हूं कि अकेले मेरी या मेरे हमख्याल पार्टी के लोगों की मेजारिटी नहीं थी। हम तो 225 में सिर्फ 20 आदमी थे। सब आर्गूमेंट सुनने के बाद यह बात हुई कि 100 रु० के डी0 ए0 के बारे में गवर्नमेंट आफ इंडिया को फिर लिखा जाय। और स्पेशल पे का मामला गवर्नमेंट के अन्डर कन्सीडरेशन था। केवल दस महीने वह गवर्नमेंट चली और कुछ न कुछ बयान हुये, कुछ प्रोब्लम आई, मैंने इस्तीफा दे दिया। मैंने सवाल उटाया था, वह अन्डर कन्सीडरेशन था स्पेशल पे का और 100 रु0 की तनख्वाह का।

दुबारा सन् 70 में माननीय नारायण दत्त तिवारी जी हमारे साथ थे। उस वक्त यह सवाल नहीं आया। लेकिन मैंने कहा कि 100 रु0 भत्ता जिन आफिसर्स को मिलता है वह खत्म होना चाहिये तो यह कहा गया कि हाई कोर्ट में इंजीनियर्स ने केस दायर कर रखा है। उसका डिसीजन हो जाय तो ठीक रहेगा। वह अभी तक नहीं हुआ है और तारीख पर तारीख लगती जा रही है। मेरा मतलब यह है कि यह गवर्नमेंट रिकोर्ड्स में है और कैबिनेट में मैंने सबसे पहले यह सवाल उठाया था। एक 13 पन्ने का नोट मैंने तैयार किया जो कभी कैबिनेट में नहीं रखा गया। मैंने इन्दिरा जी को भी चिट्ठी लिखी कि हमारा यह व्यू था लेकिन कोई परिणाम हासिल नहीं हुआ और मैं अपने व्यूज पर अमल नहीं कर सका। उसके अलावा यह कोई जवाब नहीं होगा अगर यह दिया जाता है। इन शब्दों के साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैंने काफी समय लिया, मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं, मेरे काफी सुझाव थे, मैं अपने कथन को समाप्त करता हूं कि जो 500 रु0 वेतन पाने वाले कर्मचारी हैं, उन से साथ ही साथ माफी मांगते हुये मुझको मालूम है कि उनका भी तकलीफ है लेकिन इसको आपको मजमू है तौर पर देखना है। करोड़ों आदमी ऐसे हैं जिनको 500 क्या 250, 100 या 50 रु0 भी तनख्वाह नहीं मिलती है लेकिन मेरा यही सुझाव है कि जितना भी आपने रुपया दिया है उसकी अगर आप नहीं बढ़ा सकते हैं तो जो रु0 500 से नीचे वाले हैं उनके ऊपर वालों का उनमें तकसीम कर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष---

इसमें नियम है कि सदन के सामने न तो कोई औपचारिक प्रस्ताव होगा और न मतदान होगा। जिस सदस्य ने सूचना दी हो वे संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेंगे और मन्त्री संक्षेप में उत्तर देंगे। किसी अन्य सदस्य को भी चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी जा सकेगी। नियम तो यह है।

एक सदस्य---

तिवारी जी विरोधी दल के भी वित्त मन्त्री थे।

श्री उपाध्यक्ष---

विरोधी दल का कोई वित्त मंत्री नहीं होता है।

*वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)---

मान्यवर, मैं तो मुख्य मन्त्री का वित्त मन्त्री हूं। मान्यवर, मैं सम्मानित नेता विरोधी दल का आभारी हूं कि उन्होंने इस विषय पर सदन को चर्चा का अवसर दिया और अपने विचार संक्षेप में व्यक्त किये। यह दुर्भाग्य ही है कि जो विचार सन् 1966 में उनके थे उसके बारे में मुझे उसकी पूरी जानकारी नहीं है, यद्यपि उसको मैं प्राप्त करने की चेष्टा करूंगा। उस पर ठीक से कभी विचार नहीं हो सका। इसीलिये हमको वेतन सम्बन्धी या कास्ट आफ लिविंग से सम्बन्धित विषयों पर हर दृष्टिकोण को सामने रखकर विचार करना पड़ता है। यह हो सकता है कि विचारों में मतभेद हो लेकिन पहले से ही

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह मान लेना कि यह उपयुक्त नहीं किया गया है, किसी विचार पर गम्भीरता-पूर्वक निर्णय लेने का अवसर ही नहीं है। मान्यवर, जो पे कमीशन काम कर रहा है उसको मैं सलाह दूंगा कि जो भी सिद्धान्त वेतन निर्धारण के विरोधी दल ने बताये हैं उन पर वे विचार करें और उसकी रिपोर्ट सरकार को दें। मैं वित्त विभाग से यह कहूंगा कि वह इसको पे कमीशन के पास भेजे और पे कमीशन उन सिद्धान्तों पर अवश्य विचार करें जिसका उल्लेख सन् 66 में नेता विरोधी दल ने किया है। साथ ही आज भी जिसको वह प्रतिपादित करते हैं। मैं अवश्य चाहता था कि नेता विरोधी दल इस दलगत पृष्ठभूमि से उठकर विचार करें। मेरी यह शिकायत नहीं होगी, कि जिससे वे भी सहमत होंगे अपने हृदय में और मतिष्क में, कि अपने विचारों का जितने परिष्कृत ढंग से रखना चाहते थे सम्भवत: समय की कमी अथवा अन्य कारणों से नहीं कर सके। मैं जहां तक कि उनकी बात को समझ पाया हूं उनकी यह सामान्यत: राय है कि पे कमीशन की आवश्यकता नहीं है और पे कमीशन बनाने के बजाय सरकार को खुद ही रिलीफ के सिद्धान्तों को मानकर जो उचित समझें दे देना चाहिये।

अब इसके अनुसार कार्य भी हुआ और एक पे कमीशन जो सन् 70 में जनवरी में शायद गठित किया गया था, बाद में उसको भंग कर दिया गया। लेकिन फिर मार्च में संविद सरकार ने यह निर्णय लिया, जिसमें उनका दल भी सम्मिलित था, कि पे कमीशन फिर बनाया जाय, और मार्च में पे कमीशन का गठन हुआ। अब जब नयी सरकार हमारी आयी—अब इसे समाजवादी सरकार कहें या कुछ भी कहें, मैं तो उनको भी समाजवादी मानता हूं... (व्यवधान)। हमारी सरकार ने जब बागडोर हाथ में ली तो उस समय स्थिति यह थी कि पे कमीशन की रचना कर दी गयी थी। अगर उस पे कमीशन को हम रद्द कर देते तो यह भी उचित नहीं था। तब आलोचना होती और जिस योग्यता के साथ आज नेता विरोधी दल ने कहा शायद उससे भी ज्यादा जोर से आलोचना होती कि पुरानी सरकार के पे कमीशन के निर्णय को भी रद्द कर दिया। हमने उस बात को माना और पे कमीशन का निर्णय जो संविद सरकार ने किया था उस पर हम कायम रहे और हमने पे कमीशन बनाया..

श्री चरण सिंह—

मैंने कहीं यह ऐतराज नहीं किया कि आपने पे कमीशन क्यों बनाया। यह तो प्वाइंट है ही नहीं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं अपना तर्क बना रहा हूं। अब श्रीमन्, जब पे कमीशन गठित हो गया, फिर यह बात आई कि यह पे कमीशन अन्तरिम रिपोर्ट दे अन्तरिम सहायता के लिए। यह मांग सदन में हुई, सदन के बाहर हुई, कर्मचारियों की एसोसिएशन की तरफ से हुई। इस लिए हमने बजट भाषण में यह संकेत किया कि अन्तरिम सहायता के सम्बन्ध में पे कमीशन अपनी संस्तुति दे सकता है। अब पे कमीशन जिसको सदन की सर्वसम्मति से एक प्रकार से बनाया गया उस पे कमीशन ने सर्वसम्मति से एक रिपोर्ट हमारे सामने रखी कि आप इन दरों के आधार पर अन्तरिम सहायता दें। तो श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं सदन से और नेता विरोधी दल से कि क्या सरकार ने इसमें गलती की कि वेतन आयोग की कुछ सिद्धान्तों के आधार पर एक सर्वसम्मति रिपोर्ट को एकदम स्वीकार कर लिया। अगर पे कमीशन की रिपोर्ट को हम न मानते तो यह आलोचना होती...

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

यह 10—15 और 20 का भेद किस आधार पर है?

श्री चरण सिंह—

पे कमीशन ने कह दिया इसलिये मानना पड़ा?

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

पिछली सरकार ने तो एक हाई कोर्ट का जज रखा था। यह कोई पे कमीशन थोड़े ही है, यह तो आपके दल की एक कमेटी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

आपने हाई कोर्ट के अवकाश प्राप्त जज को रखा था।

श्री बंशीधर पांडेय—

आप भी अवकाश प्राप्त चीफ जस्टिस को बना देते। आपने तो जिसको मिनिस्टरी नहीं मिली उसको चेयरमैन बना दिया।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

पे कमीशन की चेयरमैनशिप की तुलना मिनिस्ट्री से करना ठीक नहीं है। यह उससे भी ज्यादा महत्व की चीज है।

तो जो संस्तुति पे कमीशन ने की हमने उसे स्वीकार कर लिया। और पे कमीशन ने किस आधार पर संस्तुति की, वह देखें, श्रीमान्। कर्मचारियों की, और इस सदन की भी बहुत समय से मांग थी कि जितनी वृद्धि जिस स्तर पर भारत सरकार समय-समय पर करे उसी आधार पर यहां भी वृद्धि होनी चाहिये। तो भारत सरकार ने पहली अक्तूबर, सन् 70 से कुछ वृद्धि अपने वेतन आयोग की सिफारिशों पर की। तो हमने इस बात की चेष्टा की कि और पे कमीशन ने भी करीब-करीब वही आधार रखा कि जो अन्तरिम सहायता का स्तर भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिये रखा है वही स्तर प्रदेशीय सरकार के कर्मचारियों के लिए, अध्यापकों के लिए, पंचायत मन्त्रियों के लिये, स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिए—सब के लिए होना चाहिए। तो सदन की यह मांग और कर्मचारियों की यह मांग स्वीकार की गई। जितनी मात्रा में दूसरी अन्तरिम सहायता भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए बढ़ाई उतनी ही मात्रा में, अपने सीमित संसाधनों के होते हुए, हमने भी बढ़ा दी।

एक सदस्य—

तो फिर इस पे कमीशन की क्या जरूरत थी, उसी को मान लेते।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं अपने सम्मानित सदस्यों से यह कहूंगा कि वे इतने महत्वपूर्ण प्रश्न को जरा कुछ अधिक गम्भीरता से विचार करने का कष्ट करें। यदि वे ऐसा करेंगे तो देखेंगे कि इसमें और कितनी कठिनाइयां हैं। अब श्रीमन्, यह कहा जा रहा है कि यह समाजवादी सरकार है और इसने क्या किया और क्या नहीं किया। 109 रु० तक वेतन पाने वालों को 73 रु० महंगाई भत्ता, अन्तरिम सहायता मिला कर, मिल रहा है और 900 रु वेतन तक केवल 43 रु० महंगाई भत्ता है। इसको जोड़ करके अब 50 रु० आता है और जो 1250 रु० तक वेतन पाते हैं उनका महंगाई भत्ता केवल 25 रु० है। 85 रु० के नीचे 70 रु० महंगाई भत्ता है और 500 से 1250 रु० तक 25 रु० है। तनख्वाहों में जो अन्तर है वह अलग प्रश्न है। अन्तरिम सहायता का जहां तक प्रश्न है वह केवल 8 रु० का अन्तर है 25 रु० और 17 रु० के बीच में। नेता विरोधी दल ने जितनी खाई बताई उतनी नहीं है। उन्होंने कहा कि जापान में 1: 5 है सबसे बड़े कर्मचारी और सबसे छोटे कर्मचारी वेतन में।

श्री चरण सिंह—

I credit you with greater intelligence

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं तो यह समझ रहा था कि इधर 8–10 दिनों में नेता विरोधी दल ने अपने विचार बदल दिये हैं। वे तो महंगाई भत्ते के देने के पूर्णतः विरोधी थे। उन्होंने इस सदन में यह कहा था कि भारत सरकार अपने कर्मचारियों के लिये महंगाई भत्ता क्यों बढ़ा रही है जबकि लड़ाई चल रही है।

श्री चरण सिंह—

मैंने यह नहीं कहा था। मैंने यह कहा था कि मैं राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के बढ़ाने के विरुद्ध नहीं हूं। मेरी राय में यह उसूल होना चाहिए कि जितनी देश की नेशनल इनकम—एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन और इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़े—उसी रेट से कर्मचारियों की तनख्वाह भी बढ़े। एक बात तो मैंने यह कही थी और दूसरी बात यह कही थी कि जब लड़ाई हो रही है तो महंगाई भत्ते के बढ़ाने का प्रश्न नहीं उठना चाहिए और किसी मुल्क में नहीं उठना चाहिए।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

उन्होंने यह कहा कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जितनी मात्रा में बढ़े उसी के आधार पर कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिये जायें। उन्होंने यह भी कहा कि वे 500 रु० तक वेतन पाने वालों को महंगाई भत्ता देना चाहते हैं, परन्तु इस महंगाई भत्ते के देने का उन्होंने कोई सिद्धान्त नहीं बताया। उन्होंने कहा कि यह अलग बात है। यह बात ऐसी नहीं है, आपको स्पष्ट होना पड़ेगा कि महंगाई भत्ते के बढ़ाने का क्या आधार हो? उन्होंने आधार बताया अग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का। तो वह तो 3–4 परसेंन्ट है। तो 4 पर्सेंट महंगाई भत्ता बढ़ना चाहिए।

श्री चरण सिंह—

वह 5.2 परसेन्ट है। मैं खिलाफ तो नहीं हूं, क्या हो, क्या न हो, दैट इज डिफरेंट।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

यह बहुत बड़ा दिन है इस माने में कि कम से कम महंगाई भत्ता देने के लिये हमारे सम्मानित नेता विरोधी दल राजी तो हुए।

मैं समझता हूं कि इस सदन को पे कमीशन रिपोर्ट की प्रतीक्षा करनी चाहिये। 6 माह का उनको समय और दिया गया है। मैं यह भी चाहूंगा कि जो पे कमीशन बैठा है वह यहां पर जो सुझाव दिये गये हैं उन पर भी विचार करे। हमारा कतई यह मंशा नहीं है कि कम वेतन वालों को कम मिले और अधिक वालों को अधिक मिले। हम यह चाहते हैं कि पे कमीशन एक समाजवादी वेतन प्रणाली के आधार पर अपने सुझाव दे। यह जो कुछ दिया गया है यह फाइनल निर्णय नहीं है। यह तो केवल अन्तरिम सहायता है। मुझे आशा है कि पे कमीशन यहां दिये गये सुझावों पर अवश्य विचार करके अपनी रिपोर्ट देगा।

*श्री रामगोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)—

मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं माननीय तिवारी जी का ध्यान 1957 के पे कमीशन की सिफारिशों की ओर दिलाना चाहता हूं। जिसमें देश के बड़े-बड़े अर्थ-शास्त्रियों ने विचार करने के उपरान्त अपनी रिपोर्ट के पृष्ठ 308 पर यह सिफारिश की थी कि जब-जब वस्तुओं के दाम बढ़े, तब-तब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी बढ़ाया जाय उसी अनुपात में। उसी ने अपनी रिपोर्ट में कर्मचारियों के परिवार की परिभाषा भी की जिसके अनुसार परिवार का मतलब—एक कर्मचारी, उसकी पत्नी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामगोपाल सण्ड]

तथा 2 बच्चे माने गये हैं। सन् 60 में आपको याद होगा कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने सत्याग्रह भी किया था, वे जेल भी गये थे । उस पे कमीशन ने यह माना था कि एक कर्मचारी को कम से कम 2800 कैलोरीज गर्मी चाहिये, जबकि एक फावड़ा चलाने वाले को 3400 कैलोरीज गर्मी चाहिये। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उस समय एक माप दन्ड बहुत सोच-विचार कर निश्चित किया गया था। अपने प्रदेश में भी कर्मचारियों का आन्दोलन हुआ। उन्होंने भी यह मांग रखी कि उनको केन्द्र के समान महंगाई भत्ता मिले। 62 दिन की जो पूरे प्रदेश में हड़ताल चली उसमें हजारों कर्मचारी जेल गये, हम सब लोग भी जेल गये। उसका फल यह हुआ कि सुचेता जी की सरकार ने एक बात यह मानी कि एक हजार या 1100 रुपये मासिक वेतन पाने वालों को गरीब ही माना जायेगा।

मान्यवर, अभी माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने कुछ कहा उससे उन्होंने सदन को गुमराह किया है। मैं आपके सामने इस मैगजीन से केन्द्र में दिये जाने वाले तथा यहां दिये जाने वाले महंगाई भत्ते के आंकड़े रखूंगा---केन्द्र में 109 रुपए तक 93 रुपये दिये जा रहे हैं हैं जब कि यहां पर 73 रुपये हैं। 110–149 तक केन्द्र में 104 तथा यहां 74 रुपये। 150–209 रुपये तक 131 रुपये और यहां पर आप देते हैं 94 रुपये। 210 रुपये से 399 रुपये तक केन्द्रीय सरकार 186 रुपया अन्तरिम सहायता को लेकर दे रही है, जबकि हमारी सरकार केवल 111 रुपये देती है। 400 से 449 रुपये तक पाने वाले कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार 196 रुपया महंगाई भत्ता देती है अपने कर्मचारियों को और हमारी सरकार 121 रु0 देती है। यह विषमता श्रीमन, शनैः शनैः बढ़ रही है। 500 रुपये से 542 रुपये वालों को केन्द्रीय सरकार 202 रुपया देती है और हमारी सरकार 57 रुपया देती है। और आंकड़े पढ़ने की श्रीमन्, अनुमति दें तो मैं बताऊं 637 रुपये से 900 पाने वाले कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार 177 रुपये महंगाई भत्ता देती है और हमारी सरकार 98 रुपया ही देती है। यह विषमता, इस प्रकार से 20 रुपये से लेकर अधिकतम 98 रुपये तक की है, यदि एक हजार तक ही जायें। माननीय नेता विरोधी दल और माननीय वित्त मन्त्री तिवारी जी हमारे प्रश्नों का उत्तर दें, यह मैं चाहता हूं। द्वितीय वेतन आयोग ने लिखा है 70 गज कपड़ा और एक रहने का स्थान जिसमें दो कमरे और लैटरीन वगैरह को कर्मचारी को देने के लिए न्यूनतम वेतन 221 रुपया देगी। श्रीमन्, जब सन् 68 की स्ट्राइक 18 सितम्बर को हुई, जिसमें हम सब लोग जेल गये थे, उसके बाद विचार हुआ कि आज के मूल्य सूचकांक के अनुसार लीविंग वेज जो अपने कर्मचारियों को सरकार देगी वह 401 रुपया महंगाई समेत होगा। यानी कि फराश/चपरासी, नगरपालिका का अध्यापक हो या कहीं का भी कोई कर्मचारी हो, वे कम से कम 401 रु0 पायेंगे। आज नेता विरोधी दल जापान में वेतन में एक और पांच के अनुपात की बात स्वीकार करते हैं उसी को मद्देनजर रखकर मैं कहना चाहता हूं कि किसी को 2 हजार रुपया वेतन दिया जायगा, तो हम जनसंघ के लोग उसका समर्थन करेंगे। प्रदेश के अर्थशास्त्रियों ने स्वीकार किया है, कि महंगाई भत्ते में असमानता नहीं होनी चाहिए, केरल सरकार ने अपने कर्मचारियों को समान भत्ता दिया है, वेस्ट बंगाल ने भी समानता स्वीकार करके अपने कर्मचारियों को समान महंगाई भत्ता दिया है।

हमारी सरकार ने एक समिति बिठायी थी। यह सवाल समय-समय पर उठाया जाता है कि रुपया कहां से दिया जाय? इस सवाल के बारे में उस समिति ने क्या सिफारिश की है वह श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से बढ़कर सुनाने के बाद अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। मान्यवर, आपसे अनुमति चाहूंगा कि वह अंग्रेजी में है, हिन्दी का मैं भी हिमायती हूं लेकिन हमारी मजबूरी है। आपकी आज्ञा से कुछ लाइनें अंग्रेजी में पढ़ दूं। मुझे उम्मीद

है कि नारायण दत्त जी ने उन्हें पढ़ा अवश्य होगा और जो नया बजट आयेगा, उसमें जो वर्तमान 20 रुपये से लेकर 98 रुपये तक का केन्द्र और प्रान्त के महंगाई भत्ते के अन्तर है, उस अन्तर को वह अवश्य समाप्त कर देंगे।

श्रीमन्, उस वेतन कमीशन के जो चेयरमैन श्री आर० एन० शर्मा जी थे उन्होंने अपनी सिफारिश में इस बात का स्पष्ट सुझाव दिया है कि सरकार साधन कैसे जुटाए—

"On considering all that has been stated above, it will be seen that the demand of the employees for increase in the D. A. is quite legitimate and there appears to be no hinderance of lack of resources."

बाद में बहुत सी बातें कही गई हैं। माननीय मन्त्री जी अली जहीर जी की दुहाई दे रहे हैं। एक वेतन आयोग आपने बिठलाया है और एक भारत सरकार का बैठा हुआ है उसकी रिपोर्ट शीघ्र आने वाली है, उसकी निष्पक्ष रिपोर्ट आने वाली है उसको देखकर आप सबकी और विशेष कर सरकार की आंखें खुल जायेंगी। आपने जिस प्रकार से अभी तक प्रदेश कर्मचारियों को केन्द्र के समान महंगाई भत्ता देने से महरूम रखा है उनमें बड़ी निराशा व्याप्त है। आप समाजवादी मन्त्री हैं और रण सिंह जी को कहते हैं कि आप कुछ कदम आगे बढ़े हैं। वह ठीक है, लेकिन ऐसा करके आप कुछ प्रतिगामी हो गये हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे आपका वह चेहरा याद आता है जब आप पुरुषोत्तम दास टंडन पार्क इलाहाबाद में गये थे सचिवालय परिषद् के अध्यक्ष बन कर और उस समय आपने यह कहा था कि एम्पलायर को रिसोर्सेज कहां से प्राप्त करना चाहिये यह एम्पलायर जाने लेकिन उसको एक आदर्श एम्पलायर होना चाहिये और और टाटा तथा बिरला से दो कदम आगे बढ़ कर उसे अपने इम्पलाईज की वेतन देना चाहिये, कम से कम लिविंग वेज तो देना ही चाहिये। माननीय नारायणदत्त जी उत्तर दें कि आज वह क्यों बदल गये? एक मात्र सवाल यह है कि केन्द्र तथा प्रान्त का महंगाई भत्ता समान हो। वेतन का रेश्यो 1 और 5 का हो और वेतन आयोग इस प्रकार की संस्तुति दे अथवा जो कैबिनेट कहती है उसे ही लागू कर दें और अपने कर्मचारियों को वह लिविंग वेज दे, अध्यापकों को, बिजली के कर्मचारियों को, चपरासियों को लिविंग वेज दे। लेकिन मैं देखता हूं कि उनकी नीयत साफ नहीं है। आप पिछले दरवाजे से बड़े आदमियों को मदद करते हैं और उनको अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना चाहते हैं। यह स्थिति साफ होना चाहिये वर्ना यह लड़ाई चलती रहेगी। केन्द्र तथा राज्य सरकारों के खिलाफ कर्मचारियों का जुलाई, 66 से चलने वाला आन्दोलन अनन्त काल तक चलता रहेगा वर्ना आप पुराने समाजवादी बनिये, पुरुषोत्तम दास टंडन पार्क वाले समाजवादी बनिये और 500 रुपये तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को केन्द्र के समान महंगाई भत्ता दें।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मैं सबसे पहले नेता विरोधी दल का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस चर्चा को शुरू किया वरना सरकार का इरादा तो ऐसा लगता था कि इस पर कोई चर्चा ही न हो सके। सदन उठ गया होता 12 तारीख को तो इस पर चर्चा हो ही न पाती। लेकिन नेता विरोधी दल ने इस चर्चा का श्रीगणेश करने की इच्छा जाहिर की जिसे हमारे भावनाओं को बल मिला। मैं जानना चाहूंगा किस सरकार ने इस अन्तरिम सहायता की घोषणा सदन के बाहर क्यों की माननीय वित्त मन्त्री सदन के सदस्यों की राय भी उस पर पहले ले लेते और कैबिनेट के निर्णय की घोषणा पहले यहां कर देते। ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं था लेकिन घोषणा की गयी सदन के बाहर। अगर 12 तारीख को सदन प्रोग्राम के हिसाब से उठ गया होता और आज 18 को पुनः न बैठता तो शायद इस रिपोर्ट पर डिसकशन होने की नौबत नहीं आती और सरकार सोचती, देखो कैसी धता बतलाई और कदाचित वह अपनी

[श्री कल्पनाथ सिंह]

अकल को दाद देती। केन्द्रीय सरकार ने इस बीच में अपने कर्मचारियों का दो दफा महंगाई भत्ता बढ़ाया और अपने कर्मचारियों को उसने इस प्रकार कुल कितना पैसा दिया यह सवाल हमारे सामने नहीं है, उनको क्या रेशियों अख्तियार करना चाहिये यह भी मैं नहीं कह रहा हूं।

मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने जो महंगाई भत्ता दिया उस सम्बन्ध में इस सरकार ने लगातार इस सदन में यह कहा है कि वह सिद्धान्तः इस बात को स्वीकार करती है कि केन्द्र तथा राज्य सरकार कर्मचारियों का महंगाई भत्ता समान हो और आज भी उसने अपनी उस बात से इंकार नहीं किया है। सिद्धान्ततः आप स्वीकार करते हैं तो कौन सी ऐसी बात है जो कि आपको वह काम नहीं करने देती। उसका कारण क्या है। अगर यह मान लिया जाय कि आपके पास रिसोर्सेस नहीं हैं और यह बात आप अपने जवाब में कहेंगे कि रिसोर्सेज नहीं हैं, तो इसके सम्बन्ध में तो माननीय नेता विरोधी दल ने कह दिया किन्तु मैं भी इस सम्बन्ध में एक सुझाव देना चाहता हूं और वह यह है कि आप क्यों नहीं इस काम को केन्द्रीय सरकार के जिम्मे कर देते हैं कि जब वह अपने कर्मचारियों का भत्ता बढ़ायेगी तभी हमारे कर्मचारियों का भत्ता भी बढ़ा दे। संयोग से हमारे माननीय वित्त मन्त्री जी का दावा है कि उनकी और माननीय मुख्य मन्त्री जी की ज्यादा पटती है। बीच में कुछ गड़बड़ सुन रहा था किन्तु अधिष्ठाता महोदय अब मैं ऐसा सुनने लगा हूं। तो मैं कहता हूं कि क्यों नहीं आप इस बात को उनके जिम्मे कर देते हैं। अगर आप समझते हैं कि एक केस में एक ही संविधान के अन्तर्गत चलने वाली सरकारों को दो पे-कमीशन क्यों। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो स्वायत्त शासन आदि की संस्थायें हैं उनके लिये आप प्रत्येक जिले में अलग-अलग पे कमीशन मुकर्रर करेंगे? उनका क्या होगा? एक सिद्धान्त आप स्वीकार करिये। मैं इसलिये कह रहा हूं और जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल ने सही कहा है कि महंगाई रोकना इस सरकार के बूते की बात नहीं है। यदि महंगाई बढ़ायेंगे तो बैठकर टैक्स लगाया जायगा। इसे आप तय करें और हिम्मत करके केन्द्रीय सरकार को इस बात के लिये बाध्य करें.....(व्यवधान)

हमारे पाण्डेय जी कह रहे हैं कि बात करने की हिम्मत नहीं है। मैं कहता हूं कि बड़ी से बड़ी बात तो ये कर लेते हैं, सरकारें उलटवा पलटवा देते हैं। मुख्य मन्त्री बदलवा देते हैं तो इतनी सी बात नहीं कर सकते हैं। यदि मान्यवर, ये बात नहीं कर सकते हैं तो इस प्रदेश के कर्मचारियों, शिक्षकों और अन्य लोगों को इस बात के लिये मजबूर होना पड़ेगा कि ये ऐसा करें। मैं यह कहना चाहता हूं कि आखिर पे कमीशन की बात क्यों की गई। पे कमीशन की जो रिपोर्ट आई वह कैबिनेट में ही आई और उसके डिसीजन पर ही कि इस-इस तरह से महंगाई भत्ता दिया जाय, किया गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो अन्तरिम रिपोर्ट पे कमीशन ने दी वह इस सदन के सामने क्यों नहीं आई। इसका क्या कारण है? जिस बात पर विचार करके आपकी सरकार ने फैसला किया कि यह महंगाई भत्ता दिया जायगा, वह रिपोर्ट इस सदन के सामने क्यों नहीं आई? यह बात भी मन्त्री जी द्वारा नहीं बताई गई। इसका क्या कारण है? मान लीजिये कि पे कमीशन ने आज कोई रिपोर्ट दी है और उसने इस बात की सिफारिश की कि जिनको आज आपने 7 रुपया दिया है उनके लिये वह 17 रुपये देने की बात कहता तो क्या आप उसे ज्यों का त्यों मान लेते? अगर कमी किया हो तो फिर भी बता दीजिये। उसके लिये आप कह देते कि उन्होंने रिपोर्ट तो जरूर दी है किन्तु हमारे पास संसाधन नहीं हैं। तब संसाधनों का बहाना होता। तो मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सीधे-सीधे आपके ऊपर भी शंका की बात लोगों के मन में न पैदा हो उसके लिये आप एक मुस्तकिल ट्रिब्यूनल बिठा दें।

(इस समय 7 बजकर 15 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री हरिनाथ तिवारी पीठासीन हुये।)

और जो हाई कोर्ट का जज हो वह प्राइस इंडेडक्स देखा करे और उसके बाद उसी हिसाब से लिंकिंग फार्मूला के अनुसार आटोमेंटिकली महंगाई भत्ता बढ़ा करे। क्या सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार है ? मेरा एक सुझाव है। मैं नहीं जानता कि और माननीय सदस्यों को मेरी बात कैसी लगेगी, लेकिन मेरा एक सुझाव है।

होता क्या है ? केन्द्र की सरकार बढ़ाये। दूसरे प्रदेशों की सरकार बढ़ायें। यहां कुछ आन्दोलन हो। कुछ और डेपूटेशन चला आये और दूसरी बातें हों। अभी हमारे एक मित्र ने, जब तिवारी जी बोल रहे थे, तो कहा कि जिनको मिनिस्ट्री नहीं दे सके उनको यह कमीशन की जगह दे दिया। श्री शान्ति प्रपन्न जी के बारें में महीलाल जी कह रहे हैं.....वह हमारे दल के थे। आपकी सूचना गलत हो गयी। वह फिर जहां के तहां हैं। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि आखिर यह सब बातें क्या हैं। कमीशन अगर आप मुकर्रर करते हैं, उसमें एम्प्लाईज को रिप्रेजेंटेशन आप दीजिये। कितना रिप्रेज़ेंटेशन दिया है? क्या किया है, क्या बात हुई है ? कैसे उस सवाल को हल करना चाहते हैं ? आप बतायेंगे, मैं उसकी जानकारी करूंगा। लेकिन लोगों का यह ख्याल हो रहा है कि यह पे कमीशन पोलिटिकल है और इसीलिए मेरा यह निवेदन है कि सरकार हाई कोर्ट के जज को मुस्तकिल तौर पर प्राइस इण्डेक्स के मुतालिक एक लिंकिंग फारमूला के अनुसार महंगाई व भत्ता बढ़ाने का काम सुपुर्द कर दे---रेगुलर तरीके से। यह नहीं कि एक महीने में टूटा और दूसरे में बना। मुस्तकिल तौर पर, अपने आप यह काम चलता रहे। जब तक प्राइस इण्डेक्स ज्यों का त्यों बना रहे तब तक यह सवाल नहीं पैदा होता।

श्रीमन्, मैं एक निवेदन यह करना चाहता था कि जो अभी घोषणा की गयी इससे सरकार ने क्या महसूस किया कि क्या राज्य कर्मचारियों के अन्तर्गत या इस परिधि के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में जो है उन लोगों के अन्तर्गत संतोष की भावना आयी अथवा नहीं ? सवाल यह है। जगह-जगह श्रीमन्, अखबार आप देख लें, राज्य कर्मचारियों ने कड़ी भर्त्सना इस निर्णय की और उसमें सभी लोग शामिल थे कल वाले जलूस में। यहां तक कि शिक्षक जितने उससे प्रभावित हैं सबका जलूस था और यहां सभा हुई सेक्रेटेरियट के सामने। सरकार को इस बात की इत्तला है कि आखिर यह असंतोष क्या है ? मुख्य असंतोष इस बात का है कि सरकार ने केन्द्रीय सरकार के महंगाई भत्ते के अनुसार भत्ता देने का फैसला नहीं किया। पे कमीशन आप बैठाते रहे। अच्छा ठीक है। अंतरिम रिपोर्ट जो आपने मांगी महंगाई भत्ते के सिलसिले में, आपने स्वयं बजट भाषण में कह दिया था कि तब तक अंतरिम रिपोर्ट आ जायगी। ठीक है। अन्तरिम रिपोर्ट आ गयी, लेकिन इसको लेकर क्या होगा जिस रिपोर्ट को देख कर न उस सदन के सदस्य खुश, न उससे प्रभावित,जिनको फायदा पहुंचाना चाहते हैं, वह प्रभावित हैं, उससे। केवल सरकारी मंत्रिगण प्रभावित रहें यह उपयुक्त बात नहीं है और श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो पेरिटी के बारे में थोड़ी और बड़ी तनख्वाह के सिलसिले में जो माननीय नेता विरोधी दल ने कहा वह ठीक बात कही। मैं उसे दुहराना नहीं चाहता हूं। आखिर तिवारी जी के काल में, क्योंकि मुख्य मंत्री के बाद इस मामले में वित्त मंत्री का ही स्थान होता है, इन दोनों के कार्यकाल में, समाजवाद शब्द की उन्होंने दुहाई दे दी क्यों वे समाजवाद को बदनाम करना चाहते हैं ? रहने दीजिये हम लोगों को। चौधरी साहब से हम लोग मतभेद रखते हैं। जो छोटी बड़ी राजनीति का ज्ञान हुआ, उसमें मैं अपने को समाजवाद के कुछ नजदीक समझने की कोशिश करता हूं। हमारा और चौधरी साहब का इस मामले में मतभेद है। समाजवाद उधर से कहा जा रहा है लेकिन काम उल्टे हो रहे हैं वरना इसका उदाहरण चौधरी साहब ने स्वयं दिया।

मैं माननीय तिवारी जी से जानना चाहता हूं कि क्या समाजवाद को आप ऐसे स्थान पर ले जाना चाहते हैं और जनता के बीच में उसका मखौल उड़वाना चाहते हैं जिसका कोई अर्थ न रह जाय ! मैं इसलिये कह रहा हूं कि लोगों के जीवन स्तर में इस प्रकार की जो उपलब्धियां होती हैं, चाहे वे समाज के विभिन्न वर्ग में हों जितनी कमी की जा सके वह की जाय और जितनी बराबरी

[श्री कल्पनाथ सिंह]

हो सके वह की जाय। अगर समाजवाद का यह अर्थ नहीं होगा तो मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर उसका क्या अर्थ है ?

एक दिन मैंने और कहा था और आज भी कह रहा हूं कि एक ही समाजवाद के स्कूल में मुझे भी उसी स्कूल में नाम लिखाने का अवसर मिला जिसमें उनको मिला। जो काम इस सरकार द्वारा किये जाते हैं उनके संबंध में मुझे ऐसे लोग मिले जिन्होंने कहा कि ये लोग अपने को समाजवादी कहते हैं। मैंने कहा कि मैं समाजवादी हूं। समाजवाद को क्यों कुछ कह रहे हो ? तो उन्होंने कहा कि हम आपको नहीं कह रहे हैं जो नकली समाजवादी हैं, उनके लिये कह रहे हैं। इसलिये माननीय तिवारी जी से कहना चाहता हूं, कि वे अपने को समाजवादी कहते हैं तो असली समाजवाद लाने के लिये जो अन्तर है उसमें एकरूपता लायें और विषमता को कम करें और इसी सिद्धांत के आधार पर आमदनी में जितना अन्तर कम किया जा सके करें। अगर वे समान स्तर लायेंगे तो उसका स्वागत होगा वरना जगह-जगह राज्य कर्मचारी, शिक्षक और दूसरे लोग आंदोलन करेंगे और इस सरकार को सबक सिखाये बिना नहीं मानेंगे।

*श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

अधिष्ठाता महोदय, यह प्रश्न जो आज माननीय नेता विरोधी दल की ओर से उठाया गया, है, मैं समझता हूं कि यह एक मौलिक प्रश्न है। जहां तक मैं समझता हूं उन्होंने दो मौलिक प्रश्न उठाये और उनमें किसी को मेरे खयाल से मतभेद नहीं हो सकता, सभी उसका समर्थन करेंगे। पहली बात यह कि जो ज्यादा तनख्वाह पाने वाले लोग हैं उनका मंहगाई भत्ता कम से कम बढ़े या न बढ़े लेकिन कम आय पाने वालों को अन्तरिम सहायता और मंहगाई भत्ता पूरे तौर पर मिलना चाहिये। उसमें उन्होंने 500 रुपया की एक सीमा रख दी लेकिन उसमें उन्होंने कोई डेड लाइन तय नहीं की है, एक अन्दाजा उन्होंने बता दिया है। मैं समझता हूं उसको माननीय मंत्री जी को स्वीकार कर लेना चाहिये।

दूसरी बात जो उन्होंने मौलिक कही वह भी बहुत उचित है कि जितना कम पाने वाला कर्मचारी है उसको अन्तरिम राहत उतनी ही अधिक मिलनी चाहिये ताकि उसके घाटे की पूर्ति हो सके। इन दो प्रश्नों में किसी के असहमत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन एक बात उन्होंने तो नहीं कही, अन्य माननीय सदस्यों ने कही। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार अपनी जिम्मेदारी को टाल रही है। दो आयोग बैठ चुके हैं एक जस्टिस शर्मा का और दूसरा श्री बी० के० मुखर्जी का। उनकी रिपोर्ट से 2–2 पंक्ति मैं पढ़ देना चाहता हूं। तिवारीजी ने कहा कि अगर हम कमीशन की रिपोर्ट को नहीं मानेंगे तो आप कहेंगे कि कमीशन की रिपोर्ट को नहीं माना। मैं पूछना चाहता हूं कि जस्टिस शर्मा ने इस संबंध में क्या लिखा था। आपने उन शब्दों की ओर ध्यान दिया या नहीं? आपने उनकी बात को क्यों नहीं माना? उन्होंने कहा कि जब मूल्यों के स्तर देश भर में एक से हैं तो केन्द्रीय कर्मचारी और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते भी समान होने चाहिये। इस बात को उन्होंने भी स्वीकार किया और जस्टिस मुखर्जी की रिपोर्ट में यह लिखा है "महंगाई भत्ते की पृथक दरें किये जाने का कोई औचित्य नहीं है" इन दोनों रिपोर्ट स के होते हुए आप जो संशोधन की दुहाई देते हैं उसमें कोई औचित्य नहीं है। आप भी कम से कम इस बात को अनेक बार स्वीकार कर चुके हैं कि मंहगाई भत्ता समान होना चाहिये। डी०ए० में पैरिटी होनी चाहिये। लेकिन आज आप कहते हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं हैं मैं पूछना चाहता हूं कि कौन से साल का बजट ऐसा है जो घाटे का न हो। घाटे का बजट प्रस्तुत किया जाता है और आखीर साल में जाकर देखा जाता है कि राजस्व उपलब्धियां ज्यादा हो गयी और इसमें आपका 50–50, 60–60 करोड़ का अन्तर रहता है। इनके लिये मैं आपके सामने पिछले दो सालों के आंकड़े रखना चाहता हूं। वर्ष 69–70 में बजट प्रस्तुत करते समय आपने 48·64 करोड़ का घाटा दिखाया था लेकिन अन्त में जाकर वह 79 करोड़ के लाभ में परिवर्तित हो गया। घाटे का बजट आप इसलिये पेश करते हैं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि उसके द्वारा आप लोगों की मांगों को समाप्त कर दें। सन् 70–71 में आपने 48.63 करोड़ के घाटे का बजट प्रस्तुत किया लेकिन अन्त में जाकर वह 51 98 करोड़ के सरप्लस में तब्दील हो गया। लेकिन आप कहते हैं कि डी० ए० में पैरिटी करने के लिये संसाधन नहीं है। मैं पूछता हूं डी०ए को पैरिटी करने में आपका क्या खर्च होगा। अन्दाजा यह है कि 40–50 करोड़ रुपया आपको अधिक देना होगा। अगर आप एक बार पैरिटी कर दें तो बाद में आप कदम ब कदम असानी से चलते रहेंगे। पिछले 10 सालों का झगड़ा तो मिट जायगा। मैं तो कहता हूं कि इसका श्रेय आप को ले लेना चाहिये। आपने एस० बी० डी० पर कटाक्ष किया, एस०वी०डी० ने तो अपने शासनकाल में 6 1/4 एकड़ तक की जोतों का लगान माफ कर दिया।

मैं उन बातों की ओर नहीं जाता लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आपने नारों के अलावा और कौन सा काम किया है? केवल नारे लगाकर अखबारों में, पोस्टरों के द्वारा और रेडियो पर सुबह से लेकर शाम तक गरीबी हटाओ का प्रचार होता है लेकिन आप ने कहीं से भी गरीबी को कम किया? कोई काम आप के जमाने में ऐसा हुआ? सवा 6 एकड़ तक के लगान की माफी संविद ने की, प्रोफेशन टैक्स को उन्होंने हटाया लेकिन आज आप क्या कर रहे हैं? आप ने देखा कि इन्हीं 2–4 दिन में बड़े सुनियोजित ढंग से बिजली की ड्यूटी बढ़ा दी गई और जैसे जो कुछ इस संबंध में हुआ उस की सदन को जानकारी है, तीन पैसे प्रति यूनिट गरीब किसानों के ऊपर आपने बिजली की दरें बढ़ा दीं। बसों का आप ने 15 प्रतिशत भाड़ा बढ़ा दिया कहने का मतलब यह है कि जितने भी कर आप लगा सकते थे और बढ़ा सकते थे वह आप ने सब लगा दिये, दस-दस पैसे कर के साधारण व्यक्ति पर आप ने हर जगह पर कर भार बढ़ा दिया। सवाल यह है कि यह मांग क्यों पैदा होती है। इस का कारण है महंगाई और महंगाई क्यों बढ़ती है, वह बढ़ती है आप की गलत नीतियों के कारण, आप का प्लानिंग ही इस तरह चलता है अनाज के, चीनी के, हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं, आप किसी बिजली की दर बढ़ाते चले जाते हैं आप रोडवेज का किराया बढ़ा रहे हैं और आप से प्राइसेज नहीं रोके रुक रही हैं, आप के करों के लगाये जाने से भी महंगाई बढ़ रही है। जब कर्मचारी मूल्य सूचनांक 228 होने पर मंहगाई भत्ते अधिक चाहते हैं तो आप कहते हैं कि हम कहां से दें। आप का सब से पहला कदम यह होना चाहिये कि गरीब कनज्यूमर को राहत कैसे मिले, आप ने महंगाई को रोकने के लिये कोई ठोस कदम नहीं उठाया बल्कि आप के कदम तो उस को बढ़ाने के लिये ही उठते हैं। में कहूंगा कि इस प्रश्न को नेता विरोधी दल ने उठाया है उसके सब पहलुओं पर आप गौर करें। यह ठीक है कि वेतन आयोग ने एक सिफारिश की लेकिन आप ने उस को कैसे आंख मूंद कर मान लिया, आप उसमें परिवर्तन भी कर सकते थे, आप छोटे लोगों को 15 रुपया या ज्यादा भी दे सकते थे। जब आप ने दस लाख रुपया बांटने की बांत सोची थी तो आप ऊपर वालों की कटौती कर के निम्न कर्मचारियों को कुछ अधिक दे सकते थे। वेतन आयोग ने कह दिया था तो आप के लिये वह कोई खुदा की वाणी तो थी नहीं। वेतन आयोग क्या है? यह रिटायर्ड जजेज होते तो कुछ होता आप ने तो तमाम पार्टी के ही आदमियों को वहां बिठा दिया, मैं उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ नहीं कहता, आप ने उनमें कोई भी कर्मचारियों का प्रतिनिधि नहीं रखा है, उसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो समाज में ऐसे मामलों को समझता हो और जानता हो, अगर आप उस के सदस्यों की सूची देखेंगे तो आप मुझ से सहमत होंगे कि शायद उन में से अधिकांश यह भी नहीं जानते कि कैसे मंहगाई बढ़ती है और किस तरह से किस को राहत देना चाहिये।

(इस समय 7 बजकर 38 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

क्या सिद्धांत है यह सब वह शायद नहीं जानते। मेरा निवेदन है कि वर्तमान सरकार के लिये पहला कदम यह हो सकता है कि एक बात की जिस की घोषणा बार बार हो चुकी है, उस पर वह कायम रहे और इस बजट सेशन से पहले डी०ए की पैरिटी को वह स्वीकार कर ले। केवल एक बार आप मंहगाई भत्ता केन्द्र के समान कर दें तो रोज-रोज अन्तरिम राहत का सवाल आप के सामने नहीं आयेगा। केवल 12 करोड़ रुपए का सवाल है आप कितनी फजूलखर्ची

श्री नित्यानन्द स्वामी]

तरह-तरह से करते हैं शासन की बदइंतजामी में दुरुपयोग होता है। हमारा दुर्भाग्य है कि इस सरकार ने संविद सरकार से कुछ नहीं सीखा। उन्होंने हर तरह से गरीब किसानों को और कर्मचारियों को राहत दी और मैं भगवान के लिये आप से प्रार्थना करता हूं कि आप इन राज्य कर्मचारियों की केन्द्र के समान डी0ए0 में पैरिटी दें। और जो चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं, जो नये-नये टैक्सेज लगा रहे हैं, बसेज का किराया बढ़ा रहे हैं, बिजली का रेट बढ़ा रहे हैं, यह सारा का सारा बोझ इन कर्मचारियों के ऊपर पड़ता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं समझता हूं कि आपके लिये सदन की भावनाओं का आदर करना मुश्किल होगा।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल) —

श्रीमन्, आज की चर्चा में माननीय नेता विरोधी दल ने कुछ मौलिक प्रश्न नीति के सम्बन्ध में उठाये हैं और अफसोस है कि सरकार की ओर से बजाय इन मौलिक प्रश्नों के कुछ उत्तर आते, जो उत्तर उधर से आये हैं, बड़ी ढील आयी है। पहला प्रश्न यह है कि जब आप कोई अन्तरिम सहायता देते हैं तो किन तथ्यों के आधार पर आप देते हैं ? दूसरा प्रश्न यह है कि सरकार की ओर से या शासक दल की ओर से कौनसी ऐसी नीति है जिस आधार पर वे मूल्यों पर नियंत्रण करना चाहते हैं। एक ओर आप सहायता के रूप में कुछ देते हैं और दूसरी ओर से वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। जो सहायता आप देते हैं वे बेकार हो जाती हैं। मैं कतई अपेक्षा नहीं करता कि आप समाजवाद लायें लेकिन मैं उन तथ्यों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जिन तथ्यों को आपकी सरकार और आपका दल स्वयं स्वीकार कर चुका है। आपकी सरकार ने केन्द्र के अन्दर मोनोपोली कमीशन बैठाया वह सरकार के सामने है। साफ-साफ कहा गया कि देश के अन्दर जो 2-3 दौलत है, वह केवल 75 खानदानों के हाथ में बंट गयी। ये खानदान जो हमारे देश में मूल्य पाइप लाइन हैं, वह क्या होगी। अगर आप मूल्यों का नियंत्रण करना चाहते हैं, तो आपके सामने कोई चारा नहीं है कि आप इन इजारेदारों के खानदानों की इजारेदारी को खत्म किया जाय। आप कहते हैं लेकिन करते नहीं है। माननीय नेता विरोधी दल ने सही कहा। आप समाजवाद की बात अगर करते हैं तो इस इजारेदारी को खत्म करना है लेकिन व्यवहार में आप क्या करते है आप इम्पोर्ट के लाइसेंस उन्हीं को देते हैं। अगर आपको हिम्मत इस इजारेदारी को खत्म करने की नहीं है तो आप मूल्यों पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। इसलिये जो माननीय राम गोपाल संड जो ने कहा, उससे मैं सहमत हूं कि जब वे लीविंग वेज के लिये संघर्ष करते हैं, उन्हें लिविंग वेज ही नहीं बल्कि नीड बैस्ड मिनिमम वेज के अनुसार उनको वेतन मिलता चाहिये और इसके लिए जो भी वे आन्दोलन करेंगे हम विरोधी दलों के लोगों से कहेंगे कि उनके आन्दोलनों का समर्थन किया जाय। अगर ऐसे आन्दोलन होंगे, तो सरकार को मजबूर होना पड़ेगा अपनी नीतियों पुनर्निर्धारित करने के लिए।

श्री कल्पनाथ सिंह—

जब इस तरह की सरकार की नीति होगी तो क्या आप विरोधी दलों के साथ रहेंगे ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

अवश्य, अवश्य। सरकार से उन मौलिक नीतियों के बारे में जिनसे कीमतों का नियंत्रण होता है जब तक विचार नहीं करेगी, कोई भला नहीं होने वाला है। जब तक इस प्रदेश के अन्दर ही नहीं बल्कि सारे देश के अन्दर जन आन्दोलन नहीं उभरेगा, कुछ होने वाला नहीं है। माननीय तिवारी जी ने कहा कि जो पे कमीशन की रिपोर्ट है उसके आधार पर हमनें अंतरिम सहायता दे दी है। आखिर कौन से सिद्धांत हैं कि जो आदमी 1 हजार रुपया वेतन पा रहा है, उसको आप 25 रुपया दे रहे हैं और जो छोटे कर्मचारी हैं, उनको केवल आप 10 रुपया दे रहे हैं ? जो आटा 1000 रुपया पाने वाले कर्मचारी खाते हैं वही हमारे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी खाते हैं। वही चीनी जो 3 रुपये के भाव पर हमारे बड़े-बड़े कर्मचारी मोल लेते हैं, वही भाव पर हमारे छोटे कर्मचारी भी लेते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अगर वाकई आप इस बात का प्रण करते हैं कि आप एक नया चिन्तन इस देश के अन्दर लाना चाहते हैं, नई नीति इस देश के अन्दर लाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि यह काम जो आपने उठाया है वह उस नये चिन्तन का सबूत नहीं होता है। बल्कि यह क्या सिद्धान्त है। पहले ही प्रदेश की जनता आपसे क्या अपेक्षा करती थी, हमारे कर्मचारिवर्ग आपसे क्या अपेक्षा करते थे। हमारे देश की जनता उम्मीद करती थी कि आप भी नई नीतियों के बारे में जिनके बारे में देश की जनता ने आपको समर्थन दिया, आप उन नीतियों पर चलेंगे। लेकिन अफसोस होता है, कि आप ने बजाय उन नीतियों के चलने के उसी पुरानी परम्परा को कायम किया। आपने बजाय एक अच्छी परम्परा के आपने लगातार पिछले पच्चीस सालों से जिस पर चलते हैं तो आप कैसे समझायेंगे कर्मचारियों को कि सरकार एक नई दिशा की ओर जा रही है, समाजवाद की ओर जा रही है जिसको आप दस रुपये देते हैं। जब वह कर्मचारी देखता है कि एक हजार रुपये पाने वाले को पच्चीस रुपये मिलते हैं वह कभी नहीं समझ सकता है उसके दिल के अन्दर वह चीज नहीं बैठ सकती कि आपकी सरकार एक नई दिशा की ओर जा रही है। नये चिन्तन की ओर जा रही है। मान्यवर, यहां पर प्रश्न किया गया कि असमानता की बात कहते हैं। ठीक है। समस्या है हालांकि जनता मांग करती है। आपके पास उतने साधन नहीं है जितने साधन कि केन्द्रीय सरकार के पास थे। आप दलील दे सकते हैं लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इसी प्रदेश के कर्मचारियों के अ दर ही भेदभाव कर रहे हैं। इस दस रुपये आप दे रहे हैं क्योंकि जो सरकारी नौकरियों में हैं जो ैर सरकारी नौकरियों में हैं जो स्कूलों के अन्दर हैं जो स्थानीय निकायें के अन्दर हैं उनको केवल आप आठ रुपये ही दे रहे हैं। आपका क्या आधार है? यदि आप सिद्धान्ततः इस बात को स्वीकार करते हैं कि समान काम के लिये समान वेतन मिलना चाहिये तो उनको भी इस प्रदेश के अन्दर उस सिद्धान्त के ल.गू करने में आपको कौन सी दिक्कत पड़ रही है? और जाहिर है कि इसीलिये माननीय तिवारी जी का ध्यान मैं इस ओर दिलाना चाहता हूं कि यह इस बात का सुबूत है कि आप नये चिन्तन की ओर नहीं जा रहे हैं। हकीकत यह है कि आप एक नया चिन्तन करते हैं नई दिशा की बात करते हैं लेकिन पुरानी लकीरों और पुरानी मान्यतायें जो हैं, उन्हीं पर आप कायम हैं। मान्यवर, पे कमीशन की बात कही गई। यह सही है कि मान्यवर पे कमीशन में अग राजनैतिक लोगों को लाये हैं तो मैं उसका स्वागत करता हूं। आपकी नीतियों का यदि समाजव द से सम्बन्ध है तो हाई कोर्ट का एक रिटायर्ड जज इसके सम्बन्ध में निर्णय नहीं ले सकता है। हमको उम्मीद थी कि अली जहीर जी नई कांग्रेस में हैं जो नये सिद्धांन्तों की बात करते हैं वे भी आज बैठकर इस तरह की बातें करते हैं। मैं तिवारी जी से निवेदन करूंगा कि कृपा करके आने वाले जमाने में इस पे कमीशन के साथ कर्मचारियों के नुमाइन्दों को भी शामिल करें ताकि वे अपनी दिक्कतें पे कमीशन के सामने पेश कर सकें।

*श्री रूप नाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, अभी जो प्रश्न माननीय नेता विरोधी दल ने उठाया है उस प्रश्न को माननीय वित्त मंत्री नेउसको टाल दिया और उस पहलू पर जबाब न देकर एक दूसरे पे कमीशन का आधार लेकर सारे सैद्धांतिक प्रश्न ही हटा दिये। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि शायद हिन्दुस्तान ही एक ऐसा देश है दुनिया में जहां अमीर और गरीब का एक मारक अन्तर है और 22–24 सालों के अन्दर जब कि माननीय वित्त मंत्री की ही सरकार केन्द्र और समस्त राज्यों में रही है अमीर-अमीर हो गया और गरीब गरीब हो गया। छोटे कर्मचारी हों, या छोटे किसान हों, या छोटा व्यापारी हो या छोटा दूकानदार हो यह जो मारक अन्तर है इस तरफ आपने कोई नीति अपनाई। केन्द्र में या और राज्यों में जहां कि आप की ही सरकार देश भर में है। एक ही पार्टी की सरकार है। वहां आप देखें। जहां यहां की गरीब जनता तीन आने प्रतिदिन पर गुजर कर सकती है और प्रधान मंत्री का चालीस हजार प्रतिदिन का है। सबसे मूल सिद्धांत जो माननीय वित्त मंत्री को पूरा करना है वह यह है कि मैं आपको साधन बता रहा हूं वह आपको

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रूपनाथ सिंह यादव]

वहां से मिलेगा । आप खर्चे पर सीमा बांध दें कि पन्द्रह सौ रुपये से अधिक खर्चा न करें । आप जब तक खर्चे की सीमा नहीं बांधेंगे तब तक आप समस्या का हल नहीं कर पायेंगे । चाहे केन्द्र का प्रधान मंत्री हो या यहां के मुख्य मंत्री हों उनकी सीमा हो कि पन्द्रह सौ रुपये से अन्तर्गत खर्चा नहीं कर पायेंगे । और इस तरह से आय और खर्चे पर सीमा बांधें तभी, मान्यवर इस मंहगाई, पर नियंत्रण कर पायेंगे । नहीं तो जैसा कहा है कि यह सरकार समाजवादी नहीं, प्रचारवादी है । जब प्रचार करने का मौका आयेगा तो अंतरिम सहायता घोषित कर देंगे । पे कमीशन की बात कही । उसकी सिफारिशें आयी थीं, तो उनको मद्देनजर रखते हुए आप कहते कि हम छोटे कर्मचारी को ज्यादा दे रहे हैं । लेकिन आपने ऐसा नहीं किया । उनकी तनख्वाह भी कम है और भत्ता भी कम है । इसमें मंत्री परिषद ने कौन सी खूबी दिखायी । खूबी तो तब होती जब आप छोटे वर्ग को उठाने के लिए कुछ करते, उन्हें ज्यादा देते । लेकिन सरकार की नीति तो हमेशा बड़ों को सहारा देना ही रहा है ।

आप तो बिड़ला पति को सहारा देते हैं । आपकी नीति है कि लाखपति करोड़ पति हो जाय और करोड़पति अरबपति हो जाय । हमारे डा० राममनोहर लोहिया ने जो नीति बतायी थी उसको न यहां मानते हैं न वहां मानते हैं । जब यहां रहते हैं तो असली समाजवादी रहते हैं और जब वहां चले जाते हैं तो नकली समाजवादी हो जाते हैं । मान्यवर, समय कम है लेकिन एक उदाहरण भगवान बुद्ध की कथा के आधार पर दूंगा जिसमें हुबहू मेरी दिल की भावनाएं उभरती हैं, परन्तु मैं क्या-क्या करता ! व्यक्ति के किये क्या होगा ? मैंने इस अनुभव से यह निदान पाया कि जब तक सामाजिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन नहीं होगा, तब तक जन-जन के कल्याण की बातें कोरी बातें और कोरी कहानियां बन कर रह जायंगी । प्रचार जितना है, काम उतना नहीं है । जनता को खुल कर धोखा दिया जा रहा है, हमने तुम्हारे लिए ऐसी ऐसी योजनायें बनायी हैं, यह किया है, वह किया है । किन्तु कुछ किया होता तो वह सब न होता, जो नजर आ रहा है । और जो नजर आ रहा है वह अत्यन्त भयंकर और कुत्सित है । वह इस समाज को या तो तलातल में ले जायेंगे या उलट देगा । हो सकता है, एक, दो, दस सदियां गुजरें, मनुष्य नींद लेता रहा परन्तु रात स्वयं इस बात की गवाही दे रही है कि भोर का उदय होगा । इसलिये मेरा मन मुझे कहता रहा है कि राष्ट्रों के जीवन में दो, पांच, पच्चीस शताब्दियों की कोई गिनती नहीं । समाज के स्वामी जिस ऐश्वर्य का संग्रह कर रहे हैं वही उनके विनाश का अग्रदूत बनेगा । जिस धन कंचन को लेकर ये श्रेष्ठीजन अर्थ पिशाच बन गये हैं, उसी अर्थ के आधार पर क्रांति होगी । और वह सबको सब में बराबर बांट देगी । इसलिये मान्यवर, वह दिन दूर नहीं कि अगर समस्या हल नहीं करेंगे तो इस देश में खूनी क्रान्ति हो जायगी और इसका उत्तरदायित्व सरकार का होगा, मंत्री जी का होगा । इसलिये इस बढ़ती हुई मंहगाई की समस्या को हल कर देना जरूरी है ।

श्री चरण सिंह---

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि माननीय तिवारी जी के भाषण से मुझको भी और मैं समझता हूं कि मेरे सभी साथियों को निराशा हुई है । मैं तो उम्मीद करता था कि माना उन पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं और पाबन्दियां हैं कैबिनट का मेम्बर होने के नाते लेकिन फिर भी कुछ सफाई से बात कर सकते थे लेकिन नहीं की ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

सफाई तो दिखाई कि सब साफ कर गये ।

श्री चरण सिंह---

उनकी एक दलील यह कि चरण सिंह तो पे कमीशन के एप्वाइन्टमेंट के खिलाफ थे। बात ठीक है । मैं जरूरी नहीं समझता । पिछले मार्च में बैठा और अप्रैल में आपकी गवर्नमेंट आ गयी । अब 9 महीने हो गये क्या जरूरत थी नो महीने लेने की । जिनको जरूरत थी भत्ते की तो एक नोट वित्त सचिव से मंगा लेते और एक दिन में फैसला हो जाता । क्या जरूरत

है कमीशन की । कौन सी टैक्निकल बात है जो कि फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट या फाइनेन्स सेक्रेटरी नहीं जानता या आप नहीं जानते ? बात को टालना चाहते हैं और पे कमीशन मुकर्रर कर दिया यह तो पुराना तरीका है ही । अकबर एक कवि हुए है बड़े नेशनलिस्ट । उन्होंने कहा कि जिस चीज को टालना हो कमेटी बिठा दो । वही काम आप कर रहे हैं । आपने यह रेवोल्यूशनरी काम किया शायद ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

अल्ट्रा माडर्न ।

श्री चरण सिंह—

जी हां । मैं इसके खिलाफ था लेकिन आपने यह काम किया । हमने कौन सा पाप किया अगर हमने उसकी रेकमेन्डेशन मान ली, यह आप कहते हैं । उसकी रेकमेन्डेशन मानना जरूरी कहां है ? कमीशन रेकमेन्डेशन करता है या डिसीजन करता है । मैं कहता हूं आपने पाप किया है जो उसकी रेकमेन्डेशन मानी । क्या आपके बुनियादी उसूल बदल जायेंगे अगर कमीशन की रेकमेन्डेशन आ जाय ? आपकी पार्टी सोशलिज्म की बात करती है ? मैं फिर कहता हूं कि सोशलिज्म का एक इनग्रेडियन्ट यह है कि इनकम म डिस्परिटीज कम हों । अगर उसके खिलाफ कोई कमीशन रेकमेन्डेशन देता है तो क्या उसको मान लेना चाहिये ? फिर आप गवर्नमेंट आफ इंडिया के डिसीजन की बात करते हैं । तो फिर कमीशन की क्या जरूरत थी । जो वह कहते कर लेते । फिर आप कहते हैं कि इतना रुपया इसका बढ़ गया, इतना उसका बढ़ गया । यह सवाल नहीं है । सवाल तो यह है कि सब से कम तनख्वाह पाने वाले लोगों को सबसे ज्यादा भत्ता देना चाहिये था । किया आपने उल्टा । और फिर कहीं कोई लिमिट होती 4 सौ, 5 सौ, 6 सौ की तो भी कोई बात थी । फिर आपने कहा कि चरणसिंह साहब तो अपोज्ड ही हैं । यह क्या पोजीशन हुई । आपने बढ़ाया मैं आपके वसूल की कसौटी पर आपके निर्णय को कस रहा था । मान लो मैं विरोध में हूं तो क्या इसका मतलब यह हो गया कि आप अपने उसूलों को भूल जायं, आप अपनी नाक कटवा लें ?

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आपका ख्याल है कि इनके नाक है ? (हंसी)

श्री चरण सिंह—

दूसरा जो प्वाइंट मैंने कहा था वह यह कि आप एक उसूल बतलाते कि इतनी नेशनल इन्कम बढ़ी उसके हिसाब से इसको भी बढ़ाया है । क्या इसके अलावा कोई और वसूल हो सकता है ? या जितनी नेशनल इन्कम बढ़े उससे पांच गुना बढ़े । यह आप प्रोपेगैन्डा का प्वाइन्ट करना चाहते थे कि अखबारों में यह चीज छपे और राज्य कर्मचारी उससे नाखुश हो जायें कि ऐसे दकियानूसी आदमी से वास्ता पड़ गया ।

पता नहीं मेरे माननीय मित्र यकीन करेंगे या नहीं, मुझको एक साहब ने बताया कि कैबिनट की मीटिंग हो रही है इसमें अपने डेसीजन को बदल रहे हैं, छोटे कर्मचारियों को ज्यादा देंगे, जो मैं कह रहा था और बड़ों को कम मैंने उस कर्मचारी से कहा कि यह कैसे हो सकता है ? बैल कैसे ब्या जायेगा ? (हंसी) उन्होंने कहा नहीं साहब, खबर है । त्रिपाठी जी को और दूसरे मिनिस्टरों की जब मैंने यहां नहीं देखा तो समझा कि कैबिनेट की मीटिंग हो रही होगी डेसीजन ले कर त्रिपाठी जी यहां आ कर सुनाने वाले हैं । मैंने तो सुना था कि कल जो प्रदर्शन हुआ उसको देखते हुये शायद उनको खयाल आ गया हो कि वाकई हम अपने सिद्धान्त के विरोध में चले गये क्योंकि जो व्यक्ति अपनी गलती मान लेता है वह रिट्रेस कर लेता है अपने स्टेप को । अगर वाकई गलती हुई है उनसे तो उनको यह मान लेना चाहिये । लेकिन मेरा यह उम्मीद करना कि वह अपनी भूल मान लेंगे मेरी आशा

[श्री चरण सिंह]

के प्रतिकूल है। मैं तो उनको यह सुझाव देना चाहता हूं कि आज नहीं, कल और कल नहीं तो 10 दिन बाद वह अपने इस डिसीजन को रिवाइज कर लें। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि मेरा कोई भी साथी इस बात का उलाहना उन्हें नहीं देगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, मुझे बड़ा दुख है कि हमारे सम्मानित नेता जनसंघ और सोशलिस्ट दल हैं, उन्होंने जो विचार व्यक्त किये वह व्यवहारिकता से बिलकुल परे हैं। माननीय विरोधी दल के नेता ने जो आंकड़े दिये हैं मान्यवर, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है वह उनके पुराने विचारों पर आधारित थे और उसी पृष्ठिभूमि में बड़े साहस के साथ उन्होंने अपनी राय व्यक्त की है जैसा कि वह हमेशा से करते आये हैं, उनका भी साहस डगमगा गया। वह आंकड़े मान्यवर यह हैं कि 109 रु० पाने वाले कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता, इन्टरिम रिलीफ मिला कर ७३ रु० मिल रहा है और 1,250 रु० जो तनख्वाह पाते हैं उन्हें केवल 25 रु० मिल रहा है। यानी मान्यवर, 3 गुना डी०ए० उनको डी०ए० और अन्तरिम सहायता अधिक मिल रही है। जो सबसे छोटा कर्मचारी है वह आज 73 रु0 पा रहा है। तो यह कहना कि पे-कमीशन ने सिफारिश करते समय इन सिफारिशों को अपने सामने नहीं रखा, यह गलत होगा। श्रीमन्, माननीय सदस्य देहरादून ने आंकड़े दिये वह केवल राजस्व के आंकड़े थे। शायद उनको यह पता नहीं कि पूंजी और राजस्व के आंकड़े मिलाकर यह सरकार वर्षों से घाटे का बजट पेश करती आ रही है और पिछले कई वर्षों में हमने अपनी सिक्योरिटी भुना कर अपनी योजनाओं को चलाया है। तो उन्होंने केवल राजस्व के आंकड़े देखे, लेकिन उन्होंने पूंजी का व्यय नहीं देखा.....

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

मैंने तो केवल यह कहा कि आप अपना खर्चा सीमित रखिये।.....

श्री नारायण दत्त तिवारी—

माननीय सदस्य, इलाहाबाद ने पेरिटी की बात कही। मैं तो उनसे यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार का यह निश्चित मत है कि केन्द्र और प्रान्तों के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता एक होना चाहिये और इसकी घोषणा उनकी राय के पहले ही हम कर चुके हैं.....

एक सदस्य—

वह होगा कब.....

श्री नारायण दत्त तिवारी—

आपका सहयोग होगा जब।

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मान्यवर, हम तो दोनों हाथ उठाकर आपको सहयोग दे रहे हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, जो सहयोग की बात कर रहे हैं तो अगर पे कमीशन रिपोर्ट देता और कर्मचारियों की मांग पूरा करने के लिये और वेतन आयोग की सिफारिश को पूरा करने के लिये अगर हमें 30–40 करोड़ रुपये की रकम की जरूरत होगी तो क्या उस संसाधन को जुटाने के लिये यह लोग तैयार हैं, मदद देने के लिये।

श्री बंशीधर पांडेय—

मान्यवर, भारत सरकार और प्रदेशीय सरकार का यह प्रयास रहा है। लेकिन एक बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो मन्नार कमेटी की रिपोर्ट है उसके अनुसार आपकी केन्द्रीय सरकार तैयार है काम करने को।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं यह कह रहा हूं कि दो तरीके हैं केन्द्र और प्रान्त के महंगाई भत्ता को एक करने के। एक तो तरीका यह है कि यह सदन हमको उतने संसाधन महइय्या करे जिससे हम भारत सरकार दे या न दे हम अपने साधनों से व्यय को पूरा कर सकें।

श्री कल्पनाथ सिंह—

हमें मंत्री महोदय से मान्यवर, यह जानने दीजिये कि वह क्या करने जा रहे हैं इस असमानता को दूर करने के लिये।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जिस प्रकार से आपने कल्पनालोक में विचरण किया मुझे वास्तविकता के लोक में आने दीजिये। मैं यह निवेदन कर रहा था कि हम ने भारत सरकार से कहा है .....

श्री कल्पनाथ सिंह—

मान्यवर, अगर सरकारी कर्मचारियों के वेतन में असमानता को दूर करने के लिये तैयार नहीं है तो हम मजबूर हैं कि हम उनका भाषण न सुनें या वह हमको कहें कि हम घोषणा करेंगे। हम भाषण सुनने के लिये तैयार नहीं हैं। वह यह कहें कि हम असमानता दूर करने के लिये तैयार हैं वरना मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री कल्पनाथ सिंह ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, इनको घर जाने की जल्दी है। मैं तो यह निवेदन कर रहा था कि नेशनल पे कमीशन बनाया जाय।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मान्यवर, यह तो भाषण दे रहे हैं। अतः हम लोग भी सदन त्याग करते हैं।

(श्री नित्यानन्द स्वामी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

अगर आप कुछ घोषणा करें तो हम बैठें वरना हम भी मान्यवर, आपकी आज्ञा से सदन त्याग करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप तो कह रहे थे कि हम बैठेंगे और आप जा रहे हैं।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, अब तो समय समाप्त हो गया।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

नेशनल पे कमीशन के लिये तो मान्यवर, हमारी सरकार पहले से ही इस राय की रही है। मुख्य मंत्री जी ने प्लानिंग कमीशन से भी आग्रह किया है कि केन्द्रीय सरकार अपने कमीशन को ऐसे कमीशन में बदले जो इस समय कार्य कर रहा है कि वह राज्य कर्मचारियों और स्थानीय निकाय के कर्मचारियों के लिये भी लागू हो, तो श्रीमन्, यह राज्य सरकार का दृष्टिकोण रहा है।

अब श्रीमन, इस समय इतनी कठिनाइयों के होते हुये, सीमित संसाधनों के होते हुये हमारे पे कमीशन की जो सिफारिश है, उसको हम ने अक्षरशः स्वीकार किया और आशा है कि छः

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

महीने के बाद पे कमीशन की जब रिपोर्ट आयेगी कि कर्मचारियों का वेतन और महंगाई भत्ता के सम्बन्ध में साधन जितने बढ़ेंगे, विरोधी दल के नेता इसको बतायेंगे, नेता जनसंघ दल के इनको बतायें कि अगर हम वृद्धि करें तो उसका सिद्धान्त क्या हो ?

मान्यवर, यहां पर यह कहा गया कि यह जो कमीशन बैठा है वह पोलिटिकल कमीशन है। श्रीमन, इस समय जो कमीशन बना है उसमें रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज के साथ-साथ उसमें चारों जो गैरसरकारी सदस्य थे वह सब पोलिटिकल लीडर्स थे। सब अलग-अलग पार्टियों के नेता थे। श्रीमन्, इसमें श्रमिकों के भी प्रतिनिधि थे। यह पोलिटिकल कमीशन नहीं था। इसमें शिक्षा विधि हैं, वाइस चांसलर हैं, इकोनोमिस्ट हैं, ट्रेड यूनियनिस्ट भी हैं विधान सभा और विधान परिषद् के सदस्य भी हैं और मा० अली जहीर जी जो इस कमीशन में काम कर रहे हैं उनकी निष्पक्षता और अनुभव पर सदन में किसी को सन्देह नहीं है। हम उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे आशा है कि हमारे प्रदेश के जो कर्मचारी हैं उनका इसमें बराबर सहयोग रहा है और उन्होंने जो आन्दोलन की बात कही है मुझे विश्वास है उनमें धैर्य और क्षमता है। श्रीमन्, कर्मचारियों का पूरा सौहार्द प्राप्त करने की हमने पूरी चेष्टा की है और भविष्य में भी हमारी यह चेष्टा जारी रहेगी।

मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं यह आग्रह करूंगा कि पे कमीशन की रिपोर्ट का इन्तजार किया जाया।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम कल सबेरे 11 बजे तक के लिये उठते हैं।

(इसके बाद सदन 8 बज कर 10 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
18 जनवरी, 1972।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम 29(4) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1296 पर]

विवरण तालिका

क्रमांक	जिला का नाम	सेवा से निकाले गये अमीनों की संख्या			सेवा से निकाले गये चपरासियों की संख्या		
		कुल संख्या	अनुसूचित जाति की संख्या	पिछड़े वर्ग की संख्या	कुल संख्या	अनुसूचित जाति की संख्या	पिछड़े वर्ग की संख्या
1—आजमगढ़	..	43	5	21	43	8	23
2—देवरिया	..	88	14	30	87	14	56
3—गोरखपुर	..	72	9	—	72	10	—
4—बस्ती	..	180	34	32	180	48	34
	योग ..	383	62	83	382	80	113

नत्थी 'ख'

[देखिए नियम 38 (2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न 7 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1302 पर]

जिला परिषद्, प्रतापगढ़ में क्रय किये गये सामानों की सूची जो 1969–70 में टेंडर द्वारा प्राप्त हुआ ।

क्रमांक	नाम सामान	सामानों की संख्या	कीमात सामान	नाम फर्म जहां से सामान लिया गया	परिषद् की स्टाक बुक में जमा की तिथि
1	2	3	4	5	6
			रु0 पै0		दिनांक
1	कुर्सी शीशम	70	1,295.00	राकेश काष्ठकला संस्थान सदर बाजार, प्रतापगढ़	31–3–70
2	मेज	50	1,250.00	आबित अली ठेकेदार, प्रतापगढ़ ..	31–3–70
3	श्यामपट ..	200	3,200.00	तदेव	31–3–70
4	लोटा पीतल ..	300	4,125.00	तदेव	31–3–70
5	नक्शा भारत ..	437	1,461.00	कुमार ट्रेडर्स, प्रतापगढ़	15–5–70
	नक्शा उत्तर प्रदेश ..	500	3,352.00	विपिन एजूकेशनल स्टोर्स, गाजियाबाद ..	31–3–70
	नक्शा एशिया ..	480	1,440.00	कुमार ट्रेडर्स, प्रतापगढ़	.. ..
6	रजिस्टर हाजिरी ..	300	870.00	नवीन प्रकाश, सहारनपुर	15–5–70
		3,601	8,282.30	तदेव	16–3–70
	रजिस्टर प्रवेश ..	819	1,883,.70	नवीन प्रकाशन, सहारनपुर	17–3–70
		300	870.00	तदेव	15–5–70
	रजिस्टर स्टाक ..	304	699.20	तदेव	17–3–70
		300	825.00	तदेव	15–5–70
	रजिस्टर प्रवेश फार्म, शुरू	100	198.00	तदेव	15–5–70
		2098	2,937.20	तदेव	17–3–70
7	टाट पट्टी ..	50,000	57,950.00	विपिन एजूकेशनल स्टोर्स, गाजियाबाद ..	31–3–70
		1944	22,530.96	तदेव	21–1–71

9 कुदाल	300	2,430.00	नवीन प्रकाशन, सहारनपुर ..	..	31-3-70
10 तसला	500	1,375.00	हफीजुल रहमान ठेकेदार, प्रतापगढ़	..	31-3-70
11 कैंची	500	1,000.00	कुमार ट्रेडर्स, प्रतापगढ़ ..	..	15-5-70
12 हथौड़ी	500	1,750.00	तदेव ..	..	15-5-70
13 फ्लास्क	500	1,000.00	तदेव ..	..	15-5-70
14 फनल कांच	500	490.00	कमतसला सप्लाई, सुल्तानपुर	..	31-3-70
15 वर्षामापक	500	4,250.00	तदेव ..	..	31-3-70
16 स्प्रिट लैंप	500	875.00	तदेव ..	..	31-3-70
17 गैसजार	500	1,000.00	कुमार ट्रेडर्स, प्रतापगढ़ ..	..	15-5-70
18 हृदय फेफड़ामाडल ..	100	1,350.00	नवीन प्रकाशन, सहारनपुर ..	..	31-3-70
..	200	2,700.00	तदेव ..	..	15-5-70
19 बीकर	500	1,000.00	कुमार ट्रेडर्स, प्रतापगढ़ ..	..	15-5-70
20 कांचकी छड़	100 पौंड	345.00	कमतसला कार्पोरेशन, सुल्तानपुर	..	31-3-70
21 ताला पीतल ..	600	3,300.00	कुमार ट्रेडर्स, पल्टनबाजार, प्रतापगढ़	..	15-5-70
22 बाल्टी ..	500	2,795.00	आबिद अली ठेकेदार, प्रतापगढ़	..	31-3-70
23 हिन्दी वर्णमाला, चार्ट ..	100	248.00	विपिन एजुकेशनल स्टोर, गाजियाबाद	..	31-3-70
..	700	1,736.00	तदेव ..	..	12-1-71
24 पशु चार्ट	550	1,423.00	तदेव ..	..	12-1-71
25 पक्षी चार्ट ..	550	1,423.00	तदेव ..	..	21-1-71
26 गांधी शिक्षा ..	1,500	6,750.00	शिक्षा प्रकाशन, दिल्ली ..	..	21-1-71
27 टेस्ट ट्यूब छोटा ..	11 ग्रुस	375.00	कमतसला कार्पोरेशन, सुल्तानपुर	..	31-3-70
28 टेस्ट ट्यूब बड़ा	50 ग्रुस	525.00	तदेव ..	..	31-3-70
29 तिपाई स्टैंड ..	500	400.00	तदेव ..	..	31-3-70
योग		1,51,709·36			

जिला परिषद्, प्रतापगढ़ में क्रय किए हुए सामानों की सूची जो टेंडर द्वारा प्राप्त हुई

वर्ष 1970–71

क्रमांक	सामान जो स्वीकार किया गया	संख्या सामान	कीमत सामान रु० पैसे	नाम फर्म जहां से सामान लिया गया	परिषद् की स्टाक बुक में दर्ज करने की तिथि
1	2	3	4	5	6
			रु० पै०		
1	लोटा पीतल	614	8,220.00	श्री राधेराम मौर्य, ठेकेदार, प्रतापगढ़ ..	29–3–71
2	बाल्टी	600	3,342.00	तदेव	29–3–71
3	कुदाल	500	1,610.00	तदेव	29–3–71
4	ताला	500	3,450.00	यू० के० अग्रवाल, प्रतापगढ़	30–3–71
5	चाक स्टिक ..	1938 डिब्बा	969.00	तदेव	30–3–71
6	सफेद कागज	70 रिम	1,750.00	मीरा प्रिंटिंग प्रेस, प्रतापगढ़ ..	31–3–71
7	प्रवेश-पत्र बुक ..	500	450.00	तदेव	13–3–71
8	श्यामपट स्टैंड सहित ..	500	9,750.00	बालोपयोगी महिला प्रकाशन, इलाहाबाद ..	31–3–71
9	अध्यापक डायरी ..	3994	5,991.00	तदेव	31–3–71
10	घंटा (लोहा) ..	153	903.00	श्री राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल, प्रतापगढ़ ..	31–3–71
11	खुर्पी	1668	1,251.00	श्री यू० के० अग्रवाल, प्रतापगढ़ ..	31–3–71
12	टी सी० बुक	500	990.00	यू० के० अग्रवाल, प्रतापगढ़	19–3–71
13	डस्टर	1000	870.00	मीरा प्रिंटिंग प्रेस, प्रतापगढ़	19–5–71
14	उपस्थिति रजिस्टर ..	500	1,495.00	नवीन प्रकाशन, सहारनपुर	19–5–71
15	हजारे	482	3,431.84	तदेव	19–5–71
16	फावड़े	499	1,946.10	तदेव	29–5–71
17	टाट-पट्टी	3962	38,604.93	विपिन एजूकेशनल स्टोर, गाजियाबाद ..	19–5–71
	योग ..		85,023.87		

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न 6 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1308 पर)

उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ की सदस्य समितियां

लखनऊ

1—सिंगार कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, लि०, लखनऊ ।
2—श्री गणेश सहकारी गृह निर्माण समिति लि०, लखनऊ ।
3—इवाक्यु को० हा० सो० लि०, लखनऊ ।
4—रामापुरम कोआ० हा० सो० लि०, लखनऊ ।
5—विद्यामंदिर कोआपरेटिव हा० सो० लि०, लखनऊ ।
6—आलोक कोआपरेटिव हाउसिंग सो० लि०, लखनऊ ।
7—नेहरू को० हा० सो० लि०, लखनऊ ।
8—यू० पी० बैंक इम्पलाइज को० हा० सो०, लखनऊ ।
9—जयहिन्द को० हा० सो० लि०, लखनऊ ।
10—सुनहरा कोआपरेटिव हाउसिंग सो० लि०, लखनऊ ।
11—खुर्शेदाग को० हा० सो० लि०, लखनऊ ।
12—जन-कल्याण सहकारी गृह नि० स० लखनऊ ।
13—आर० एम० एस० को० हा० सो०, लखनऊ ।
14—यूनाइटेड आफिशियल्स को० हा० सो०, लखनऊ ।
15—मधुबन को० हा० सो० लि०, लखनऊ ।
16—दि न्यू शंकर को० हा० सो० लि०, लखनऊ ।
17—त्रिवेनीनगर सहकारी गृह निर्माण समिति लि०, लखनऊ ।
18—लक्ष्मणपुरी को० हा० सो० लि०, लखनऊ ।
19—कल्पना को० हा० सो० लि०, लखनऊ ।
20—आजाद सहकारी गृह निर्माण समिति, लखनऊ ।
21—सचिवालय को० हा० सो० लि०, लखनऊ ।
22—एफ० एस० एल० (सी० आई० डी०) को० हा० सो०, लखनऊ ।
23—आदर्श गृह निर्माण सहकारी समिति लि०, लखनऊ ।
24—अल्पवेतन सहकारी गृह निर्माण समिति, लखनऊ ।
25—इंजीनियर्स को० हा० सो० लि० लखनऊ ।
26—हुसेनाबाद को० हा० सो० लि०, लखनऊ ।

उन्नाव

1—सुमन सहकारी गृह निर्माण स० लि०, उन्नाव ।

लखीमपुर खीरी

1—दि म्युनिसिपल बोर्ड टीचर्स ऐण्ड आफिसियल्स को० हा० सो० लि०, लखीमपुर ।

इलाहाबाद

1—इलाहाबाद डेवलपमेंट को० हा० सो०, इलाहाबाद ।
2—आडिट कर्मचारी सह० आवास स० लि०, इलाहाबाद ।

कानपुर

1—रामनगर को० हा० सो० लि०, कानपुर ।
2—पी० डब्ल्यू० डी० को० हा० सो० लि०, कानपुर ।
3—फिरोज श्रमिक को० हा० सो० लि०, कानपुर ।
4—जनता सहकारी गृह निर्माण समिति लि०, कानपुर ।
5—चाणक्यपुरी को० हा० सो० लि०, कानपुर ।
6—आलोक सहकारी गृह निर्माण समिति, कानपुर ।
7—कानपुर, दयालबाग को० हा० सो० लि०, कानपुर ।
8—शास्त्री सहकारी गृह निर्माण समिति, ,, ।

इटावा

1—फ्रेन्ड्स को० हा० सो० लि०, इटावा ।

वाराणसी

1—जवाहर को० हा० सो० लि०, वाराणसी ।
2—गांधी गृह निर्माण समिति लि०, वाराणसी ।
3—श्रीराम सहकारी गृह निर्माण समिति, लि०, वाराणसी ।
4—सुदर्शन सहकारी गृह नि० समिति, वाराणसी ।

गाजीपुर

1—गाजीपुर सहकारी गृह नि० समिति, गाजीपुर ।

आगरा

1—इन्द्रपुरी को० हा० सो० लि०, आगरा ।
2—आफिसर्स को० हा० सो० लि०, आगरा ।
3—सैनिक को० हा० सो० लि० आगरा ।
4—शिवपुरी सहकारी गृ० नि० समिति, आगरा ।
5—जनता सहकारी गृह नि० समिति, आगरा ।
6—माध्यमिक शिक्षक को० हा० सो० लि०, आगरा ।
7—पांडवनगर सहकारी गृह नि० समिति, आगरा ।
8—शास्त्रीनगर सह० गृ० नि० समिति, आगरा ।
9—पुरुषोत्तम बाग को० हा० सो० लि०, आगरा ।
10—राहीनगर सह० गृ० नि० समिति, आगरा ।
11—सत्यनगर सह० गृह नि० समिति, आगरा ।
12—दयालनगर सह० गृ० नि० समिति, आगरा ।
13—सिन्धी सहकारी गृ० नि० समिति, आगरा ।

अलीगढ़

1—अलीगढ़ राज्य कर्मचारी सह० गृह नि० स०, अलीगढ़ ।
2—साकेत स० गृ० नि०, स० अलीगढ़ ।

मथुरा

1—कृष्णापुरी को० हा० सो० लि०, मथुरा ।

एटा

1—सुनहरीनगर सह० गृ० नि०, समिति, एटा ।
2—शान्तिनगर को० हा० सो०, एटा ।

बरेली

1—गवर्नमेन्ट आफिशियल हाउस बिल्डिग को० हा० सो०, बरेली ।

मुरादाबाद

1—जन-कल्याण सह० गृ० नि० समिति, मुरादाबाद ।

पीलीभीत

1—पीलीभीत को० हा० सो० लि०, पीलीभीत ।

रामपुर

1—रामपुर रिफ्यूजी को० हा० सो० लि०, रामपुर ।
2—रामपुर को० हा० सो० लि०, रामपुर ।

मेरठ

1—मेरठ को० हा० सो० लि०, मेरठ ।
2—दामोदर को० हा० सो० लि०, मेरठ ।
3—कल्याणनगर को० हा० सो० लि०, मेरठ ।
4—मेरठ ग्रामोद्योग सह० गृ० नि० समिति, मेरठ ।
5—राज्य कमचारी सह० गृ० नि० समिति, गाजियाबाद ।
6—शालीमार सह० गृह नि० समिति, गाजियाबाद ।

देहरादून

1—ऋषीकेश कोआ० सो० लि०, देहरादून ।

सहारनपुर

1—टीचर्स सह० गृ० नि० समिति लि०, सहारनपुर ।
2—फ्रेन्ड्स कालोनी सह० गृ० नि०, समिति, सहारनपुर ।
3—शारदानगर को० हा० सो० लि०, सहारनपुर ।
4—पेपर मिल इम्पलाइज को० हा० सो०, सहारनपुर ।
5—आदर्श गृह नि० समिति लि०, सहारनपुर ।

बहराइच

1—नानपारा सहकारी गृह नि० समिति लि०, बहराइच ।
2—डिगिहा सहकारी गृह नि० समिति लि०, ,, ।

झांसी

1—यू० पी० गवर्नमेंट मिनिस्ट्रियल आफिसियल्स को० हा० सो० लि०, झांसी ।

जालौन

1—सहकारी गृह निर्माण समिति लि०, जालौन ।

अल्मोड़ा

1—अल्मोड़ा को० हा० सो० लि०, अल्मोड़ा ।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न 9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1309 पर)

भौतिक प्रगति

अल्प सिंचाई कार्यक्रमों की प्रगति

कार्य-क्रमों का विवरण		वर्ष 1970–71 से 30 मार्च, 1971 तक की उपलब्धि		वर्ष 1971–72 से 30 नवम्बर, 1971 तक की उपलब्धि		योजना के प्रारम्भ से 30 नवम्बर, 1971 तक की उपलब्धि	
रायबरेली							
(1) कुयें रहट के साथ	..	153		81		234	
(2) रहट के साथ बोरिंग	..	47		7		54	
(3) पम्पिग सेट	..	46		44		90	
(4) ट्यूबवेल		296					
डीजल	..	370	233	332		702	
बिजली	..	74	99				
प्रतापगढ़							
(1) कुयें	..	204		113		317	
(2) पम्पिक सेट	..	54		30		84	
(3) ट्यूबवेल	..	347		171		518	
बदायूं							
(1) कुयें	..	202	393	576		969	
(2) रहट के साथ कुयें	..	191					
(3) पम्पिग सेट	..		90	65		155	
(4) ट्यूबवेल							
डीजल	..	32		51		83	
बिजली	..						
(5) रहट के साथ बोरिंग	..	—		155		155	
	..		85	118		203	
			35	54		89	
		81	167	135		364	

सीमान्त कृषक परियोजना में अल्प सिंचाई कार्य-क्रम

कार्यक्रमों का विवरण	30 नवम्बर, 1971 तक की उपलब्धि
मथुरा	
(1) कुयें	—
(2) ट्यूबवेल	3
(3) पम्पिग सेट	2
(4) रहट	—
बलिया	
(1) कुयें	—
(2) ट्यूबवेल	—
(3) पम्पिग सेट	—
(4) रहट	—

गौण–व्यवसाय

संलग्न क–२

विवरण	वष 1970–71 में 30 मार्च, 1971 तक की उपलब्धि	वर्ष 1971–72 मे 30 नवम्बर, 1971 तक की उपलब्धि	योजना के प्रारम्भ से 30 नवम्बर, 1971 तक की उपलब्धि
रायबरेली			
(1) दुधारू पशु ..	58	112	170
(2) मुर्गी पालग ..	1,461	724	2,185
(3) अनाज संग्रह ..	37	116	153
प्रतापगढ़			
(1) दुधारू पशु ..	253	3	256
(2) मुर्गी पालन ..	4,216	801	5,017
(3) अनाज संग्रह ..	200	57	257
बदायूं			
(1) दुधारू पशु ..	—	6	6
(2) मुर्गी पालन ..	—	—	—
(3) अनाज संग्रह ..	30	91	121

फतेहपुर			
(1) दुधारू पशु ..	30	97	127
(2) मुर्गी पालन ..	2,199	—	2,199
(3) अनाज संग्रह ..	297	43	340
मथुरा			
(1) दुधारू पशु ..	—	12	12
(2) मुर्गी पालन ..	—	—	—
बलिया			
(1) दुधारू पशु ..	—	—	—
(2) मुर्गी पालन ..	—	—	—
(3) भेड़ पालन ..	—	—	—
(4) सुअर पालन ..	—	—	—
(5) बकरी पालन ..	—	—	—

कृषि सेवा (कस्टम सर्विस)

विवरण	वर्ष 1970–71 की उपलब्धि	वर्ष 1971–72 में 30 नवम्बर, 1971 तक की उपलब्धि	योजना के प्रारम्भ से 30 नवम्बर, 1971 तक की उपलब्धि
	घन्टों में	घन्टों में	घन्टों में
रायबरेली			
(1) ट्रैक्टरों से जुताई ..	308	1,039	1,347
(2) थ्रेसिंग ..	—	40	40
(3) भूमि समतलीकरण ..	—	—	—
बदायूं			
(1) ट्रैक्टरों से जुताई ..	215	902	1,117
(2) थ्रेसिंग ..	—	—	—
(3) भूमि समतलीकरण ..	—	—	—
फतेहपुर			
(1) ट्रैक्टरों से जुताई ..	654.25	1,479.53	2,133.78
(2) थ्रेसिंग ..	—	38.20	38.20
(3) भूमि समतलीकरण ..	—	83.1	83.1
			2,254.99

प्रतापगढ़

(1) ट्रैक्टरों से जुताई ..	255 हे०	227.8 हे०	482.8 हे०
(2) भूमि समतलीकरण ..	46 हे०	19.6 हे०	65.6 हे०
(3) थ्रेसिंग ..	—	193.9 टन	193.9 टन

वित्तीय प्रगति

दीर्घकालीन ऋण जो अल्प सिंचाई कार्यक्रमों के लिये दिया जाता है, योजना के प्रारम्भ से 30 नवम्बर, 1971 तक कृषकों को बांटा गया ।

रु० में लाख

रायबरेली	प्रतापगढ़	बदायूं	फतेहपुर	मथुरा	बलिया
39.29	33.351	25.25	34.80	0.39800	0.10950

मध्य कालीन ऋण जो गौड़ व्यवसायों के लिये बांटा गया

6.79	16.153	3.60	11.25	0.22695	—

अल्प कालीन ऋण जो खाद और बीज के लिये बांटा गया

14.79	49.267	42.95	31.12	1.986	1.794

	कुल धन जो भारत सरकार से योजना के प्रारम्भ से 30 नवम्बर, 1971 तक प्राप्त हुआ ।	कुल व्यय जो नवम्बर, 1971 के अन्त तक किया गया ।
	रु० में लाख	रु० में लाख
(1) राय बरेली	29.26	6.562
(2) प्रतापगढ़	35.00	7.475
(3) बदायूं	31.03	3.726
(4) फतेहपुर	28.97	6.424
(5) मथुरा	13.90	0.47216
(6) बलिया	13.00	0.73594

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न 16 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1311पर)

सूची

श्री राम कृष्ण सचान जो इस समय जहानाबाद, जिला फतेहपुर पशु चिकित्सालय पर कार्यरत हैं और उनकी सेवाएं उक्त अवधि की है अर्थात् दिनांक 17–7–65 से कार्यरत हैं। इनको पूरा पारिश्रमिक तथा वार्षिक बढ़ोत्तरी (इन्क्रीमेन्ट) अब तक उपलब्ध नहीं हो रही है क्योंकि इनकी प्रथम नियुक्ति दिनांक 17–7–65 से रु० 200–15–350 के वेतन-क्रम में केन्द्रीय दुग्धशाला प्रक्षेत्र अलीगढ़ में ग्रोथ रिसपान्स स्कीम के अन्तर्गत अनुसंधान सहायक के पद पर हुई थी जिसका संशोधित वेतन-क्रम रु० 200–450 ही स्वीकृत हुआ था इससे श्री सचान का वेतन अन्य पशु चिकित्सकों की भांति रु० 225–500 के वेतन-क्रम में निर्धारित नहीं किया जा सका। श्री सचान के वेतन निर्धारित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 17 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1311 पर)

तालिका

सेक्शन का नाम	मुख्य लिपिक सहित लिपिकों की संख्या
1—नियुक्ति (अ) अनुभाग	9
2—नियुक्ति (ब) अनुभाग	12
3—नियुक्ति (स) अनुभाग	7
4—नियुक्ति 4(द) अनुभाग	16
5—बजट (अ) अनुभाग	14
6—बजट (ब) अनुभाग	8
7—लेखा अनुभाग	9
8—केन्द्रीय भण्डार अनुभाग	14
9—स्वास्थ्य अनुभाग	8
10—डिस्पेन्सरी अनुभाग	8
11—चिकित्सा अनुभाग	13
12—परिवहन अनुभाग	9
13—केन्द्रीय अनुभाग	12
14—निर्माण अनुभाग	8
15—सम्प्रेक्षा अनुभाग	15
16—पेन्शन अनुभाग	4
17—नियोजन अनुभाग	18
18—महिला अनुभाग	9
19—उपचारिका अनुभाग	15
20—औषधि नियंत्रण अनुभाग	8
21—संक्रामक रोग	12
22—चेचक उन्मूलन अनुभाग	11
23—चिकित्सा शिक्षा अनुभाग	9
24—जन्म-मृत्यु आंकड़े अनुभाग	7
25—सहायतार्थ अनुदान अनुभाग	4
26—राजयक्ष्मा प्रकोष्ट	2
27—केन्द्रीय पत्र प्रेषक	3
28—केन्द्रीय रजिस्ट्री	2
योग ..	266

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न 18 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1312 पर)

तालिका

जिला	कार्यालय	लिपिकों की संख्या
1—बस्ती	(1) जिला स्वास्थ्य अधिकारी ..	1
	(2) सिविल सर्जन ..	2
2—आजमगढ़	.. सिविल सर्जन ..	2
3—सुल्तानपुर	.. सिविल सर्जन	1
4—बहराइच	.. सिविल सर्जन	1
5—बाराबंकी	.. सिविल सर्जन	1
6—गोरखपुर	.. सिविल सर्जन	1
7—गोण्डा	.. सिविल सर्जन	1
	योग ..	10

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न 19 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1312 पर)

भूतपूर्व सिविल सर्जन, गोंडा के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का विवरण

शिकायतकर्त्ता का नाम	शिकायती पत्र में लगाये गये आरोप
श्री ईश्वर सरन, भूतपूर्व विधायक, गोंडा	1—बहुत चरित्र हीन व्यक्ति हैं। जितने आपरेशन जनाने अस्पताल में होते है इनको वह लेडी डाक्टर को न करने देने का आदेश देकर स्वयं करते हैं। 2—हर औरत को चाहे वह मरीज हो या स्टाफ की हो बुरी निगाह से हमेशा देखते हैं तथा ज्यादातर औरतों को देखने के लिये बंगले पर बुलाते हैं। 3—जब कभी कोई ऐसी लड़कियों का केस आता है जिसकी डाक्टरी लेडी डाक्टर को करनी चाहिये तो इनके मौखिक आदेश लेडी डाक्टर को हैं कि वह ऐसे केस खुद न करें और यदि करें तो उनके पास घर काउन्टर साइन के लिये भेजें। 4—बिना फीस लिये कोई भी मरीज जिला अस्पताल में भरती नहीं करते हैं।
श्रीमती बी० भट्टाचार्या, स्टाफ नर्स, डफरिन अस्पताल, गोंडा।	1—5 अक्तूबर, 1970 की शाम को सिविल सर्जन, गोंडा महिला अस्पताल में एक औरत का सिजोरियन करने आये थे। उनके आने पर ड्यूटी पर उपस्थित दाई और जमादारिन मेडिकल आफिसर इंचार्ज महोदया को बुलाने चली गयीं। सिविल सर्जन ने मुझे लेबर रूम में बुलाया। मैं दरवाजे पर रुक गई और उनके प्रश्नों का उत्तर देती रही। मैं खिड़की की ओर मुंह करके खड़ी थी और सिविल सर्जन उस समय खिड़की की ओर पीठ किये खड़े थे उन्होंने बात करते-करते अचानक मेरे सीने पर हाथ रख दिया। इस प्रकार के लज्जाजनक व्यवहार से मैं घबड़ा गयी और भय और लज्जा के कारण मैं बाहर जाने लगी। सिविल सर्जन बार-बार आवाज देते रहे, लेकिन मैं एक पल के लिये भी वहां ठहरने में असमर्थ थी।

शिकायत कर्त्ता का नाम	शिकायती-पत्र में लगाये गये आरोप
श्रीमती श्याम दुलारी, पत्नी राज किशोर सिंह, निवासी धसवा, थाना मनकापुर, जिला गोंडा।	दिनांक 22 नवम्बर, 1970 को प्रार्थिनी ने महिला अस्पताल, गोंडा में परिवार नियोजन के अनुसार आपरेशन कराया। 28 नवम्बर, 1970 के सुबह सिविल सर्जन तथा उनके साथ लेडी डाक्टर व उनके कम्पाउन्डर व दाई आदि आये। सिविल सर्जन ने आपरेशन के बारे में प्रार्थिनी से पूछा जिस पर प्रार्थिनी ने कहा ठीक है, अब कोई तकलीफ नहीं है। इस पर सिविल सर्जन ने स्वयं बिना प्रार्थिनी के राय के प्रार्थनी का पेट खोला और पेटी-कोट भी नीचे की तरफ खिसकाया और देखा। इस पर प्रार्थिनी को बड़ी शर्मिन्दगी और बेईज्जती महसूस हुई। चूंकि प्रार्थिनी बिस्तर पर थी और कमजोरी के कारण वह सिविल सर्जन के ऐसे दुर्व्यवहार का सामना न कर सकी।

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न 23 का उत्तरं पीछे पृष्ठ 1313 पर)

तालिका

क्रम-संख्या	जिला का नाम	विकास खण्ड का नाम
1	अलीगढ़	(1) अतरौली (2) सिकन्दराराऊ
2	शाहजहांपुर	
3	सीतापुर	
4	उन्नाव	(1) सफीपुर (2) नबावगंज
5	रायबरेली	
6	हमीरपुर	(1) राठ (2) करवई
7	झांसी	
8	इलाहाबाद	(1) फूलपुर (2) उरयां (3) प्रतापपुर
9	मिर्जापुर	
10	जौनपुर	(1) धर्मपुर (2) शाहगंज
11	देवरिया	(1) रुद्रपुर (2) गोरों बाजार (3) देवरिया
12	गाजीपुर	(1) सैदपुर (2) मरदहा
13	आजमगढ़	(1) रानी की सहाय (2) परदहा (3) फूलपुर
14	प्रतापगढ़	

नत्थी 'ञ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1320 पर)

नसबन्दी तथा लूप निवेशन की अवधि १–४–७१ से ३०–११–७१ तक खण्डवार उपलब्धि की सूची–जनपद–इलाहाबाद

क्रमांक	नाम खण्ड	1–4–71 से 30–11–71 तक की उपलब्धि		
		पु० न०	म० न०	लूप
1	बहादुरपुर ..	23	31	32
2	बहरिया ..	10	13	14
3	धानूपुर ..	8	19	—
4	जसरा ..	23	14	—
5	उरवा ..	4	16	8
6	चाका ..	24	59	23
7	मूरतगंज ..	10	3	11
8	नैवादा ..	15	1	42
9	मेजा ..	2	3	6
10	मझनपुर ..	14	2	9
11	चायल ..	—	2	27
12	कोड़िहार ..	9	21	29
13	मांडा ..	3	10	1
14	सैदाबाद ..	5	32	18
15	कोराव ..	6	16	28
16	प्रतापपुर ..	7	5	1
17	शंकरगढ़ ..	3	13	4
18	मऊआइमा ..	5	9	63
19	हड़िया ..	8	20	33
20	सोरांव ..	7	17	29
21	सरसवां ..	5	1	29
22	सिराथू ..	2	3	13
23	होलागढ़ ..	7	—	4
24	कनेली ..	1	1	24
25	करछना ..	6	11	17
26	कड़ा ..	1	—	14
27	फूलपुर ..	6	16	69
	योग ..	214	338	548

पी० एस० यू० पी०—ए० पी २६७ एल० ए०—१९७२—८४५ (रो०)।